Monday, 19 August, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[पाँचवाँ सत्र
Fifth Session]

Preservation Unit
Fumigated On 16-1-84
Parliament Library

[खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 18–सोमवार, 19 अगस्त, 1968/28 श्रावण, 1890 (शक)

No. 18—Monday, August 19, 1968/Sravana 28, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
514	चोरी छिपे लाए गये नायलोन धागे का निपटारा / Disposal of Smuggled Nylon Yarn	1277–1278
517	मध्य प्रदेश में रसायन कारखाना / Chemical Factory in Madhya Pradesh ...	1279
520	अखिल भारतीय महापौर परिषद् की दिल्ली में बैठक / All India Mayor's Council meeting in New Delhi	1279–1283
527	आंध्र प्रदेश में पेट्रोल का मूल्य / Price of Petrol in Andhra Pradesh	1283–1284
529	केन्द्रीय सरकार सहकारी गृह-निर्माण समितियां, दिल्ली / Central Government Co-operative House Building Societies, Delhi	1285–1287
533	बिहार सरकार द्वारा अधिक धन निकालना / Overdrafting by Bihar Government ..	1287–1288
538	गोरखपुर उर्वरक कारखाने का उद्घाटन समारोह / Inangural Ceremony of the Gorakhpur Fertilizer Factory	1288–1289
521	केरल की बाढ़ों के लिये केन्द्रीय सहायता / Central Assistance for Floods in Kerala ...	1290–1291
513	इण्डियन ड्रग्ज़ एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश यूनिट / Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd: Rishikesh Unit	1291–1292
519	दिल्ली में तीसरी तथा चौथी क्षेणी के कर्मचारियों के लिए मकान / Houses for Class III and IV Employees in Delhi	1292–1295

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र.संख्या /S. Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

अ. सू. प्र. सं. /S. N. Q. No.

6	विश्व बैंक के ऋणों पर ब्याज की बढ़ी हुई दर	Increased rate of Interest on borrowing of World Bank	1296-1299

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. सं./S.Q.Nos.

511	तारापुर परमाणु बिजलीघर	Tarapur Atomic Power Plant	1299-1300
512	केन्द्रीय वित्तीय संसाधनों का राज्यों में वितरण	Distribution of Central Financial Resources to States	1300
515	इण्डियन ड्रग्ज़ एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड	Indian Drugs and Pharmaceutical Ltd. ...	1300
516	वाणिज्यिक बैंकों के निदेशकों की नियुक्ति	Appointment of Directors in Commercial Banks	1301
518	कृषि ऋण निगम	Agricultural Credit Corporation ...	1301
522	भाखड़ा बिजली की दरों का पुनरीक्षण	Revision in Bhakra Electricity Rates	1301-1302
523	नार्थ एवेन्यू तथा साउथ एवेन्यू में फलैटों को नया रूप देना	Remodelling of Flats in North and South Avenues	1302
524	युनाइटिड प्राविंसिज कमर्शियल कारपोरेशन द्वारा सड़क कटने के इन्जनों की सप्लाई	Delivery of Road-Rollers by United Provinces Commercial Corporation — ...	1302-1303
525	आयकर का निर्धारण	Assessment of Income Tax ..	1303-1304
526	सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Govt. Employees.	1304
528	दामोदर घाटी निगम	Damodar Valley Corporation ... —	1305
530	नई दिल्ली की रामकृष्णापुरम बस्ती में पार्कों का निर्माण	Development of Parks in R.K. Puram, New Delhi. ...	1305-1306

531 कैनिंग पत्तन में छिद्रण कार्य	Drilling in Port Canning	1306
532 बिना डाक्टरों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres Without Doctors..	1306–1307
535 पेट्रोलियम गैस का उपयोग	Utilisation of Petroleum Gas ...	1307–1308
536 मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/S Bird and Co.	1308
537 मैक्सिको में होने वाले औलम्पिक खेलों के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Sports Team for Maxico Olympic Games	1308
539 विदेशों के दौरों पर गये संसद सदस्य	M. Ps. Visits Abroad	1309
540 लोअर डिवीजन क्लर्कों, अपर डिविजन क्लर्कों, स्टेनोग्राफरों के वेतन निर्धारण के बारे में विभागीय परिपत्र	Departmental Circulars re. fixation of Pay of LDCs/UDCs/Stenos	1309

अता. प्र. सं./U.S.Q.No.

4156 संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अंकटेड) होस्टल, कर्जन रोड, नई दिल्ली	UNCTAD Hostel, Curzon Road, New Delhi	1310
4157 बेकार पड़ी उत्पादन क्षमता तथा विदेशी तेल शोधक कारखाने	Idle Production Capacity in Foreign Oil Refineries	1311
4158 कम्पनियों के निदेशकों द्वारा आयकर अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Income-Tax Act by Directors of Companies	1311–1313
4159 घड़ियों का तस्कर व्यापार	Smuggling of Watches	1313–1314
4160 महाराष्ट्र का मिट्टी के तेल का कोटा	Quota of Kerosene Oil Maharashtra —	1314
4161 देहातों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था	Provision of Drinking Water for Villages ..	1315

4162 महाराष्ट्र में साझा बिजली ग्रिड	Common Power Gridin Maharashtra	1315
4163 महाराष्ट्र बिजली बोर्ड में हानि	Loss in Maharashtra Electricity Board ...	1315-1316
4164 भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सोडियम नाइट्रेट का उत्पादन	Manufacture of Sodium Nitrate by Fertilizer Corporation of India Ltd.	1316
4165 देश में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में महिला-विद्यार्थी	Girl Students in First year of M.B.B.S. Course ... –	1316
4167 फिल्म कलाकारों द्वारा आयकर का भुगतान	Income Tax Payment by Film Stars ...	1317
4168 त्रिपुरा में बाढ़	Floods in Tripura	1317
4169 फिल्मों में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा आयकर की देय राशि	Income-Tax Dues from Film People	1317-1318
4170 गुजरात में आवास योजना	Housing Scheme in Gujarat	1318
4171 गुजरात में आदिम जातियों के लोगों को लिये बस्तियां	Tribal Colonies in Gujarat –	1318-1319
4172 आदिम जातियों के लोगों के कल्याण के लिये पंचमहल जिले में आरम्भ किये गये विकास कार्य	Development Works Undertaken in Panchmahal District for the Welfare of Tribal People	1319
4173 गुजरात में कृषि प्रयोजनों के लिये सस्ती दर पर बिजली	Cheap Electricity for Agricultural Purposes in Gujarat –	1319-1320
4174 गुजरात राज्य में मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनायें	Medium and Major Irrigation Projects in Gujarat State	1320

4175	डायरेक्टर हैल्थ सर्विसेज, चण्डीगढ़ द्वारा धन का ग़बन	Embezzlement of Funds by Director, Health Services, Chandigarh	1320–1321
4176	तटीय व्यापार	Coastal Trade	1321
4177	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ	Bhartiya Adam jati Sevak Sangh	1321–1322
4178	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के आजीवन सदस्यों को सुविधायें	Amenities to life members of Bhartiya Adam jati Sevak Sangh	1322–1323
4179	भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति	Indian's Balance of Payments position ...	1323–1324
4180	प्रधान मंत्री की चन्द्रपुर विद्युत्त परियोजना की यात्रा पर किया गया व्यय	Expenditure on Prime Minister's Visit to Chandrapura Power Project	1324
4181	चन्द्रपुर विद्युत्त परियोजना के मज़दूरों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधान मंत्री की मुलाकात	Meeting of the Prime Minister with Workers, Representatives of Chandrapura Power Project	1325
4182	प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों की वापसी	Recall of Deputationists ...	1325
4183	उत्तर प्रदेश में जिला बांदा में बाबेरू नगर क्षेत्र में भूमि	Land in Baberu Town Area, District Banda (U.P.)	1325–1326
4184	विभिन्न देशों को सरकारी शिष्टमंडल	Official Delegations to Various Countries	1326
4185	तापीय बिजली घर, सतपुरा, की कोयले की आवश्यकतायें	Coal Requirements of Thermal Power House Satpura ...	1326–1327
4186	आसाम में बरक नदी पर बांध बनाना	Taming of Barak river in, Assam ..	1327–1328

4187 विजय चन्द अस्पताल, बर्दवान, में एक युवती की मृत्यु	Death of a Woman at Bejay Chand Hospital, Burdwan	1328
4188 अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान संस्थान में डा० (कुमारी) उषा गंगाधरन की मृत्यु	Death of Dr. (Miss) Usha Gangadharan in All-India Institute of Medical Science	1328–1329
4189 बैंक कर्मचारियों का प्रशिक्षण	Training of Banking Personnel	1329
4190 मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के अंशधारी	Shareholders of M/S Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.	1329–1330
4191 मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/S Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.	1330
4192 मैसर्स ओरिएन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी	Shareholders of M/S Oriental Timber Trading Corporation	1330–1331
4193 मसर्स ओरिएन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के अंशधारी	Shareholder of M/S Oriental Timber Trading Corporation, Ltd.	1331
4194 समवर्ती सूची में स्वास्थ्य को शामिल करना	Inclusion of 'Health' in Concurrent list ...	1331–1332
4195 माता टिला बांध का पूरा होना	Complesion of Mata Tila Dams	1332
4196 परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण	Training to Staff for Family Planing Programme	1332–1333
4197 दिल्ली में पकड़ी गई तस्करी की वस्तुओं का व्यापार	Smuggled Goods Seized in Delhi	1333

4198 विदेशों के लिये गैर परियोजना सहायता	Non-Project Aid for Foreign Countries ...	1334
4199 केरल ग्रामीण आवास योजना	Kerala Rural Housing Schemes	1334-1335
4200 केरल के दिल्ली में रहने वाले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधायें	Educational facilities for Children of Scheduled Castes/Tribes of Kerala living in Delhi	1335
4202 जीवन बीमा निगम के प्रथम क्षेणी के अधिकारी	Class I Officers of LIC ...	1335
4203 जापानी सहायता से खम्भात की खाड़ी में तट-दूर ड्रिलिंग	Off-Shore oil drilling in Gulf of Cambey with Japanese Assistance	1336
4204 नारायणगढ़ में बांध का निर्माण	Construction of Bund at Naraingarh ...	1336
4205 फरटीलाइजर एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड में इलैंट्रोलिटिक संयंत्र	Electrolytic Plant in Fertilizers and Chemical, Travancore Ltd. ...	1336-1337
4206 आयकर अपीलों का अधिकारियों द्वारा निपटाया जाना	Disposal of Income-Tax appeals by Officers ...	1337
4207 आयकर का पुनः निर्धारण	Income Tax re. assessment cases ...	1337-1338
4208 आयकर की अपीलें	Income Tax appeals ..	1338
4209 सरकारी क्वार्टरों का 'आउट आफ टर्न' दिया जाना	Out-of-turn allotment of Government Quarters ...	1339
4210 नारकोटिक्स विभाग में निवारक निरीक्षक (प्रिवैंटिव इंस्पेक्टर)	Preventive Inspectors in Narcoties Department	1339
4211 ठेके देने की प्रथा के विरुद्ध आपत्तियां	Objections for awarding Contracts ...	1339-1340

4212	फिल्म निर्माता द्वारा मास्को की मुफ्त यात्रा करने का प्रस्ताव	Offcer of free trip to Moscow by a Film Producer ...	1340
4213	तेल शोधन क्षमता	Refining Capacity	1340–1341
4214	उर्वरक कारखानों की स्थापना के कारण प्रादेशिक असंतुलन	Regional Imbalancesarising out of locations of Fertilizer Plants ...	1341
4215	नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता का अनुमान	Estimates of the requirements of Nitrogen Gas	1341–1342
4216	हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन	Haldia-Barauni Pipeline	1342
4217	सिक्किम का स्टेट बैंक	State Bank of Sikkim ..	1342–1343
4218	कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन की भर्ती की नीति	Recruitment Policy of Culcutta Electric Supply Corporation Ltd.	1343
4219	परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा उद्योग के लिये ऋण	Loan for Family Planing Programme ...	1343–1344
4220	विदेशी सरकारों के साथ करार	Agreements with Foreign Governments ..	1344
4221	दिल्ली में हिन्दुस्तान हाउसिंह फैक्ट्री द्वारा बनाये गये मकान	Houses Built by Hindustan Housing Factory in Delhi ..	1344–1345
4222	रामाकष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्ट्रर 12 में ईसाई धर्मप्रचारक को स्कूलों के लिए प्लाट का दिया जाना	Allotment of School Plot to Christian Missionary in Sector 12 of R.K. Puram, New Delhi ..	1345–1346
4223	रूस से खरीदी गई मशीनरी और उपकरण का मूल्य	Price of Machinery and Equipment Purchased from Soviet Union	1346
4224	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में भारी मात्रा में माल जमा होना	Heavy Accumulation of Inventory in Oil and Natural Gas Commission	1346

4225 बिहार में नदियों के जल का दूषित होना	Pollution of Rivers Water in Bihar ..	1347
4226 आयुर्वेद विश्वभारती ग्राम ज्योति केन्द्र सरदारशहर (राजस्थान)	Ayurved Vishwabharati Gram Jyoti Kendra, Sardarshahar. Rajasthan	1347
4227 कृषि आयकर	Agricultural Income Tax	1347–1348
4228 जनता का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना	Physical Fitness of People	1348–1349
4229 मिट्टी के तेल का मूल्य	Price of Kerosene Oil	1349
4230 मिट्टी के सफेद तथा लाल तेल का मूल्य	Price of White and Red Kerosene Oil	1349–1350
4231 पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्र वृत्तियां	Scholarships for Students of Backward Classes ...	1350
4232 बिहार में बाढ़	Floods in Bihar	1350–1351
4233 मेडिकल कालिज में दाखिले के लिये रिहायशी प्रमाण-पत्र	Residential Certificate for Admission in Medical Colleges	1351–1352
4234 राष्ट्रीय नदी योजना	National River Scheme	1352
4235 अविन्द कुमार किलाचन्द की फर्मों पर छापे	Raids on Firms owned by Shri Arvind Kumar Kilachand	1352–1353
4236 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त	Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	1353
4237 सरकारी क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले तेल शोधक कारखाने	Oil Refineries to be set-up in Public Sector ...	1353
4238 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट	Annual Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	1354

4239 उर्वरक कारखाना गोरख पुर के प्रबन्ध में हिस्सा लेने की मजदूरों की मांग	Worker's demand on the Management of Fartilizer F. ctory, Gorakhpur	1354
4240 उत्तर प्रदेश को पोवर के कनैक्शन देने के बारे में हुवा करार	Agreements concluded for supply of Power connections in Uttar Pradesh ...	1354–1355
4241 सिचाई और विद्युत मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित कर्मचारी	Scheduled Castes/Scheduled Tribes Officials in the Ministry of Irrigation and Power	1355
4242 वित्त मंत्रालय में अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति	Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Finance Ministry	1355
4243 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम छोड़ कर गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी प्राप्त करने वाले अधिकारी	Officials migrating from Public Sector to Private Sector	1355–1356
4244 कम्पनियों द्वारा देय आयकर की बकाया राशि	Income Tax arrears due from Companies ...	1356
4245 निर्यात के कम मूल्य के बिजक बनाना	Under-Invoicing of Exports ..	1356–1357
4246 मद्रास राज्य अन्तर्राज्य परिवहन संचालकों (आपरेटर्स) की और आयकर की बकाया राशि	Income Tax arears due from Madras State Inter-State Transport Operators ...	1357
4248 'पैट्रियट' तथा 'लिंक' को प्राप्त हुआ दान	Donations received by 'Patriot' and 'Link'...	1357–1358
4249 गंगा नदी से विद्युत प्रजनन	Power Generation from Ganga	1358
4250 गौहाटी तेल शोधक कारखाने में फालतू कर्मचारी	Surpuls Employees in Gauhati Refinery ..	1358-1359

अता.प्र.संख्या / U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
4251 बिजली का उत्पादन तथा बिजली से नलकूप और पम्पिंग सैट चलाना	Generation of Electricity and Energistion of Tubewells and Pumping Sets... ...	1359
4252 मोरान तथा नाहरकटिया कुओं के अशोधित तेल से मोम	Wax from Crude oil from Moran and Naharkatia Oil Wells	1359–1360
4253 बेकार द्रव से अमोनियम सलफेट अलग करने के संयंत्र का विकास	Development of a Plant for separating Ammonium-Sulphate from liquid Waste	1360
4254 गोहाटी-सिलीगुड़ी पाइप-लाईन का निर्माण	Construction of Gauhati–Siliguri Pipeline	1360–1361
4255 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बिहारी अधिकारी तथा कर्मचारी	Bihari Officers in Public Undertakings ...	1361
4256 मैसर्स डोडसाल (प्राईवेट) लिमिटेड और श्री कान्ति देसाई	M/S Dodsal (P) Ltd. and Shri Kanti Desai	1361–1362
4257 अधवाड़ा बाढ़ नियंत्रण योजना, बिहार	Adhawara Flood Scheme, Bihar ...	1362
4258 पश्चिम कोसी नहर	Western Kosi Canal	1362
4259 बाढ़ रोकने के लिये पगला-दिया नदी के तल की सफाई	Dredging of Pagladia River to Control Floods	1362–1363
4260 पर्यटकों के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchage for Tourists	1363
4261 निजी उपचर्या-गृह	Private Nursing Homes	1363-1364
4262 दिल्ली के अस्पतालों में भीड़भाड़	Overcrowing in Delhi Hospitals	1364
4264 लक्ष्मी कमर्शियल बैंक	Laxmi Commercial Bank	1364–1365
4265 हरियाणा में यमुना नदी पर पुलों का निर्माण	Construction of Bridges over Jamuna River in Haryana ...	1365

4266 कलकत्ता में पड़ा हुआ पुराना लुब्रीकैंट का स्टाक	Stock of Lubricants lying in Calcutta	1365–1366
4267 इण्डियन आयल कारपोरेशन के उत्पादों का निर्यात	Export of Products By I.O.C.	1366
4268 भारतीय तेल निगम द्वारा व्यापारियों को छूट	Rebate to Dealers by Indian Oil Corporation ...	1366–1367
4269 दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा गृह-निर्माण	House Building by D.D.A.	1367
4270 मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्रा०) लिमिटेड	M/S Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.	1367–1368
4271 मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के अंशधारी	Shareholders of M/S Oriental Timber Trading Corporation, Ltd. ...	1368
4272 मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के अंशधारी	Shareholder of MJS Oriental Timber Trading Corporation, Ltd. ...	1368
4273 मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के अंशधारी	Shareholder of M/s Oriental Timber Trading Corporation, Ltd ..	1368-1369
4274 मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/S Oriental Timber Trading Corporation	1369
4275 मध्य प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार	Atrocities Perpetrated on Harijans in M P.	1369
4276 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये विश्व-विद्यालय छात्रवृत्तियां	University Stipend for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students	1369–1370
4277 बाल्मीकि समुदाय के लोग	Balmiki Community ..	1370
4278 अस्पृश्यता उन्मूलन	Eradication of Untouchability ..	1370

4280	जनरल बीमा पर सामाजिक नियंत्रण	Social control over General Insurance ...	1370-1371
4281	औषध निर्माण उद्योग में संकट	Crisis in Pharamceuticals Industry	1371–1372
4282	भारत और समाजवादी देशों के बीच आर्थिक सम्बन्ध	Economic relations between India and Socialist Countries	1372
4283	उर्वरक के कारखानों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Fertilizer Plants	1372–1373
4284	भारतीय तेल निगम द्वारा ढोलों की खरीद	Purchase of Barrels by Indian Oil Corporation ..	1373
4285	भारतीय तेल निगम के लिये बैरलों का सम्भरण	Supply of Barrels to I.O.C. ..	1373–1374
4286	गैर-सरकारी अस्पतालों के प्रबन्धकों का अभ्यावेदन	Representations from Private Hospital Managements	1374
4287	दिल्ली विकास प्राधिकारी द्वारा क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Quarters by Delhi Development Authority	1374
4288	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा गन्दी बस्तियां साफ करना	Slum clearance undertaken by D.D.A.	1374–1375
4290	तेल शोधक कारखानों का विस्तार	Expansion of Oil Refining Capacity	1375
4291	स्टर्लिंग क्षेत्र का परिसमापन	Liquidation of Sterling Area	1375–1376
4292	स्वास्थय, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय से शिष्ट मण्डलों का विदेशों को दौरा	Visit abroad of delegation of Health, Family Planning and Urban Development Ministry	1376
4293	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों का सर्वेक्षण	Survey of Staff Employed in Irrigation and Power Ministry	1376–1378

4294 हृदय रोपण के लिये आधुनिक उपकरण	Modern equipment for Heart Transplpantation	1378
4295 राज्यों में समान बिक्री-कर	Uniform Sales-Tax in States ..	1378-1379
4296 अनाधिकृत चिकित्सा व्यवसायी	Unauthorised Medical Practitioners	1379
4297 सरकारी मुद्रणालय, अलीगढ़	Government of India Press, Aligarh ...	1379-1380
4298 भारत सरकार के प्रेसों में कागज चढ़ाने वाले	Paper suppliers in Government of India Presses ...	1380
4299 भारत सरकार के प्रेसों में गणक (काउंटर)	Counters in Government of India Presses ...	1380
4300 सरकारी प्रेसों में पदोन्नति	Promotion in Government of India Presses	1381
4301 रिहांद विद्युत परियोजना से बिजली की दरें	Rates of Electricity from Rihand Power Project	1381-1382
4302 उत्तर प्रदेश में चाकिध सब-डिवीजन में नौगढ़ ताल्लुक की पानी की सप्लाई	Supply of water to Naugarh Taluka, Chakigh Sub-Division, U.P. ...	1382
4303 उत्तर प्रदेश के चन्दोली सब डिवीजन में भूपाली गांव के लिये उठाऊ सिंचाई सम्बन्धी योजना	Lift Irrigation Scheme for Bhupali Village in Chandoli Sub-division of U.P. ...	1382-1383
4304 सरकारी अस्पतालों के ड्राइवरों के वेतनक्रमों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Government Hospital Drivers	1383
4305 असैनिक सेवा के भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में मकान किराये तथा महंगाई भत्ते की गणना	Calculation of House rent and Dearness allowance in respect of Ex-servicemen in Civil Service	1383
4306 आवास योजनाएं	Housing Schemes	1383-1384

4307 आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं तथा बाढ़ नियंत्रण योजनाएं	Irrigation Projects and Floods Control Schemes of Andhra Pradesh	1384-1385
4308 राज्यों द्वारा देय ऋणों की अदायगी का तरीका	Method of Payment of Loans due from States ..	1385-1386
4309 औद्योगिक मंदी	Industrial Recession ..	1386
4310 तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता	Production Capacity of Refineries...	1386-1387
4312 मध्य प्रदेश की परिवार नियोजन संस्थाओं को अनुदान	Grants to Family Planning Institutions of Madhya Pradesh	1387
4313 मध्य प्रदेश को दिये गये ऋण/अनुदान	Loans/Grants given to Madhya Pradesh	1387-1388
4314 मध्य प्रदेश को सिंचाई और बिजली के लिये धन का नियतन	Allocation of money to Madhya Pradesh for Irrigation and Electricity	1388
4315 मध्य प्रदेश के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Drought Relief to Madhya Pradesh	1388-1389
4316 नगरीय विकास परियोजना में सागर नगर को शामिल करना	Inclusion of Sagar City in Urban Development Project	1389
4317 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का कल्याण	Social Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	1389
4318 अशोधित तेल से निकाले गये उपयोगी उत्पादकों की प्रतिशतता	Percentage of Useful Products Extracted from Crude oil	1389-1390
4319 अस्पतालों में वात-शीतक लगाना	Installation of Air Conditioners in Hospitals	1390

4320	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के साथ भेदभाव	Discrimination against Scheduled Castes/Tribes	1390–1391
4321	हेंगर फोर्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी का सरकारी परिसमापक	Official Liquidator of Hangerford Investment Co.	1391
4322	केरल की इडमलयार योजना	Idamalayar Scheme in Kerala ..	1391
4323	संश्लिष्ट रबड़ के मूल्य	Prices of Synthetic Rubber ..	1392
4324	संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन	Production of Synthetic Rubber	1392
4325	सरकारी इमारतों आदि का क्षेत्र	Areas Covered by Government Buildings ets.	1393
4326	बिजली सप्लाई की भिन्न भिन्न दरें	Different rates for Electricity Consumption ...	1393
4327	गोयनका बन्धुओं को जीवन बीमा निगम द्वारा अंशों की बिक्री	Sale of Shares by Life Insurance Corporation to Goenkas ...	...1393-1394
4328	नार्थ और साउथ एवेन्यू में कीटनाशक दवाइयां छिड़कना	Spraying of Insecticiders in North and South Avenues, New Delhi	1394
4329	दफ्तरियों को टाइप II क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Type-II Quarters to Daftries ...	...1394–1395
4330	सरकारी कर्मचारीयों को कार्य-स्थल के निकट क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Govt. Servants near the place of Duty ..	1395
4331	राज्य-सभा सचिवालय और लोक-सभा सचिवालय के कर्मचारीयों के लिये क्वार्टर	Quarters for Employees of Rajya-Sabha & Lok Sabha Secretariats	1395-1396
4332	हवाई अड्डों पर तैनात सीमा शुल्क कर्मचारी	Air Customs Pool ..	1396

4333	मकान बनाने के लिये ऋण	Loans for Construction of Houses	1396
4334	गृह-निर्माण योजनाएं	Schemes for Construction of Houses ...	1396–1397
4335	गैर–सरकारी क्षेत्र की उर्वरक परियोजनाओं की प्रगति	Progress in Private Sector Fertilizer Projects	1397
4336	लाटरियों तथा घुड़दौड़ों पर कर	Tax on Lotteries and Horse Races	1397–1398
4337	जयपुर और भूवनेश्वर स्थित महालेखापाल के कार्यालयों के कर्मचारियों के लिये सरकारी क्वार्टर	Government Accommodation to Employees of Accountants General, Jaipur and Bhubanehwar	1398
4338	चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये राजस्थान और उड़ीसा को अनुदान देना	Allotment of Grants to Rajasthan and Orissa for Medical Education and Training	1399
4339	बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिये उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Orissa for flood Control Schemes	1399
4340	अट्टापड़ी घाटी का सर्वेक्षण	Survey of Attappadi Valley ...	1400
4341	श्री कान्ति देसाई और श्रीमती पद्मा देसाई द्वारा दिया गया आयकर और धन-कर सम्बन्धी विवरण	I.T. & W.T. returns filed by Shri Kanti Desai and Shrimati Padma Desai	1400
4342	इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन	India Supply Mission, Washington ...	..1400–1401
4343	गुजरात तेल शोधन कारखाने में अशोधित पैट्रोलियम कोक का उत्पादन	Production of Raw Petroleum Coke at Gujarat Refinery	1401

4344 पैट्रो-रसायनिक उद्योगों का विकास	Development of Petro-Chemical Industries ...	...1401–1402
4345 विदेशी विनियोजन	Foreign Investments	1402
4346 दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थय सेवा ओषधालयों में सार्व जनिक टैलीफोन लगाना	Installation of PCOs at C.G.H.S Dispensaries, Delhi.	1402
4347 विभिन्न अवास योजनाओं के लिये धन का आंवटन	Allocation of Funds for Various Housing Schemes ...	1403
4348 विदेशी सहायता	Foreign Aid	...1403–4104
4349 राजकीय मुद्राणालय के लिए 'सीसा' तथा' टाइप' का आयात	Import of Lead and type for Government of India Presses	1404
4350 केनिग पत्तन में तेल की खोज	Oil Exploration in Canning Port	1405
4351 मैसर्स मेवाड़ मैटल इन्ड-स्ट्रीज उज्जैन द्वारा देय आयकर निर्धारण	Assessment of Income-tax payable by Mewar Metal Industries, Ujjain...	1405
4352 मैसर्स जय इन्जिनियरिंग वर्कस	M/s Jay Engineering Works	1405–1406
4353 मैसर्स किर्लोस्कर आयल इंजन्स लिमिटेड पूना,	M/s Kirloskar Oil Engines Ltd., Poona ...	1406
4354 इंडियन ट्यूब्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	Indian Tubes Company, Ltd. Calcutta	1406
4355 पूना में विटामिन 'सी' बनाने का कारखाना	Vitamin 'C' Factory in Poona	1406–1407
4356 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति	Promotion in the C.P.W.D.	1407
4357 संसद् सदस्यों के फ्लैटों में बने नौकरों के लिये क्वार्टर	Servant quarters attached to M.Ps. Flats ...	1408
4358 दिल्ली की वित्त कम्पनियां	Finance Companies of Delhi	1408–1409

4359	नई दिल्ली में एक राजनयिक से चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का पकड़ा जाना	Smuggled Goods seized from a Diplomat in New Delhi	1409-1410
4360	उत्तर प्रदेश के मछली शहर निर्वाचन क्षेत्र को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Machhlishahr, Constituency in U.P	1410
4361	उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल के दामों में वृद्धि	Rise in Price of Kerosene Oil in U.P. ...	1410-1411
4362	जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों से संबंधित कर्मचारी	Scheduled Castes in Life Insurance Corporation	1411
4363	थेन बांध का निर्माण	Construction of Thein dam	1411
4364	नई दिल्ली नगर पालिका के बिजली विभाग के कर्मचारी	Workers in Electricity Department of New Delhi Municipal Committee	1411-1412
4365	नई दिल्ली गगर पालिका में चौकीदारी	Chowkidars in N.D.M.C.	1412
4366	मेरठ के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध मेरठ के स्वर्णकार संघ की शिकायत	Complaints made by Swarankar Sangh, Meerut against certain officers of Central Excise, Meerut	1412-1413
4367	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ईरान के समुद्र तट पर तेल के भण्डार का पता लगाया जाना	Oil fond on Iranian shore by O.N.G.C. ...	1413-1414
4368	बारबिल उड़ीसा में जल प्रदाय योजना	Water Supply Scheme at Barbil, Orissa ...	1414
4369	हिन्दुस्तान शूगर फैक्टरी से वसूल किया गया आयकर	Income-tax realised from Hindustan Sugar factory	1414

4370 लखीमपुर खेरी स्थित चीनी के कारखाने द्वारा दिया गया उत्पादन शुल्क — Excise Duty paid by Sugar Factory in Lakhimpur Kheri .. 1415

4371 भूतपूर्व रियासतों के भूतपूर्व नरेशों द्वारा विदेशों में पूंजी विनियोजन — Investment in foreign countries by Erstwhile rulers of Princely States 1415-1416

4372 माही परियोजना — Mahi Projects ... 1416

4373 राजस्थान में सिंचाई और विद्युत योजनाएं — Irrigation and Power Schemes in Rajasthan 1416

4374 मैसूर राज्य को केन्द्रीय सहायता — Central aid to Mysore State 1417

4375 पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के निकट ड्रेजरों तथा नौकाओं की मरम्मत — Repair of Dredger and launches near Calcutta 1417-1418

4376 कृषि पुनर्वित्त निगम — Agricultural Refinance Corporation .. 1418

4377 स्टेनलैस स्टील के बर्तनों के प्रयोग के कारण हृदय की गति बन्द होना — Heart failures due to use of Stainless Steel Utensils 1419

4378 विदेशी बैंक — Foreign Banks 1419-1420

4379 रांची के कुछ व्यक्तियों को आदिम जातीय छात्र-वृत्तियां दिया जाना — Tribal Scholarships to certain persons in Ranchi 1420

4380 सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रम — Public Undertakings of Ministry of Irrigation and Power 1420-1421

4382 रेलवे कर्मचारियों का केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में उपचार — Treatment of Railway employees in C.G.H.S. Dispensaries ... — 1421

4383 कलकत्ता इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन — Calcutta Electricity Supply Corporation ... 1421-1422

4384 सरोजनी नगर, नई दिल्ली के निकट झुग्गियां	Shanties near Sarojani Nagar, New Delhi ..	1422
4385 नैफ्था और अमोनिया का उत्पादन और आयात	Production and Import of Napatha and Ammonia	1422–1423
4386 अमरीकी तेल फर्म द्वारा भारतीय तकनीशनों को प्रशिक्षण देने की पेशकश	Officer by U.S Oil Firm for training Indian Technicians	1423
4387 राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकारी के फ्लैटों की किराया खरीद आधार पर बिक्री	Sale of D.D.A. Flats on Hire-Purchase basis in the Capital	1424
4388 दिल्ली के सिनेमा मालिकों से बकाया कर	Tax arrears due from Cinema Owners of Delhi	1424–1425
4389 चलचित्र व्यवसाय में लगे लोगों द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasion by Film People ..	1425
4390 फिल्म व्यवसाय में लगे व्यक्तियों पर आय कर की बकाया राशि	Income Tax arrears due from Film People	1425
4391 नर्मदा नदी के बसिन का विकास	Development of Narmada Basin ...	1426
4392 तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आयातित बर्मे तथा अन्य मशीनरी	Rigs and other Machinery Imported by O.N.G.C. ..	1426–1427
4393 देश में बड़ी और मध्यम क्षेणी की परियोजनाओं द्वारा सिंचत क्षेत्र	Area Irrigated by Major and Medium Projects in the Country ...	1427
4394 प्रत्येक तेल शोधक कारखाने द्वारा साफ किये जाने वाला कच्चा तेल	Quality of Crude Oil Handled by Refineries	1427–1428
4395 नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन	Violations of the Decisions of D.D.A. by N.D.M.C.	1428

4396	नई दिल्ली में सरकारी बस्तियों में खोखे वाले अलाटियों के कब्जे में भूमि	Land Occupied by Allottees of Stall Holders in Government Colonies in New Delhi	1428-1429
4397	नवकेतन सहकारी गृह-निर्माण समिति जंतर-मंत्र, नई दिल्ली	Navaketan Co-operative Housing Society Jantar-Mantar, New Delhi	1429
4398	फिल्म अभिनेत्री आशा-पारिख द्वारा आय कर अपवंचन	Income-Tax Evasion by Film Actress Asha Parekh	1430
4399	चलचित्र अभिनेता दलीप-कुमार द्वारा कर अपवं-चन	Tax Evasion by Film Star Dilip Kumar ...	1430
4400	फिल्मी कलाकारों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन तथा आय छिपाना	Foreign Exchange Violations and Concealment of Income by Film Stars	1430-1431
4401	विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा हड़-ताल	Strike by Willingdon Hospital workers	1431
4402	उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में वृद्धि	Increase in Electricity Rates in U.P. ...	1431
4403	श्री कांति देसाई के वाणि-ज्यिक सम्बन्ध की	Business Connections of Shri Kanti Desai...	1432
4404	बम्बई जनरल ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड	Bombay General Trading Corporation (Pvt.) Ltd.	1432
4405	मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड	M/S Dodsal (P) Ltd.	1432-1433
4406	अमरीका की मैसर्स बैंकटेल कारपोरेशन द्वारा उर्वरक कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव	Offer by M/s. Bechtal Corporation of U.S.A. for Setting up Fertilizer Factories	1433-1434

4407	चलचित्र उद्योग में सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा दिया गया धन-कर	Wealth-Tax paid by Film People	1434
4408	फिल्म कम्पनियों पर बकाया आय-कर	Income-Tax arrears due from Film Companies ...	1434
4409	अस्पृश्यता	Untouchability	1434–1435
4410	सरकारी अस्पतालों की नरसों के लिये भत्ते तथा सुविधायें	Allowances and facilities for Nursing Staff of Government Hospitals	1435
4411	एम०एस० ब्लाक, हरि नगर, दिल्ली में भवन	Buildings in M.S. Block, Harinagar, Delhi	1435–1436
4412	सामान्य बीमे के छोटे एकक	Small Units in Generals Insurance... ..	1436
4413	दिल्ली में भूमि तथा गृह-निर्माण सम्बन्धी समस्या	Land and Housing Problem of Delhi ...	1436–1437
4414	तेल की खोज करने के लिये आयल इन्डिया लिमिटेड को नियत किया गया क्षेत्र	Area Allotted to Oil India Ltd for Oil Exploration — ...	1437
4415	चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध जांच	Enquiries against Film People	1437
4416	चलचिल उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों पर कर की बकाया राशि	Tax arrears due from Film People	1433
4417	चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा आयकर का भुगतान	Income-Tax payment by Film People	1438–1439
4418	जापान को ऋण लौटाना	Repayment of Debts to Japan	1439

अता.प्र. संख्या/U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
4419 दिल्ली में आने वाले अनुसूचित जातियों केविद्यार्थियों को रियायतें	Concession for Scheduled Castes Students migrating to Delhi	1439–1440
4420 समाज सेवा पदाली	Social Service Cadre	1440
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	1440-1443
लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक	Lok pal and lokayukt Bill	1443
संयुक्त समिति में राज्य सभा के एक सदस्य की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव	Motion re: Appointment of a Rajya-Sabha Member to Joint Committee ...	1443 1444
न्यायाधीश (जांच) विधेयक	Judges (Inquiry) Bill ...	1444
खण्ड 6, 7 और 1	Clauses 6, 7 and 1	1444
संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended ... –	1447
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan – ..	1447
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu .. –	1447
श्री ही०ना०मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee ...	1447
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar – ..	1448
श्री श्री निवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	1448
श्री नारायण राव	Shri K. Narayan Rao	1449
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1968-69	Demand for Supplementry grants (Railways), 1968-69	1450
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri ..	1452
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	1452
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D.N. Patodia	1452
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil	1453
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra – ...	1453
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	1454

विषय	Subject			पृष्ठ/Pages
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	...	...	1454
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	...	...	1455
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharti	...	...	1455
श्री चे०मु० पुनाचा	Shri C.M. Poonacha	..	..	1455
उप प्रधान मंत्री पुत्र के व्यापार सम्बन्धों के बारे में उनके वक्तव्यों के बारे में प्रस्ताव	Motion re: Statements of deputy prime Minister re: his son's business connections	..	...	1456
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	...	...	1458
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	...	..	1460
श्री मी०रु० मसानी	Shri M. R. Masani	..	...	1462
श्री शान्तिलाल शाह	Shri Shantilal Shah	...	...	1463
श्री श्रीपद अमृत डांगे	Shri S. A. Dange	...	..	1465
श्री जी०भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	...	...	1466
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	..	...	1466
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	...	...	1467
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	..	...	1468
श्री तिरुमल राव	Shri Thirumala Rao	..	..	1469
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	...	...	1469
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kriplani	...	..	1470
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	...	...	1471
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	...	...	1472
श्री एस० राजाराम	Shri S. Raja Ram	...	...	1472
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunath Reddi	..	...	1472
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	...	...	1473

लोक-सभा
LOK-SABHA

सोमवार 19 अगस्त, 1968/28 श्रावण, 1890 (शक)
Monday, August 19, 1968/Sravana 28, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चोरी छिपे लाए गये नायलोन धागे का निपटारा

***514. श्री सीतराम केसरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया लगभग 1 करोड़ रुपये के मूल्य का नायलोन धागा राज्य व्यापार निगम को उसके लाइसेंसों पर दिया जा रहा हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम का उसे कैसे बेचने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) नायलॉन के जब्त-शुदा धागे के स्टाक को राज्य व्यापार निगम को उसके लाइसेंसों के बदले बेचने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) यह सवाल नहीं उठता ।

Shri Sitaram Kesri : I have come to know that customs officials gave them confiscated smuggled linen yarn worth Rs one crore, but that is not selling because of great difference in smuggled price market and their price. I want how much of the said smuggled goods has been sold.

Shri K. C. Pant : In 1965, 1966, 1967 and upto end of March, 1968 nylon yarn worth 302 lakhs of rupees was seized out of which yarn worth 3.1 lakhs of rupees has been sold and worth 4.2 lakhs of rupees is ready for sale. The main reason for which cosiderable quantity of yarn has not been sold is that most of it is either under adjudication or held up at appeal or revision application stage and even if we want to sell it to-day we cannot do so.

Shri Sitaram Kesri : Is it a fact that a very large quantity of linen yarn is smuggled into our country from Nepal whose price is so much less than your price that nobody is prepared to purchase it from you ? Will you take steps to check smuggling, to reduce your price so that weavers may purchase your goods rather than importing from foreign countries and also your goods may be imported from Nepal in a legalised manner and sold at cheap prices ?

Shri K. C. Pant : There might have been some smuggling from Nepal also. The question is how much nylon yarn should be allowed to be imported keeping in view our foreign exchange position. Facilities for allowing import of nylon yarn are given in view of this factor.

श्री लोबो प्रभु : चोरी छिपे माल तब लाया जाता है जब देशी और विदेशी मूल्यों में बड़ा अन्तर हो । मुझे मालूम हुआ है कि नाइलोन 14 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से आयात होता है और इसकी बिक्री का मूल्य 100 रुपये प्रति किलो ग्राम है । नाइलोन गरीब लोगों के काम आता है । नाइलोन पर कितना शुल्क लगता है कि इसका मूल्य 14 रुपये से 100 रुपये तक हो जाता है ? दूसरे क्या सरकार गरीब लोगों की जरूरतों की दृष्टि से शुल्क कम करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह गरीब लोगों के काम आने वाली चीज है ।

Shri Baswant : What is the estimate of the quantity of nylon which is smuggled into our country ?

Shri K. C. Pant : It is difficult to make an assessement of that.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know about the strict measures adopted by Government to check smuggling of nylon yarn. Moreover, are the Government aware that even the yarn produced in the country is sold in black market, if so, the restrictions imposed to check this?

Shri K C. Pant : Details have already been given regarding the steps taken to check smuggling.

Shri Atal Bihari Vajpayee : What strict measures have been adopted?

Shri K. C. Pant : If there are new suggestions they would also be considered.

Shri Hukam Chand Kachwai : Considerable quantity of yarn is sold in black market. What measures have been adopted te check this?

Shri K. C. Pant : Demand is more and supply is less. It is because of this factor that yarn is smuggled as well as sold in black-market.

मध्य प्रदेश में रसायन कारखाना

+

*517. **श्री नाथू राम अहिरवार** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार का राज्य में एक रसायन कारखाना स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति ले ली गई है और क्या केन्द्रीय सरकार का कोई सहायता देने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क), (ख) और (ग) : मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले कास्टिक सोडा, क्लोरीन, वी० एच० सी० और लिण्डेन के उत्पादन के लिए प्रस्ताव भेजा था। इनकी जांच की गई थी और राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण तथा अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। इनकी प्रतीक्षा है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : When did the Government of Madhya Pradesh communicate this decision for Central Government's consideration and by what time a decision would be taken?

श्री रघुरामैया : वास्तव में कुछ समय पहले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। तब उन्होंने नवीन आधारों पर आग्रह किया। हम विचार कर रहे हैं।

अखिल भारतीय महापौर परिषद की दिल्ली में बैठक

+

*520. **श्री चेंगलाराया नायडू** :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री अंबुचेजियान :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर** विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 जुलाई, 1968 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक हुई थी ;

(ख) क्या उन्होंने बड़े शहरों की विकास परियोजनाओं के लिए केन्द्र से अधिक वित्तीय सहायता की मांग की है ;

(ग) यदि हां, तो परिषद की क्या सिफारिशें थीं ; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) जी हां।

(ख) और (ग) : इस परिषद द्वारा पारित संकल्पों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय महापौर परिषद ने अभी तक भारत सरकार को औपचारिक रूप से कुछ नहीं लिखा है।

विवरण

25 और 26 जुलाई, 1968 को दिल्ली में अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारी समिति की चौदहवीं बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किये गये :–

(1) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा गन्दी बस्ती सफाई कार्यक्रम के लिये नगर निगमों को सहायता और ऋण के रुप में अधिक आर्थिक मदद दी जाय।

(2) नगर निगमों की विकट आर्थिक स्थिति तथा दीर्घकालीन विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर होने वाले करोड़ों रुपये के खर्च की वर्षवार व्यवस्था करने में निगमों की असमर्थता को देखते हुए अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारी समिति केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती है कि गन्दी बस्ती सफाई योजनाओं के लिए दी जा रही सहायता के आधार पर निगमों को भी सहायता देने में उदारता बरते।

कार्यकारी समिति भारत सरकार से यह भी अनुरोध करती है कि वह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकार जैसी अंतर्राष्ट्रीय निकायों से आवश्यक सहायता प्राप्त करके नगर निगम को उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी तरह की संभाव्य सहायता प्रदान करे।

20 और 21 सितम्बर, 1967 को त्रिवेंद्रम में हुई परिषद की अपनी सांतवी बैठक में पारित संकल्प संख्या 18 को दुहराते हुए कार्यकारी समिति सभी निगमों की आवश्यकताओं की जांच पड़ताल करने तथा नये सम्बद्ध क्षेत्रों, नाली योजनाओं, जल-पूर्ति, शिक्षा, शैक्षिक भवनों, ओपन-एअर-थियेटरों, स्विमिंगपूलों, स्वास्थ्य एवं प्रसूति सेवाओं आदि कार्यक्रमों के लिए समुचित रुप से तथा साम्यिक रूप से अनुदान के वितरण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधार पर एक सांविधिक-आयोग की शीघ्र स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती है।

3. नगर निगमों की विकट आर्थिक स्थिति तथा अस्पतालों, उद्यानों, मनोरंजन केन्द्रों, प्रसूति गृहों, आवास आदि जैसे अन्य व्यापक कार्यक्रमों के निमित धन की व्यवस्था कर सकने में उनकी असमर्थता को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारी समिति केन्द्रीय और राज्य सरकारों से अनुरोध करती है कि वे प्रमुख बड़ी-बड़ी सड़कों तथा साथ-साथ पार्किंग, पगडंडी, ट्रक-टर्मिनी और सम्बन्धित निगमों की विकास योजनाओं में प्रस्तावित अन्य ऐसी ही सुविधाओं की

व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करें तथा इन पर होने वाले खर्च केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाय।

4. केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जाय कि नगर निगमों को उनकी अपनी-अपनी सीमाओं में स्कूलों के लिए निर्धारित स्थानों को उन्हें तत्काल ही सौंप देने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डाले। इस सम्बन्ध में मंजूरी लेने तथा मुआवजे की अदायगी विषयक औपचारिकताएं बाद में पूरी की जांय।

शिक्षा के विकास की दृष्टि से केन्द्र और राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाय कि वे नगर निगमों को स्कूलों के लिए निर्धारित स्थानों को वर्तमान मार्केट दरों पर न देकर नाम मात्र खर्च पर दे दें।

5. अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारी समिति 28 और 29 दिसम्बर, 1963 को मद्रास में हुई, अपनी तीसरी बैठक में पारित संकल्प संख्या 16 की ओर पुनः ध्यान आकर्षित कराते हुए केन्द्रीय और राज्य सरकारों से अनुरोध करती है कि वे गन्दी बस्ती सफाई, आवास, मलोत्सरण योजनाओं मैकेनाइज्ड कम्पोस्ट प्लाण्ट, गैस जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्लाण्टों, जलपूर्ति परियोजनाओं आदि जैसी नगरीय सामुदायिक जीवन में सुधार लाने के लिए नगर निगमों को उनकी विभिन्न परियोजनाओं को चलाने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता और ऋण प्रदान करें। साथ ही भारत के नगर निगमों को ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सुविधाएं भी तुरन्त उपलब्ध करायें।

6. रेलवे सीमा के अन्दर चौबीस फुट तक चौड़े या लेवल क्रासिंग की चौड़ाई के बराबर जो भी अधिक हो, ओवर ब्रिज बनाने, शहरों या कस्बों में अथवा उनके निकट के क्षेत्रों में दो पगडण्यिां (प्रत्येक छः फुट चौड़ी) बनाने और आबादी की बढ़ोतरी तथा औद्योगिक विकास के कारण यातायात में हुई वृद्धि को ध्यान में रखे बिना ही पुरानी और अप्रचलित रेलवे लाइन को पार करने के लिए अपेक्षित व्यवस्था पर होने वाले खर्च के सम्बन्ध में अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारी समिति केन्द्रीय सरकार (रेलवे मन्त्रालय) से अनुरोध करती है कि ओवर ब्रिज तथा उससे मिलने वाली सड़कों के निर्माण कार्य एवं देख-रेख पर होने वाले खर्च को मन्त्रालय और नगर निगम परस्पर 50–50 प्रतिशत के हिसाब से वहन करें। अथवा इसके लिए दूसरा विकल्प यह है कि ओवर ब्रिज का पूरा खर्च या तो मंत्रालय वहन करे और इस दशा में ब्रिज से मिलने वाली सड़कों का कुल खर्च नगर निगमों को वहन करना होगा।

7. अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारी समिति केन्द्रीय सरकार से अपील करती है कि वे उनकी सम्पत्तियों के बारे में 1–4–1937 से पूर्व वाली दरों पर नहीं वरन समय समय पर निर्धारित दरों पर ही नगर निगमों को करों का भुगतान करें।

8. अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारी समिति प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विषय में नगर निगमों को दिए जाने वाले अनुदानों के सम्बन्ध में बरते गये मनमाने रवैये पर अत्यधिक चिन्ता व्यक्त करती है। जहां प्राइवेट एजेन्सियों द्वारा चलाये गये विद्यालयों के लिए राज्य सरकारों ने 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक अनुदान दिए वहां नगर निगमों को ये अनुदान नाम मात्र को ही मिले और जहां प्राथमिक शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी नगर निगमों पर थी, वहां अधिकांश निर्धारित शिक्षा-शुल्क तो राज्य सरकारों ने स्वयं रख लिया और नगर निगमों को केवल उसका थोड़ा सा भाग ही दिया।

अतः अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारी समिति केन्द्र और राज्य सरकारों से अनुरोध करती है कि वे नगर निगमों द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर किये गये खर्च का कम से कम 50 प्रतिशत और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के खर्च का कम से कम 95 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करे।

9. केन्द्रीय और राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे शहरी-स्थानीय निकायों के वित्तीय श्रोतों में वृद्धि करने वाली समिति तथा ग्रामीण शहरी सम्पर्क समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करे।

श्री चेंगलराया नायडू : चूंकि नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करने की स्थिति बहुत खराब है और पर्याप्त धन के अभाव में विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के बारे में स्थिति भी असन्तोषजनक है, क्या सरकार इन मामलों की जांच करने के लिए एक नगर वित्त आयोग नियुक्त करेगी और पास किये गये संकल्पों के अनुसार विकास योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए धन नियत करेगी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : महापौरों की परिषद ने औपचारिक रूप से संकल्पों का मन्त्रालय से उल्लेख नहीं किया है। यदि वे भेजे जायें तो हम मामले पर विचार करेंगे और यथासम्भव नगरपालिकाओं की सहायता करेंगे।

श्री चेंगलराया नायडू : उन्होंने स्पष्ट रूप से संकल्प पास किया है और विकास योजनाओं इत्यादि को कार्यान्वित करने के लिए सहायता के लिए सरकार से अनुरोध किया है। उन्होंने पर्यटन आदि के लिए वित्तीय सहायता के लिए भी कहा है। क्या सरकार धन नियत करने के लिए नगर वित्त-निगम स्थापित करके अब उन्हें वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

दूसरे, इस समय केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अन्य लोगों की अपेक्षा या तो मकान कर और सम्पत्ति कर कम दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। क्या सरकार इन दोनों से कहेगी कि वे अन्य लोगों के समान कर दें तो विकास कार्यों के लिए उनके साधन बढ़ सकें ?

श्री ब० सू० मूर्ति : महापौर परिषद ने कई संकल्प पास किये हैं और वे कई केन्द्रीय मंत्रालयों से सम्बद्ध हैं। वे यह भी चाहते हैं कि केन्द्रीय उन के क्षेत्र में सम्पत्ति पर कर अदा

करे । जहां तक पर्यटन तथा अन्य बातों का सवाल है परिषद को प्रत्येक केन्द्रीय मन्त्रालय को वे सम्बद्ध संकल्प भेजने चाहिएं और फैसला करना चाहिए ।

Shri Sarjoo Pandey : Out of the suggestions given is wherever railway crossings are situated within municipal corporation or municipal limits, there Central Government and municipal committees should share expenditure on half-half basis. What decision Government has taken in this regard ?

The Minister of Health and Family Planning (Shri Satya Narayan Sinha): A number of resolutions has been received about which we have no information. Therefore we are not in a position to specific answer. So far as the question of bearing expenditure is concerned there is the difficulty of funds.

We want that over-bridges should be there at every place. Central Government was prepared to share half the expenditure with States at a number of places, but States were not prepared for that. It is very complicated matter to which a clear-cut answer cannot be given.

आंध्र प्रदेश में पैट्रोल का मूल्य

+

*527. **श्री शारदानन्द :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पैट्रोल का मूल्य 1.03 रु० प्रति लिटर है तथा कुछ समय पूर्व आंध्र प्रदेश में भी पैट्रोल इसी मूल्य पर बिक रहा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में पैट्रोल का मूल्य 1.06 रु० प्रति लिटर कर दिया गया है तथा 3 पैसे की यह वृद्धि रेलवे को दिये जाने वाले विलम्ब-शुल्क के कारण की गई है ;

(ग) भारतीय तेल निगम द्वारा रेलवे को इस अवधि में कितना विलम्ब-शुल्क देना पड़ा जब आंध्र प्रदेश में तेल का मूल्य 1.03 रुपये प्रति लिटर से बढ़ा कर 1.06 रु० प्रति लिटर किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो जनता पर इस अतिरिक्त भार के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) (क) जी हां । 1–7–68 से पहले हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में पैट्रोल का विक्रय मूल्य प्रति लिटर 1.03 रुपये था ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा लगाये गये बिक्री कर में वृद्धि के कारण 1–7–1968 से तेल कम्पनियों ने इस मूल्य को 1.06 रुपये प्रति लिटर तक बढ़ाया था ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Shardanand : Has this rate been increased because demurrage is to be paid in railway freight ?

श्री रघुरामैया : यह वृद्धि विक्रय-कर में वृद्धि के कारण हुई है। रेल भाड़ा निःसंदेह जोड़ा जाता है। जब रेल भाड़े में वृद्धि होती है और वह भी जुड़ जाता है तो कीमत बढ़ जाती है।

श्री क० ना० तिवारी : उन का प्रश्न यह है कि क्या तेल निगम द्वारा दिये जाने वाले विलम्ब-शुल्क के कारण कीमत बढ़ी है।

श्री रघुरामैया : विलम्ब-शुल्क का हिसाब नहीं लगाया जाता।

Shri Shardanand : Has it been done due to companies' pressure ?

श्री रघुरामैया : जी नहीं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Do the Central Government propose to give advice to Delhi administration to increase the price of petrol like other States ? Will the Centre have any objection if Delhi administration increases price of petrol ?

पैट्रोलियम तथा रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : विक्रय कर बढ़ने पर पेट्रोल की कीमत बढ़ जायगी। यदि दिल्ली प्रशासन पेट्रोल पर विक्रय कर बढ़ाना चाहता है तो स्वभावतः पेट्रोल की कीमत बढ़ जायेगी। हम किसी को ऐसी सलाह नहीं देते।

श्री पाशाभाई पटेल : क्या यह सच है कि पेट्रोल की कीमत का 80 प्रतिशत भाग करों के रूप में जाता है और शेष केवल 20 प्रतिशत इसकी वास्तविक लागत है और यदि हां, तो सरकार गरीब जनता के लिए क्या कर रही है जो पेट्रोल का प्रयोग करती है ?

श्री अशोक मेहता : इस पर बहुत ज्यादा शुल्क है।

श्री धीरेश्वर कलिता : तेल की कीमत के बारे में सरकार ने एक समिति नियुक्त की है उसके निर्देश-पद क्या हैं ?

श्री अशोक मेहता : निर्देश-पद सभा के समक्ष रखे गये थे। यदि माननीय सदस्य मुझे लिखें तो उन्हें एक प्रति भेज दी जायगी।

Shri Tulshidas Jadhav : What is the method of distribution of tax collected on petrol ? Has any decision been taken as to how much of it be spent on rural roads and how much on urban roads ?

श्री अशोक मेहता : कर की राशियां राज्यों के कोष में या केन्द्रीय कोष में जाता है। मेरे पास नहीं आती।

केन्द्रीय सरकार सहकारी गृह निर्माण समितियां, दिल्ली

529. श्री भारत सिंह चौहान : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार सहकारी गृह निर्माण समितियों को अभी तक कोई भूमि आवंटित न करने के क्या कारण हैं जब कि इन समितियों ने पास जमीन के मूल्य के रूप में सरकार को बड़ी राशियां पहले ही जमा करा दी हैं ;

(ख) ये जमीनें कब आवंटित की जायेंगी ;

(ग) क्या, जब तक इन समितियों को भूमि उपलब्ध नहीं कराई जाती, उस समय तक सरकार के पास जमा कराये गए धन पर उन्हें ब्याज दिया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनकी गृह निर्माण सहकारी समितियों के लिए नियत की जाने वाली भूमि के अर्जन में कानूनी कठिनाइयों के कारण विलम्ब हो गया था ।

(ख) स्थान का शीघ्र ही सीमा-निर्धारण किये जाने के बाद रोहतक रोड़ और पीतमपुरा क्षेत्र में भूमि का कब्जा दे दिये जाने की आशा है । शाहदरा क्षेत्र में भूमि अर्जन विषयक कार्यवाही को अन्तिम रुप देने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) ऐसे मामलों में कोई सूद नहीं दिया जाता । इन समितियों से प्राप्त रकम अर्जित भूमि का मुआवजा देने के काम में लायी जाती है ।

Shri Bharat Singh Chauhan : Have the persons who deposited amounts asked for interest ? What the Government contemplate about the delay occurred in giving them lands and the harassment caused to them ?

Shri Satya Narayan Sinha : I do not know whether any demand has been made about interest. Some of the societies deposited amounts in June-July and others deposited one yearago. In case delay occurs in giving land; after the depositing of amounts, no interest is payable for that. The delay occurred only due to delay in acquisition of land. You may call it the weakness of Democracy or otherwise a matter of fortune that we have to implement ihe decision of court. Whenever anything happens people go to courts. In such a situation we can not proceed with pending court's decision. This is the only reason for delay.

Shri Kanwar Lal Gupta : D. D. A. has completely failed to effect development in Delhi. During the past about ten years rupees ten crores have been spent on its salaries etc, During the past ten years 230 cooperative societies asked for land and deposited amounts, out of them only five societies have started construction. I want to know the number of such cooperative societies the total amout deposited by them, the number of societies which have started construction work during the past ten years and also the measures being adopted to bring efficiency in the D. D, A. machinery.

श्री ब. सू. मूर्ति : सभी सहकारी समितियों को चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है। (एक) मकान निर्माण सहकारी समितियां जिनके पक्ष में 13 नवम्बर, 1959 से पहले भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 या धारा 4 और 6 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं जारी की गई थी; (दो) मकान निर्माण सहकारी समितियां जिन्होंने स्वयं 13 नवम्बर, 1959 से पहले जमीन खरीदी थी; (तीन) मकान निर्माण समितियां जिनकी जमीनें निर्माण. आवास, सम्भरण तथा नगर विकास मंत्रालय की सामान्य आवास योजनाओं के लिए 3000 एकड़ भूमि अर्जन करते हुए ले ली गई थीं; (चार) मकान. निर्माण सहकारी समितियां जिन्होंने भूमि अलाटमेंट या अजर्न के लिए कहा है, और इन श्रेणियों को दो श्रेणियों में अग्रेतर विभक्त किया गया है, अर्थात (क) संस्थाएं। समितियां जो 13 नवम्बर, 1959 से पहले रजिस्टर हुई थी, और (ख) समितियां जो उसके पश्चात रजिस्टर हुई थीं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया जाय। मै यह जानकारी लेना नहीं चाहता।

Shri Satya Narayan Sinha : Regarding first two questions fegures are not available with me. but about the third question asked by the hon. Member I am grateful to him. So far, our Ministry has no representative in D. D. A. I have talked about it with the Chief Executive Councillor and the Lt. Governor. (Interruptions). A person who is answerable is not represented there and he remains in complete dark.

श्री कंवर लाल गुप्त : यदि माननीय मंत्री को अपने विभाग के विषय में जानकारी नहीं है तो यह उनकी गलती है। उन्हें मालूम करना चाहिए। वरना वह 4000 रुपये क्यों पा रहे हैं ?

Shri Satya Narayan Sinha : Statutorily we have got to answer about D. D A. But now we have raised this issue and called them day after tomorrow in connection with amending the Act. (Interruptions).....We have called the Lt. Governor to find some way to amend the Act so that we may have representation in D. D. A.

श्री मनुभाई पटेल : स्थानीय लोगों के अलावा भारत के अन्य लोग भी हैं जो यहां बसना चाहते हैं और उन्होंने तारा सहकारी समिति बनाई है और सरकार के पास पैसा जमा किया है। उस समिति को जमीन कब अलाट की जायगी और यदि नहीं की जायगी तो क्यों नहीं की जायगी।

श्री ब. सू. मूर्ति : 284 सहकारी समितियां हैं जो दिल्ली में रजिस्टर हैं। उनमें से 210 समितियों ने दिली में विकास सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत अलाटमेंट के लिए आवेदन दिये है। इन सब को अलाटमेंट का प्रस्ताव किया गया था। वे प्रस्ताव 147 समितियों ने स्वीकार किये। यह समिति इस क्षेत्र में सब से बाद में आई है। यह हमें अलाटमेंट के लिए कह रही है परन्तु अभी तक हम कोई भूमि नहीं दे सके हैं।

श्री मनुभाई पटेल : जमीन इसे कब अलाट की जायेगी ?

श्री सत्य नारायण सिंह : हम भूमि अर्जित करने के लिए उत्सुक हैं। ज्योंही भूमि अर्जित की जाती है इसे भूमि अलाट कर दी जायगी।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : जहां तक अधिनियम का सम्बन्ध है उसके अनुसार माननीय मंत्री को डी डी ए के विषय में कुछ शक्ति प्राप्त है और उन का उत्तरदायित्व भी है। यदि वह जिम्मेदार नहीं है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि परिनियम के अन्तर्गत उन्हें शक्ति प्राप्त नहीं है।

श्री सत्य नारायण सिंह : निदेश जारी करने का खण्ड हर जगह होता है परन्तु माननीय सदस्य को समझना चाहिए कि निदेश बहुत का जारी किया जाता है।

Shri S. K. Tapuriah : How many new tenements are required so that slums may not increase in Delhi ? Secondly, how many tenements are planned to be constructed by DDA and the cooperative societies every year.....

Shri Satya Narayan Sinha : It does not seem to have any connection with the question.

बिहार सरकार द्वारा अधिक धन निकालना

*533. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद भी बिहार सरकार अधिक धन निकालने की नीति अपना रही है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रपति के शासन के दौरान अब तक कितना अधिक धन निकाला गया है और उसके क्या विशिष्ट कारण है;

(ग) यदि नहीं, तो बिहार सरकार ने अधिक धन निकालने की नीति कब से शुरू की थी और क्या केन्द्रीय सरकार ने तत्कालीन बिहार सरकार को ऐसा न करने का परामर्श दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्कालीन बिहार सरकार का उत्तर क्या था; और

(ङ) यदि कोई परामर्श नहीं दिया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) इस समय बिहार सरकार रिजर्व बैंक से अनधिकृत रूप से अधिक धन नहीं निकाल रही है।

(ग) और (घ) बिहार सरकार पिछले वर्ष अधिकांश महीनों में, पूरे अप्रैल भर और इस वर्ष मई में रिजर्व बैंक से अधिक धन निकाले रही। जब बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने अधिक निकाले धन को पूरा करने के लिए मई, 1968 में केन्द्रीय सहायता मांगी तो उन्होंने इस आवश्यकता को माना कि रिजर्व बैंक से अनधिकृत रूप से अधिक धन न निकालने का प्रयास किया जाये जैसा कि केन्द्र सरकार ने भी परामर्श दिया था।

Shri Shiv Chandra Jha : Mr. Speaker, in view of the fact that over-drafting was existing in Bihar even before SVD Government and at that time Congress was in power in the State, I want to know the date when the overdrafting was resorted to for the first time in the State and the advice given by the Central Government to the Congress Government of the State for checking this practice and the reply received from the State Government thereto.

Shri K. C. Pant : Whether it may be the case of a Congress or of a SVD Government but it has been the policy of the Central Government that this prctice should be brought to an end, Moreover, overdrafting was not practised for sometime when Congress was in power in the State.

Shri Shiv Chandra Jha : In view of the fact that there are certain projects in Bihar such as Gandak, Western Kosi projects etc. which are to be implemented positively and there are financial and other difficulties before the State Government, I want to know what is the objection of the Central Government in case these projects are implemented by resorting to overdraft in the absence of necessary finances.

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : The schemes cannot be implemented by plundering the Reserve Bank.

Shri K. N. Tiwari : May I know the amount overdraft by the SVD Government and the purpose for which it was spent ?

Shri K. C. Pant : Last year on 30-3-1968 the Central Government gave a sum of Rs. 20 crores to Bihar Government for reducing the overdraft level and a sum of Rs. 4.55 crores was available as an authorised accommodation but inspite of this fact there was an opening balance of Rs. 8.11 crores under overdraft in the current year.

श्री नाम्बियार : गैर कांग्रेसी सरकारों जैसे कि केरल और मद्रास की राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई तथा अन्य भत्तों की दर से ही अपने कर्मचारियों को मंहगाई तथा अन्य भत्ते देना शुरू कर दिया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बिहार सरकार के कर्मचारियों को भी उसी दर से मंहगाई भत्ता दिये जाने की संभावना तथा आवश्यकता पर फिर से विचार करगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri P. G. Sen : Whether it is a fact that the Bihar Government had to seek much overdrart because their expenditure had gone up ?

Shri K. C. Pant : They had to resort to overdrafting since there was increased expenditure and less income.

Shri Bibhuti Misra : May I know the amount of overdraft by each State in the country ? Whether it is a fact that all the sources of income are in the hands of the Central Government and as such State Gavernments have no other alternative but to overdraft ? Just now the hon. Finance Minister has stated that money cannot be snatched from the Reserve Bank but in view of the fact that there are various irrigation projects of States like Orissa, Gujarat etc. were taken over by the Central Government and were-handed over to the concerned State Government after completion, may I know what is the difficulty in taking over the Gandak project ?

Shri Morarji Desai : The facts as stated by the hon. Member are not correct. No scheme of the Gujarat State was taken over by the Centre.

Inaugural Ceremony of the Gorakhpur Fertilizer Factory.

*538. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) whether the inaugural ceremony of Gorakhpur Fertilizer Factory of the Fertilizer Corporation of India was performed by the Prime Minister under the Chairmanship of the Governor of Uttar Pradesh on the 20th April, 1968 :

(b) the item-wise details of the amount of money spent by the Central Government, the State Government, District Administration, City Adnistration, Fertilizer Corporation Administration, separately, on the aforesaid function;

(c) the names, designations and addresses of the persons invited by the Fertilizer Corporation Administration to attend the function;

(d) whether it is also a fact that the National Flag was not hoisted on the occasion on behalf of the Fertilizer Corporation of India; and

(e) if so, the action taken so far against the officials concerned ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Socilal Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) Yes, sir.

(b) to (e) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Shri Molahu Prasad : It is a serious matter. The Prime Minister visited the Fertilizer Plant, set up with Japanese collaboration, on the occasion of its inauguration on 20th April, 1968. The Japanese ambassador, the Minister of Food and the Minister of Petroleum and Chemicals Shri Ashok Mehta were present on that occasion. But in view of the fact that neither our national flag nor the flag of Japan was hoisted there on that occasion while the national flag is required to be hoisted as the times of Prime Ministers' visit, I want to know whether Government have taken any action against the officers responsible therefor and if so, the results thereof ?

श्री रघुरामैया : इसके अलावा अन्य बहुत सी बातों के बारे में जानकारी मांगी गई है जैसे कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार और जिला प्रशासन आदि ने कितना रुपया खर्च किया। हम यह जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और उसके एकत्र हो जाने पर शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Shri Molahu Prasad : The last part of my question about the action taken against the officer concerned has not been replied to.

श्री रघुरामैया : इस बारे में भी हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं।

Shri A. B. Vajpayee : Mr. Speaker, the hon. Minister was present on this occasion. It is a question of fact whether the national flag was hoisted or not. If it was not hoisted he must clearly state that it was done so and if there is no such convention, that may also be stated. From where he is going to collect this information ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : हमने फरटीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिन्या से इस घटना के बारे में जानकारी मांगी है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : चूंकि मंत्री महोदय वहां मौजूद थे, इसलिए वह हमें यह बतायें कि राष्ट्रीय ध्वजा फहराई गई थी या नहीं।

श्री अशोक मेहता : मेरे विचार से प्रधान मंत्री या हममें से किसी ने कोई झंडा नहीं फहराया था। मुझे यह याद नहीं है कि वहां पर कोई झंडा लगा था या नहीं।

केरल को बाढ़ों के लिये केन्द्रीय सहायता

+

*521. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री मंगलाथुपाडोम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने राज्य में बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य के लिये कुछ विशेष वित्तीय सहायता मांगी हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने बाढ़ सम्बन्धी सहायता के लिए 3.69 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया था ।

राज्य सरकार के परामर्श से स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने राज्य का दौरा किया है । उसकी सिफारिशों के अनुसार, किसानों को दिये जाने वाले ऋणों और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सरकारी सम्पत्ति की मरम्मत सहित विभिन्न सहायता-कार्यों पर होने वाले खर्च के सम्बन्ध में 3.00 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा स्वीकार की गयी है । इस खर्च का कुछ हिस्सा केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जायगा ।

राज्य सरकार को एक करोड़ रुपया पहले ही दिया जा चुका है ताकि सहायता-कार्यों के लिए उसके पास पैसा बना रहे : और अधिक सहायता विभिन्न मदों पर किये जाने वाले खर्च की प्रगति के अनुसार दी जायगी ।

श्री नम्बियार : केरल में बाढ़ सहायता के लिए 2.5 करोड़ रूपये मंजूर किये जायेंगे और अब तक केवल 1 करोड रूपये मंजूर किये गये हैं । बाकी 1.5 करोड रूपये कब तक मंजूर किये जाने की आशा है ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : लगता है माननीय सदस्य ने उत्तर को ठीक तरह नहीं समझा है । केरल सरकार ने 3.6 करोड रुपये आंके थे । केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी वहां गया था और केरल सरकार के साथ उसकी बातचीत हुई थी । इस बातचीत के परिणाम स्वरूप इस सबका कुल 3 करोड रुपये अनुमान लगाया गया था, जिसमें से 1 करोड रुपये अग्रिम रूप में दे दिये गये हैं । जब केरल सरकार से इस रकम का हिसाब मिल जायेगा तो बाकी राशि भी दे दी जायेगी ।

श्री वासुदेवन नायर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों को केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में पहले से ही कोई स्थायी नियम या अन्य पूर्वोदाहरण है और यदि हां, तो वे नियम क्या है और उन नियमों के अनुसार केरल को कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है ?

श्री जगन्नाथ पहाडिया : आजकल जिस प्रकार सहायता दी जाती है उसके अनुसार राहत तथा पुनर्वास पर होने वाले कुल खर्चे का 75 प्रतिशत भाग (वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हुए खर्चे तक 50 प्रतिशत अनुदान रूप में और 25 प्रतिशत ऋण रुप में) केन्द्र द्वारा पूरा किया जाता है। राज्य सरकार जो खर्चा करती है उसकी प्रतिपूर्ति के रुप में सामान्यत: केन्द्रीय सहायता दी जाती है। पर जब राज्य सरकारों के सामने वित्तीय कठिनाइयां होती हैं, तो उन्हें अग्रिम रूप में धन दिया जाता है ताकि वे राहत तथा पुनर्वास कार्य को आगे चला सकें।

श्री वासुदेवन नायर : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब राज्य में खेती तथा चावल आदि जसी फसलों के लिए बड़े पैमाने पर गम्भीर क्षति पहुंची है तो क्या उसे सहायता देने की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसान अपनी अगली फसल की तैयारी कर सकें और यदि हां, तो राज्य सरकारों को किस प्रकार की सहायता देने का केन्द्रीय सरकार का विचार है ?

श्री मोरारजी देसाई : जब राज्य सरकारें सहायता मांगती हैं तो उन्हें नियमों के अनुसार सहायता दी जाती हैं। कितनी और किस प्रकार की सहायता दी जाती है यह इसी पर निर्भर करता है। इस समय मैं कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकता।

श्री पी० एम० सोलंकी : बाढ़ सहायता के लिए गुजरात को कितनी रकम दी गई है।

श्री मोरारजी देसाई : अभी तक कोई रकम नहीं दी गई है।

श्री पी० एम० सोलंकी : तो इसका मतलब यह हुआ कि जो राज्य शोर मचाते हैं केवल उन्हें ही सहायता दी जाती है। गुजरात को बहुत हानि उठानी पड़ रही है।

श्री मोरारजी देसाई : इसी तरह गुजरात भी सहायता ले सकता है।

इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश यूनिट

***513. श्री यशपाल सिंह :**
श्रीमती निरलेप कौर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋषिकेश स्थित इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड की 'एन्टीबायोटिक फैक्टरी' निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियय और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) यह कार्यक्रम से पीछे है। देशीय एवं विदेशी उपकरणों का देर से प्राप्त होना, प्रक्रिया कठिनाइयां और मई तथा जून, 1968 में बिजली का फेल होना आदि कारण हैं। यह

आशा है कि यू. पी. विद्युत बोर्ड द्वारा अपनी प्रणाली में किये गये कुछ परिवर्तन बिजली को बार बार खराब होने से रोकेगें। जहां तक प्रक्रिया कठिनाइयों का सम्बन्ध है, रूसी विशेषज्ञ ठेके के अनुसार संशोधनों का सुझाव दे रहे हैं, जिनका पालन किया जा रहा हैं।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that foreign machinery remained idle and arrangement could not be made to instal it even after its arrival and it resulted into fall in production ?

श्री रघुरामैया : समय में संगति न रह सकी क्योंकि मशीनरी प्राप्त होने में विलम्ब हुआ जिसकी वजह से और कामों में भी विलम्ब हुआ जिनका कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ।

Shri Yashpal Singh : When it is likely to function properly and when amount invested into it, is likely to be got back ?

श्री रघुरामैया : कुछ रूसी विशेषज्ञों ने हाल ही में उत्पादन प्रक्रिया की कठिनाइयों की जांच की है। उन्होंने सुझाया है कि मशीनरी में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और हमें सोवियत संघ से भी कुछ मशीनरी मंगानी है और आशा है कि यह काम शीघ्र पूरा हो जायेगा।

दिल्ली में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए मकान

*519. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या निर्माण, आवास तथा सम्भरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए और मकान बनाये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो कितने; और

(ग) इससे इन कर्मचारियों की आवश्यकता किस हद तक पूरी हो जायेगी ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सामान्य पूल में क्वार्टरों की आवंटन वेतन श्रेणी के आधार पर किया जाता है तथा श्रेणी के अनुसार नहीं। चौथी योजना की अवधि के दौरान टाईप I ,II तथा III के लगभग 7500 रिहायशी यूनिटों के निर्माण की स्वीकृति की संभावना है किन्तु यह समुचित वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

इससे लगभग 15 प्रतिशत और अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता पूरी हो जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 60,000 से 75,000 तक तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अभी तक आवास सम्बन्धी प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं और यदि हां, तो उन्हें आवास देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री इकबाल सिंह : दिल्ली में इस समय कुल 30,000 क्वार्टर हैं और टाइप 1 से टाइप 8 तक के आवास के लिए लगभग 60,000 व्यक्ति प्रतीक्षासूची में हैं। टाइप 1 से

टाइप 3 तक–टाइप 1 में 49 प्रतिशत, टाइप 2 में 34 प्रतिशत और टाइप 3 में 30 प्रतिशत व्यक्तियों को क्वार्टर दिये जा चुके हैं। यही कारण है कि हमने टाइप 2 और टाइप 3 के अधिक क्वार्टर बनाना आरम्भ कर दिया है।

श्री स० मो० बनर्जी : इस सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर उनके कार्य–स्थान के निकट ही बनाये जायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है, और क्या अन्तिम निर्णय ले लिया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है।

श्री इकबाल सिंह : हम टाइप 2 और टाइप 3 के ये क्वार्टर मिन्टोरोड और डी एल जेड क्षेत्र में बनवा रहे हैं जोकि कर्मचारियों के कार्य स्थान के निकट हैं।

श्री मनोहर लाल सौंधी : चतुर्थ श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को आजकल ऐसे क्वार्टर दिये जा रहे हैं जिनमें बिजली नहीं है। हाल ही में मैंने मन्त्री महोदय को बताया भी था कि कुछ क्वार्टरों में तो पानी की सप्लाई नहीं हैं। क्या कोई ऐसी दीर्घकालीन योजना है जिसके अन्तर्गत इन कर्मचारियों को जोकि भारत सरकार के कार्यालयों को चला रहे हैं ऐसे क्वार्टर न दिये जायें वरत् पानी तथा बिजली जैसी सुविधाओं वाले क्वार्टर दिये जाये ? अब भी कई ऐसे स्थान हैं जहां यह जरूरी सुविधाएं तक मौजूद नहीं हैं।

श्री इकबाल सिंह : रामकृष्णपुरम के सेक्टर 8, 9 और 12 में कुछ मकान हैं, जिनमें बिजली नहीं है। जल हर जगह सप्लाई होता है परन्तु इसकी सप्लाई सीमित है। यदि किन्ही अन्य मकानों के बारे में जानकारी माननीय सदस्य के पास हो तो वह हमें बताएं ताकि हम जांच करें।

श्री मनोहर लाल सौंधी : पंचकुई रोड पर और प्रधान मन्त्री के आवास स्थान के पीछे स्थित क्वार्टरों की क्या स्थिति है (**व्यवधान**) ?

Shri Prem Chand Verma : The Minister has just now said that there are about 60,000 persons on list to whom allotment has to be made. I want to know the number of houses constructed in 1967–68 and 1966–67, respectively, and keeping that in view will 60,000 persons be able to get houses in 20 years' period ?

Shri Iqbal Singh : I do not have exact figures with me but we would be constructing houses for them as and when resources are available to us.

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, if information is not available inspite of such a long notice what [for they are sitting there. This question has come up for the third time. still the hon. Minister says that information is not available. It is not proper to give this answer again and again.

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न के रूप में इतना लम्बा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। यदि आप प्रश्न पूछें तो उन्हें जानकारी एकत्र करनी पड़ेगी और तैयार हो कर आना पड़ेगा।

Shri Maharaj Singh Bharati : The Government is demolishing the houses constructed during British regime which are situated near the offices. In view of the fact that

officers can come from far off places, do the Government contemplate constructing multi storeyed buildings at places like Panchkuin Road or D. L. Z. area for allotment of quarters to the low-paid staff who have either to walk or come by bicycles to offices ?

Shri Iqbal Singh : Yes, Sir. Government are planning to construct houses for low-paid staff at Minto Road and in D. L. Z. area. Government propose to construct type 2 and type 3 quarters there.

Shri S. M. Joshi : Has any decision been taken in regard to the assurance given by Government that two-roomed quarters will be constructed for class four employees ?

Shri Iqbal Singh : The new quarters being constructed consist of two rooms

Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Government consider the question of giving the rights of ownership of the quarters to the employees who are living in them for the past 10—15 years and the total cost of which has either been paid by them in the shape of rent or they are going to pay after sometime ?

Shri Iqbal Singh : This cannot be accepted.

Shri Kanwar Lal Gupta : The quarters of class three and class four employees in Delhi are not maintained properly. I have myself written a number of letters to the Minister in this regard. Neither fans nor other civic amenities are available there. Is the hon. Minister prepared to give an assurance that basic amenities would be provided in those quarters by next year ? Is it also a fact that a number of quarters are lying vacant because sewar and power is not provided in them ? Why do they not allot these quarters by providing such necessities ?

Shri Iqbal Singh : Fans would be provided in Type 1 and Type 2 quarters by the next year. Other amenities would be provided as and when our resources permit.

श्री नम्बियार : चूंकि हजारों कर्मचारियों को अभी मकान दिये जाने हैं, अत: क्या सरकार ने उनके लिए मकान बनाने की सम्भावनाओं को आंका है और यदि हां, तो कब तक सारे कर्मचारियों को मकान मिल जायेंगे ?

श्री इकबाल सिंह : इस समय कुछ कह सकना सम्भव नहीं है। चौथी योजना में मैंने आंकड़े दिये हैं।

Shri Ramavatar Shastri : This matter has assumed a very complicated shape during the past few days. These people had gone on strike from 11th to 15th instant. Even to-day employees from whole of India are going to stage a demonstration in front of Parliament House. Is it a fact that a number of States have given dearness allowance to their non-Gazetted employees at Central rates, if so, where from they have raised funds and has the Centre given any help to them ?

Shri Jagannath Paharia : It is true that a number of States have increased Dearness Allowance of their employees. But they have their own resources.

Shri Ramavtar Shastri : There is President's rule in Bihar and it is your duty to solve the problems of the employees of that State. The Home Minister had said in this House on the 25th instant that they have full sympathy with their Demands. Will you therefore give a practical and concrete shape to your sympathy by increasing their D. A. ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai): president's rule does not mean that the whole burden would be borne by the Centre. D. A. would be given in accordadnce with the income obtaining in the State and not more than that.

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार या वित्त मन्त्री जिन राज्यों के पक्ष में थे वहां के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि कर उसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के बराबर किया गया है और केन्द्र की ओर से उन राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई है, परन्तु कुछ अन्य राज्यों को ऐसी सहायता नहीं दी गई है, यदि हां, तो इस भेदभाव का क्या कारण है ?

श्री मोरारजी देसाई : केन्द्रीय सरकार ने किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया है। इस प्रयोजनार्थ किसी राज्य को सहायता नहीं दी गई है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is the hon. Minister aware that Bihar State employees have given some constructive suggestion to the Governor for reducing expenditure. If so, have they been considered so that expenditure could be reduced and employe's D. A. could be somewhat raised ?

Shri Morarji Desai : We will definitely consider such a scheme when it is received from the Governor.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मन्त्री को ज्ञात है कि राज्य सरकारों के 5,000 कर्मचारी, जिनमें बिहार के कर्मचारी भी शामिल हैं, संसद् भवन के सामने आकर प्रदर्शन करना चाहते थे और अपने प्रतिनिधियों से मिलना चाहते थे, परन्तु दुर्भाग्यवश इस लोक सभा को श्री यशवन्तराव चव्हाण और पुलिस की सभा का रूप दे दिया गया है और इन्होंने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नही दी है। यह शर्म की बात है.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : बिहार राज्य के कर्मचारी संसद् भवन के सामने आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं और संसद् सदस्यों से मिलना चाहते हैं। परन्तु उन्हें कृषि भवन जाने के लिए कह दिया गया है। वे खाद्य नीति के विरूद्ध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। क्या माननीय उप प्रधान मन्त्री उनसे मिलेंगे या उनकी मांगों के विषय में अभी एक वक्तव्य देंगे।

श्री मोरारजी देसाई : इन्टरव्यू के लिए मुझे किसी ने नहीं कहा।

श्री स० मो० बनर्जी : कहने का सवाल नहीं है। उन्हें अनुमति नहीं दी गई है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

विश्व बैंक के ऋणों पर ब्याज की बढ़ी हुई दर

अ० सू० प्र० 6. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 2 अगस्त, 1968 से विश्व बैंक ने ऋणों पर ब्याज की दर बढ़ा कर 6.5 प्रतिशत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वृद्धि पहले लिये गये और भविष्य में लिये जाने वाले सभी प्रकार के ऋणों पर लागू होगी अथवा यह केवल नये ऋणों पर लागू होगी;

(ग) विश्व बैंक के इस निर्णय से भारत्त के दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या यह निर्णय करने से पहले विश्व बैंक ने भारत से विचार-विमर्श किया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस वृद्धि के लिये सहमत हो गई थी; और

(च) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक से इस निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिये अनुरोध करने का है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्याज की नयी दर 2 अगस्त, 1968 को या उसके बाद विश्व बैंक के निदेशकों के बोर्ड द्वारा स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी । लेकिन कुछ सदस्य देशों को दिये गये पिछले कुछ ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज की वे दरें बतायी गयी थीं जो इन ऋणों में से विशिष्ट प्रयोजनाओं के लिए रकमें देने के समय लागू हों । जिस समय नयी दर चालू हो उस समय इस प्रकार के पिछले ऋणों से लिये गये अंश पर नयी दर लागू होगी ।

(ग) जहां तक भारत का सम्बन्ध है, ब्याज की ऊंची दर का अधिक प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि विश्व बैंक समूह द्वारा भारत को दिया जाने वाला अधिकतर ऋण अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिलता है जो नरम शर्तों पर ऋण देने वाली विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था है ।

(घ) और (ङ) ऋणों के ब्याज की दरें बैंक के निदेशकों के बोर्ड द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार से ऋण लेने के व्यय के आधार पर निश्चित की जाती है । भारत और अन्य विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों द्वारा व्यक्त की गयी इस बात पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया कि वृद्धि कम से कम की जानी चाहिए ।

(च) जी, नहीं । सरकार का यह विचार रहा है कि विश्व बैंक की, नरम शर्तों पर ऋण देने वाली सम्बद्ध संस्था अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को मजबूत बनाया जाना चाहिए

और उसे विकासशील देशों की अधिकाधिक सहायता करनी चाहिए । जहां तक विश्व-बैंक का सम्बन्ध है, ऋणों के ब्याज की दरें विश्व के पूंजी बाजारों की प्रवृत्तियों की द्योतक होनी चाहिएं जिनसे उसे ऋण लेना पड़ता है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री ने कहा कि पिछले ऋणों के एक भाग पर ही नई दरें लागू होंगी, क्या मैं ऐसे ऋणों के आंकड़े जान सकता हूं ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं सभी देशों के सभी ऋणों की जानकारी नहीं दे सकता । मैंने कहा है कि हम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा । हमें केवल उन्ही ऋणों पर बढ़ी हुई दरें देनी होंगी जो अभी तक लिये नहीं गये हैं । परन्तु हम ने लगभग सब ऋण ले लिए हैं ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या सरकार महसूस करती है कि उन विदेशी ऋणों के मुकाबले में जो हमारे लिए बहुत बड़ा बोझा साबित हो रहे हैं शेयर पूंजी भागिता के रूप में विदेशी पूंजी विनियोग बहुत ज्यादा आकर्षक है क्योंकि इस मामले में पहली बात यह है कि ऋण वापस करने की समस्या नहीं है और दूसरे लाभांश अन्य देशों को तभी भेजना होता है जब लाभ प्राप्त हो ? यदि हां, तो क्या सरकार पूंजी भागिता के रूप में विदेशी सहायता सम्बन्धी नियमों की शर्तों को उदार करने पर विचार करेगी ताकि इस रूप में विदेशी सहायता मिल सके ?

श्री मोरारजी देसाई : यह कहना गलत है कि जो शेयर पूंजी में भाग लेते हैं वे कम ब्याज लेते हैं क्योंकि लाभ 10 से 12 प्रतिशत हो जाता है और वह भी तो लिया जाता है । और यदि वे अपनी शेयर पूंजी बेच दें तो हम उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकते । इसलिए यह बात कहना गलत है । जब कभी व्यवहार्य या लाभकारी होता है हम इसे प्रोत्साहन देते हैं । अन्यथा ऐसा नहीं किया जाता ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : प्रश्न यह है कि विदेशी पूंजी भागिता के मामले में धन वापस करने या पूंजी अन्य देशों को भेजने का प्रश्न ही नहीं होता बशर्ते कि लाभ न हो ।

श्री मोरारजी देसाई : परन्तु लाभ के बिना कोई भी पूंजी नहीं लगायेगा ।

Shri Shiv Chandra Jha : The World Bank is in realiy an American Bank and like other American banks its purpose is to exploit the world. Mcxamara is its head who was Defency Secretary of Pantagon. They want to exploit the world through this Bank . India is not in a position to take hard currency loan and she takes soft currency loan through I.D.A. How much loan India takes from I.D.A. annually and is it a fact that much of that is none-project loan which we do not need ? How many persons would be effected immediately and how many loans are there which the Government is in a position to bear and which it is in a position to take for some time ?

Shri Morarji Desai : I will definitely give all these details in case the hon . members askes for them .

Shri Onkar lal Berwa : What action have our representatives in world Bank taken about this 6 1/2 p.c. interest which is abnormally high ? Do the Government accept such high rate of interest. If not, what action has been taken to oppose it ?

Shri Morarji Desai : It is uot correct to say that this rate is abnormally high The rate has been increased from 6 1/4 p.c. to 6 1/2 p.c. Abnormally high rate is 15, 20. 30 and 35 percent .

श्री प० गोपालन : इस तथ्य की दृष्टी से कि हम अब विश्व बैंक से बहुत कम ऋण ले रहे हैं क्योंकि पूंजी पुनः अदा करने के दायित्व बढ़ गये हैं, जो विश्व बैंक से प्राप्त किये जाने वाले ऋणों का लगभग 40 प्रतिशत है, और विशेषकर क्योंकि विश्व बैंक के ब्याज में वृद्धि के कारण हमारे पुनः अदा करने का दायित्व बढ़ गया है क्या सरकार हमारी अर्थव्यवस्था के बचाव के लिए सभी विदेशी ऋणों की अदायगी स्थगित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री मारारजी देसाई : पुनः अदायगी को स्थगित करना हमारे देश के लिये असम्मानजनक होगा ।

श्री एस० एस० कोठारी : अल्प-विकसित देशों के विकास के लिए 6.5 प्रतिशत ब्याज बहुत ज्यादा है । इस दृष्टि से, क्या विश्व बैंक ने यह दिखाने के लिए कि उस के लाभ क्या हैं अपने कार्यों का सन्तुलन-पत्र भारत सरकार को भेजा है ? क्या उसे इस दृष्टि से देखा गया है कि लाभों को देखते हुए ब्याज की दर में वृद्धि कहां तक न्यायोचित है जबकि विकास के लिए ऋण 2 प्रतिशत या 2.5 प्रतिशत की दर पर मिलने चाहिए ? यह वास्तव में अल्प-विकसित देशों का शोषण है और इस बारे में दो राय नहीं हो सकतीं ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं यही आशा करता हूं कि वह अपने मवक्किलों को यह सुझाव देंगे (व्यवधान)

Shri Atal Bihari Vajpayee : This is no answer . Do the hon . Minister consider the rate of interest as justifiable ?

श्री मोरारजी देसाई : विश्व का स्थिति को देखते हुए मैं उसे बहुत ज्यादा नहीं कह सकता ।

श्री हो०ना० मुकर्जी : ब्याज की दर में इनती वृद्धि कभी नहीं हुई । इसके अतिरिक्त हम कठिन स्थिति में हैं क्योंकि ऋणों पर ब्याज देने का दायित्व साधारणतः निर्यात से आय के 10प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए परन्तु हमारे मामले में यह 20 प्रतिशत है । चूंकि अल्यूमीनियम, मिश्रित इस्पात और कुछ अन्य वस्तुओं का आयात करने के लिए विदेशी ऋण का दुरूपयोग हुआ है । अतः क्या सरकार ऋण लेने की नीति पर पुनर्विचार कर रही है और ऋण लेना स्थगित करने के बारे में विचार कर रही है, क्योंकि चौथी योजना जब आरम्भ हो जाती है तो हमें परियोजना सहायता की जरूरत पड़ेगी और इस कारण हमें परियोजना से भिन्न कार्यों के लिए सहायता ले कर अपने साधन बवार्द नहीं करने चाहिए ?

श्री मोरारजी देसाई : परियोजना से भिन्न कार्यों के लिए सहायता इसलिए ली जाती है कि जो उद्योग स्थापित किये गये हैं और जो कार्य किये जा रहे हैं उनके लिए जो वस्तुएं आयात करनी आवश्यक हैं वे की जायें, क्योंकि वे देश में उपलब्ध नहीं होती । हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इस प्रयोजनार्थ ऋण आवश्यकता से अधिक न हो जाय । समय-समय पर

पुनर्विचार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वह हमें ऋण लेने के लिए कहने हों। ऋण हम लेते है क्योंकि हमें जरूरत है।

Shri Maharaj Singh Bharti : The hon. Minister said that in view of the conditions obtaining in the world the rate of interest is not high. The rate of interest is increased to discourge taking loans. Bank rate has been increased because there is more demand for hard currency and it has nothing to do with backward countries. Is it a fact that tomorrow if the conditions of hard currency worsen they would further increase the rate by 4–6 p.c. and we would not object even to that ? Would we not oppose that along with other backwards countries ?

Shri Morarji Desai : We do tell them. But they have to take a decision keeping in view all the factors. We get loans from IDA whose rate is very low and that is soft loan. But they do not see what we want. We need funds so we have to take loans at whatever rates they are available to us. If we do not need them we may not take loans.

श्री हनुमन्तैया : क्या विश्व बैंक के निदेशकों के बोर्ड में भारत सरकार का कोई स्थायी प्रतिनिधि है और क्या उसने इस वृद्धि को स्वीकार किया है या इस पर आपत्ति की है ? क्या उसने वित्त मंत्री से परामर्श किया था ?

श्री मोरारजी देसाई : उसने हमारा विचार बोर्ड के समक्ष रखा था कि वृद्धि नहीं की जानी चाहिए परन्तु अन्त में वे सहमत नहीं हुए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESIONS

तारापुर परमाणु बिजली घर

***511. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर परमाणु बिजली घर के चालू होने में बिलम्ब के कारण आगामी "फेयर सीजन" में उद्योगों को बिजली की सप्लाई को क्रमानुसार देने का गुजरात सरकार का विचार है; और

(ख) गुजरात में बिजली की सप्लाई वास्तविक आवश्यकता से कितनी कम है और इस बिजली घर के चालू हो जाने के पश्चात गुजरात को इस बिजली घर में तैयार की गई बिजली का कितना भाग दिए जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० क० ल० राव): (क) जी, हां।

(ख) अनुमान है कि गुजरात में बिजली की वर्तमान कमी 130 मैगावाट है। तारापुर में 2 उत्पादन यूनिटों के चालू होने पर महाराष्ट्र और गुजरात को वहां से 50.50

के अनुपात में बिजली मिलने की संभावना है जिससे प्रत्येक राज्य को 190 मैगावाट बिजली मिलेगी।

केन्द्रीय वित्तीय संसाधनों का राज्यों में वितरण

*512. **श्री समर गुह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय संसाधनों के वितरण के बारे में सरकार ने सामान्य सिद्धान्तों पर फिर से विचार किया है;

(ख) क्या योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच वित्तीय सहायता के वितरण सम्बन्धी प्राधिकार के विभाजन की समस्या पर भी पुनर्विचार किया गया है और क्या राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिये एक एकल संविहित अभिकरण स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकाले गये और उनके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क), (ख) और (ग) पांचवां वित्त आयोग इसलिए स्थापित किया गया है कि वह विभाज्य केन्द्रीय करों और शुल्कों से प्राप्त रकमों के वितरण तथा राज्यों को सहायक अनुदानों की अदायगी करने के सिद्धान्तों और 1969 से 1974 तक की अवधि में उनकी गैर-आयोजना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन्हें दी जाने वाली रकमों के सम्बन्ध में सिफारिशें करें।

योजना आयोग, राज्य सरकारों के परामर्श से, अलग से इस बात का विचार कर रहा है कि किन सिद्धान्तों के अनुसार राज्यों को आयोजनागत योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए।

प्रशासनिक सुधार आयोग, वित्त आयोग और योजना आयोग के अलग-अलग कार्यों सहित, केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों के सामान्य प्रश्न के सब पहलुओं का अध्ययन कर रहा है।

इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड

*515. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश में एन्टीबायोटिक्स पूर्णतः देशीय सामग्री से बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां।

(ख) प्रयोगशाला और पायलट प्लांट में कार्य प्रगति पर है।

वाणिज्यिक बैंकों के निदेशकों की नियुक्ति

*516. **श्री रा० की० अमीन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1967 से अब तक कितने व्यक्ति वाणिज्यिक बैंकों के निदेशक नियुक्त किये गये थे; और

(ख) उनकी योग्यताओं तथा अनुभव का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) भारत में काम कर रहे सभी वाणिज्यिक बैंकों के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। उन वाणिज्यिक बैंकों के निदेशकों के सम्बन्ध में ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है, जिनमें 10 करोड़ रुपया और इससे अधिक रकम जमा है और यह ब्यौरा यथा समय सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

कृषि ऋण निगम

*518. **डा० रानेन सेन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र को सूचित किया है कि उस राज्य में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कृषि ऋण निगम स्थापित करने का प्रस्ताव उसे मान्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध करने के क्या कारण बताये हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) जान पड़ता है कि राज्य सरकार को यह अन्देशा है कि कृषि ऋण निगम की स्थापना से उस राज्य में सहकारी आंदोलन की प्रगति में सम्भवतः रुकावट पड़ जायगी।

(ग) ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच हाल में हुई कुछ बातचीत के आधार पर, इस विषय पर फिर से विचार कर रही है।

भाखड़ा बिजली की दरों का पुनरीक्षण

*522. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब द्वारा दिल्ली और नांगल उर्वरक कारखाने को दी जाने वाली भाखड़ा बिजली की दरों का पुनरीक्षण करने के पंजाब सरकार के अनुरोध पर कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० क० ल० राव) : (क) नांगल फर्टिलाइजर फैक्ट्री को बिजली की सप्लाई की संशोधित दर पर बातचीत हो रही है। जहां तक दिल्ली की दरों का सम्बन्ध है, भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड इस पर विचार कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नार्थ एवेन्यू तथा साउथ एवेन्यू में फ्लैटों को नया रूप देना

*523. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में नार्थ एवेन्यू तथा साउथ एवेन्यू में संसद् सदस्यों के फ्लैटों को नया रूप देने के लिये सरकार ने धन राशि को स्वीकृति दे दी है;

(ख) इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) यह योजना कब आरम्भ होगी और कब पूरी हो जायेगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) नार्थ एवेन्यू एवं साउथ एवेन्यू में 224 फ्लैटों में शौचालय सहित एक सोने का कमरा बढ़ाने के लिए सरकार ने 22.41 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दी है।

(ग) साउथ एवेन्यू के फ्लैटों में कार्य आरम्भ हो गया है और नार्थ एवेन्यू के फ्लैटों में कार्य शीघ्र आरम्भ होने की संभावना है। कार्य की समाप्ति का समय, कार्य के सौंपने की तारीख से एक वर्ष से थोड़ा अधिक है।

यूनाइटिड प्राविन्सिज कमर्शियल कारपोरेशन द्वारा सड़क कूटने के इंजनों की सप्लाई

*524. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च, 1968 के अन्तिम सप्ताह में यूनाइटिड प्राविन्सिज कमर्शियल कारपोरेशन द्वारा सड़क कूटने के बकाया इंजनों को किश्तों में देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) जब से यह प्रस्ताव किया गया है तब से लेकर अब तक ऐसे कितने इंजन सप्लाई किये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) फरवरी, 1968 में सरकार ने मैसर्स यू० पी० सी० सी० (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित रूप में सड़क कूटने की शेष मशीनों की किस्तों में सप्लाई को इस शर्त के अधीन स्वीकार कर लेने की अपनी सम्मति प्रकट की थी, कि वे अपने कुछ शेयर जमा करवा कर अपनी जमानत दें और निर्धारित रूप में वचन दें। परन्तु मार्च, 1968 में कम्पनी द्वारा प्रस्तावित जमानतों की किस्म और उनका

निजी मूल्य तथा इंजनों की डिलीवरी में हुई चूक को देखते हुए सरकार उस प्रस्तावित सौदे का लाभ न उठा सकी ।

(ख) फर्म ने नवम्बर, 1967 से, जबकि उसने सप्लाई को फिर से प्रारम्भ करने का सर्व प्रथम प्रस्ताव किया था, सड़क कूटने का कोई भी इंजन सप्लाई नहीं किया हैं ।

आयकर का निर्धारण

*525. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर-निर्धारण वर्ष 1959-60 से 1963-64 के सम्बन्ध में कर निर्धारण के जिन मामलों को (कर-निर्धारण वर्ष के अन्तिम दिन से लेकर पांच वर्षों में) काल-बाधित होना था, कितने मामलों का जिनकी कर-राशि (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष) एक लाख रुपये अथवा अधिक बनती है, आयकर अधिनियम के अधीन गत वर्ष जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में कर-निर्धारण किया गया था;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कर-निर्धारण के मामलों में से कितने मामले सामान्य निर्धारितयों के बारे में एक वर्ष से अधिक के समय के लिये थे;

(ग) इन में से कर निर्धारण के कितने मामलों को आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 34 अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के अन्तर्गत पुनः खोलना पड़ा था; और

(घ) कर-निर्धारण के मामलों में कितने कर-दाताओं ने अब तक करों का भुगतान नहीं किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क)

	1959-60	346
	1960-61	636
	1961-62	1,038
	1962-63	1,532
	1963-64	आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है ।
(ख)	1959-60	132
	1960-61	244
	1961-62	402
	1962-63	426
	1963-64	आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) कर-निर्धारण वर्ष 1959-60 से 1963-64 तक की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है परन्तु कर-निर्धारण वर्ष 1958-59 से 1962-63 तक के समंतिक आंकड़े 31-7-67 तक के संशोधित रूप में, इस प्रकार थे :-

(ग) 135

(घ) 1,782

Allotment of Quarters to Govt. Employees

*526. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the period of service after which the Central Government employees normally get Government quarters under the rules;

(b) whether it is a fact that certain Government employees who have rendered 20 years of service are deprived of their chances to get Government quarters as a result of the amendments made from time to time in the rules governing the allotment of Government quarters;

(c) the number of such employees as have not been allotted Government quarters even after their having rendered more than 15 years of service; and

(d) the number of those employees who succeeded in getting Government quarters within five years of their service ?

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri Jagannath Rao) : (a) The date of priority covered as on 14th August, 1968 in various types of accommodation in the general pool in Delhi is as follows :-

Type		Date of Priority,
I	.....	29.2.1948
II	....	1.9.1943
III	.....	11.3.1942
IV	.....	30.9.1940
V	.....	26.4.1957
VI	.....	March, 1960
VII	.....	22.2.1960
VIII	.....	31.8.1964

The dates given on Column (2) against types I-IV above are the dates of appointment of officers on posts under the Central Government/State Government including the period of foreign service. In case of types V-VIII, the dates indicated in Column (2) do not indicate the length of service of the officers and are the dates since when the officers became entitled to these types of accommodation in relation to their emoluments.

(b) The Allotment Rules were revised in May, 1963 keeping in view the interests of the majority of the eligible Government employees. Certain provisions contained in the revised rules were further liberalised in larger interests of eligible Government employees.

(c) With a view to economise in the use of stationery and labour involved the applications for allotment of Government residences are called for only from those Government employees having their dates of priority within a certain range fixed by the Directorate of Estates keeping in view the availabilty of accommodation. The priority date of an officer drawing emoluments of Rs.7000/- or above and entitled to type V and above is reckoned from the date he has been continuously drawing these emoluments and the date of appointment in case of these officers is not called for in the application forms. Therefore, the number of officers who have not been allotted Government accommodation even after their having rendered more than 15 years of service, is not available.

(d) 306,

दामोदर घाटी निगम

*528. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दामोदर घाटी निगम को अलग अलग भागों में विभाजित करने के प्रस्ताव पर अब भी बल दे रही है;

(ख) यदि नहीं, तो तेनुघाट बांध का निर्माण करने के क्या कारण हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी एक राज्य सरकार पर है; और

(ग) दामोदर घाटी निगम के तथा कथित "फालतु" कर्मचारियों की सेवाओं का अग्रेतर विकास परियोजनाओं में उपयोग करने के लिए यदि सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० क० ल० राव) : (क) दामोदर घाटी निगम को कार्यात्मक आधार पर पुनः संगठित करने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है ।

(ख) तेनुघाट बांध निगम के तीनों मुख्य उद्देश्यों नामशः सिंचाई, बिजली तथा बाढ़ नियंत्रण में से एक को भी पूरा नहीं करता । तेनुघाट बांध को औद्योगिक तथा घरेलु उपयोग के लिए जल इकट्ठा करने के उद्देश्य से बनाया गया है । बांध स्थल बिहार प्रदेश में स्थित होने से राज्य सरकार दामोदर घाटी निगम की मंजूरी से तनुघाट परियोजना का कार्यान्वन कर रही है ।

(ग) दामोदर घाटी निगम ने फालत् कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिए कई रोजगार दफ्तरों से सम्बन्ध स्थापित कर रखे हैं और वे विभिन्न संस्थाओं से बातचीत भी कर रहे है ।

नई दिल्ली की रामकृष्णापुरम बस्ती में पार्कों का निर्माण

*530. **श्री बलराज मधोक :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली में अभी तक बहुत कम पार्क और खेल के मैदान बनाये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली नगर निगम वहां पार्क बनाने के लिये तैयार है बशर्ते कि पार्क उसे सौंप दिये जायें; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम को अब तक कितने पार्क सौंपे गये हैं और अगले 6 महीनों में उसे और कितने पार्क सौंपे जायेंगे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) मास्टर प्लान में निर्दिस्ट सामुदायिक पार्क रामकृष्णापुरम में बना दिए गए हैं । परन्तु सैक्टर 6 और 7 के मध्य में स्थित क्षेत्रीय पार्क, जिसमें स्टेडियम, खेल के मैदानों आदि की व्यवस्था है, अभी तक विकसित नहीं किया गया ।

(ख) और (ग) हौज खास और रामकृष्णापुरम के बीच में विकसित करके पार्क बनाने के लिए 32 एकड़ भूमि का दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरण करने का प्रश्न स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्रालय के परामर्श से इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

कैनिंग पत्तन में छिद्रण कार्य

531. श्री कामेश्वर सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कैनिंग पत्तन में चार हजार मीटर भूमि में छिद्रण करने के लिये दो वर्ष से अधिक समय लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य कारण ये थे :-

(1) ब्लौ-आउट प्रिवैण्टर्स (Blow-out Preventers) द्वारा पैदा हुई रूपांकन कठिनाइयों के कारण व्यधन कार्य का दीर्घ समय तक स्थगित रहना।

(2) कुंए के व्यधन कार्य में पैदा हुई रुकावट।

(3) रचना में प्रत्यावर्ती अधिक और अल्प दाब कटिबंधों की वर्तमानता, और

(4) अल्प दाब कटिबंधों को बन्द करने के लिए सीमैण्टिंग कार्य करने की आवश्यकता।

बिना डाक्टरों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

532. श्री बाबू राव पटेल : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 ग्रामीण क्षेत्रों में एसे कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे जो डाक्टरों के बिना थे, और 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान इन केन्द्रों में कुल कितने रोगियों का उपचार किया गया;

(ख) डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए मनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा उन्हें दिए जाने वाले वेतन और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 मार्च, 1968 को रोजगार दफ्तर में कितने बेरोजगार डाक्टरों के नाम दर्ज थे;

(घ) क्या उनमें से प्रत्येक को मंत्री महोदय ने व्यक्तिगत पत्र लिखा है अथवा व्यक्तिगत रूप में उनसे अनुरोध किया है ताकि उन्हें गांवों में काम करने के लिए मनाया जा सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (ग) 31-3-68 को 605 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिना डाक्टरों के थे। 1967-68 में इन केन्द्रों में इलाज किये गये रोगियों की कुल संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को दिये जाने वाले वेतन, भत्तों और प्रोत्साहनों आदि का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) और (ङ) विभिन्न मंचों से दिये गये अपने भाषणों में मंत्रियों ने डाक्टरों को ग्राम-क्षेत्रों में काम करने के लिए उत्साहित किया है। डाक्टरों को अलग अलग कहना व्यावहारिक नहीं है।

विवरण

ग्राम क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकारें / संघ क्षेत्र निम्नलिखित कदम उठा रही है अथवा उठाने का विचार कर रही है :-

(1) ग्राम तथा नगर क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों के एकीकृत संवर्ग बनाना।

(2) ग्राम भत्ता, परिवहन सुविधायें, मुफ्त सुसज्जित मकान, सुरक्षित जल पूर्ति के अनुदान आदि जैसे प्रोत्साहनों के लिए इकट्ठा कुछ रकम देने की व्यवस्था।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भौतिक सुविधाओं में, विशेषतया भवन, रिहायशी क्वार्टर, प्रयोगशाला सेवाओं और चिकित्सा सामग्री की व्यवस्था सहित अनिवार्य नैदानिक सुविधाओं में सुधार करना।

(4) सेवानिवृति के बाद चिकित्सा अधिकारियों की दुबारा नियुक्ति। कुछ राज्यों ने मेडिकल छात्रों को कुछ वर्षों तक ग्राम क्षेत्रों में काम करने की शर्त पर उन्हें शिक्षावृति / वजीफे आदि देने का प्रस्ताव भी किया है। मेडिकल कालेजों को भी ग्राम स्वास्थ्य सेवाओं से भी संबंधित किया जा रहा है।

Utilisation of Petroleum Gas.

*535. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the up-to-date progress made in regard to the utilization of petroleum gas;

(b) whether it is a fact that there has been a considerable improvement in the availability of cylinders, complaints in regard to shortages of which were made recently; and

(c) if so, when it would be possible to make use of all the available gas as fuel ?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Asoka Mehta) (a) The sale of liquid petroleum gas during 1967 averaged about 6,200 tonnes per month and the current level of monthly sales is about 7,700 tonnes per month, i. e. an increase of about 24%

(b) Yes. Sir. There is some improvement.

(c) The marketing of liquid petroleum gas is being progressively increased with increases in the availability of cylinders and the development of facilities for bottling and distribution. It is naturally not possible to forecast when all the gas will be utilised as this will depend also on the growth of consumer demand.

मैसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी

***536. श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी द्वारा राजस्व बोर्ड के अपनी अपीलीय हैसियत में दिये गये निर्णय के विरुद्ध, जिसमें सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा किया गया जुर्माना कम किया गया है, दायर की गई अपील-याचिका की सुनवाई की है;

(ख) क्या मूल जुर्माने को कायम रखवाने या उसे बढ़वाने के लिये सरकार ने उस बीच कोई कार्यवाही आरम्भ की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस विलम्ब के कारण यह कार्यवाही अवधि-वाह्य नहीं हो जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) मैसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड के आदेशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी अपील की सुनवाई अभी नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 131 (3) के अनुसार केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जुट के कालीनों में अस्तर लगाने के कपडे के निर्यात से सम्बन्धित मामले में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड के अपीलीय आदेशों के संशोधन की कार्यवाही शुरू की गयी है । सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 131(4) (ख) में जैसी अपेक्षा रखी गई है, उसके अनुसार सम्बन्धित पार्टियों को निर्धारित समय-अवधि के अन्दर 'कारण-बताओ' नोटिस जारी कर दिये गये हैं और इसलिये कार्यवाही के मियाद-बाहर होने का सवाल नहीं उठता ।

मैक्सिको में होने वाले ओलम्पिक खेलों के लिये विदेशी मुद्रा

***537. श्री रा० कृ० सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैक्सिको में होने वाले ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाली टीम के खर्च के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है ;

(ख) क्या टीम को अन्य देशों की यात्रा करने और खर्च की गई विदेशी मुद्रा का कुछ भाग अर्जित करने के लिये कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) कुछ प्रारम्भिक प्रस्ताव आये हैं । अन्तिम प्रस्तावों का अभी आना बाकी है ।

विदेशों के दौरों पर गये संसद् सदस्य

*539. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में अपने खर्च पर, सरकारी खर्च पर या विदेशों के निमंत्रण पर किन-किन तथा कितने संसद् सदस्यों को विदेशों को जाने की अनमति दी गई थी और उनकी विदेश यात्राओं का उद्देश्य क्या था;

(ख) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ग) उन्हें अपने उद्देश्य में कहां तक सफलता मिली ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) एक विवारण सभा-पटल पर रखा गया है जिसमें उन सब सदस्यों के नाम दिये गये हैं जो जुलाई, 1968 को समाप्त होने वाले छः महीनों में विदेश यात्रा के लिये गये। विवरण में उन देशों का ब्यौरा दिया गया है जिनकी यात्रा की गई तथा उसका प्रयोजन। कुल विदेशी मुद्रा लगभग 80,000 रुपये के करीब व्यय की गई। (**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1756/68**)

(ग) साधारणतया यह यात्रायें अध्ययन के लिए की जाती हैं और उनका सफलता अथवा असफलता के रूप में निर्णय नहीं किया जा सकता।

लोअर डिवीजन क्लर्कों, अपर डिवीजन क्लर्कों, स्टेनोग्राफरों के वेतन निर्धारण के बारे में विभागीय परिपत्र

*540. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय ने उन लोअर डिवीजन क्लर्कों, अपर डिवीजन क्लर्कों, स्टेनोग्राफरों का, जो संघ-लोक-सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद सरकारी कार्यालयों में नियुक्त किये गये थे, वेतन निर्धारित करने के बारे में एक परिपत्र जारी किया था;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में ऐसा ही परिपत्र उनके मंत्रालय द्वारा जारी किया जाना जरूरी है;

(ग) यदि हां, तो क्या गृह मंत्रालय के परिपत्र में कोई त्रुटि थी; और

(घ) यदि हां, तो पुनरीक्षित परिपत्र कब तक जारी करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त परिपत्र में कोई त्रुटि ध्यान में नहीं आई है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अंकटेड) होस्टल, कर्जन रोड, नई दिल्ली

4156. श्री बाबू राव पटेल : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'अंकटेड' सम्मेलन के उपलक्ष्य में बनाए नये कर्जन रोड होस्टल पर कुल कितनी लागत आई है और ठेकेदारों के नाम क्या हैं और प्रत्येक को कितने मूल्य का तथा किस कार्य का ठेका दिया गया था ;

(ख) इसका शिलान्यास कब हुआ था और भवन कब तैयार हो गया था;

(ग) इस होस्टल को सुसज्जित करने पर कितनी लागत आई और जिन ठेकेदारों को यह काम सौंपा गया था उनके नाम क्या है और प्रत्येक को कितना कार्य सौंपा गया था ;

(घ) क्या यह सच है कि छत अभी से कई स्थानों से चूनी शुरू हो गई है, दीवारों में नमी आ गई है और प्लास्टर में हजारों दरारें दिखाई देने लगी है;

(ङ) क्या कंक्रीट प्रबलन कार्य के प्रभारी इंजीनियर ने मंत्रालय के दबाव के कारण ठेकेदारों द्वारा 'सिल्ली' कार्य बहुत जल्दी किये जाने के बारे में लिखित रूप में विरोध किया था; और

(च) इस होस्टल की संभावित आयु क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) निर्माण की पूर्वानुमानित कुल लागत जिसमें फर्निशिंग आदि शामिल है, लगभग 1,40,19,299 रुपये है। ठेकेदारों के नाम आदि का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1757/68]**

(ख) कार्य 19 मार्च, 1967 को आरंभ हुआ था तथा 31 जनवरी, 1968 को पूरा हो गया।

(ग) 11,94,416 रुपये। फर्निशिंग ठेकेदारों के नाम प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण में दिए गए है।

(घ) यह सत्य नहीं है कि भवन की छत ने कई स्थानों से चूना आरंभ कर दिया है। आर० सी० सी० कालम और विभाजन करने वाली इंटों की दीवारों के जोड़ पर प्लास्टर की ऊपरी सतह पर ईंटों के काम में सिकुड़न आ जाने से कुछ दरारें आ गई हैं। यह इसलिए हुआ कि ईंटों के काम पर प्लास्टर करने से पूर्व उसे तैयार करने के लिये पर्याप्त समय न दिया जा सका। यह दरारें संरचनात्मक दृष्टि से भवन के लिए हानिकारक नहीं है और वार्षिक सफेदी के समय ये भर जाती हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) 70 से 80 वर्ष।

बेकार पड़ी उत्पादन क्षमता तथा विदेशी तेल शोधक कारखाने

4157. श्री बाबूराव पटेल : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी तेल शोधक कारखानों मे, कम्पनीवार, कितनी वार्षिक उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी है जिसका प्रयोग नहीं किया जा रहा हैं;

(ख) क्या इस बेकार पड़ी क्षमता का प्रयोग उत्पादन करने तथा उन क्षेत्रों में उत्पादों को पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, जिन क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता है, जिससे देश को और अधिक लाभ हो;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या प्रतिवर्ष भारी लागत पर बड़ी मात्रा में तैयार पैट्रोलियम उत्पादों का आयात किया जाता है, जबकि हमारी नियन्त्रणाधीन उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी हैं, और

(ङ) मिट्टी का तेल, चिकनाने वाले पदार्थों, विमानों की गैसौलिन तथा अन्य तैयार उत्पादों की कमी को पूरा करने के लिये इन वस्तुओं के आयात पर वस्तुतः कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करने की आवश्यकता होती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) मान्यता प्राप्त क्षमताएं इस्तेमाल की जा रही हैं। बर्मा शैल और एस्सो शोधनशालाओं ने अधिक क्षमताओं का दावा किया है, किन्तु उनका आंकन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) अधिकांश शोधित उत्पादों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मान्यता प्राप्त क्षमताएं काफी है और वास्तव में फालतू हैं, जिन्हें निर्यात करना पड़ता है।

(घ) पैट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन एवं मांग पैटर्न सामान्यतः मुकाबला नहीं करते और तदनुसार कई उत्पाद आवश्यकताओं से फालतू और कुछ ह्रास में होते हैं, कमी को आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

(ङ) 1967 में भारत में 39.01 करोड़ रुपये के मूल्य वाले पैट्रोलियम उत्पाद आयातित किये गये जिसमें लगभग 20 करोड़ रुपये चिकनाने वाले पदार्थों, विमानों की गैसोलीन आदि जैसे उत्पादों (जो भारत की शोधनशाला में उत्पादित नहीं होते है) से सम्बन्धित है।

कम्पनियों के निदेशकों द्वारा आयकर अधिनियम का उल्लंघन

4158. श्री बाबूराव पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण दिग्विजय स्पिनिंग एन्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड और देवीदयाल ट्यूब इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के जिन निदेशकों और सचिवों पर मुकदमे चलाये गये हैं उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उनके अपराध क्या हैं, प्रत्येक मामले में कर की कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है तथा अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत मुकदमे दायर किये गये हैं; और

(ग) फौजदारी कार्यवाही करने के क्या कारण हैं, जबकि दीवानी कार्यवाही की जा सकती थी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इन दोनों कम्पनियों के निम्नलिखित संचालकों तथा सेक्रेटरियों के खिलाफ इस्तगासे दायर कर दिये गये हैं:—

(1) मैसर्स दिग्विजय स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड:—

श्री सुरेश टी० किलाचन्द–संचालक

श्री रजनीकांत ए० किलाचन्द–संचालक

श्री टी० आर० किलाचन्द–संचालक

श्री वी० ए० इनामदार–सैक्रेटरी

(2) मैसर्स देवीदयाल ट्यूब इंडस्ट्रीज लिमिटेड :—

श्री अमीर चन्द टी० गुप्ता-प्रबन्धकीय संचालक

श्री एन० के० ओझा–सैक्रेटरी

श्री बिपिन चिनाय–सैक्रेटरी

(ख)	अपराध का स्वरूप	ग्रस्त कर की रकम	अधिनियम की धारा
(1)	**मैसर्स दिग्विजय स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड** कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतनों में से स्रोत पर काटी गई कर की रकमों को निर्धारित समय के अन्दर जमा कराने में चूक	65,729 रु०	276 (घ)
(2)	**मैसर्स देवीदयाल ट्यूब इंडस्ट्रीज लिमिटेड:—**		
	(i) कर्मचारियों के दिये गये वेतन	35,555 रु०	276 (घ)
	(ii) शेयर धारकों को दिये गये लाभांशों में से स्रोत पर काटी गई	3,47,451 रु०	276 (घ)

कर की रकमों को निर्धारित समय के अन्दर जमा कराने में चूक	
घोषित लाभांशों के सम्बन्ध में विवरणी दाखिल करने में हुई चूक	276 (घ)

(ग) जो रकमें निर्धारित समय में सरकार को अदा कर दी जानी चाहिये उन्हें मालिकों द्वारा अपने पास अटकाये रखने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आयकर अधिनियम में स्पष्ट रूप से इस्तगासे की कार्यवाही की व्यवस्था है ।

घड़ियों का तस्कर व्यापार

4159. श्री बाबूराव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में वर्षवार अनुमानत: कितनी तथा कितने मूल्य की चोरी, छिपे लाई गई कलाई घड़ियां पकड़ी गई थी ;

(ख) सामान्यत: ये कलाई घड़ियां किन-किन पत्तनों पर पकड़ी गई हैं :

(ग) पिछले पांच वर्षों में विमानों के द्वारा कितनी कलाई घड़ियां चोरी छिपे लाई गई तथा उन विमानों की विमान कम्पनियों के क्या नाम हैं;

(घ) उपरोक्त घड़ियों की नीलामी से प्रत्येक वर्ष कितनी राशि वसूल की गई;

(ङ) चोरी छिपे लाई गई कलाई घड़ियों के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष कितना जुर्माना वसूल किया गया ;

(च) पांच वर्षों में कितने आपराधिक मुकदमे दायर किये गये और इसके परिणाम स्वरूप दण्डित 6 बड़े तस्कर व्यापारियों के क्या नाम है; और

(छ) विदेशी घड़ियों के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पिछले पांच वर्षों में चोरी छिपे लाई गयी के रूप में पकड़ी गयी घड़ियों की संख्या तथा उनका अन्दाजन मूल्य इस प्रकार है:-

वर्ष	घड़ियों की संख्या	लगभग मूल्य (रु० लाख)
1963	91,467	76.67
1964	93,098	64.37
1965	83,012	68.88
1966	59,066	57.95
1967	1,92,283	206.51

(ख) घड़ियां अमूमन बम्बई, कलकत्ता मद्रास, नागपत्तनम्, गोआ और पाण्डिचेरी बन्दरगाहों पर पकड़ी गई हैं ।

(ग) से (च) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर पत्र दी जायेगी ।

(छ) विदेशी घड़ियों के तथा अन्य तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिये, सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ ये हैं:-

सुव्यवस्थित ढंग से गुप्त-सूचना इकटठी करना और सूचना के अनुसार सतत ध्यान पूर्वक काम करते रहना; संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की तलाशी लेना; समुद्री तटवर्ती तथा सुगमता से पार करने योग्य दूसरे क्षेत्रों की गश्त लगाना; ज्ञात तस्करों तथा संदिग्ध यात्रियों, पार्सलों इत्यादि, पर निगरानी रखना, असबाब की विवेकपूर्ण जांच करना, निरोधक संगठनों को सुदृढ़ बनाना, निरोधक कार्यों पर कर्मचारियों को फिर से लगाना और उपयुक्त मामलों में विभागीय न्याय-निर्णय की कार्ययाही के अलावा इस्तगासे की कार्यवाही करना ।

Quota of Kerosene Oil Maharashtra

4160. Shri Deorao Patil : Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state:

(a) the quota of kerosene oil allotted to Maharashtra State for April and June, 1968 and the quantity actually supplied, to this State during these months;

(b) whether it is a fact that there was a shortage of kerosene oil in that State during the aforesaid months and the kerosene oil was not made available in cities and towns and particularly in nany villages;

(e) if so, whether Government propose to increase the quota of kerosene oil for Maharashtra State; and

(d) whether the State Government have been asked to fix quota for villages and not to permit the use of kerosene oil in the form of fuel and mobil oil ?

The Minister or State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah) : (a) Quota, Despatches and actual sales in Maharashtra during April and June, 1968 were as follows:

(Metric Tonnes)

	Quota	Despatches	Actua Sales
April, 68	46,940	46,579	43,787
June, 68	46,940	46,131	43,178

It will be seen that the sales have been short of the supplies.

(b) No, Sir.

(c) Present quota for the State is adequate to meet the requirments.

(d) District-wise quotas have been fixed by the State Government. Collectors have instructions to ensure equitable distribution of quota to all parts of their Districts. Use of Kerosene is restricted to cooking and illumination purposes only under the Kerosene (Restriction on Use) Order, 1966, except with the prior permission of the State Government.

Provision of Drinking Water for Villages

4161. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide drinking water in each village of the country by 1969; and

(b) if so, the steps taken to fulfil this target ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No. target date has been laid down for providing drinking water in each village in the country.

(b) Does not arise.

महाराष्ट्र में साझा बिजली ग्रिड

4162. श्री देवराव पाटिल : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5197 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र राज्य में घटक विद्युत प्रणालियों के एक साझे ग्रिड के रूप में संचालन के लिये पारस से खापरखेडा तक 132 किलोवाट की दोहरी सर्किट लाइन और नासिक से कालबा तक 220 किलोवाट की दोहरी सर्किट लाइन स्थापित करने के काम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से संदर्भ क्षेत्र में कृषि और अन्य प्रयोजनों के लिये बिजली की नियमित सप्लाई में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पारस से खापरखेड़ा तक 132 किलोवाट की दोहरी सर्किट लाइन पूरी हो चुकी है और मार्च, 1968 में चालू कर दी गई है। नासिक से थालबा तक 220 किलोवाट की दोहरी सर्किट लाइन लगाई जा रही है और आशा है कि दिसम्बर, 1968 तक पूरी हो जायेगी।

(ख) आशा है कि भुसावल में 62.5 मेगावाट का एक ताप विद्युत जेनरेटिंग यूनिट 1968-69 के दौरान चालू हो जायेगा। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने भी कार्यक्रम बनाया है कि पुरली में 30 मेग वाट के दो यूनिट, कोरडी में 120 मेगावाट के दो यूनिट और नासिक में 140 मेगावाट के दो यूनिट चौथी योजना के दौरान स्थापित किये गये ताकि बिजली सप्लाई की स्थिति विशेष रूप से विदर्भ में और अधिक सुधर जाय।

महाराष्ट्र बिजली बोर्ड में हानि

4163. श्री देवराव पाटिल : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1968 तक महाराष्ट्र बिजली बोर्ड को कुल कितना घाटा हो चुका था; और

(ख) घाटा न होने देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने किन उपायों का सुझाव दिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे की अभी परीक्षा होनी है। जैसा कि 14 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4173 के उत्तर में बताया जा चुका है; 31 मार्च, 1967 को महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के कुल घाटे की रकम 439.63 लाख रुपये थी।

(ख) घाटा रोकने और लाभ बढ़ाने के लिए बोर्ड ने बिजली की दरों में कुछ वृद्धि की है। स्टोर का अधिकतम सीमा तक उपयोग, ऊपरी खर्चों में कटौती और इन कारखानों की सम्भावित क्षमता का अधिक ठीक ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी बोर्ड ने कदम उठाये हैं।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सोडियम नाइट्रेट का उत्पादन

4164. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय उर्वरक निगम द्वारा निर्मित सोडियम नाइट्रेट की लागत कितनी है; और

(ख) चिली के कलमी शोरे की लागत की तुलना में यह लागत कितनी कम अथवा अधिक है और रुपया चलार्थ वाले देशों से इस समय प्राप्त किये जा रहे सोडियम नाइट्रेट की लागत कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) भारतीय उर्वरक निगम लि० सोडियम नाइट्रेट का उत्पादन नहीं करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में महिला विद्यार्थी

4165. श्री स० मो० बनर्जी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965 से 1968 में देश में प्रत्येक मेडिकल कालेज में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने के लिये क्रमशः कितने महिला विद्यार्थियों ने आवेदन-पत्र भेजे, कितने विद्यार्थियों को दाखिला मिला और कितने विद्यार्थियों को दाखिला न मिल सका ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति): उपलब्ध सूचना के आधार पर 1965 से 1968 तक देश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में दाखिल की गई छात्राओं की संख्या के बारे में एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1758/68**] इन वर्षों में कितनी छात्राओं ने दाखिले के लिये प्रार्थना-पत्र भेजे, इस संबंध में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

फिल्म कलाकारों द्वारा आयकर का भुगतान

4167. श्री जुगल मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री राज कपूर तथा श्री देवानन्द, फिल्म कलाकारों के सम्बन्ध में पिछले पांच वर्ष के लिये आयकर निर्धारण का काम पूरा कर लिया गया है और यदि हाँ, तो प्रत्येक मामले में कितना कर लगाया गया है;

(ख) क्या निर्धारितियों ने आयकर का भुगतान कर दिया गया है और क्या उन्होंने किसी विशेष कर निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन निर्धारितियों की ओर आयकर की कोई पिछली राशि बकाया है और यदि हां, तो कितनी और उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)से(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में बाढ़

4168. श्री किरित विक्रम देव वर्मन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 29 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 1551 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1967-68 तथा 1968-69 में अब तक तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किए गये बाढ़ राहत कार्यों का ब्यौरा क्या है, तथा प्रत्येक कार्य पर कितनी लागत आई;

(ख) इस वर्ष के आंकड़ों की तुलना में पिछले तीन वर्षों में त्रिपुरा में बाढ़ से कितनी हानि हुई; और

(ग) त्रिपुरा में इस वर्ष शुरू किये जाने वाले बाढ़ नियंत्रण कार्यों का ब्यौरा क्या है और राज्य की चतुर्थ योजना में यदि किसी बाढ़ नियंत्रण योजना को शामिल करने का विचार है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) त्रिपुरा प्रशासन से अपेक्षित जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है ।

फिल्मों में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा आयकर की देय राशि

4169. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1968 तक फिल्मों में काम करने वाले कितने तथा किन-किन व्यक्तियों की ओर आयकर की एक लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया थी;

(ख) इन बकाया राशियों के जमा हो जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सम्बन्धित आयकर आयुक्तों से सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

गुजरात में आवास योजना

4170. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक आवास योजना को क्रियान्वित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों में अब तक मकान बनाये गये हैं;

(ग) अन्य गांवों में मकान नहीं बनाये जाने अथवा निर्माण कार्य पूरा नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुथ्यालराव) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए राज्य सरकार की दो आवास योजनाएं हैं। (i) मकान निर्माण करने के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को उपदान और (ii) केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्यों के स्थानीय निकायों को भंगियों और मेहतरों के आवास के लिए सहायक अनुदान; निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय की गंदी बस्ती हटाने सम्बन्धी योजना और कम आय समुदाय निर्माण योजना के अतिरिक्त यह योजना है। ये परियोजनाएं ग्राम-आधार पर नहीं चलाई जाती। ये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में से कुछ चुने हुए व्यक्तियों के लाभ के लिए है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं पर 23.53 लाख रुपये खर्च हुए। 1966-67 में 9.27 लाख रुपये। 1967-68 के लिए प्रयोगात्मक तौर पर 17.50 लाख रुपये निश्चित हैं।

गुजरात में आदिम जातियों के लोगों के लिये बस्तियां

4171. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में और आदिम जातियों के लोगों के लिये और अधिक बस्तियां बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) कितनी तथा आदिम जातियों के लोगों की कौन कौन सी बस्तियां बनाई जा रही हैं और प्रत्येक व्यक्ति को कितने एकड़ भूमि दी गई है; और

(ग) गुजरात के पंचमहल जिले में आदिम जातियों के लोगों के लिये बस्तियां बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुथ्यालराव) : (क) से (ग) गुजरात में ऐसी आदिम जातीय बस्तियां बनाने की कोई योजना नहीं है। अलबत्ता, सहायता प्राप्त आवास योजनाएं चल रही हैं। तृतीय पंच वर्षीय योजना के दौरान हलपत्तियों के लिये 15.15 लाख रुपये की लागत से 551 मकान बनवाए गए थे। 1966-67 के दौरान हलपत्तियों के 882 परिवारों के लिए मकान बनवाने पर वास्तविक खर्च 1.27 लाख रुपये था। हलपत्तियों के 500 परिवारों के आवास के लिए वर्ष 1967-68 के लिए 5.00 लाख रुपये नियत किए गए थे। उसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आवास संस्थाओं के लिए पिछड़े वर्ग कल्याण के राज्य क्षेत्र में व्यवस्थाएं की गई हैं और इस सम्बन्ध में 1966-67 में 5.47 लाख रुपये खर्च हुए थे तथा 1967-68 के लिए खर्च का अनुमान 3.50 लाख रुपये है। एक मार्गदर्शी योजना के अन्तर्गत भी हलपत्तियों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2.00 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध की गई है।

आदिम जातियों के लोगों के कल्याण के लिए पंचमहल जिले में आरम्भ किये गये विकास कार्य

4172. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1962 से 1967 की अवधि में सरकार द्वारा गुजरात के पंचमहल जिले में जहां आदिम जातियों के लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं, कौन-कौन से विकास कार्य आरम्भ किये गये;

(ख) उपरोक्त अवधि में वर्ष वार कितनी धन राशि व्यय की गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुथ्यालराव) : (क) से (ग) राज्य सरकार से ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है; और प्राप्त होने पर उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

गुजरात में कृषि प्रयोजनों के लिए सस्ती दर पर बिजली

4173. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 1968 में गुजरात राज्य में बिजली की सप्लाई को बढ़ाने के लिये वित्तीय सहायता देने का है जिससे राज्य को कृषि कार्यों के लिए सस्ती बिजली मिल सके;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) केवल कृषि के लिए सस्ती बिजली देने के उद्देश्य से ही गुजरात राज्य को बिजली विकास

के निमित्त कोई निर्धारित केन्द्रीय सहायता देने का विचार नहीं है। बहर-हाल गुजरात राज्य ने 85.53 करोड़ रुपये के व्यय का प्रबन्ध किया है जिसमें 1968-69 के दौरान योजना में शामिल स्कीमों के लिये 29.7 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है। इस में से राज्य में कार्यान्वनाधीन बिजली उत्पादन स्कीमों पर 16.5 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है जिनसे आगामी कुछ वर्षों के दौरान 634 मैगावाट उत्तरोत्तर लाभ होगा।

गुजरात राज्य में मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनायें

4174. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य में बड़ी तथा मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्वित्ति के लिये चौथी योजनावधि में कोई वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो योजना में किन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) चौथी पंच वर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। बहर हाल, उकाई नाम की एक वृहत सिंचाई परियोजना के लिये 1967-68 से शत प्रतिशत निर्धारित केन्द्रीय ऋण सहायता मिल रही है। राज्य की अन्य वृहत व मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिये सहायता अप्रत्यक्ष रूप से फुटकर विकास ऋणों से मिल रही है जिन्हें योजना में सम्मिलित समस्त स्कीमों के लिये दिया जाता है।

डायरेक्टर हैल्थ सर्विसेज, चण्डीगढ़ द्वारा धन का गबन

4175. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि चण्डीगढ़ संघ-राज्य क्षेत्र के (डायरेक्टर आफ हैल्थ सर्विसेज) ने कई लाख रुपयों का गबन किया है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने दन्त चिकित्सा विभाग के लिये उपकरण खरीदा है, जिसे कई वर्ष बाद आरम्भ किया जाना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने अपने क्लिनिक (चिकित्सालय) के लिये उपकरण और दवाइयां आयात करने के लिये आयात लाइसेंस प्राप्त किया था जिसे उन्होंने उस विभाग को दुगुने मूल्य पर बेच दिया है जिसका कार्य भार उनके अपने हाथ में है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० मू० मूर्ति, : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) मामले की जांच की जा रही है।

तटीय व्यापार

4176. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हालांकि देश में तटीय नौवहन भारतीय जहाज़रानी कम्पनियों के लिये रक्षित किया गया है परन्तु भारत में विदेशी तेल कम्पनियां जो इस कार्य के लिये विदेशी टैंकों को प्रयोग में ला रही है, इसे कार्यान्वित नहीं कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस विदेशी कम्पनियों के साथ किये गये करार इस दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हैं कि तटीय व्यापार के लिये भारतीय टैंकरों को प्रयोग में लाने के लिये इन कम्पनियों को बाध्य करने के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन करारों में ऐसा आरक्षण न करने के क्या कारण हैं;

(घ) इन करारों की अवधि कब समाप्त होगी; और

(ङ) क्या सरकार का विचार विद्यमान करारों में संशोधन करने का है ताकि भारतीय टैंकरों को तटीय व्यापार में अपना हिस्सा मिल सके ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राघुरामैया) : (क) वर्तमान अनुदेशों के अन्तर्गत, जहाजरानी के प्रधान निदेशक, बम्बई, के प्रमाण-पत्र बिना, जिसमें यह उल्लिखित होना चाहिए कि इच्छित तटीय संचलन के लिए भारतीय ध्वज वाले जहाज उपलब्ध नहीं है; पैट्रोलियम उत्पादों के तटीय व्यापार के लिए कोई विदेशी ध्वज वाले जहाज का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। रिजर्व बैंक को भी अनुदेश है कि वह जहाजरानी के प्रधान निदेशक से ऐसे प्रमाण-पत्र के बिना विदेशी मुद्रा न दे।

(ख) से (ङ) उक्त भाग (क) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय आदिम जाति सेवक संघ

4177. श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री सत्यनारायण सिंह : **श्री पी० पी० एस्थोस :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली के आजीवन सदस्यों की गतिविधियां क्या हैं;

(ख) क्या श्री विदकेर, जो इस संघ के आजीवन सदस्य हैं, नासिक जिला सहकारी बैंक के भी सदस्य हैं;

(ग) क्या यह काम आजीवन सदस्य की गतिविधियों का एक भाग है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बैंक से उनके सम्बन्ध के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुथ्याल राव) : (क) भारतीय आदिमजाति सेवक संघ के आजीवन सदस्यों से अपेक्षित है कि वे अनुसूचित आदिम जाति सरीखे समाज के कमजोर अंगों की सेवा करें। इन्हें (कमजोर अंगों को) ऐसे निष्ठावान पुरुष और स्त्रियों की आवश्यकता है जो संघ के लक्ष्यों के अनुसार समर्पण एवं लगन की भावना से उनकी सेवा करने को तैयार हों।

(ख) हां, श्रीमान।

(ग) और (घ) जिन विनियमों के अन्तर्गत आजीवन सदस्यता योजना है, उनके अनुसार ऐसी गतिविधियां, जो पिछड़ी जातियों के कल्याण से मेल खाती हो, संभालने के बारे में कोई पाबन्दी नहीं है।

भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के आजीवन सदस्यों को सुविधाएं

4178. श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री रमानी :
श्री अनिरुद्धन :
श्री अब्राहम :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय आदिम जाति संघ, नई दिल्ली के आजीवन सदस्यों को संघ के नियम तथा विनियमों के अनुसार क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(ख) उन लोगों के नाम क्या हैं जो गत पांच वर्षों में इन सुविधाओं का उपभोग करते हुये चले आ रहे हैं;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में ऐसे मामले आ रहे हैं कि उसका दुरुपयोग किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) निष्कर्षों के अनुरूप क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुथ्याल राव) : (क) वरिष्ठ आजीवन सदस्य 450 रुपये प्रति मास, तथा कनिष्ठ आजीवन सदस्य 325 रुपये प्रतिमास मानदेय के हकदार हैं।

(ख) आजीवन सदस्यों को मिलने वाली सुविधाएं पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित व्यक्तियों ने भोगी हैं:-

1. श्री एम० पी० बापट
2. श्री नारायण जी

3. श्री डी० एम० बिडकर
4. श्री बी० राघवय्या
5. श्री बी०आर० सूंडा
6. श्री जे० के0 डिडोड
7. श्री नटवर ठैकर
8. श्री एम० आर० घाटे
9. श्री जी० पी० मसराय
10. श्री टी० सम्बैया
11. श्री जे० एच० चिचालकर
12. श्री चुनी लाल
13. श्री धर्म देव शास्त्री

(ग) नहीं श्रीमान ।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते ।

भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति

4179. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति अब भी प्रतिकूल है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो गत पांच महीनों में मास वार भारत ने कुल कितना निर्यात तथा आयात किया और इस अवधि में मास वार कितना आयात अथवा निर्यात दृश्य (विजिबल) रूप में तथा कितना अदृश्य (इनविजिबल) रूप में हुआ है ?

उप-प्रधान मंत्रीऔर वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)से(ग) शोधन-संतुलन की स्थिति अब भी बराबर कठिन चल रही है, यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में संकेत अनुकूल लगते हैं। जनवरी–जून 1967 में किये गये आयात के मुकाबले जनवरी-जून, 1968 में आयात में कमी हुई और निर्यात में वृद्धि, हालांकि व्यापारिक घाटा बराबर अधिक ही है। महीनों के अनुसार आंकड़े नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपयों में)

	आयात	निर्यात
जनवरी, 1968	137.3	105.5
फरवरी, 1968	140.5	91.9
मार्च, 1968	227.8	98.9

अप्रैल, 1968	188.9	103.8
मई, 1968	176.7	107.4
जून, 1968	154.9	96.9
जोड़-जनवरी-जून, 1968	1026.1	604.4
जोड़-जनवरी-जून, 1967	1137.5	574.9

अदृश्य आयात और निर्यात के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन जनवरी से जून, 1967 में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में हुई 6 करोड़ रुपये की वृद्धि के मुकाबले जनवरी से जून, 1968 में 43.4 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। निर्यात-प्रोत्साहन तथा विदेशों से मंगाई जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देश में वैसी ही वस्तुएं तैयार करने की दिशा में सरकार ने बहुत से कदम उठाये हैं तथा वह इन बातों पर बराबर जोर देती रहती है।

प्रधान मंत्री की चन्द्रपुर विद्युत परियोजना की यात्रा पर किया गया व्यय

4180. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री की चन्द्रपुर विद्युत परियोजना की यात्रा पर दामोदर घाटी परियोजना ने 5 लाख रुपये व्यय किये थे जैसाकि 9/10 जुलाई, 1968 के "स्टेटसमैन" में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो यह व्यय किन मदों पर हुआ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो वास्तव में कितना व्यय हुआ तथा किन मदों पर ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दामोदर घाटी निगम ने चन्द्रपुर ताप-विद्युत स्टेशन के तीसरे यूनिट के उद्घाटन के प्रबन्ध पर 61,395 रुपये व्यय किये। यह उद्घाटन और दामोदर घाटी निगम के 20वें वार्षिकोत्सव एक ही समय पर पड़ गया था। खर्चे का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	रुपये
(एक) पंडाल ,सार्वजनिक भाषण साज सामान की व्यवस्था	22,106
(दो) घेरा लगाना तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्था	12,700
(तीन) भोजन व्यवस्था	15,401
(चार) अस्थाई टेलीफोन	2,500
(पांच) निमंत्रण पत्र फोटोग्राफ	5,678
(छः) बिजलीघर पर मार्बल शिला	1,010
(सात) प्रैस संवाददाताओं को यातायात सुविधा	2,000
कुल	61,395

चन्द्रपुर विद्युत परियोजना के मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधान मंत्री की मुलाकात

4181. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल की अपनी चन्द्रपुर की यात्रा के समय चन्द्रपुर विद्युत परियोजना के मजदूर प्रतिनिधियों से बातचीत की;

(ख) यदि हां, तो फालतू कर्मचारियों की समस्या उनके समक्ष रखी गई; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों की वापसी

4182. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों और सरकारी विभागों के प्रतिनियुक्ति पर लम्बी अवधि के लिये गये कर्मचारियों को दूसरे विभागों में स्थायी रूप से नियुक्त करने सम्बन्धी नियमों को उदार बनाने के सम्बन्ध में सिफारिश संख्या 48 की मद संख्या 4 पर कोई निर्णय किया गया है और क्या उसकी क्रियान्विति भी की गई है; और

(ख) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों को ऐसे अनुदेश भेजने पर विचार कर रही है कि भाग (क) में उल्लिखित सिफारिश पर निर्णय करने के समय तक सभी प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों को वापस बुलाने के सम्बन्ध में सभी आदेश स्थगित कर दिये जायें ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का इशारा "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों" के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की अड़तालीसवीं सिफारिश की ओर है । सरकार ने इस सिफारिश पर अभी अन्तिम फैसला नहीं किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

Land in Baberu Town Area, District Banda (U. P.)

4183. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that people belonging to capitalist and intellectual class are getting land of the Baberu Town Area in District Banda, Uttar Pradesh, registered in their names under Section 229 of the Zamindari Abolition Act, 1951 by putting pressure on the Magistrates and without any recommendations of the Chairman of the Town area Committee;

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to check these malpractices to save the valuable land of this Area Committee from being misused;

(c) the acreage of land in Baberu Town area before 1966, in 1965, in 1967 and 1968 till date;

(d) the number of cases in regard to the registration of this land pending in the courts of Magistrates;

(e) the extent of said land registered in the Courts of S. D. M. Lawrence, S. D. M. Mahipal Singh and B. D. Gupta separately; and

(f) the acreage of said land got registered by people in their names from 1965 to 1968 till date and the value thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (f) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

विभिन्न देशों को सरकारी शिष्टमंडल

4184. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी से जून, 1968 तक की अवधि में विदेशों को गये विभिन्न सरकारी शिष्टमण्डलों का ब्यौरा क्या है और इन शिष्ट मण्डलों ने किस प्रयोजन हेतु विदेशों का दौरा किया;

(ख) शिष्टमण्डलों के सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने हाल में मंत्रियों को भेजे गये अपने परिपत्र में किसी न किसी दूसरे बहाने पर विदेशों को जाने वाले शिष्टमण्डलों की बढ़ती हुई संख्या पर असंतोष प्रकट किया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उस पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) विदेश मंत्रालय को छोड़ कर भारत सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों द्वारा विदेश भेजे गये प्रतिनिधि मण्डलों के बारे में सूचना श्री ओंकार लाल बेरवा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 1485 के उत्तर में पहले ही 29 जुलाई 1968 को दी जा चुकी है। विदेश मंत्रालय द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि मण्डलों के बारे में ब्यौरे अनुबन्ध में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1759/68]**

(ग) जी, नहीं। प्रधान मंत्री ने इस मामले में मंत्रियों का कोई परिपत्र नहीं भेजा है।

(घ) यह सवाल नहीं उठता।

Coal Requirements of Thermal Power House Satpura

+**4185. Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) the names of the coalmines wherefrom coal requirements of the Thermal Power House of 300 megawatts being constructed at Satpura by the Madhya Pradesh Electricity Board are being met and the quantity of coal being supplied;

(b) the additional quantity of coal required for those units of the Power House, which have been commissioned with effect from March, 1968 and whether National Coal Development Corporation has received a demand for this additional quantity of coal, if so, when; and

(c) whether the addtional demand would be met in time so that no hindrance is caused in the construction work of the said power house ?

The DY. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The coal requirements of the Satpura Thermal Power Station are being met from the Patharkheda Colliery of National Coal Development Corporation. During March-July 1968, 1,35,500 tonnes of coal were supplied

(b) About 28,000 tonnes of coal per month are required for the two generating units commissioned upto March. 1968. Revised demand of 35,000 tonnes of coal per month by the end of 1968 increasing to 40,000 tonnes per month thereafter upto end of 1969 have been notified to the National Coal Development Corpora ion recently.

(c) National Coal Development Corporation have expressed their inability to raise their production above 1000 tonnes per day until a second mine is opened towards the end of 1969. However, National Coal Development Corporation are reported to have adequate stock to meet the present requirement.

आसाम में बरक नदी पर बांध बनाना

4186. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम के काचार जिले में बरक नदी पर बांध बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मुख्य बरक नदी के किनारे लगभग 122 किलोमीटर लम्बा और इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 240 किलोमीटर लम्बा बंध बना दिया गया है ।

नारायणधर में बरक नदी पर बांध बनाने के निम्नलिखित वकल्पिक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है:-

(एक) एक मात्र बाढ़ नियंत्रण परियोजना के रूप में, लगभग 150 फीट ऊंचा बांध जिसकी लागत लगभग 16 करोड़ रुपये होगी, ताकि बाढ़ को यथासंभव अधिकतम सीमा तक रोका जा सके ।

(दो) एक परियोजना जिसके अन्तर्गत 50 वर्ष तक बाढ़ नियंत्रण के लिए लगभग 180 फीट ऊंचा बांध और 100 प्रतिशत भार के हिसाब से 76000 किलो वाट दृढ़ बिजली पैदा करना जिसकी लागत लगभग 36 करोड़ रुपये आयेगी ।

(तीन) बाढ़ को यथासम्भव अधिकतम सीमा तक नियंत्रण करने के लिए लगभग 162 फीट माध्यमिक ऊंचाई का एक बांध और 100 प्रतिशत भार के

हिसाब से दृढ़ बिजली पैदा करना, जिसकी लागत लगभग 28 करोड़ रुपये आयेगी ।

विजय चन्द अस्पताल, बर्दवान में एक युवती की मृत्यु

4187. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई, 1968 को कलकत्ता के दैनिक पत्र 'जुगान्तर में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विजय चन्द अस्पताल, बर्दवान, के परिवार नियोजन केन्द्र में एक युवा एवं स्वास्थ्य महिला की आपरेशन के तुरन्त बाद मृत्यु हो गई;

(ख) क्या उसकी मृत्यु आपरेशन की मेज पर हुई थी;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है;

(घ) आपरेशन के इन मामलों में क्या पूर्वोपाय किये जाते हैं; और

(ङ) क्या किसी अन्य मामले में ऐसी ही परिस्थितियों में किसी की मृत्यु हुई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्द्र शेखर) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (ङ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) ऐसे मामलों में जो पूर्व-उपाय बरते जाते हैं वे निम्नलिखित हैं:-

(1) आपरेशन करने से पहले आपरेशन सम्बन्धी पूर्व क्लीनिकल जांच-पड़ताल और परीक्षण किया जाता है;

(2) रोगी को उचित रूप से चेतना शून्य करने के बाद और प्रमाणित प्रणाली तथा नियमों के अनुसार आपरेशन किया जाता है;

(3) आपरेशन के बाद अन्य उदर आपरेशनों के समान उपचर्या और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की जाती है;

(4) उदर शल्य-चिकित्सा के लिये बरते जाने वाले सभी पूर्वोपाय महिला आपरेशनों के मामलों में भी किये जाते हैं ।

अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान संस्थान में डा० (कुमारी) उषा गंगाधरन की मृत्यु

4188. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली की एक डाक्टर कुमारी उषा गंगाधरन की मृत्यु सम्बन्धी जांच कार्यवाही पूरी हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) डा० उषा गंगाधरन की मृत्यु के बारे में पुलिस की छान-बीन अभी पूरी नहीं हो पायी है ।

बैंक कर्मचारियों का प्रशिक्षण

4189. श्री अदिचन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्यक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बैंकों के उच्च कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास के प्रश्न पर विचार करने के लिये रिजर्व बैंक गवर्नर द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यकारी दल (वर्किंग ग्रुप) ने वाणिज्यक बैंकों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए द्विस्तरीय गठन का सुझाव दिया है । पहले स्तर में एक केन्द्रीय अभिकरण अर्थात राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान (नेशनल इंस्टिट्यूट आफ बैंक मैनेजमेंट) होगा, जो बैंक कारबार से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीतियों को सार्थक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में परिणित करेगा और बैंक क्षेत्र के सभी प्रशिक्षण और विकास कार्यों के संबंध में केन्द्र के रूप में कार्य करेगा । यह संस्थान बैंक प्रबन्ध की सामान्य समस्याओं के बारे में गवेषणा करेगा जिसमें यह बैंक सेवा का विकास करने के लिये नये अवसरों की गवेषणा पर खास जोर देगा । दूसरे स्तर में वाणिज्यिक बैंकों की अन्य सभी प्रशिक्षण संस्थाएं होंगी जिनमें उनके कनिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कार्यकारी दल ने इन प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यों को सुदृढ़ बनाने और उनका विस्तार करने की सिफारिश की है, ताकि कनिष्ठ अधिकारियों की बहुत बड़ी संख्या की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रबन्ध संस्थान अलग-अलग बैंकों को, इन संस्थाओं के उपयुक्त संगठन और प्रबन्ध के लिये सहायता प्रदान करेगा और उनका मार्गदर्शन करेगा ।

(ग) सरकार सामान्यत: इन प्रस्तावों से सहमत है । राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नियुक्त की जाने वाली समिति द्वारा जांच की जाएगी । रिजर्व बैंक इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये आगे कार्यवाही करेगा ।

Shareholder of M/s Oriental Timber Trading Corporation. (P) L'd.

4190. **Shri Onkar Singh :**
Shri J. B Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6702 on the 8th April, 1968 and state :

(a) the names of companies and firms of which Shri Banwari Lal (H. U. F.), a shareholder of M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd., is a partner ;

(b) the income-tax assessed by Government on the companies in which he is holding shares during the last four years ;

(c) the amount of Incom-tax paid by the said companies and firms during the said period and the amount of Income-tax in arrears against them ; and

(d) the action being taken by Government to recover the said Income-tax arrears ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b), (c) and (d) The necessary information in respect of companies in which Shri Banwari Lal (H. U. F.) or members of his family hold controlling interest is being collected and will be laid on the Table of the House. It will involve enormous time and labour to collect similar information in respect of other companies in which the members of his family may hold some shares.

M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.

4191. Shri Onkar Singh :
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6702 on the 8th April, 1968 and state :

(a) the names of the firms and companies in which Shrimati Gayatri Devi Ramji lal, a shareholder of Messrs. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. is holding shares ;

(b) the amount of Income-tax assessed on them by Government during the last five years ; and

(c) the amount of Income-tax paid by them the Government during the above period ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) and (c) The necessary information in respect of companies in which Smt. Gayatri Devi Ramjilal or members of her family hold controlling interest is being collected and will be laid on the Table of the House. It will involve enormous time and labour to collect similar information in respect of other companies in which the members of her family may hold only some shares.

Shareholders of M/s. Oriental Timber Trading Corporation

4192. Shri Onkar Singh
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6702 on the 8th April, 1968 and state :

(a) the names of other firms and companies in which Shri Bhagwati Prasad Jhunjhunwala, a shareholder of Messrs Oriental Timber Trading Corporation, is holding shares ;

(b) the amount of Income-tax assessed on these firms and companies by Government during 1967-68 ; and

(c) the amount of Income-tax paid to Government by those firms and companies during the financial year 1967-68 ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) and (c) The necessary information in respect of companies in which Shri Bhagwati Prasad Jhunjhunwala or members of his family hold controlling interest is being collected and will be laid on the Table of the House. It will involve enormous time and labour to collect similar information in respect of other companies in which the member of his family may hold only some shares.

Shareholder of M/s. Oriental Timber Trading Corporation Ltd.

4193. **Shri Onkar Singh :**
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6702 dated the 8th April, 1968 and state :

(a) the amount of Income-tax paid by Shri Champalal Jhunjhunuwala, a shareholder of Messrs Oriental Timber Trading Corporation, during the last five years ;

(b) whether it is a fact that he is also holding shares in other firms and companies ; and

(c) if so, the names of those firms and companies in which he is holding shares and the amount of Income-tax assessed on them by Government for the financial year 1967-68 ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) **Rs. 40,002.**

(b) & (c) The necessary information in respect of companies in which Champalal Jhunjhunwala or members of his family hold controlling interest is being collected and will be laid on the Table of the House. It will involve enormous time and labour to collect similar information in respect of other companies in which the members of his family may hold only some shares.

समवर्ती सूची में स्वास्थ्य को शामिल करना

4194. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य, को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने अप्रैल, 1963 में हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत सरकार को सुझाव दिया गया था कि स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में रखने के लिए संवैधानिक व्यवस्था में संशोधन किया जाये। इस विषय पर भारत सरकार राज्य सरकारों और संघ-क्षेत्रों से परामर्श कर रही है।

माता टिला बांध का पूरा होना

4195. श्री स० मो० बनर्जी : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माता टिला बांध अन्तिम रुप से पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां बिजली घर भी स्थापित हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण

4196. श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री अबुंचेजियान :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये अपेक्षित मैडिकल पारा मैडिकल तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये 46 राजकीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक केन्द्र में कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने दाइयों के प्रशिक्षण के लिए भी एक योजना बनाई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों की राय जानने के लिए इस योजना को परिचालित किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्र शेखर) : (क) जी हां।

(ख) एक करोड़ लोगों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। इसे राज्य सरकारों को कार्यान्वित करने के लिये भेज दिया गया है।

(ङ) योजना में 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान 75,000 दाइयों के प्रशिक्षण की व्ययस्था की है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक दाई को एक रुपया प्रति-दिन के हिसाब से वजीफा दिया जाता है ; सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 30 रुपये से अधिक नहीं दिया जाता है। प्रशिक्षण कोर्स छह महीनों का होता है और प्रशिक्ष-णार्थी को सप्ताह में एक दिन ही प्रशिक्षण केन्द्र आना होता है। प्रशिक्षण के समापन के बाद प्रत्येक दाई को एक 'किट' दिया जाता है जिसकी लागत 50 रुपये होती है। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र को 500 रुपये के मूल्य का प्रशिक्षण सामान दिया जाता है। इस योजना का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है ; इसमें दाई की 'किट' और प्रशिक्षण सामान 'यूनिसेफ' प्रदान करती है।

दिल्ली में पकड़ी गई तस्करी की वस्तुओं का व्यापार

4197. श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री अंबुचेजियान :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 जुलाई, 1968 को दिल्ली में अनेक छापों में चोरी छिपे लायी गई घड़ियों तथा साड़ियां तथा उनकी बिक्री से प्राप्त 45000 रु० जप्त किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितने मामलों में लोगों को दण्ड दिया गया है और कितने मामलों में अब तक कार्यवाही नहीं की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) तथा (ग) दिल्ली में 25 जुलाई, 1968 को तस्कर-आयात की गई कोई कलाई घड़ियां तथा साड़ियां नहीं पकड़ी गई। किन्तु 24 जुलाई, 1968 को सीमा-शुल्क अधिकारियों ने कनाट सर्कस, नई दिल्ली में स्थित एक दुकान पर छापा मारा और लगभग 20,000 रुपये मूल्य की, विदेशों में बनी 443 कलाई घड़ियां पकड़ी।

25 जुलाई, 1968 को सदर बाजार तथा चांदनी चौक, दिल्ली में तीन छापे मारे गये, जिससे कुल मिलाकर लगभग 5700.00 रुपये मूल्य के फाउंटेन पेन, सिगरेट लाइटर, ठप्पे के पत्रे (स्टैंम्पिग फौइल्स) तथा बाल प्वाइंट पेन्सिलों के रिफिल आदि बरामद किये गये।

सभी मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है।

विदेशों के लिये गैर परियोजना सहायता

4198. श्री मंगलाथुमा डोम : क्या वित्त मन्त्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 142 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 के लिए अब तक विदेशों ने किन-किन मदों (कार्यों) के लिए गैर-परियोजना सहायता दी है ;

(ख) क्या कुछ परियोजनाओं के लिये दी गई सहायता को अब गैर-परियोजना कार्यों पर खर्च किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या पी० एल० 480 निधि सहायता प्राप्त सूचना में से बची हुई राशि को भी गैर-परियोजना सहायता में शामिल किया गया है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सहायता संघ के सदस्यों ने 1968-69 के लिए कुल 2973.3 लाख डालर की जो सहायता देने का वचन दिया है उसमें से 1012.3 लाख डालर की रकम ऋण शोधन सम्बन्धी सहायता के रुप में होगी। शेष 1961.0 लाख डालर की रकम में से 740 लाख डालर के लिए ऋण-करारों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। वे मदें, जिनके लिए यह सहायता दी जायेगी देने का विचार है, उनका विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1759/68]**

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) जी, नहीं।

केरल ग्रामीण आवास योजना

4199. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या निर्माण आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए केरल सरकार को अब तक कितनी राशि दी गई है ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) इस राशि से अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए ग्रामों में कितने मकान बनाये जायेंगे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के आरम्भ से ही (1957 से) 1967-68 तक केरल को 105.24 लाख रुपये की राशि नियत की गयी थी। राज्य सरकार के द्वारा रिपोर्ट

किये गये खर्चे के आधार पर 37.24 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की राशि उन्हें दी गयी थी।

(ग) 30 जून, 1965 को समाप्त हुई तिमाही में (इसके बाद की प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार ने नहीं दी है) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत केरल में कुल 1,667 मकान बनाए गये हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र में वर्गर जाति भेद के सामान्य जनता को लाभ देने के लिए एक सामाजिक आवासीय योजना है तथा अनुसूचित जातियों के लोगों को मिले लाभ के सम्बन्ध में संख्या के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते।

केरल के दिल्ली में रहने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधायें

4200. **श्री मंगलायुमाडोम :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में तथा उत्तर भारत के शहरों में रहने वाले केरल के अनुसूचित जातियों के बच्चों को इस तर्क पर शिक्षा की सुविधाएं नहीं दी जाती कि इन बच्चों के नाम उनकी राज्य सूची में दर्ज नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं से उन्हें वंचित न होने देने तथा केरल की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों के लिये शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री मुध्यालराव) : भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों की सूचियां राज्यवार निश्चित की गई है ; अखिल भारतीय आधार पर नहीं, तो भी शिक्षावृत्ति के पात्र अभ्यार्थियों पर उनके मातृराज्य से छात्रवृत्तियां प्राप्त करने पर कोई पाबन्दी नही है, चाहे वे किसी दूसरे राज्य या संघ शासित क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हों।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारी

4202. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों द्वारा उनके वेतनक्रम, मंहगाई भत्ते तथा मकान के किराये के पुनरीक्षण तथा उनकी सेवा की शर्तों में सुधार के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) भारत के जीवन बीमा निगम के श्रेणी I के अधिकारियों की संस्थाओं के संघ और जीवन बीमा निगम के बीच मांगपत्र के बारे में बातचीत चल रही है।

जापानी सहायता से खम्भात की खाडी में तट दूर ड्रिलिंग

4203. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री नि० रं० लास्कर .
श्री अम्बुचेजियन :
श्री यशपाल सिंह
श्री वीर भद्र सिंह
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्बात की खाड़ी में तट से दूर के क्षेत्र की खोज में, भारत को सहायता की पेशकश के बारे में भारत सरकार से बात-चीत के लिए जुलाई, 1968 के अन्त में जापान की फर्म मितसुविशी के एक विशेषज्ञ दल ने भारत की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या परिणाम रहा है ; और

(ग) इस समय यह मामला किस स्थिति पर है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नारायणगढ़ में बांध का निर्माण

4204. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार का विचार सिंचाई के लिए तथा बाढ़ से बचाव के लिए नारायणगढ़ में एक बांध बनाने का है ।

(ख) क्या इस कार्य के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फरटीलाइजर एण्ड केमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड में इलैक्ट्रोलिटिक संयन्त्र

4205. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरटीलाइजर एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड में इलैक्ट्रोलिटिक संयंत्र कब स्थापित किया गया था ;

(ख) अब तक इस संयंत्र के कितने एकक बेचे जा चुके हैं ;

(ग) कितने अन्य एकक बेचने का प्रस्ताव है ;

(घ) संयन्त्र क्यों स्थापित किया गया था ; और

(ङ) संयंत्र के एकक क्यों बेचे जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) 1960 में

(ख) 5 एकक

(ग) इस समय कोई नहीं ।

(घ) अमोनिया उत्पादन का विस्तार और संयन्त्र का नवीकरण ।

(ङ) उस समय बिजली की कमी के कारण और क्योंकि नेफ्था गैसीकरण प्रक्रिया की तुलना में इलैक्ट्रोलिटिक हाइड्रोजन का उत्पादन ज्यादा खर्चीला है ।

आयकर अपीलों का अधिकारियों द्वारा निपटाया जाना

4206. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वें : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड ने आयकर के अपीलीय सहायक कमिश्नरों को तबादला किये जाने पर अपने पदों का भार देने से पूर्व सुनी गई अपीलों को निपटाने के निदेश दिये हैं ;

(ख) क्या बोर्ड अपीलीय सहायक कमिश्नरों को ऐसे मामलों के बारे में भी सलाह देता है जिन में बोर्ड किसी उच्च न्यायालय द्वारा कानून निर्वचन को स्वीकार नहीं करता और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना ठीक समझता है ; और

(ग) क्या बोर्ड ने अपीलीय सहायक कमिश्नरों को यह परामर्श भी दिया है कि वे प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड के परिपत्रों पर ही कार्य करें और उच्च न्यायालयों द्वारा कानूनों के निर्वचन की ओर ध्यान न दें ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । परिपत्र उन्हें केवल सूचना के लिये भेजे जाते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

आयकर का पुनः निर्धारण

4207. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले सात वित्तीय वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें आयकर अधिनियम 1922 की धारा 34 अथवा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 147 के अन्तर्गत की गई आयकर के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही को आयकर

अपीलीय न्यायाधिकरण उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के अतिरिक्त इस आधार पर मंसूख अथवा रद्द कर दिया था कि आयकर दाता मूल कर निर्धारण के समय पूर्ण तथ्यों को सच्चे रूप में बताने में असफल नहीं रहे थे ;

(ख) उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित मामलों को कर दाताओं की कोई गलती न होते हुए भी, पुनर्निर्धारण के लिये कार्यवाही की थी ; और

(ग) यह जानने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित मामलों के मूल निर्धारण करने वाले अधिकारियों की लापरवाही के कारण तो कम आयकर निर्धारित नहीं किया गया ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) न्यायाधिकरण की न्यायपीठें देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। उनके द्वारा दिये गये आदेशों की बहुत विशाल संख्या को देखते हुए लगता है कि सूचना इकट्ठी करने के लिए बहुत अधिक समय तथा श्रम चाहियेगा। इससे प्राप्त परिणाम, निहित प्रयास के अनुरुप नहीं होंगे।

धारा 34/147 के अधीन जारी किये गये जिन आदेशों को उच्च-न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया अथवा हटा दिया गया था, उनके बारे में मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे इकट्ठा किया जायेगा और सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

आयकर की अपीलें

4208. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष करों (चालू और रद्द) सम्बन्धी विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1960-61 से 1966-67 तक ऐसी कितनी अपीलें दायर की गई जो (1) आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्त और (2) आयकर न्यायाधिकरण के सामने अभी तक अनिर्णीत पड़ी हैं ;

(ख) प्रत्यक्ष करों (चालू और रद्द) सम्बन्धी विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1960-61 से पूर्व ऐसी कितनी अपीलें दायर की गई जो (1) आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्त और (2) आयकर न्यायाधिकरण के सामने अभी तक अनिर्णीत पड़ी हैं ;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित अपीलें जो आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्त तथा आयकर न्यायाधिकरण के सामने अनिर्णीत हैं, किस-किस कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। वह इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

Out-of-turn allotment of Government Quarters

4209. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be leased to state :

(a) whether it is a fact that quarters are again being allotted to Central Government employees on out-of-turn basis by superseding all general rules in this regard;

(b) if so, the rules relating to 'out-of-turn' allotment; and

(c) whether Government will ensure that the rights of those employees are safeguarded who might have got the quarters in the normal course, had these quarters not been allotted on out of-turn basis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) Allotments on out of turn basis are sanctioned/made in accordance with the provisions contained in the Allotment Rules i.e., S.R. 317-B-9 and S.R. 317-B-25 of the Allotment of Government Residences (General Pool) Rules, 1963.

(c) All out of turn allotments are under the provisions of the Rules. Other officers are allotted houses in the order of their seniority on the waiting list.

Preventive inspectors in Narcotics Department

4210. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Senior Grade, as mentioned in the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1960, has not been given to the Preventive Inspectors in the Narcotics Department, while such grade has been given to Inspectors working in the Central Excise Collectorate; and

(b) if so, the reasons for such discrimination and when senior grade is proposed to be given to the Inspectors of the Narcotics Department ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a)and(b) There was no post of Senior grade Preventive Inspector in the Narcotics Department on the date of promulgation of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1960 whereas there was a senior grade of Inspectors in the Central Excise Department. There was, therefore, no question of giving a senior grade for Preventive Inspectors in the Narcotics Department as a matter of course.

The question of introducing a senior grade for Preventive Inspectors in the Narcotics Department was gone into recently by the Government. No upgradation can, however, be considered at present, because of the ban on upward revision of pay scales of posts and upgradation of posts which is presently operative upto 30th June, 1969.

Objections for awarding Contracts

4211. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have received any protest note from the producers in which an objection has been raised against the system of awarding contracts after discussing the matter with the contractors personally; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Sardar Iqbal Singh) : (a) and (b) A few representations have been received against the procedure followed by the Central Purchase Organisation in awarding contracts by negotiations after the opening of tenders The policy of the Government, as reiterated at the Central Purchase Advisory Council's Meeting held on 2 th July, 1968, is to resort to post-tender negotiations only in exceptional cases, especially when the prices quoted are unduly high and/ or the contractors form themselves into a ring, thus precluding the Government from making purchases at competitive rates.

Offer of Free Trip to Moscow by a Film Producer

4212. **Shri Shardanand :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the producer of the film "Bombai Raat Kee Banhon Men" has made a declaration that arrangement would be made for free journey to Moscow and return for two persons, a young man and a young woman, who will write the best criticism of the said film; and

(b) if so, by whom the foreign exchange expenditure on this journey would be borne and the full details regarding this journey ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

तेल शोधन क्षमता

4213. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की कुल तेल शोधक क्षमता आवश्यकता से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो साफ किये गये फालतू तेल को बेचने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उसके निर्यात के लिये भी कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां। अप्रत्याशित जरूरतों को पूरा करने के लिये कुछ अतिरिक्त क्षमता का होना वांछनीय है। लेकिन देश में उत्पादित तमाम कच्चे तेल के इस्तेमाल से अलावा, यथा व्यवहार्य, केवल उन्हीं मात्राओं का आयात किया जाता है जो मुख्य उत्पादों की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिये अपेक्षित हों।

(ख) और (ग) देश की आवश्यकताओं से फालतू उत्पादों का निर्यात, सम्बन्धित तेल कम्पनियां करती हैं। कुछ उत्पादों में बेशी कच्चे तेल के अधिक परिष्करण से नहीं बल्कि साफ किये गये तेल की विशेषताओं और अलग अलग उत्पादों की मांग में कुछ असंतुलनों के

कारण होता है। मासिक योजना बैठकों में मांग और उत्पादन में असंतुलनों को ज्यादा से ज्यादा कम करने की कोशिश की जाती है।

उर्वरक कारखानों के स्थापना के कारण प्रादेशिक असंतुलन

4214. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान उर्वरक कारखाने जहां-जहां स्थापित किये गये हैं, उसके कारण प्रादेशिक असंतुलन पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस असंतुलन को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या बिहार में कोयले पर अनिर्धारित एक कारखाना स्थापित किया जायेगा और यदि हां, तो कहां ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय बिहार में कोयला-आधारित संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता का अनुमान

4215. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में नाइट्रोजन की आवश्यकता का, जो अनुमान खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा लगाया गया है, वह उनके मंत्रालय द्वारा लगाये गये अनुमान से भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक आवश्यकता के अनुमान किन आधारों पर लगाये गये हैं तथा क्या अनुमानों के वैभिन्नय को दूर कर दिया गया है और यदि हां, तो किन अनुमानों पर दोनों मंत्रालय सहमत हो गये हैं; और

(ग) क्या गैर-सरकारी तेल फर्मों ने भी अनुमान लगाये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) यह मंत्रालय, जो उर्वरकों के उत्पादन से सम्बन्धित है, नाइट्रोजन की आवश्यकताओं के अलग अनुमान नहीं लगाता और खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा निश्चित अनु-

मानों से मार्ग दर्शित होता है । अतः वैभिन्नय को दूर करने का प्रश्न नहीं उठता । उदाहरणार्थ, 1970–71 की आवश्यकता का अनुमान 2.4 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन है ।

(ग) सरकार को प्राइवेट तेल कम्पनियों द्वारा नाइट्रोजन के बारे में बनाये किसी अनुमानों का पता नहीं है ।

हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन

4216. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब यह निष्कर्ष निकाला गया है कि रानीगंज के कोयले वाले क्षेत्र से हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन को दूसरी ओर मोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कहा जाता है कि इससे खनन कार्य में बाधा उत्पन्न होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या खानों के मुख्य निरीक्षक से, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर पाइप लाइन को दूसरी ओर मोड़ना आवश्यक समझा गया था, इस सम्बन्ध में जवाब मांगा गया है;

(ग) क्या इस बीच खान कम्पनी को कोई मुआवजा दे दिया गया है; और

(घ) क्या तत्सम्बन्धी सतर्कता आयोग का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं । एक विशेषज्ञ समिति अध्ययन कर रही है और उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले का पुनरीक्षण किया जायेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) रिपोर्ट के प्राप्त और जांच के बाद इस पर विचार किया जायेगा ।

सिक्किम का स्टेट बैंक

4217. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सिक्किम के बीच वाणिज्यिक और व्यापारिक सम्बन्धों का भारत के स्टेट बैंक द्वारा किसी भी तरीके से वित्त पोषण किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि एक प्राइवेट भारतीय बैंक को इस प्रकार की सुविधायें दी गई हैं कि वह सिक्किम के स्टेट बैंक के प्रबन्ध पर नियन्त्रण रखे तथा उसमें हितबद्ध हो ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) गंगटोक (सिक्किम) स्थित भारतीय राज्य बैंक वाणिज्यिक बैंकिंग के सामान्य कार्य करता है और साधारण तरीके से व्यापार और वाणिज्य में सहायता करता है ।

(ख) भारत-सिक्किम संधि, 1950 के अनुसार, सिक्किम को अपने आन्तरिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त है। इसलिए सिक्किम सरकार सिक्किम राज्य बैंक से सहयोग करने के लिए अपनी पसन्द के किसी भी भारतीय बैंक को सुविधाएं देने के लिए स्वतंत्र है।

कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन की भर्ती की नीति

4218. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड भरती की जिस नीति को अपना रहा है, उससे बेरोजगार भारतीय इंजीनियरों को काम पर नहीं लगाया जा सकेगा;

(ख) क्या यह सच है कि कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन में योग्यता प्राप्त इंजीनियरी स्नातकों को साधारण निरीक्षक तथा फोरमैन की कम वेतन वाली नौकरियां दी जाती है जबकि वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां बिना किसी ज्ञापन, परीक्षा अथवा इंटर्व्यू के निजी वरीयता के आधार पर की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कलकत्ता इलेक्ट्रिकल सप्लाई कारपोरेशन ने सूचना दी है कि समय-समय पर उनके यहां होने वाले रिक्त स्थानों में केवल भारतीय इंजीनियरों को ही नियुक्त करने की उनकी नीति है।

(ख) वरिष्ठ पदों को सामान्यत: पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। इस प्रकार से पदोन्नत अधिकारी या तो शैक्षणिक योग्यता या अनुभव की दृष्टि से योग्य होते हैं। परिवीक्षाधीन इंजीनियरों को साक्षात्कार के बाद सीधे भरती किया जाता है। प्रशिक्षणाधीन सहायकों की नियुक्ति के लिए समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर समय-समय पर आवेदन-पत्र भी मांगे जाते हैं और उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लेकर चुना जाता है। इस चयन समिति में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि होता है। चूंकि पदों की संख्या आवेदनों की संख्या से कम है, इसलिए कुछ अर्हताप्राप्त इंजीनियरी स्नातकों ने फोरमैन का पद ले लिया क्योंकि उन्हें अधिकारी संवर्ग में कुछ समय बाद पदोन्नति मिलने की संभावना दिखाई दी।

(ग) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि कलकत्ता इलेक्ट्रिकल सप्लाई कारपोरेशन को नियुक्तियां करने की शक्ति है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा उद्योग के लिये ऋण

4219. श्री न० रा० देवघरे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार किन-किन देशों से परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये ऋण प्राप्त कर रही है; और

(ख) वर्ष 1968–69 में प्रत्येक देश से कितना-कितना ऋण मांगा गया है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) (I) 27 लाख डालर का एक ऋण करार 29 जून, 1968 को संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ किया गया। इस रकम का उपयोग परिवार-नियोजन-कार्यक्रम के लिए आवश्यक 6000 से अधिक मोटर गाड़ियां भारत में बनाने पर डालर के रूप में होने वाला खर्च पूरा करने के लिए किया जायगा।

(II) जापान से मिलने वाले येन ऋण में से 4 लाख डालर से कुछ कम रकम कण्डोम (गर्भ निरोधक आवरण) के आयात के लिए रखी गयी है।

(ख) परिवार-नियोजन के लिए विदेशों से ऋण-सहायता प्राप्त करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। परिवार-नियोजन-कार्यक्रम की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता विदेशों से मिलने वाले ऋणों और अनुदानों सहित हमारे विदेशी मुद्रा साधनों से सामान्य तरीके से पूरी की जायगी।

विदेशी सरकारों के साथ करार

4220. श्री न० रा० देवेघरे : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सरकारों के साथ किये गये करारों को संसद् सदस्यों के लिये गोपनीय समझा जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि 12 जुलाई, 1968 को एक संसद् सदस्य ने उप सचिव से स्वीडन की सरकार के साथ हुए करार की एक प्रति सप्लाई करने के लिये लिखित रूप में अनुरोध किया था जिसे पूरा नहीं किया गया है;

(ग) क्या संसद्-सदस्यों के अनुरोध पर ऐसी प्रतियां उन्हें उपलब्ध की गई हैं; और

(घ) ऐसे मामलों में जिनमें संसद्-सदस्यों के अनुरोध पर उन्हें ऐसी प्रतियां उपलब्ध नहीं की गई थीं, इन प्रतियों के उपलब्ध न किये जाने के क्या कारण थे ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्र शेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) समझौते की वांच्छित प्रतिलिपि सम्बन्धित संसद्-सदस्य को उनके 12 जुलाई के पत्र के जवाब में 24 जुलाई, 1968 को भेज दी गई थी।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री द्वारा बनाये गये मकान

4221. श्री बलराज मधोक : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगम पार्क में दिल्ली नगर निगम के क्वार्टर, जो कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में बनाये गये पूर्व निर्मित सीमेंट ब्लाकों से बनाये गये थे, 4 अक्तूबर, 1967 को गिर गये थे जिसके कारण तीन लाख रुपये की क्षति हुई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि सीमेंट में ये ब्लाक उस खराब सीमेंट से बनाये गये थे जो हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के स्टोर कीपर की असावधानी के कारण भीग गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कारखाने के जूनियर केमिस्ट तथा भट्टा आपरेटर ने इस मामले के बारे में सूचित कर दिया था;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस मामले की जांच करने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नियुक्त की गई समिति के सामने साक्ष्य देने के कारण हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के प्रबन्धक इन कर्मचारियों को तंग कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वास्तव में दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने तथा इन कर्मचारियों को सताये जाने से बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) संगम पार्क में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री के द्वारा निर्माणाधीन 32 क्वार्टरों के एक ब्लाक का ढांचा (फ्रेम वर्क) 3 और 4 अक्तूबर, 1967 की रात के दौरान गिर गया था, फलस्वरूप कुछ सैंघटक तथा डेरिक जो कि खड़ा करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गये थे, को नुकसान पहुंचा। अनुमानित नुकसान केवल 31,500 रुपये है।

(ख) और (ग) हाउसिंग फैक्ट्री के एक जूनियर केमिस्ट ने टैक्नीकल कमेटी के सामने यह बयान दिया था कि निर्माण कार्य में जो कांक्रीट उपयोग में लाया गया था वह बहुत ही घटिया किस्म का था। लेकिन टैक्नीकल कमेटी ने स्तम्भों के असफल प्रतिरूप (फैलियर पैटर्न आफ कालम्स) को तथा इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैकनोलोजी, दिल्ली की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह परिणाम निकाला कि जो कांक्रीट निर्माण कार्य में उपयोग किया गया था वह अपेक्षित प्रकार का था।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर 12 में ईसाई धर्मप्रचारक को स्कूल के लिए प्लाट का दिया जाना

4222. श्री बलराज मधोक : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामाकृष्णपुरम नई दिल्ली, के सेक्टर 12 में स्कूल के लिए आरक्षित प्लाट पब्लिक स्कूल खोलने के लिए ईसाई धर्म प्रचारक संगठन को दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उस क्षेत्र में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों ने ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा पब्लिक स्कूल खोलने का विरोध किया है, तथा वह चाहते हैं कि वहां पर एक गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल खोला जाये; और

(ग) यदि हां, तो धर्म प्रचारक संगठन को पब्लिक स्कूल बनाने के लिए भूमि क्यों दी गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। नई दिल्ली डाकखाने के निकट सैंट कोलम्बिया स्कूल की शाखा के रूप में एक हाई स्कूल तथा एक प्राइमरी स्कूल स्थापित करने के लिए कांग्रेशन आफ आइरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स इन इन्डिया को स्कूलों के लिए निर्धारित दो संस्पर्शी प्लाट आवंटित कर दिये गये हैं।

(ख) तथा (ग) जी हां। इस क्षेत्र में रहने वाले कुछ निवासियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तथा उस पर विचार किया जा रहा है।

रूस से खरीदी गई मशीनरी और उपकरण का मूल्य

4223. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री दामानी :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खरीदी गई मशीनरी तथा उपकरणों की कीमत चैकोस्लोवाकिया तथा रूमानिया की अपेक्षा अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो रूमानिया तथा चैकोस्लोवाकिया से मशीनरी न खरीदने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) रूस, रूमानिया और चैकोस्लोवाकिया से व्यधन रिगें तथा अन्य उपकरण की खरीद केवल तकनीकी विचारों पर की जाती है। अभी तक इन तीनों देशों से मशीनरी, उपकरण की एक ही किस्म की मदें नहीं खरीदी गई और इसलिये मूल्य में तुलना करना सम्भव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में भारी मात्रा में माल जमा होना

4224. श्री कामेश्वर सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में बहुत सा माल जमा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य का ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) 1966-67 में 26.74 करोड़ रुपये के मूल्य का माल था। 1967–68 वर्ष के लेखों का एकत्रण किया जा रहा है।

बिहार में नदियों के जल का दूषित होना

4225. **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
श्री एम० एस० ओवराय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि सोन, दाहा, दामोदर तथा सुवर्णरेखा नदियों के पानी को अनेक कारखाने तथा मिलें अपने गन्दे अपशिष्ठ पदार्थ उनमें बहा कर दूषित कर देते हैं;

(ख) क्या बिहार लोक स्वास्थ्य संस्था ने सुझाव दिए हैं कि उपरोक्त कारखानों को इन नदियों के तट पर मल निस्राव सफाई सयंत्र लगाने चाहिए, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला है; और

(ग) यदि हां, तो इन नदियों के पानी को दूषित न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना बिहार सरकार से मंगाई गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Ayurved Vishwabharati Gram Jyoti Kendra, Sardarshahar, Rajasthan

4226. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount of grant given to Ayurved Vishwabharati Gram Jyoti Kendra, Sardarshahar, Rajasthan and the date of the said grant along with the terms and conditions thereof;

(b) whether the said terms and conditions were fulfilled by the Vishwabharati; and

(c) if not, the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S Murthy) : (a) Rs 2,00,000/- Non-Recurring and Rs. 20,000/- Recurring was sanctioned on the 22nd February, 1961 for upgrading the Institution and developing it into a teaching and research institution.

(b) and (c) The Non-Recurring grant has not so far been fully utilised while the recurring grant was fully utilised during 1960-61. The Institution has been ordered to refund to the Government the un-utilised balance of the non-recurring grant.

कृषि आयकर

4227. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्य कृषि आयकर लगाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय अर्थ व्यवस्था का कोई क्षेत्र यदि कोई कृषि आयकर देता है, तो कौनसा क्षेत्र देता है तथा सामान्य आयकर की तुलना में उसकी दरें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) योजना आयोग ने राज्य-सरकारों को सुझाव दिया है कि वे कृषि सम्बन्धी आय पर कर लगाने सहित सभी सम्भव उपायों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से अतिरिक्त साधन जुटाने की सम्भावना का पता लगाए। राज्य सरकारें इस विषय पर अभी विचार कर रही है।

(ग) जिन राज्यों में कृषि पर आयकर लगाया गया है, यह कर कृषि क्षेत्र द्वारा चुकाया जाता है। एक विवरण प्रस्तुत है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1760/68]** जिसमें उन राज्यों में, जिनमें कृषि पर आयकर लगाया जा रहा है, कृषि आयकर की चालू दरों तथा केन्द्रीय आयकर की दरों का ब्यौरा दिया गया है।

जनता का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना

4228. श्री शिवचन्द्र झा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक आवश्यकता की दृष्टि से भारत की कुल कितनी जनसंख्या स्वस्थ है और वह कितने प्रतिशत है;

(ख) चीनी और पाकिस्तानी आक्रमण के समय 1962 और 1965 में भर्ती करते हुए शारीरिक रूप से अस्वस्थ घोषित किये गये व्यक्तियों में क्या कमियां पाई गयी थीं; और

(ग) तब से लोगों में इन कमियों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस प्रयोजन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) जिन व्यक्तियों को शारीरिक रूप से अयोग्य घोषित किया गया था, उन्हें निम्नांकित विकारों से ग्रसित पाया गया :—

मलेरिया
रोहे
आंखों की खराबी
मध्य कर्ण शोध
हृदगति विकार
अपस्फीत शिराएं
बवासीर
गलगण्ड

पाइयोरिया
विकलांगता
दुर्बल शरीर
रक्त क्षीणता

(ग) रोगों को नियन्त्रण और लोगों के पोषकीय स्तर को सुधारने के लिए देश में राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

मिट्टी के तेल का मूल्य

4229. श्री शिवचन्द्र झा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिट्टी के तेल का वर्तमान मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा सरकार ने इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में सामान्य रूप से तथा बिहार में विशेष रूप से मिट्टी के तेल की कुल खपत कुल पूर्ति की तुलना में कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) जी नहीं। प्रत्येक राज्य सरकार मिट्टी के तेल का फुटकर विक्रय मूल्य अधिनियमित रूप से निर्धारित करती है और राज्य सरकारें चलान जैसी उचित कार्यवाही करती है, जब कभी उन्हें अधिक दाम लेने की घटनाएं मालूम होती हैं।

(ग) देश में और बिहार राज्य की अलग तौर पर मिट्टी के तेल की कुल सप्लाई और खपत निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े हजार मीटरी टनों में)

अवधि	भारत		बिहार	
	सप्लाई	खपत	सप्लाई	खपत
जनवरी से जून, 1968 तक	1342	1287	86	76

Price of White and Red Kerosene Oil

4230. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the price of each bottle (one seer) of white and red kerosene oil, separately, as fixed by Government;

(b) whether it is a fact that red kerosene oil is being sold in Bihar owing to the shortage of white kerosene oil;

(c) if so, whether it is also a fact that people have to pay 75 to 100 paise to get a bottle of red kerosene oil; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government to save public from paying such abnormally high price ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri K Raghuramaiah) : (a) The retail selling prices of kerosene (both superior and inferior grades) are statutorily fixed by the State Government concerned. The prices fixed by the Bihar State Government are as under:-

Superior Kerosene :	53 to 62 paise per litre (depending upon the distance from railheads)
Inferior Kerosene :	42 to 53 paise per litre (depending upon the distance from railheads)

(b) No, Sir. Inferior kerosene is supplied mostly to North Bihar according to consumption pattern.

(c) and (d) Reports of kerosene selling at higher prices have been received by the Government of Bihar. The State Government has reported that it has taken necessary steps to tighten supervision over distribution of kerosene and that as a result, 68 prosecutions have been launched recently by the authorities concerned.

Scholarships for Students of Backward Classes

4231. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) the amount given by the Bihar Government as scholarships to the College and High School students belonging to backward classes and Harijan Community separately, during 1967-68;

(b) the District-wise, College-wise and School-wise break-up of the said amount;

(a) the number of students awarded scholarships; and

(d) the basis on which the scholarships are given ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Shri J. B. Muthyal Rao) : (a) and (c) The details are being collected from the State Government and will be laid on the table of the House as soon as they are received.

(d) Detailed statistics of this type are not readily available. As over one thousand institutions involved, the expenditure and some involved in collecting this information would not be commensurate with the purpose in view.

(e) According to the rules and regulations framed for the disbursement of post matric and pre-matric Scholarships.

Floods in Bihar

4232. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the devastating floods visit Bihar every year;

(b) if so, the area affected by floods in 1967 in Bihar and the figures relating to the loss suffered thereby;

(c) the total number of boats made available to save flood-effected people and do other relief work last year as also the district-wise number thereof; and

(d) the number of boats belonging to Government and the number of boats hired for the purpose and the amount spent towards payment of hire-charges therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) A large part of Bihar used to be affected by floods almost every year, Considerable relief has however been afforded by the flood control programme ef the State in the last 14 years.

(b) During the 1967 floods, an area of about 14.5 lakh was affected. The loss to crops was about Rs. 22 crores and to public utilities Rs. 6 lakhs.

(c) 3639 boats were made available for relief operation in the various districts as follows.

Muzaffarpur	...	...	918
Darbhanga	...	..	539
Champaran	..	...	231
Purnea	...	...	424
Saharsa	not reported by State Government.		
Monghyr	...	...	335
Saran	..	...	124
Shahbad	...	...	250
Bhagalpur	...	...	44
Patna	...	...	774

(d) The number of boats belonging to Government was 2207 and that hired was 1432. The State Government do not have separate figures of the amount of hire charges. They have reported that Rs. 11,71,500 were spent on hire purchase and maintenance of boats during 1967-68.

Residential Certificate for Admission in Medical Colleges

4233. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any suggestion was made in the meeting of the National Integration Council held in Srinagar recently that it should not be necessary to sumit a certificate of being the resident of a particular State for admission in the Medical College of that State;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the time by which a final decision is likely to be taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The National Integration Council adopted the following recommendation of the Committee on Educational Aspects and Mass Media :-

> "A student should not be required to produce a certificate of domicile in a State for the purpose of admission to educational institutions in the State; This should be brought into operation in all the States as early as possible. It would be within the competence of educational institutions in a State to give preference in admissions to students passing the Schools Board, University College examinations of that State."

(b) and (c) The above recommendation and others relating to education are under the consideration of the Government. It is not possible to indicate the precise time when the final decision may be taken as State Governments have to be consulted.

National River Scheme

4234. Shri Prakash Vir Shastri: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government are considering the question of formulating a National River Scheme, on the lines of National Highways in regard to the development connected with the rivers and for the protection thereof;

(b) if so, whether outlines of the said scheme have been prepared; and

(c) the time by which the said scheme would be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

अरविन्द कुमार किलाचन्द की फ़र्मों पर छापे

4235. श्री मधु लिमये : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मई, 1968 को सूरत के समाचार पत्र 'गुजरात मित्र' में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है कि वित्त मन्त्रालय के प्रवर्तन विभाग ने अरविन्द कुमार किलाचन्द द्वारा नियंत्रित फर्मों के कार्यालयों तथा मकानों पर कुछ छापे मारे थे;

(ख) क्या यह सच है कि 4 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा/कागज पकड़े गये हैं;

(ग) क्या कोई और दस्तावेज भी पकड़े गये हैं;

(घ) क्या ये फर्में तथा कार्यालय उसी किलाचन्द देवचन्द ग्रुप की है, जिसकी 10 वर्ष पहले आयकर विभाग ने सन्देहात्मक परिस्थितियों में 56 लाख रुपये से अधिक राशि का सट्टे में हुआ नुकसान मान लिया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में और आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस प्रश्न की प्राप्ति पर, उक्त समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट प्राप्त कर के देखी गयी है।

(ख) तथा (ग) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ली गई तलाशी में जो कुछ कागज-पत्र तथा यात्री चेकों के रूप में विदेशी मुद्रा की थोड़ी रकमें तथा करेंसी नोट, वहां पाए गए थे, वे पकड़े गए हैं। आयकर अधिकारियों द्वारा ली गई एक अन्य तलाशी में भी कुछ कागज-पत्र पकड़े गये हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर अधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है तथा समुचित कानूनों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने का फैसला, जांच-पड़ताल सम्बन्धी रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए ही किया जायगा ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त

4236. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**
श्री अ० कु० किस्कु :

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को सरकार द्वारा केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती के मामले के पुनरीक्षण के लिये हाल में गठित समिति की बैठकों में स्थायी तौर पर आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया है ।

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सरकार के द्वारा हाल में लिये गये इस निर्णय के अनुरूप है कि आयुक्त के संवैधानिक और असंविधिक और सलाहकारी कृत्यों को अलग अलग कर दिया जाये जिसके फलस्वरुप जून-जुलाई, 1967 में उसके कार्यालय का पुनर्गठन किया गया था;

(ग) ऐसे निर्णय और कार्य करने वाली सरकारी समिति के साथ सम्बन्ध होने पर आयुक्त से स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करने की कैसे आशा की जा सकती है; और

(घ) क्या आयुक्त ने समिति के साथ सम्बन्ध होने की अनुमति दे दी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री मुथ्थालराव) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) आयुक्त को समिति का सदस्य न बनाये जाने से ही यह स्पष्ट होता है कि समिति द्वारा किए गए निर्णयों में उसका कोई हाथ नहीं होगा ।

सरकारी क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले तेल शोधक कारखाने

4237. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 तक सरकारी क्षेत्र में कितने तेल शोधक कारखाने स्थापित किये जाने हैं तथा उस वर्ष तक सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों की कुल क्षमता कितनी हो जायेगी; और

(ख) नये तेल शोधक कारखाने किस-किस स्थान पर खोले जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) (क) और (ख) 1972 से पहले सरकारी क्षेत्र में हल्दिया नामक स्थान पर एक नई तेल शोधनशाला स्थापित की जायेगी । 1972 तक सरकारी क्षेत्रीय शोधनशालाओं की कुल क्षमता लगभग 14.80 मिलियन मीटरी टन होने की सम्भावना है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट

4238. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**
श्री अ० कु० किस्कु :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1964-65 से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट में मन्त्रालयवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व और केन्द्रीय सरकार की सेवा में कुल कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े देने की लम्बे समय से चली आ रही प्रथा को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पहले की प्रथा को पुनः चालू किया जायेगा ताकि उन मन्त्रालयों का पता लगाने में सहायता मिले जहां पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री मुथ्थालराव) : (क) से (ग) संविधान के अधीन आयुक्त के लिए विहित की गई हैसियत और कार्यों के कारण सरकार उसके रिपोर्ट तैयार करने के ढंग के सम्बन्ध में स्वविवेक में दखल नहीं देती। आयुक्त की सोलहवीं रिपोर्ट में पूरी केन्द्रीय सेवाओं/अखिल भारतीय सेवाओं तथा कतिपय चुने हुए संवर्गों के लिए रोजगार आंकड़े दिये गये हैं। अधिक्रमणों के मामलों के सम्बन्ध में मंत्रालयवार सूचना दी गई है।

Workers Demand on the Management of Fertilizer Factory, Gorakhpur

4239. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8121 on the 22nd April, 1968 and state :

(a) the details of the demands out of the 17 demands which were referred to the Regional Settlement Officer of the State's Labour Department; and

(b) the decision taken thereon and the number of those among them which have been implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah : (a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

Agreements Concluded for Supply of Power Connections in Uttar Pradesh

4240. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the particulars of persons with whom agreements were signed after they had deposited the necessary amounts for getting power connections in the District Office of Hydel Power Department of Basti and Gorakhpur Districts of Uttar Pradesh between January, 1967 and June, 1968; and

(b) the number of persons among those mentioned above who have since been given power connections: and

(c) the number of those who have not so far been given such connections ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Approximate number of persons with whom agreements were signed after deposits of money is 1001 in Gorakhpur District and 1119 in Basti District.

(b) 890 in Gorakhpur District and 900 in Basti District.

(c) 111 in Gorakhpur and 219 in Basti Districts. Connections to these applicants will be given expeditiously depending upon the availability of funds and completion of consumers' own installations.

Scheduled Castes/Scheduled Tribes Officials in the Ministry of Irrigation & Power

4241. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) The State-wise, Department wise and category wise number of persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other castes respectively working in his Ministry; and

(b) the number of persons among them State-wise, department-wise and category wise who benefitted from the Home Ministry Office Memorandum No. 9/45/30-Est. (d) dated the 20th April, 1961 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Finance Ministry.

4242. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of employees belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes respectively in his Ministry, category-wise; and

(b) the number of employees benefitted by the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 9/45/60-Establishment (D), dated the 20th April, 1961, category-wise ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम छोड़ कर गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी प्राप्त करने वाले अधिकारी

4243. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या **वित्त** मन्त्री 22 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7943 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम छोड़कर गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी प्राप्त करने वाले अधिकारियों के बारे में जानकारी अब प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ।

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जैसा कि 22 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7943 के उत्तर में बताया गया था, इस बात का पता लगाना सम्भव नहीं है कि उच्च स्तर के जिन अधिकारियों ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से इस्तीफा दिया है वे गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त हुए हैं या नहीं । उसके बाद, जो सूचना इकट्ठी की गयी है उसके अनुसार, सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर काम करने वाले 7 व्यक्तियों अर्थात पूर्णकालिक अध्यक्ष (चैयरमैन) और प्रबन्ध-निदेशकों ने 1966-67 और 1967-68 में इस्तीफा दिया था ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

कम्पनियों द्वारा देय आय-कर की बकाया राशि

4244. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या वित्त मन्त्री 22 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7928 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सार्थों से आय-कर की बकाया राशि के बारे में सूचना इस बीच इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यरि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) चूंकि मांगी गई सूचना का सम्बन्ध बहुत से निर्धारितियों से है, जिनका कर निर्धारण भिन्न-भिन्न आयुक्तों के कार्यक्षेत्रों में होता है, इसलिये सभी मामलों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना इकट्ठी करने में विलम्ब हुआ है, जिसके लिये खेद है ।

निर्यात के कम मूल्य के बीजक बनाना

4245. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या वित्त मन्त्री 25 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न फर्मों द्वारा निर्यात के कम मूल्य के बीजक बनाने के बारे में जानकारी अब एकत्रित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1761 68**]।

(ग) यह सवाल नहीं उठता।

मद्रास राज्य अन्तर्राज्य परिवहन संचालकों (आपरेटर्स) की ओर आय-कर की बकाया राशि

4246. श्री क० लकप्पा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के बहुत से अन्तर्राज्यीय परिवहन संचालकों की ओर आय-कर की राशि बकाया है ?

(ख) यदि हां, तो आय-कर की कितनी राशि तथा कितने संचालकों की ओर बकाया है; और

(ग) इन बकाया रकमों को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

"पैट्रियट" तथा "लिंक" को प्राप्त हुआ दान

4248. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री शारदा नन्द :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 'पैट्रियट' नामक दैनिक और 'लिंक' नामक साप्ताहिक को प्रति वर्ष दान/अंश दान के रुप में भारी राशि प्राप्त होती रही है;

(ख) यदि हां, तो इन पत्रों की स्थापना से अब तक प्रति वर्ष इन पत्रों में से प्रत्येक पत्र को दान तथा अंश दान के रुप में कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या इन पत्रों को दान तथा अंश दान देने वालों के लेखों को, यह सुनिश्चित करने के लिये कि दान तथा अंश दान में दी गई राशि करारोपण के लिये सम्बन्धित वर्षों के लेखों में शामिल की गई है, जांच की गई है, और यदि हां, तो उस राशि पर कितना कर लगाया गया है;

(घ) क्या उक्त पत्रों द्वारा दान तथा अंश दान के रुप में प्राप्त हुई किसी राशि को दान तथा अंश दान देने वालों के सम्बन्धित लेखों से बाह्य पाया गया है; और

(ङ) क्या सरकार के पास यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य है कि इन दानों तथा अंश दानों के लिए कुछ विदेशी ऐजेन्टों द्वारा धन दिया जाता है और यदि हां, तो ऐसे ऐजेन्टों के नाम तथा सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित वर्षों में ये दान प्राप्त हुए हैं ।

(ख) 'पेट्रियाट' को प्राप्त दान :

1963–64	93,005	रुपये
1965–66	1,02,500	रुपये
1966–67	3,74,238	रुपये

'लिंक' को प्राप्त दान :

1960	12,500	रुपये) ये रकमें बाद में 1965–66 में
1962	90,000	रुपये) 'पेट्रियाट' को हस्तांतरित की गई
1964	1,96,500	रुपये
1965	1,00,000	रुपये

(ग) तथा (घ): दान देने वालों के बारे में पूछताछ की जा रही है और अभी इससे अधिक ब्यौरा देना सम्भव नहीं है ।

(ङ) अभी उपलब्ध सूचना केवल इतनी ही है कि 'पेट्रियाट' के मामले में नेपाल के किसी श्री देवनारायण मिश्र ने 50, 000 रुपये का दान दिया था ।

Power Generation from Ganga

4249. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that none of the schemes drafted or implemented so far to generate hydel power is on the Ganga and if so, whether the waters of the Ganga in the Himalayas are not capable of generating power;

(b) whether it is also a fact that Gangetic Valley is capable of generating 250 lakh kilowatts of power, if the Ganga is completely tamed; and

(c) if so, the reasons for not conducting a survey in Gangetic Valley so far by the Centre for this purpose ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No; Sir. Schemes for power devlopment on the 'Bhagirathi' and the 'Alakhnanda' have been and are under investigation. The first stage of the Maneri-Bhali Project envisaging installation of 3 units of 35 MW each has been sanctioned for implementation.

(b) According to the preliminary surveys carried out by the Central Water & Power Commission, the economically utilisable potential of the Ganga Basin lying in Indian territory is about 48 lakh Kilowatts at 60% load factor.

(c) Does not arise.

Surplus Employees in Gauhati Refinery

4250. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 200 employees are surplus in the Gauhati Refinery and if so, the names of the places where they would be absorbed;

(b) whether it is also a fact that the sanctioned strength af the aforesaid Refinery is 994 employees whereas 1,143 employees are working therein; and

(c) if so, the action taken against the Officers concerned who recruited persons more than the number required by ignoring the relevant rules ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals and of Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah) : (a) and (b) The present strength of the refinery is 1315 and is presently under review. The surpluses would be known after the review is complete.

(c) Does not arise.

Generation of Electricity and Energisation of Tubewells and Pumping Sets

4251. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as against the target of generation of electricity of 20 lakh kilowatts during the financial year 1966-67 only 12 lakh kilowatts of electricity could be produced,

(b) whether it is also a fact that as against the target of 95,000 electric tubewells and pumping sets, 150,000 tubewells and pumping sets were installed; and

(c) if so, the manner in which the target of consumption of electricity which was higher than the target fixed for generation was achieved when the generation target itself had not been achieved ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The additions to the installed generating capacity was about 13 lakh KW as against the target of 20 lakh KW in 1966-67.

(b) During the year 1966-67, against a target of 95,000 tubewells/pump-sets, about 1,37,000 pump-sets/tubewells were energised.

(c) Power demand for irrigation pumping loads was about 8% of the total demand for all categories of loads. The increased demand due to the additional installation of about 42,000 pumpsets was of the order of 6.5% of the additional capacity added during the year. Moreover, other loads, particulary industrial loads did not develop in 1966-67 as anticipated and the shortfall was to some extent met by the increase in the number of pump-sets/tubewells energised over and above the target figure.

Wax from Crude oil from Moran and Naharkatia Oil Wells

4252. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the crude oil obtained from Naharkatia and Moran oil wells contain wax in a large quantity and due to apprehension that the wax might get deposited in the crude oil pipeline, the first crude oil conditioning plant of the World was installed as pilot plant after importing it from foreign countries;

(b) if so. the reasons for which the refineries, which are being supplied the aforesaid oil, have not started preparing wax so far; and

(c) whether it is also a fact that the plant advisor who had recommended the installation of the plant also recommended that the wax should not be prepared as it would result in competition with capitalists in the field ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah) : (a) Crude oil from Naharkatiya and Moran fields contains wax to the extent of about 10% and hence has a tendency to congeal in winter months thereby creating difficulties in pumping the crude. To overcome this problem, two crude conditioning plants which represent the first engineering design of its kind, were erected at Naharkatiya and Moran. These are not pilot plants but ful-fledged plants and have been in operation since 1963.

(b) Wax can be produced only from refineries having facilities for the production of lubricating oils, Gauhati refinery does not have such facilities. Although Barauni refinery has a de-waxing unit, they have not installed facilities for refining slack wax. It is proposed to supply slack wax for the manufacture of detergents and until then, it is being blended with fuel oil before sale. Locally produced Paraffin Wax was surplus to the requirements of the Country and therefore, it was not considered necessary to install wax refinery facilities at Barauni when this project was being designed.

(c) Government are not aware of this opinion nor of the existence of the plant advisor referred to.

Development of a Plant for separating Ammonium-Sulphate from Liquid Waste

4253. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Research and Development Division, Sindri, has developed a plant and installed it there to separate ammonium sulphate from the liquid waste;

(b) whether it is a fact that ammonium sulphate worth Rupees 30 lakhs is being extracted annually through this plant costing one lakh rupees only; and

(c) if so, the nature of reward given to the person who developed and erected this plant ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah) : (a) Yes, Sir.

(b) Scientists and Engineers of the Planning & Development Division of the Fertilizer Corporation of India have developed a process for recovering ammonium sulphate from factory effluents. Based on this knowhow, a plant has been erected at Sindri at a cost of Rs. 11.50 lakhs to recover annually about 15,000 tonnes of ammonium sulphate so that the net annual gain of about Rs. 34.00 lakhs is achieved.

(c) This is an institutional development by the joint efforts of a few Scientists and Engineers. The question of giving reward to any one person does not therefore arise.

गोहाटी-सिलीगुड़ी पाइपलाइन का निर्माण

4254. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी सिलिगुड़ी पाइपलाइन के निर्माण में प्रयोग की गई आयातित मशीनों को बाद में मैसर्स डोड-साल (प्रा०) लिमिटेड को बेच दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन मशीनों के विशिष्ट विवरण वर्तमान दरों पर विदेशी मुद्रा में मूल्य तथा डोडसाल (प्रा०) लिमिटेट से लिये गये वास्तविक मूल्य सहित उनका पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो संबंधित मशीनें इस समय कहां हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) : गोहाटी-सिलीगुड़ी उत्पादन पाइपलाइन परियोजना पर लगाये गये निर्माण उपकरणों को ठेकेदार ने पुनः निर्यात किया था या हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइपलाइन परियोजना पर इस्तेमाल करने के लिए उनका स्थानांतरित किया था। कुछ खण्डों के निर्माण-कार्य के पूरा होने के बाद, निर्माण-उपकरणों के कुछ हिस्से को, जो सामान्य तौर पर निर्यात किये जा सकते थे, ठेकेदार ने डोडसाल लि०, बम्बई को बेच दिया, इससे सम्बन्धि ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, किन्तु उसे निश्चित रुप से जाना जा रहा है और सभा-पटल पर रखा जायेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बिहारी अधिकारी तथा कर्मचारी

4255. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में स्थित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से उन के मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के बिहारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है तथा इन श्रेणियों के कुल कर्मचारियों की संख्या में उनका अनुपात कितना है; और

(ख) जिन राज्यों में उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन ऐसे सरकारी उपक्रम हैं उनमें अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है तथा कुल अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में उनका अनुपात कितना है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मेसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड और श्री कान्ति देसाई

4256. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री कान्ति देसाई उनके अवैतनिक निजी सचिव थे जबकि उनकी कालावधि में वह "मेसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड" से 2,050 रुपये प्रतिमास वेतन भी पा रहे थे; और

(ख) क्या इस अवधि में श्री कान्ति देसाई की सहायता से मेसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड ने कोई आर्डर प्राप्त किये, माल खरीद किया तथा कुछ अन्य सौदे भी किये थे और किस हद तक ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उत्तर हां में है। उसका काम था, कुछ सामाजिक कर्तव्यों के पालन में, मुलाकातें निश्चित करने में तथा जनसम्पर्क के काम में एक अनौपचारिक व्यक्तिगत निजी सचिव के तौर पर मेरी सहायता करना।

(ख) किसी प्रकार का व्यापारिक सम्बन्ध चालू नहीं रखा गया था, और जून, 1964 के बाद, श्री कान्तिलाल देसाई के द्वारा मेसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड के लिये कोई आर्डर प्राप्त नहीं किये गये और कोई खरीदारियां नहीं की गयीं और व्यापारिक सौदे भी नहीं किये गये ।

Adhawara Flood Scheme, Bihar

4257. Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 195 on the 22nd July, 1968 and state :

(a) whether Government are aware that although the work relating to the construction of embankments under the Khiroi Flood Control Scheme in Adhawara area was completed many years ago yet a great difficulty is being experienced in utilising the water ot Khiroi for irrigation purposes;

(b) whether Government are also aware of the fact that people in general and the Zonal Development Committee of Bisfi (Darbhanga) are opposed to the construction of embankment on Bagmati (Dhons) and that the Zonal Development Committee has suggested that it may be implemented in the form of the Flood Control-cum-Irrigation Scheme; and

(c) the difficulty in the way of implementing it as the Flood Control-cum-Irrigation Scheme ?

The Dy. Minister for Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) The requisite information is awaited from the State Government.

Western Kosi Canal

4258. Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the approval of the Nepal Government has been obtained in regard to Western Kosi Canal;

(b) if not, the steps taken or proposed to be taken by Government to obtain an early reply from them; and

(c) whether Government propose to allocate full amount in the Fourth Plan for the Completion of The Western Kosi Canal during this Plan period ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Approval of the Nepal Government is awaited.

(b) Detailed reports and plans desired by Government of Nepal have been given to them on 1.7.1968.

(c) The Fourth Plan proposals have not yet been finalised. Provision to be made for Western Kosi Canal Scheme will depend upon the size of the Bihar State Plan, the allocation for irrigation sector and the relative demands of various approved schemes.

बाढ़ रोकने के लिये पगलादिया नदी के तल की सफाई

4259. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ रोकने के उद्देश्य से आसाम में पगलादिया तथा अन्य नदियों के तल की सफाई करने के प्रस्ताव पर सरकार ने कोई निर्णय किया है;

(ख) क्या भूमि के कटाव को रोकने के उद्देश्य से ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ भागों की सफाई करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या तल की सफाई करने का काम इस शरद् ऋतु में आरम्भ हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) पगलादिया या ब्रह्मपुत्र नदी के तल की सफाई बाढ़ नियंत्रण के लिए अव्यावहारिक समझी गई है। पर यह विचार किया गया है कि यह देखने के लिए कि यह उपाय मिट्टी कटाव रोकने के लिए व्यावहारिक रहेगा या नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे कुछ स्थानों पर प्रयोगात्मक रूप से तल सफाई का काम किया जाये। तल-सफाई यंत्रों (ड्रेजर) का ब्यौरा अन्तिम रुप से तैयार कर लिया गया है और इन यंत्रों के मिल जाने तथा लगा लिये जाने के बाद तल सफाई का काम आरम्भ किया जायेगा।

पर्यटकों के लिये विदेशी मुद्रा

4260. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में विदेशों की यात्रा करने के लिये पर्यटकों के लिये कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई; और

(ख) उसी अवधि में विदेशी पर्यटकों से कितनी मुद्रा अर्जित की गई।

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):(क) केवल पर्यटन के लिए विदेश यात्रा करने के लिये विदेशी मुद्रा नहीं दी जा रही है। लेकिन जब खास-खास कार्यों जैसे 'व्यापार' 'चिकित्सा' अध्ययन' के लिए विदेश-यात्रा करना उचित समझा जाता है तब उन मामलों में उपयुक्त मात्रा में विदेशी मुद्रा दी जाती है। वित्त-वर्ष 1966-67 में विदेशी यात्रा के लिए 14.7 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दी गयी थी। अप्रेल से सितम्बर, 1967 तक की अवधि में, जिसके सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध हैं, 7.3 करोड रुपये की विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दी गयी।

(ख) पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा के आंकड़े कैलेण्डर-वर्षों के अनुसार रखे जाते हैं। पर्यटन-विभाग ने 1967 के लिए 25.23 करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान लगाया है।

निजी उपचर्या-गृह

4261. श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्रीमती तारा सप्रे :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य बड़े नगरों में स्थित निजी उपचर्या-गृहों में दाखिले तथा इलाज के लिये अत्यधिक फीस ली जाती है;

(ख) क्या उनके कार्य तथा उनकी फीस आदि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में इन उपचर्या-गृहों पर सरकार का कोई नियंत्रण है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन पर किसी रूप में नियंत्रण रखने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब. सू. मूर्ति) : (क) कुछ प्राइवेट उपचर्या-गृहों द्वारा उपचार के लिए ली जाने वाली फीस सरकारी अस्पतालों की तुलना में अधिक समझी जा सकती है ।

(ख और (ग) दिल्ली उपचर्या गृह पंजीयन अधिनियम, 1953 के अधीन दिल्ली के उपचर्या-गृहों पर सरकार का नियंत्रण है । इस अधिनियम के अन्तर्गत उपचर्या गृहों को सेवा संबंधी कतिपय न्यूनतम मानकों का निर्वाह करना होता है । प्राइवेट उपचर्या-गृहों द्वारा ली जाने वाली फीस पर नियंत्रण करने का कोई विचार नहीं है ।

दिल्ली के अस्पतालों में भीड़भाड

4262. श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्रीमती तारा सप्रे :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सभी अस्पतालों के अंतरंग रोगी कक्ष रोगियों से भरे रहते हैं; और

(ख) ऐसे कितने प्रतिशत रोगी दाखिल किये जाते हैं जिनके लिये शय्याओं की कोई व्यवस्था नहीं होती है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब. सू. मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) रोजाना उपलब्ध होने वाले पलंगों की संख्या की तुलना में इर्विन अस्पताल में औसतन लगभग 20 प्रतिशत और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल में लगभग 24.3 प्रतिशत अधिक रोगी भर्ती किये जाते हैं । दूसरी संस्थाओं का प्रतिशत ज्ञात नहीं है ।

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक

4264. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने हाल ही में लक्ष्मी कमर्शियल बैंक की दुर्भावनाओं तथा दुष्कर्मों के बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के निदेशकों तथा उच्च अधिकारियों ने कुछ अधिकारियों को दिये जाने वाले अग्रिम धन पर ब्याज की दर कम कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों से सम्बन्धित अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) और (घ) सरकार को प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसा मालूम नहीं होता कि बैंक ने अपने अधिकारियों को दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से ब्याज की दरें कम कर दी है या कुछ विशेष अधिकारियों के लिए कम कर दी हैं ।

हरियाणा में यमुना नदी पर पुलों का निर्माण

4265. श्री अब्दुल गनी दार : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को जोड़ने के लिये हरियाणा में करनाल से होडल तक यमुना नदी पर पुलों का तथा खादर क्षेत्र में बाढ़ रोकने के लिए मजबूत बांध बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं, और

(ग) निकट भविष्य में कितने पुल बनाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश सरकारों से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नही आए हैं ।

कलकत्ता में पडा हुआ पुराना लुब्रीकेंट का स्टाक

4266. श्री अब्दुल गनी दार : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 29 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1397 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में लुब्रिकेंट का स्टाक कब से तथा कितनी मात्रा में पड़ा हुआ है और वह कितने मूल्य का है;

(ख) इस कारण निगम को कितनी हानि हुई है;

(ग) यह माल किन-किन देशों से मंगाया गया था और कब; और

(घ) इस माल की निकासी के लिये क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) दो सालों से अधिक 1 जुलाई, 1968 को कलकत्ता में धीमी गति वाले लुब्रीकैण्टस के 1841 ड्रम, जिनका मूल्य लगभग 7.90 लाख रुपये था, पड़े थे। लुब्रीकेन्टस की कुछ श्रेणियो के सिवाय, जो ढके हुए स्थान पर रखी जाती है, शेष श्रेणियों को, जिन्हें ढकी जगह में रखने की आवश्यकता नहीं है, खुले (अनावरण) स्थान पर संग्रह किया जाता है।

(ख) भारतीय तेल निगम को कोई हानि नहीं हुई है। दूसरी और रुपये के अवमूल्यन के कारण विक्रय मूल्य बढ़ गये है।

(ग) दो साल से अधिक पहले अमरीका से स्टाक आयातित किया गया था।

(घ) ये धीमी गति के स्टाक हैं। जुलाई, 1967 से अप्रैल, 1968 तक निगम ने 2281 ड्रम बेचे।

इण्डियन आयल कारपोरेशन के उत्पादों का निर्यात

4267. श्री अब्दुल गनी दार : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने पिछले पांच वर्षो में विदेशों को अपने उत्पाद का बहुत कम दरों पर निर्यात किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणाम-स्वरुप उसे कोई घाटा उठाना पड़ा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रति-योगिता के कारण कुछ उत्पादों के निर्यात में हानियां हुई हैं और अन्य उत्पादों पर लाभ हुआ है।

भारतीय तेल निगम द्वारा व्यापारियों को छूट

4268. श्री अब्दुल गनी दार : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम कुछ व्यापारियों को छूट दे रहा है और यदि हां, तो किस आधार पर;

(ख) उन व्यापारियों के नाम तथा उनके पूरे पते क्या है, तथा प्रत्येक व्यापारी को कितने प्रतिशत छूट दी जाती हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों में कितने व्यापारियों को विशेष छूट दी गई और उन्होंन कितने मूल्य के क्रयादेश दिये तथा उनको कितनी छूट दी गई, क्या उन्होंने सारा माल उठा लिया था;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ व्यापारियों ने अपनी ओर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है और यदि हां, तो उन व्यापारियों के क्या नाम हैं तथा अब तक कितनी राशि बकाया है;

(ङ) क्या भारतीय तेल निगम ने किसी व्यापारी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है; और

(च) यदि हां, तो किस न्यायालय में तथा किसके विरुद्ध ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (च) : मांगी गई सूचना भारतीय तेल निगम के अपने व्यापारियों और उपभोक्ताओं के साथ व्यापारिक लेन-देन से सम्बन्धित है और निगम के व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए इसका बताना ठीक नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा गृह-निर्माण

4269. श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार के पास प्रति वर्ष 5000 मकान बनाने के साधन है;

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिए उन साधनों का उपयोग न किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) समाचार-पत्रों में हाल में हमें समाचारों को दृष्टि में रखते हुए क्या दिल्ली विकास प्राधि कार की कार्यप्रणाली की जांच करने का सरकार का विचार हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है

M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.

4270. Shri Brij Bhushan Lal : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6702 on the 8th April, 1968 and state :

(a) the names of the other firms and Companies in which Master Rejendra Kumar Banwari Lal. a shareholder of Messers Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. is holding shares;

(b) the names of the places where the aforesaid firms and companies are situated, the amount of income-tax paid by them during the last three years, as also the amount still outstanding against them; and

(c) the action being taken to realise the arrears of income-tax from them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) The information is being callected and will be laid on the Table of the House.

(b) and (c) The necessary information in respect of companies in which Shri Master Rajendra Kumar Banwari Lal or members of his family hold controlling interest is being

collected and will be laid on the Table of the House. It will involve enormous time and labour to collect similar information in respect of other companies in which the member of his family may hold only some shares.

Share-holders of M/s. Oriental Timber Trading Corporation, Ltd.

4271. **Shri Brij Bhushan lal** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6702 on the 8th April. 1968 and state :

(a) the names of firms and companies in which Master Shashi Kumar Banwari Lal, a shareholder of M/s. Oriental Timber Trading Corporation Ltd. is holding shares;

(b) the amount of Income-tax paid by those companies during the past three years ; and

(c) the amount of income-tax assessed by Government on them during the said period ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) and (c) The necessary information in respect of companies in which Master Shashi Kumar Banwari Lal or members of his family holding controlling interest is being collected and will be laid on the Table of the House. It will involve enormous time and labour to collect similar information in respect of other companies in which the members of his family may hold only some shares.

Shareholders of M/s. Oriental Timber Trading Corporation, Ltd.

4272. **Shri Brij Bhushan lal** : Will the Minister of Finance be pleased to refer ro the reply given to Unstarred Question No. 6702 on the 8th April, 1968 and state :

(a) the names of firms and companies other than M/s. Oriental Timber Trading Corporation Ltd. whose shares are held by Master Vinay Kumar Banwari Lal;

(b) the amount of Income-tax paid by these firms to Government during the last five years; and

(c) the amount of Income-tax assessed on those firms during the above mentioned period ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) and (c) The necessary information in respect of companies in which Shri Master Vinay Kumar Banwari Lal or members of his family hold controlling interest is being collected and will be laid on the Table of the House. It will involve enormouse time and labour to collect similar information in respect of public companies in which the members of his family may hold only a few shares.

Shareholder of M/s. Orintal Timber Trading Corporation Ltd.

4273. **Shri Brij Bhushan lal** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6702 on the 8th April, 1968 and state :

(a) the names of firms and companies in which Master Vijai Kumar Banwari Lal, a schareholder of M/s. Oriental Timber Trading Corporation Ltd. is holding shares;

(b) the amount of Income-tax paid by these firms and companies during the past three years; and

(c) the amount of Income-tax assessed by Government on those firms and companies during the said period ?

The Depury Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) and (c) The necessary information in respect of companies in which Shri Master Vijai Kumar Banwari Lal or members of his family hold controlling interest is being collected and will be laid on the Table of the House. It will involve enormous time and labour to collect similar information in respect of other companies in which the member of his family may hold some shares.

M/s. Oriental Timber Trading Corporation.

4274. Shri Brij Bhushan lal : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6702 on the 8th April, 1968 and state :

(a) whether information asked for regarding tax assessees of M/s Oriental Timber Trading Corporation has since been collected; and

(b) if so, the particulars of those 80 tax assessees ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):(a) Yes, Sir.

(b) Statement showing the details of tax demand raised, tax paid and the balance due from the shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation has been laid on the Table in respect of the completed assessments. **[Placed in Library. See No. LT-7262/68].**

Atrocities Perpetrated on Harijans in Madhya Pradesh

4275. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have obtained information at Governmental level about the action taken by the State Governments in connection with the atrocities perpetrated by the caste Hindus on the Harijans in Madhya pradesh, Andhra Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh and Rajasthan and if so, the action taken in the matter; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) : (a) In all actionable cases, the offenders have been prosecuted in Courts of Law. Further, these incidents were discussed at a Conference of Chief Ministers and it was agreed that such cases should be attended to with special care and promptitude.

(b) Does not arise.

University Stipend for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students

4276. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount of University stipend allocated to the State Governments for the financial year 1968-69 for the students of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes State-wise, separately; and

(b) whether this amount is less than that allocated during the last year and if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) : (a) A statement showing allocations for each State is Placed on the Table. **[Placed in Library. See No. LT-1763/68].**

(b) No, Sir.

Balmiki Community

4277. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4975 on the 25th March, 1968 and state the time by which the Balmiki Community would be relieved of undignified work of disposing of human filth in any manner ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) : Manual disposal of night soil can be stopped only by banning the construction of dry latrines, converting all dry latrines into flush latrines. This will involve large scale financial implications besides amendment of municipal and other laws. Financial resources for this purpose are not yet in sight. It is not therefore possible to indicate a specific time limit at this stage.

Eradication of Untouchability

4278. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have sought the co-operation of social organisations for the purpose of eradicating untouchability as the legislative measure in this regard has not been very effective; and

(b) if so, the names of those organisations and the nature of cooperation received from them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) : (a) and (b) The Harijan Sevak Sangh, the Bharatiya Depressed Classes League, the Iswar Saran Ashram and the Hind Sweepers' Sevak Samaj have undertaken schemes for propaganda and publicity for the removal of untouchability.

जनरल बीमा पर सामाजिक नियंत्रण

4280. श्री हिम्मत सिंहका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जनरल इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसीएशन (पूर्वी क्षेत्र) की वार्षिक बैठक में सामान्य बीमा के सामाजिक नियंत्रण के लिये प्रस्तावित विधान की आलोचना की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस विधान के विरुद्ध न केवल सामान्य बीमा समवायों से बल्कि कर्मचारी संघों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तावित विधेयक का विरोध किन कारणों से किया गया है; और

(घ) क्या इस आलोचना तथा विरोध को देखते हुए सरकार का उक्त विधेयक वापिस लेने अथवा उसमें संशोधन करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दो संघों अर्थात् 'प्रभागी बीमा कर्मचारी संघ, जलपाइगुड़ी' तथा 'गोहाटी प्रभाग बीमा-कर्मचारी संघ, गोहाटी' से उनकी वार्षिक साधारण सभाओं में क्रमशः 18 अप्रैल, 1968 तथा 21 अप्रैल, 1968 को पास किये गये प्रस्तावों की नकलें प्राप्त हुई हैं। इनमें सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की गई है।

(ख) तथा (ग) इस उपाय के खिलाफ अन्य कोई दरख्वास्तें कर्मचारी संघों से प्राप्त नहीं हुई हैं। बीमा कम्पनियों, वाणिज्य मंडलों तथा दलालों के संघ से दरख्वास्तें जरूर मिले हैं, किन्तु उनमें मुख्यतः बीमा (संशोधन) विधेयक, 1968 में प्रकल्पित 'सामान्य बीमा पर सामाजिक नियंत्रण' सम्बन्धी योजना में कुछ परिवर्तन करने के लिए सुझाव दिये गये हैं।

(घ) विभिन्न संस्थाओं द्वारा भेजे गये सुझाओं पर विचार हो रहा है। विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया है।

औषध निर्माण उद्योग में संकट

4281. श्री हिम्मतसिंहका : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय औषध 'उत्पादक संघ, बम्बई के अध्यक्ष श्री कीथ राम के इन कथित विचारों की ओर दिलाया गया है कि औषध निर्माण उद्योग के सामने जो वित्तीय समस्यायें आ रही है, के मूल रूप से 1963 में मूल्यों में वृद्धी पर लगाई गई असंगत रोक का परिणाम है जिससे इस उद्योग में गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने औषध निर्माण उद्योग के उत्पादन लागत के ढांचे का पुनर्विलोकन किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है;

(ग) औषध निर्माण उद्योग में प्रयोग किये जाने वाले कच्चे माल के मूल्यों पर नियंत्रण रखे बिना औषध उत्पादकों के मूल्यों पर लगाई गई रोक के परिणामस्वरूप इस उद्योग द्वारा अनुभव किये जा रहे वित्तीय संकट का स्वरूप और आकार क्या है; और

(घ) उद्योगों को नियंत्रित मूल्यों पर कच्चे माल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) जी हां।

(ख) सरकार ने पहले टैरिफ आयोग से देश में निर्मित कुछ जरूरी औषधियों के निरूपण और उनके मूल्य ढांचे की जांच के लिये प्रार्थना की थी। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) यह कहना ठीक नहीं है कि उद्योग में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि कच्चे माल, डिब्बों और पैकिंग सामग्री की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण, सरकार मूल्यों के पुनरिक्षण के लिये प्रार्थना-पत्रों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करती है और जहां उचित हो वृद्धि करने की अनुमति देती है।

(घ) उद्योग कच्चे मालों और फालतू पुर्जों के आयात के लिये प्राथमिक उद्योगों की सूचि में शामिल है। उद्योग को अपेक्षित चीनी की सप्लाई, नियंत्रित दरों पर, राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। जहां तक अन्य कच्चे माल, जो मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं है, का सम्बन्ध है, उनकी नियंत्रित दरों पर सप्लाई सुनिश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत और समाजवादी देशों के बीच आर्थिक संबंध

4282. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष जून तक समाजवादी देशों को इस बात के लिये अवगत भी नहीं कराया गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति में उनसे क्या योगदान दिये जाने की आशा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारत और समाजवादी देशों के आर्थिक सम्बन्धों के बारे में बहुत अनिश्चितता पैदा हो गई है; और

(ग) क्या समाजवादी देशों को इस बीच बता दिया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति में भारत उनसे किस प्रकार के योगदान की आशा रखता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) चूंकि अभी यह फैसला नहीं हुआ है कि चौथी आयोजना कितनी बड़ी होगी और उसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल की जायेगी, इसलिये इस समय चौथी योजना की सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिये चौथी आयोजना के लिए, किसी देश से, सहायता के लिये कहना अभी समय से पूर्व होगा। फिर भी दिसम्बर 1966 में सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ ने चौथी आयोजना में शामिल की जाने वाली योजनाओं के लिए 250 करोड़ रुपये की रकम देने का संकेत दिया था। अप्रैल, 1966 के बाद यूगोस्लाविया, हंगरी, बल्गारिया और रूमानिया के साथ आर्थिक सहयोग सम्बन्धी करारों पर हस्ताक्षर भी किये गये हैं तथा चौथी आयोजना की अवधि में इस्तेमाल के लिये पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया से भी ऋण प्राप्त हुए है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

उर्वरक के कारखानों का आधुनिकीकरण

4283. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक स्थापित किये उर्वरक कारखानों में से अधिकांश की मशीनें पांच वर्ष पहिले की मशीनें है;

(ख) यदि हां, तो सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि विदेशी सहयोगी भारत में पुरानी और बेकार हो गई मशीनरी का आयात न करें;

(ग) पहले स्थापित किये गये उर्वरक कारखानों को आधुनिक रूप देने तथा उनमें नवीनतम मशीनरी लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) देश में सभी उर्वरक कारखानों के आधुनिकीकरण पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यद्यपि वर्तमान संयन्त्रों के निष्पादन में सुधार करने के कदम उठाये जा रहे हैं, उन्हें आधुनिकीकरण या नवीनतम किया जाना कहना ठीक नहीं है। सिन्द्री और राऊरकेला में क्रमश: 1.12 करोड़ रुपये और 3.63 करोड़ रुपये की लागत से नेफ्था गैसीकरण यूनिटों का लगाया जाना, घटिया किस्म के खनिज जिप्सम का इस्तेमाल बन्द करने और अन्य सुधार करने के लिये सिन्द्री रेशनलाइजेशन स्कीम (Sindri Rationalisation Scheme) (22.96 करोड़ रुपये) और अल्वाय विस्तार का चौथा चरण (4.99 करोड़ रुपये), बताने के लिये उदाहरण हैं।

भारतीय तेल निगम द्वारा ढोलों की खरीद

4284. श्री समर गुह : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड ने शेष ढोलों की सप्लाई किस तारीख से पुन: आरम्भ की;

(ख) बीच की अवधि में भारतीय तेल निगम ने ढोल किन-किन कम्पनियों से खरीदे तथा प्रत्येक कम्पनी से कितने-कितने तथा किन-किन मूल्य पर खरीदे;

(ग) क्या इतने ही ढोलों की खरीद पर मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड से तय किये गये मूल्य से कुछ अधिक धन व्यय किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) से (घ) तक : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

भारतीय तेल निगम के लिये बैरलों का सम्भरण

4285. श्री समर गुह : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सप्लायर्स कारपोरेशन तेल के बैरलों के निर्माता नहीं थे, तथापि वही एक ऐसा सार्थ था जिसने भारतीय तेल निगम के टेण्डर भरे थे; और

(ख) यदि हां, तो अन्य किसी बैरल निर्माता से टेण्डर प्राप्त न होने पर भारतीय तेल निगम के एक गैर–निर्माता सार्थ को 21,000 बैरल का इतना भारी क्रयादेश कैसे दिया और क्या आवश्यक संख्या में बैरल देने की उसकी क्षमता की क्रयादेश देने से पहले जांच कर ली गई थी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

गैर-सरकारी अस्पतालों के प्रबन्धकों का अभ्यावेदन

4286. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैर-सरकारी अस्पतालों के प्रबन्धकों की ओर से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उन अस्पतालों के कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू नहीं होना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

Construction of Quarters by Delhi Development Authority

4287. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Health, Family planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of quarters constructed and plots developed by the Delhi Development Authority upto the 31st May, 1968 and the number of those among them allotted to the public and the number of plots on which construction has been started ; and

(b) the number of plots and quarters proposed to be developed and constructed by the Delhi Development Authority upto the 31st March, 1968 and their targets for the 31st March, 1970 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development : (Shri B. S. Murthy) (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Slum Clearance Undertaken By D. D. A.

4288. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that slum improvement work undertaken by the Delhi Development Authority is not going on satisfactory ;and

(b) the steps being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) Slum Improvement work is not being done by the Delhi Development Authority.

तेल शोधक कारखानों का विस्तार

4290. श्री प्रेम चन्द वर्मा :क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तेल शोधक कारखानों का विस्तार करने के लिये योजना बनाने के उद्देश्य से हाल ही में तेल सलाहकार परिषद् की एक बैठक हुई थी ;और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या क्या निर्णय किये गये तथा किन-किन योजनाओं को स्वीकार किया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया): (क) निम्न मामलों पर विचार विमर्श करने के लिये 20. 7. 1968 को तेल सलाहकार परिषद् की एक बैठक हुई थी :

(i) 1966 और 1967 के लिये मांग के आंकड़े ।

(ii) 1968 से 1975 तक पैट्रोलियम उत्पादों की मांग के अनुमान ;

(iii) शोधन क्षमता का विस्तार ; और

(iv) 1968 से 1975 के दौरान उत्पादों के तटीय संचलन का अनुमान ।

(ख) परिषद् ने निम्न निर्णय किये :—

(i) पैट्रोलियम उत्पादों की वर्तमान अनुमानित मांग के आधार पर, 1975 तक शोधन क्षमता का 30 से 32 मिलियन मीटरी टन के बीच होना आवश्यक होगा, किन्तु मांगों का हर छटे महीने पुनरीक्षण किया जाये ।

(ii) विशेषतया नेपथा तथा ईधन तेल की मांग और सप्लाई के अनुकूलतम संतुलन प्राप्त करने के उपाय सुझाने के लिये, एक विशेषज्ञ दल द्वारा शोधन शाला के परिचालनों का अध्ययन किया जाये ; और

(iii) देशीय कच्चे तेल की उपलब्धि, प्रादेशिक मांगों, लम्बे रेल कर्षण या तटीय संचलन का परिहार और वर्तमान शोधनशालाओं की अधिक स्थापित क्षमताओं को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त शोधन क्षमताओं का सृजन किया जाये ।

स्टर्लिग क्षेत्र का परिसमापन

4291. श्री प्रेम चन्द्र वर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टर्लिग के भविष्य के बारे में भारत सरकार तथा ब्रिटिश सरकार के बीच विचार-विमर्श हुए है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव आये हैं कि स्टर्लिंग क्षेत्र को समाप्त किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो क्या बातचीत हुई है और क्या सरकार ने इस मामले पर कोई दृढ़ विचार व्यक्त किये हैं ; और

(घ) उन पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) और (घ) : स्टर्लिंग क्षेत्र के भविष्य के बारे में समय-समय पर अलग-अलग हलकों से विभिन्न प्रकार के सुझाव आये हैं । भारत सरकार इस प्रश्न पर ब्रिटेन की सरकार के दृष्टिकोण के बारे में उससे निकट सम्पर्क बनाये हुए है । जो विचार-विनिमय हो रहा है वह स्वभावत: गोपनीय है और सरकार उसे बताने की स्थिति में नहीं है ।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय से शिष्ट मण्डलों का विदेशों को दौरा

4292. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय की ओर से कितने शिष्टमंडल, मन्त्री, प्राधिकारी अथवा अन्य विशेषज्ञ इस वर्ष सरकारी खर्चे पर विदेश गये थे ;

(ख) प्रत्येक मामले में किन देशों का दौरा किया गया और दौरे की अवधि कितनी थी ;

(ग) प्रत्येक दौरे पर कितनी राशि व्यय की गई और उसमें से विदेशी मुद्रा कितनी थी ; और

(घ) प्रत्येक दौरे के परिणामस्वरूप सरकार को क्या लाभ हुआ और यदि कोई करार किये गये, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) (ग) और (घ) : अपेक्षित सूचना सभा-पटल पर रख दी गयी है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1764/68]**

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों का सर्वेक्षण

4293. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में उनके मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों का कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारी, श्रेणी-वार, आवश्यकता से अधिक पाये गये और इस बारे में क्या नीति है और क्या इन कर्मचारियों की छंटनी करने का विचार है अथवा अन्यथा उन्हें कहीं अन्यत्र नौकरी देने का है ;

(ग) 1 अप्रेल से 30 जून, 1968 तक की अवधि में उनके मन्त्रालय ने कितने अतिरिक्त कर्मचारी, श्रेणी-वार, नियुक्त किये थे और इसी अवधि में राजपत्रित अधिकारियों के कितने पद बनाये गये ; और

(घ) मन्त्री तथा उपमन्त्री के पास काम कर रहे उन फालतू कर्मचारियों का ब्यौरा क्या क्या है जिनके लिये समुचित मंजूरी नहीं ली गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): वित्त मन्त्रालय के कर्मचारी निरीक्षण यूनिट ने सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में नियुक्त कर्मचारियों के बारे में 1967-68 में कोई सर्वेक्षण नहीं किया था। पर मितव्ययता के उपाय के रूप में 1967-68 के दौरान निम्न लिखित पद समाप्त कर दिये गये थे :--

पदों का वर्गीकरण	पदनाम	पदों की संख्या
प्रथम श्रेणी	उप निदेशक	1
द्वितीय श्रेणी	अतिरिक्त सहायक निदेशक	1
तृतीय श्रेणी	अनुसंधान सहायक	2
	ट्रेसर	2

इनमें से किसी व्यक्ति की छंटनी नहीं की गई क्योंकि इन्हें अन्य रिक्त स्थानों पर लगा दिया गया।

(ग) प्रश्नाधीन अवधि में निम्नलिखित पदों पर नियुक्तियां की गई :--

पद का वर्गीकरण	पदनाम	पदों की संख्या
तृतीय श्रेणी–	एस. ए. एस. अकाउन्टेंट	1
	लोअर डिवीजन क्लर्क	7
चतुर्थ श्रेणी–	चपरासी	2

राजपत्रित अधिकारियों का कोई नया पद नहीं बनाया गया।

(घ) मन्त्रालय की स्वीकृत संख्या के कर्मचारियों में से मन्त्री तथा उप मन्त्री को समय समय पर कुछ अतिरिक्त कर्मचारी दिये गये जो काम के महत्व पर निर्भर था। इस प्रकार से लगाये गये वर्तमान कर्मचारियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य मंत्री

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या
(1)	तकनीकी अधिकारी	1
(2)	जूनियर ड्राफ्ट्समैन	1
(3)	अपर डिवीजन क्लर्क	1
(4)	दफ्तरी	1

उप मंत्री

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या
(1)	स्टेनोग्राफर	1
(2)	लोअर डिवीजन क्लर्क	1
(3)	चपरासी	2

Modern Equipment for Heart Transplantation

4294. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri R.K. Sinha :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that our brilliant physicians are not able to make progress in heart-transplantation because of non-availability of modern equipments, and

(b) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) (a) and (b) There are six well equipped open cardiac surgery centres in the country, and the slow progress in heart transplantation work is not so much due to lack of equipment as to other factors like heavy load of other cardiac surgery, lack of donors and sentimental reasons . The ethics of heart transplantation is still a matter of controversy .

Uniform Sales-Tax in States

4295. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that different sales-tax structures are prevailing in different States;

(b) whether it is also a fact that the traders in various parts of the country have been demanding the imposition of sales-tax at the same stage;

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to bring about uniformity in the sales-tax structure; and

(d) whether Government would appoint a Sales-tax Appellate Tribunal, on the lines of Income-tax Appellate Tribunal, to dispose of cases in regard to Central Sales-tax ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai):(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. A number of representations have been received by Government for replacing sales-tax by excise duty.

(c) Absolute uniformity in respect of sales tax cannot be brought about by the Central Government as sales tax is a State subject of taxation under the Constitution. Efforts are, however, made through mutual discussions with States to bring about as much uniformity as possible . Recently four regional councils have been set up for the various zones with a view to bring about inter-regional co-ordination.

(d) Central sales tax, levied on inter-States sales, is complementary to levy of local sales tax by States . It is accordingly administered by sales tax authorities of the States in

the same manner as the local sales tax is administered by them. There are forums for hearing of appeals and revisions arising both under local and Central sales tax and no advantage is expected by making any change in this respect.

Unauthorised Medical Practitioners

4296. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many persons are pursuing the medical profession in an unauthorised manner in different parts of the country, particularly in villages;

(b) whether it is also a fact that the Delhi Administration propose to recognise such unauthorised professionals;

(c) if so, the reaction of Government thereto; and

(d) the action proposed to be taken by Government to prevent these quacks from playing with the gives of ignorant people ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B.S. Murthy) : (a) Yes.

(b) A member of the Metropolitan Council has introduced a bill to that effect

(c) The Delhi Administration has been advised to defer action in the matter

(d) The question is under consideration of the Government of India.

Government of India Press, Aligarh

4297. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the printing machines installed in the Government of India Press, Aligarh are not being utilized to their full capacity;

(b) whether it is also a fact that inspite of so much capacity, the printing work is entrusted to the private printers and if so, the value of the work so entrusted per annum;

(c) whether it is also a fact that the labour leaders of the Aligarh Press have been approaching Government for the last many years that in addition to other works, book printing work should also be entrusted to the Aligarh Press ; and

(d) if so, the steps Government propose to take in this regard keeping in view the unutilized capacity of the machines ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) No. However, one composing machine (Mono type keyboard) is not fully utilized at present.

Only such jobs as are beyond the capacity of the Government of India Presses, or for which they do not possess the necessary equipment, are farmed out to private printers. The value of the work farmed out to private printers during the years 1963 to 1967 is indicated below :--

1963-64	. . .	Rs.43.67 lakhs
1964-65	. . .	Rs.30.49 lakhs
1965-66	. . .	Rs.19.99 lakhs
1966-67	. . .	Rs.10.90 lakhs

(c) and (d). A suggestion was received in October, 1966. This could not be accepted as the Government of India Press, Aligarh, is essentially designed as a Forms Press.

For the full utilisation of the composing machine (Mono type keyboard), more work of forms printing is being entrusted to that Press.

Paper suppliers in Government of India Presses

4298. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of Works Housig and Supply be pleased to state :

(a) the number of paper-suppliers in each of the presses of the Government of India and the minimum educational qualifications prescribed for their appointment;

(b) whether it is a fact that some years back the paper-suppliers were in non-industrial group, but now they have been included in the industrial group;

(c) the nature of their duties and the number of those paper-suppliers who have passed High School Examination;

(d) whether it is also a fact that Government have framed rules for the promotion of the employees of various categories but no mention has been made therein about the promotion of paper-suppliers; and

(e) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government in regard to their promotions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Work, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) to (e) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Counters in Government of India Presses

4299. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Counters are also appointed in the Non-Industrial Departments of all the Government of India Presses and if so, their number in each Press and the rules regarding their promotions;

(b) whether it is also a fact that their work is just like the work of a Clerk but their basic pay starts from Rs. 75, whereas the basic pay of a clerk starts from Rs. 110; and

(c) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government in regard to their promotions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) There are a few posts of Counters borne on the non-industrial establishment of the Government of India presses at Aligarh and K. S. Roy Road, Calcutta. Their number as on 31st October, 1967 was fifteen in the Aligarh Press and one in the Calcutta Press. These are Class IV posts and the incumbents, who are educationally qualified for Class III posts, are eligible for appointment to such posts in accordance with the general orders in this behalf. The rest are not eligible for appointment to Class III posts.

(b) The duties of Counters are not comparable to those of Lower Division Clerks.

(c) Does not arise.

Promotion in Government of India Presses

4300. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of such employees in all the Government of India Presses as have completed more than 10 years of service;

(b) whether it is a fact that only those employees who have passed 8th class and are not above the age of 25 years would be considered for promotion;

(c) whether it is also a fact that senior employees would not be able to get any promotion as a result of this restriction and that a request has been made to remove this restriction, but no action has been taken thereon so far;

(d) whether a request has also been made that at least those employees should be exempted from the application of such rules who were appointed prior to enforcement of this rule; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The information is not readily available and would have to be collected from the various Presses. Since there are 13 units and each unit contains over 130 grades, the labour involved in collecting the information will not be commensurate with its utility.

(b) No age limit has been prescribed for promotion to any of the grades. The educational qualification (8th class of a recognised school) has been prescribed for promotion to the following posts:-

(i) Mechanic (Mechanical)
(ii) Offset Machineman Grade I
(iii) Workshop Machineman (Mechanic)
(iv) Attendant

(c) Only such employees as do not possess the requisite qualifications, will not be eligible for promotion to the posts mentioned in part (b).

No representations have been received for the relaxation of educational qualifications for promotion posts.

(d) and (e) Do not arise.

Rates of Electricity from Rihand Power Project

4301. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the rate at which the electricity is being supplied to farmers for irrigation and lighting purposes from the Rihand Power Project in U. P. and the rate at which power is being supplied to the Birlas' Aluminium Factory ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): The rates fixed by the U. P. State Electricity Board for supply of electricity to farmers for irrigation and domestic lighting and to the Hindustan Aluminium Co. are as under:-

Category of Consumers	Rate for supply of electricity
1. Irrigation purposes	Fixed charge Rs. 96 per BHP per year plus Energy charge 12 paise/kwh for AC supply and 13 paise/kwh for DC supply.

Private pumping load upto 10 HP allowed concession of 2 paise/kWh.

(The above rates are subject to a rebate of 2 paise/kWh for timely payment).

2. Domestic Lighting

(i) For Allahabad, Lucknow & Kanpur.	)	AC Supply 27 paise/kWh
	)	DC Supply 30 paise/kWh
(ii) At places other than Allahabad, Lucknow and Kanpur.	)	AC Supply 38 paise kWh
	)	DC Supply 41 paise kWh
	)	

(The above rates are subject to a rebate of 3 paise/kWh for timely payment).

3. Hindustan Aluminium Co. Ltd.

(i) For initial maximum demand of 55 MW at 90% load factor — 1.997717 paise/kWh

(ii) For additional maximum demand of 45 MW–3.506 paise/kWh

Supply of Water to Naugarh Taluka, Chakigh Sub-Division U. P.

4302. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any scheme to supply water for irrigation and drinking purposes in Naugarh Taluka of Chakigh Sub-division of Uttar Pradesh in the year 1968-69 is under consideration of Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry fo Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a)to(c) A proposal to supply drinking water to 85 villages with a population of 25,000 at a cost of Rs. 40 lakhs, is under consideration of U. P. Government. The Scheme is expected to be taken up during the Fourth Plan period.

Lift Irrigation Scheme for Bhupali Village in Chandoli Sub-Division of U. P.

4303. Shri Nihal Singh ; Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to utilise the Ganga water for lift irrigation near Bhupali village in Chandoli Sub-division of Uttar Pradesh; and

(b) is so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Yes, Sir.

(b) The scheme envisages pumping 360 cusecs of water from the river Ganga near village Bhopauli under a static head of 66 ft. during the hot weather and 55 ft. during winter. Eight pumps of 60 cusecs capacity each will be mounted on floating barges.

Water thus pumped will be fed into Dhanapur Distributory through a half mile long feeder channel.

The project will provide irrigation to a culturable command area of 50,000 acres, with an annual irrigation of 60,000 acres at an estimated cost of Rs.106 lakhs.

Revision of Pay Scales of Government Hospital Drivers

4304. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6774 on the 8th April, 1968 and state :

(a) whether Government have since taken a decision with regard to the upward revision of pay scales of drivers of heavy vehicles of Government Hospitals in Delhi;

(b) if so, when the revised pay scales would become effective; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) There are two grades, viz., Rs. 110-180 for drivers of heavy vehicles and Rs. 110-139 for drivers of light and medium vehicles. The drivers of heavy vehicles in the Sofdarjang and Willingdon Hospitals have already been given the higher scale of pay of Rs. 110-180.

The question of grant of higher scale of pay of Rs. 110-180 to the Ambulance Drivers of these Hospitals has also been examined. Since an Ambulance is a light vehicle, it is not possible to grant the higher scale of pay, which is meant for heavy vehicle drivers.

Calculation of House-Rent and Dearness Allowance in Respect of Ex-Servicemen in Civil Service

4305. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the house-rent is charged from ex-Servicemen in civil employees, the allotment of quarters to them on the basis of their basic pay plus pension but Dearness Allowance is not granted to them on their total emoluments inclusive of their pension;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) Pension (other than wound and extraordinary pension) received by the re-employed ex-servicemen is taken into account for computation of emoluments for the purpose of determining their eligibility for a particular type of accommodation under the Allotment of Government Residence (Government Pool in Delhi) Rules, 1963 as also for the recovery of rent for Government accommodation under F. R. 45-A. Normally dearness allowance to a re-employed pensioner is calculated on pay plus pension. In the case of officers whose pay plus pension exceeeds the sanctioned maximum pay of the post, the dearness allowance is calculated on that maximum only. It is only in cases where a portion of pension has been ignored for the purpose of fixation of pay, the portion so ignored is not taken into account for the grant of dearness allowance also.

आवास योजनाएं

4306. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न आवास योजनाओं की धीमी प्रगति का एक मुख्य कारण यह है कि इन परियोजनाओं को केन्द्र तथा राज्यों दोनों ने ही निम्न प्राथमिकता दी है जिसके परिणामस्वरूप इन योजनाओं के लिये नियत धन राशि को व्ययगत होने दिया गया;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष में नियत धन राशि का कहां तक उपयोग किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिये कि भविष्य में इस संबंध में प्रगति धीमी न रहे, सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार का विचार एक ऐसा सूत्र लागू करने का है जिससे केन्द्रीय तथा राज्यों के वार्षिक परिव्ययों का 10 प्रतिशत भाग आवास के लिये नियत किया जायेगा और जिसे अन्य प्रयोजनों पर खर्च नहीं किया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं में आवास योजनाओं को निम्न प्राथमिकता दी गई है। और फिर, ये योजनाएं क्योंकि राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं, इन आयोजनाओं के निमित्त आवंटित राशि को राज्य सरकारों द्वारा पूर्णरूपेण उपयोग में नहीं लाया जाता।

(ख) उच्चतर प्राथमिकता योग्य अन्य विकास कार्यक्रमों के प्रतियोगात्मक दावे।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में, केन्द्रीय बजट में सामाजिक आवास योजना जिसमें गन्दी बस्ती सफाई योजना भी शामिल है, को क्रियान्वित करने के लिए 13.15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके विपरीत, वर्तमान सूचना के अनुसार, राज्य सरकारों ने अभी तक अपनी वार्षिक योजनाओं में केवल 9.87 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। निधियों के उपयोग की प्रगति केवल वित्तीय वर्ष के अन्त में ही मालूम होगी, जबकि राज्य सरकारों से व्यय सम्बन्धी विवरण प्राप्त होंगे। जब तक कि इन योजनाओं को पुनः "केन्द्रीय प्रवर्तित" वर्गीकृत नहीं किया जाता, तब तक केन्द्रीय सरकार के लिए आवंटित निधि का अधिकतम उपयोग कराने के लिए प्रभावपूर्ण कदम उठाना कठिन है। राज्य सरकारें इस प्रकार के पुनः वर्गीकरण के पक्ष में नहीं हैं।

(घ) जी नहीं। फिर भी, नवम्बर, 1967 में मद्रास में हुए आवास मन्त्रियों के सम्मेलन में इस उद्देश्य की सिफारिश राज्य सरकारों को की गई थी। उक्त सिफारिश उचित कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को सूचित कर दी गई है।

आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं तथा बाढ़ नियन्त्रण योजनाएं

4307. श्री को० सूर्यनारायण : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि मित्रा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं और बाढ़-नियन्त्रण योजनाओं की क्रियान्विति के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पश्चिम गोदावरी, पूर्व गोदावरी, किस्तना, गुन्टूर के तटवर्ती जिलों के किसानों से लगान के रूप में लगभग 30 करोड़ रुपये वसूल करने के लिये एक विधेयक पास किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा सुझाई गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दिये जाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जी, हां।

(ख) मित्रा समिति ने जिन परियोजनाओं की सिफारिश की थी उन्हें दो प्रक्रमों में कार्यान्वित करने का राज्य सरकार ने विचार किया है। मई, 1967 में राज्य सरकार ने प्रथम प्रक्रम के बारे में परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट दीं। इस प्रक्रम पर लगभग 10.6 करोड़ रुपये लागत आयेगी और उप्पूतेरू कुलाबे की क्षमता 15,000 कुसेक तक बढ़ाई जायेगी। थम्मिलेरू के पार बाढ़ रोक जलाशय बनाया जायेगा। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा तक नालियों में सुधार किया जायेगा; वेटापालम के निकट वर्तमान रामपेरूडरु सीधे कटाव को बढ़ाया जायेगा; और बिक्कावोल नाली को चौड़ा किया जायेगा।

अन्तिम दो योजनाओं को मंजूर करने की शक्ति राज्य सरकार को है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई थम्मिलेरू परियोजना में कुछ रूपभेद करने का सुझाव दिया गया है और संशोधित रूप में परियोजना की रिपोर्ट तथा प्राक्कलन व्यय की प्रतीक्षा है। उप्पूतेरू योजना तथा डेल्टा नाली सुधार योजना की केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) जब ये योजनाएं स्वीकृत हो जाएंगी तब ऋण रूप में उतनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी जितनी आयोजना आयोग द्वारा राज्य के लिए वार्षिक योजनाओं में बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के निमित्त व्यवस्था की गई है।

राज्यों द्वारा देय ऋणों की अदायगी का तरीका

4308. **श्री दामानी** : क्या वित्त मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 248 तथा 29 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1468 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों द्वारा देय केन्द्रीय सरकार के ऋणों की राशि को लौटाये जाने तथा तय न हुई एवं नियत से अधिक निकाली गई राशि को लौटाने के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच क्या तरीका तय हुआ है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : केन्द्रीय सरकार के ऋणों की मंजूरी देते समय जो शर्तें निर्धारित की जाती हैं उनके अनुसार ही राज्य सरकारें इन ऋणों को चुकता करती हैं। जिस प्रयोजन के लिए ऋण दिया जाता है उसे ध्यान में रखकर ही ये शर्तें निर्धारित की जाती हैं।

राज्य सरकारों से यह आशा नहीं की जाती कि वे रिजर्व बैंक से अनधिकृत रूप में ओवरड्राफ्ट करें। जब कोई राज्य सरकार इस प्रकार से कोई ओवरड्राफ्ट करती है तो रिजर्व बैंक उसे एक नोटिस जारी कर देता है जिसमें उस ओवरड्राफ्ट की रकम को तीन सप्ताह के

अन्दर लौटा देने का अनुरोध किया जाता है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित राज्य सरकार को ओवरड्राफ्ट की रकम लौटाने के लिए अपने संसाधन जुटाने होते है और/या अपने खर्चों में कटौती करनी होती है और/या केन्द्र सरकार से अस्थायी रूप में सहायता लेनी होती है।

औद्योगिक मन्दी

4309. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की औद्योगिक मंदी के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) वर्ष 1967 में किन-किन उद्योगों के उत्पादन, बिक्री तथा लाभ पर इस का सब से अधिक प्रभाव पड़ा है; और

(ग) राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास पर समूचे रूप में इसका क्या प्रभाव पड़ा हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियों सहित आर्थिक स्थिति की बराबर जांच की जाती है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1765/68**] है, जिसमें कुछ ऐसे उद्योगों की सूची दी गयी है जिनका उत्पादन 1967 में बहुत कम हो गया था। इस वर्ष की बिक्री और लाभ की पूरी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) औद्योगिक क्षेत्र ने, उस वर्ष राष्ट्रीय आय की वृद्धि करने में योगदान नहीं दिया। फिर भी कृषि-उत्पादन में बहुत वृद्धि होने से 1967–68 में राष्ट्रीय आय में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता

4310. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के विभिन्न तेलशोधक कारखानों की उत्पादन क्षमता तथा देश में, प्रादेशिक मांग को पूरा करने के उनके वचनों में इस समय असंतुलन है;

(ख) यदि हां, तो इन सभी तेलशोधक कारखानों के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले को युक्तियुक्त बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां, कुछ हद तक।

(ख) और (ग) प्रत्येक शोधनशाला का उत्पादन उसके निष्कासन तथा उपज-प्रतिरूप (yield pattern) पर निर्भर है और ये निरन्तर नहीं है। प्रदाय क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, किसी शोधनशाला के फालतू उत्पादों को अन्य प्रदाय क्षेत्रों में रेल या

सड़क से टैंकर द्वारा भेजा जाता है या उपज देश की आवश्यकता से फालतू हों, तो उनका निर्यात किया जाता है। इन फालतू उपजों में प्रतिमास, निष्कासन, वास्तविक मांग तथा उत्पाद उपलब्धि पर निर्भरता होने से, उत्पाद-वार, भिन्नता पाई जाती है। ज्योंहि मांग बढ़ती है और शोधनशाला का निष्कासन एवं उत्पादन बढ़त अधिक मांग की तुलना पाता है, क्षेत्र–परिवहन और निर्यातित फालतू समाप्त हो जायेंगे या बन्द हो जायेंगे।

Grants to Family Planning Institutions of Madhya Pradesh

4312. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the rules and regulations under which full or partial grants are being given to the Family Planning Organisations in Madhya Pradesh for doing their work ;

(b) whether Government exercise any control over these institutions through supervision or audit; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr.S. Chandrasekhar):(a) Grants-in-aid to Family Planning organisations in Madhya Pradesh are given by the Government of Madhya Pradesh in accordance with the rules framed by them for the purpose based on the model rules circulated by the Government of India.

(b)and(c) The accounts pertaining to the grants-in-aid are required to be audited by a Chartered Accountant or a Government Auditor and are always open to inspection by the State Government or the Govt. of India and also open to test-check by the Comptroller and Auditor General of India at his discretion.

Loans/Grants Given to Madhya Pradesh

4313. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount given by the Central Government as loan/grant to the Government of Madhya Pradesh for the plan and non-plan works during the last five years;

(b) the amount of ad-hoc loans, if any, given by Central Government during the said period;

(c) the purpose for which ad hoc loans were given; and

(d) the amount of interest paid by the Government of Madhya Pradesh on the aforesaid loans ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance, (Shri Morarji Desai)(a),(b)and(d): A statement is laid on the Table of the House.

(c) The ad-hoc loans were given to the State Government for the clearance/reduction of their overdrafts with the Reserve Bank of India.

Statement

(a) Central assistance to Madhya Pradesh on Plan and non-Plan account.

(Rs. In Crores)

	Grant	Loan	Total
1963-64 (Actuals)	14.65	57.77	72.42
1964-65 (Actuals)	18.86	57.50	76.36

1965-66 (Actuals)	19.52	69.75	89.27
1966-67 (Actuals)	19.19	76.90	96.09
1967-68 (Revised Estimates)	26.84	76 27	103.11

(b) **Ad-hoc loans given by the Centre to the Government of Madhya Pradesh:**

	(Rs. In Crores)
1963-64	—
1964-65	—
1965-66	6.00
1966-67	8.00
19 7-68	16 20

(d) **Payment of interest on Central loans by the Government of Madhya Pradesh**

	(Rs. In Crores)
1963-64 (Actuals)	10.64
1964-65 (Actuals)	8.39
1965-66 (Actuals)	11.14
1966-67 (Actuals)	13.35
1967-68 (Revised Estimates)	16.08

Allocation of Money to Madhya Pradesh for Irrigation and Electricity.

4314. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Madhya Pradesh have approached the Central Government to allocate more funds for providing irrigation facilities and electricity to the drought-stricken areas of Madhya Pradesh during the current year;

(b) if so, the amount asked for; and

(c) the amount proposed to be allocated by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) : No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

Central Assistance for Drought Relief to Madhya Pradesh

4315. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government had asked for any financial help from the Central Government for their drought relief operations during the last three years;

(b) if so, the amount of money given to the Madhya Pradesh Government during the period; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai)(a): Yes, Sir.

(b) An amount of Rs. 35.48 crores has been paid to the Government of Madhya Pradesh since 1965-66 including the current financial year, as Central assistance towards expenditure on various drought relief measures.

(c) Does not arise.

Inclusion of Sagar City in Urban Development Project.

4316. Shri Ram Singh Ayarwal : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Sagar city of Madhya Pradesh had been included in the Urban Development project;

(b) if so, whether the State Government have submitted their outlay report in this regard;

(c) if not, the reasons therfor; and

(d) when the work regarding this project is likely to be started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No.

(b), (c) and (d) Do not arise.

Social Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

4317. Shri Ram Singh Ayarwal : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rural people are not getting adequate advantage of social welfare work done by the Social Welfare Department;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government have drawn up any special scheme for the Social Welfare of backward classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the occasion of Gandhi Centenary Celebrations;

(d) if so, the percentage of people of these categories likely to be benefitted by the Scheme; and

(e) the percentage of amount to be spent on such programmes out of the total allocation for social welfare ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) and (e) Do not arise.

Percentage of Useful Products Extracted from Crude Oil

4318. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 51 on the 22nd July, 1968 and state :

(a) the reasons for the low percentage of the procurement of petroleum and other useful products extracted from the crude oil at Barauni refinery as compared to Gauhati

and Gujarat Refineries as also the reasons for burning more oil and for flaring more oil waste in Barauni Refinery in comparison with other refineries; and

(b) the percentage of the procurement of the useful products, refinery fuel and the oil-waste required for flaring, which was proposed to be achieved according to the Planning Commission's report on the subject and the shortfall there of and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah) : (a) The percentage of the recovery of petroleum and other useful products depends upon the processing schemes employed in each refinery and the quality of the crude processed. The fuel consumed in a refinery is not considered a waste, this is higher in the Barauni Refinery, which has more process units like the lube oil complex and the bitumen unit. Moreover, owing to the nature of the process units at Gauhati and Barauni, more gas is flared in these refineries as compared to the Gujarat refinery which has a simpler process scheme.

(b) This is not understood as there has been no report from the Planning Commission on this subject.

अस्पतालों में वात-शीतक लगाना

4319, श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त मोर्चा सरकार के मंत्रियों के राइटर्स बिल्डिंग्स, कलकत्ता में कमरों में लगे हुए वातशीतकों में से कितने वातशीतक अस्पतालों तथा आपरेशन के कमरों में लगाने के लिये गये हैं ;

(ख) उनमें से कितने वातशीतक वास्तव में अस्पतालों तथा आपरेशन के कमरों में लगाये गये है; और

(ग) ऐसे अस्पतालों के नाम क्या हैं तथा उन्हें किस-किस तारीख को लगाया गया ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के साथ भेदभाव

4320. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने 1966-67 सम्बन्धी अपने नवीनतम प्रतिवेदन में देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विरुद्ध भेदभाव जारी रहने के कई मामलों का उल्लेख किया है;

(ख) क्या आयुक्त ने स्थानीय अधिकारियों की 'अस्पृश्यता (निवारण) अधिनियम', 1955 के उपबन्ध लागू करने के लिये प्रभावी कार्यवाही न करने के लिये भी गम्भीर आलोचना की है ; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के उक्त प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर यदि सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुथ्याल राव): (क) से (ग) इस बारे में पूरी सूचना आयुक्त की सोलहवीं रिपोर्ट के अध्याय 10 में उपलब्ध है। यह रिपोर्ट पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी है। अलबत्ता, यह कहा जा सकता है कि रिपोर्ट में दिए गए लगभग सभी मामलों में आयुक्त ने स्वंय ही निदानात्मक कार्यवाही शुरू की थी।

हंगर फोर्ड इनवेस्टमैंण्ट कम्पनी का सरकारी परिसमापक

4321. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारत मूलक ब्रिटिश नागरिक तथा हंगर फोर्ड इनवेस्टमैंण्ट कम्पनी लिमिटेड के सरकारी परिसमापक श्री एन० एस० हून ने, अपने विदेशी खातों से भारतीय बैंकों में अपने खातों में पिछले तीन वर्षों में अपनी भारी होटल बिलों को चुकाने और मुकदमों के सम्बन्ध में हुए खर्च को पूरा करने के लिये कोई राशि भेजी है ?

(ख) पाउण्ड अथवा रुपयों में इस प्रकार कितनी राशि भेजी गई है ;

(ग) क्या भारतीय कम्पनियों के इस्टोक के लाभांशों से होने वाली उसकी आय इन कम्पनियों द्वारा रोक ली गयी है क्योंकि उसने कम्पनियों से बड़ी रकमों का ऋण ले रखा है; और

(घ) यदि विदेशी मुद्रा भारत में नहीं भेजी गयी है तो भारत में यह खर्च कौन उठा रहा है और क्या यह तरीका वैध है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) से (घ) : ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

केरल की इडमलयार योजना

4322. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में इडमलयार योजना को साध्य बना लिया है और कोई ठोस निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) एडामलयार पन-बिजली परियोजना का अभि विस्तृत अनुसंधान और परीक्षण हो रहा है और इसके कार्यान्वन के सम्बन्ध में अभी अन्तिम फैसला नहीं किया गया है।

संश्लिष्ट रबड़ के मूल्य

4323. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संश्लिष्ट रबड़ के दाम और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो कितना मूल्य बढ़ाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संश्लिष्ट रबड का उत्पादन

4324. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में देश में संश्लिष्ट रबड़ का कितना उत्पादन हुआ था ;

(ख) वर्ष 1968-69 में इसका कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ग) इस समय संश्लिष्ट रबड़ का निर्धारित मूल्य क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) 19,973 मीटरी टन :

(ख) 30,000 मीटरी टन, जो कि वार्षिक निर्धारित क्षमता है, यदि मांग उस सीमा तक पहुंच जाये ।

(ग) संश्लिष्ट रबड़ की सभी चार किस्मों के वर्तमान मूल्य, जोकि 1 अप्रैल, 1968 से लागू हैं, निम्न प्रकार हैं:—

	कारखाने पर पैकिटों का वास्तविक विक्रय मूल्य जिसमें सब प्रकार का विक्रय कमीशन शामिल हैं
	रुपये प्रति किलोग्राम
1. सिन्थैटिक रबड़ ग्रेडज 1500 और 1502	5.15
2. आयल एक्सटैंडिड सिन्थैटिक रबड़ ग्रेड 1712	4.65
3. सिन्थैटिक रबड़ ग्रेड 1958	6.80

सरकारी इमारतों आदि का क्षेत्र

4325. श्री स० चं० सामन्त : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में भारत सरकार ने कुल कितने क्षेत्र पर इमारतें क्वार्टर तथा अन्य ढांचे बनाये हुए हैं तथा उनका मूल्य कितना है ; और

(ख) कर आदि निकाल कर प्रति वर्ष कुल कितना किराया मिला है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) और (ख) : जहां तक इस मंत्रालय के नियंत्रण में आने वाले भवनों का सम्बन्ध है, सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिजली सप्लाई की भिन्न भिन्न दरें

4326. श्री स० चं० सामन्त : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली का स्रोत एक ही होने पर भी भिन्न-भिन्न स्थानों पर उपभोक्ताओं को भिन्न-भिन्न दरों पर बिजली दी जाने के क्या कारण है; और

(ख) औद्योगिक उपयोग के लिये दी जाने वाली बिजली की दरों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्नता होने तथा राजसहायता और छूट इत्यादि को निकाल कर उसकी दरों में प्रति यूनिट 10 पैसे से भी अधिक अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) चाहे बिजली का स्रोत एक ही हो पर फिर भी अलग-अलग स्थानों में उपभोक्ताओं से बिजली की भिन्न-भिन्न दरें लेने और उद्योगों को विभिन्न स्थानों में बिजली अलग-अलग दरों पर देने के कारण ये हैं कि जेनरेटिंग प्लांट की पूंजीगत लागत में, ट्रांसमिशन लाइनों की लागत तथा विस्तार में, मंजूरी में, परिवहन सुविधाओं में, स्थानीय करों में तथा बिजली विकास और ग्रिड के एकीकृत संचालन में भिन्नता है । लघु उद्योगों को बिजली सप्लाई की प्रशुल्क दरों के केवल कुछ अंश तक के लिए प्रति यूनिट 9 पैसे के हिसाब से राजसहायता दी जाती है, जिसका केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 का आधार है । प्रशुल्क का शेष भाग, जो उपभोक्ता द्वारा अदा करना होता है, अलग-अलग राज्यों में उपर्युक्त बातों के आधार पर निर्धारित प्रशुल्क दरों पर निर्भर करता है ।

गोयाका बन्धुओं को जीवन बीमा निगम द्वारा अंशों की बिक्री

4327. श्री यशपाल सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोयाका बन्धुओं को जीवन बीमा निगम द्वारा बेचे गये अंशों की बिक्री की जांच कराने का आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अलग से कोई पूछताछ नहीं करवाई गई है, लेकिन जीवन बीमा निगम द्वारा अप्रैल–मई, 1968 में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के कुछ शेयरों की बिक्री से सम्बन्धित मामले की स्वयं सरकार ने ही जांच की है।

(ख) जीवन बीमा निगम के पास उस कम्पनी के जितने शेयर थे उसने उसमें से थोड़े से शेयर बेच दिये क्योंकि निगम को लगा कि उस समय विद्यमान मूल्यों पर उक्त प्रकार की शेयर-बिक्री पालिसी-धारकों के लिये लाभदायक होगी।

Spraying of Insecticides in North and South Avenue, New Delhi.

4328. Shri Sheopujan Shastri : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that mosquitoes, cockroaches and grass-sehoppers have appeared in the flats and in servant quarters of North and South Avenue and no steps have been taken so far to destroy them;

(b) whether it is also a fact that when some Members of Parliament or an allottee of a servant quarter calls for the Insecticide spraying staff from the New Delhi Municipal Committee, he is charged some amount for rendering the said service; and

(c) if so, the reasons for not spraying the insecticides without any charges in the Capital and the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No such report has been received by the New Delhi Municipal Committee from the residents of the area.

(b) Yes.

(c) There are no charges for insecticide spray done on public health grounds. However, the charges as approved by the Committee are charged when spray is done on the request of residents inside the premises occupied by them.

Allotment of Type–II Quarters to Daftries

4329. Shri Sheopujan Shastri : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Daftry type quarters and type II—two roomed quarters are allotted to Class IV employees, namely peons, daftries, jamadars, sweepers, farashes etc;

(b) if so, whether Government propose to draw up a scheme to allot aforesaid quarters to daftries, jamadars and record-sorters on the basis of priority or to the persons who have rendered more than 15 years of service; and

(c) if not, whether Government propose to reserve the quota of the new two-roomed quarters for allotment to the aforesaid categories of staff Daftries and Jamadars ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c) Daftry type-two roomed quarters form part of Type I accommodation. Type I quarters are allotted to Government employees drawing emoluments below Rs. 110/- per month. Type II quarters are allotted to employees drawing emoluments between Rs. 110/- and Rs. 250/- per month. Allotment of residences is made on the basis of priority

dates of eligible employees according to their entitlement and no reservation of two-roomed quarters is made for any category of employees. There is also no proposal under consideration to accord priority to officers who have rendered more than 15 years of service. The officer whose date of priority is earlier, gets preference in the matter of allotment of general pool accommodation.

Allotment of Quarters to Govt. Servants Near the Place of Duty

4330. **Shri Sheopujan Shastri :** Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether Government have adopted a policy to the effect that the employees should be allotted quarters near their offices;

(b) if so, the number of offices shifted to Ramakrishnapuram so far and the number of employees who have not so far been allotted quarters there; and

(c) whether Government have conducted a survey to ascertain the number of employees who live at a distance of five miles or more from their offices and the effect on their health by walking or cycling this distance daily ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) No general poliey has been adopted as such. However, in respect of such Goverment servants whose place of duty is either at R. K. Puram or beyond the Red Fort towards the Old Secretariat (Timarpur), option already exists for getting residential accommodation in close proximity to the places of duty.

(b) The number of offices shifted to R. K. Puram is 25. 1,208 officers employed in these offices have been provided general pool residences near the place of duty. No statistical data is maintained by the Directorate of Estates in respect of employees whose places of duty are in R. K. Puram and who have not so far been allotted quarters there.

(c) No. In a growing city like Delhi it is not possible to provide residential accommodation close to the place of work. However, after initial allotment, option for transfer of accommodation in the same type is provided with a view to shift to the more convenient area.

Quarters for Employees of Rajya-Sabha & Lok Sabha Secretariats

4331. **Shri Sheopujan Shastri :** Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether Government propose to allot quarters to the employees of Rajya-Sabha and Lok Sabha Secretariats near Parliament House, as is done in the case of the staff of Rashtrapati Bhavan, Supreme Court and Posts and Telegraphs Department: and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) and (b) No. This is not a practical proposition as general pool accommodation is often located at some distance away from the places of duty. Where this arrangement is possible, as in case of R. K. Puram, or in the area between Red Fort and the Old Secretariat, option already exists for getting residential accommodation in close proximity to the place of work. The officers and staff of Rajya-Sabha and Lok Sabha Secretariats are eligible for allotment of general pool accommodation in the same manner as other Government servants working in other eligible offices. The allotment from the general pool is made

as the houses become available for allotment to eligible employees in their turn. Rashtrapati Bhavan, Supreme-Court and P & T Department have small departmental pools to cater to the essential staff in the vicinity of places of duty.

In a growing city like Delhi it is not possible to provide residential accommodation close to the place of work. After the initial allotment, option for transfer of accommodation in the same type is provided with a view to shifting to a more convenient area.

हवाई अड्डों पर तैनात सीमा-शुल्क कर्मचारी (एयर कस्टम्स पूल)

4332. **श्री नायनार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हवाई अड्डों पर तैनात सीमा-शुल्क कर्मचारी अपनी सेवा की शर्तों से और विशेष रूप से प्रतिकर भत्ते और अन्य उपकरण भत्ते के भुगतान और छुट्टियों के बारे में असंतुष्ट हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हवाई अड्डों पर तैनात सीमा-शुल्क कर्मचारियों से कुछ निवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें साप्ताहिक छुट्टियों के मामले में कुछ रियायतों, प्रतिपूर्ति तथा अन्य उपकरण भत्तों आदि की दरों में वृद्धि की मांग की गई है।

(ख) कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिये, सीमा-शुल्क अध्ययन दल ने हाल ही में कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

मकान बनाने के लिये ऋण

4333. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूल योजना के अनुसार सात लाख पचास हजार मकान बनाने के लक्ष्य को पूरा करने की दृष्टि से मकान बनाने के लिये ऋण देने सम्बन्धी स्टेट बैंक तथा अनुसूचित बैंकों के सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मकान बनाने के कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था करने के लिए लम्बी अवधि के ऋण देना वाणिज्यिक बैंकों के लिए उपयोगी नहीं होगा क्योंकि उनके पास जो रकमें जमा होती हैं वे थोड़ी अवधि के लिए होती हैं। इसलिए, वाणिज्यिक बैंकों से मकान बनाने के लिए ऋण देने की अपेक्षा करना उचित न होगा।

गृह-निर्माण योजनाएं

4334. **श्री लोबो प्रभु :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन और अमरीका में मकानों के निर्माण आदि के लिये दी जा रही राजकीय सहायता और ऋण की योजनाओं का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में मकानों का निर्माण करने के लिये वैसी ही योजनाओं को अपनाने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) हाल में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया। फिर भी, विभिन्न देशों के आवास कार्य के वित्तीय सहायता के तरीकों तथा तत्सम्बन्धित कार्यवाहियों पर समय-समय पर विचार किया जाता है ताकि जहां तक सम्भव हो उन्हें इस देश में अपनाया जा सके।

गैर-सरकारी क्षेत्र की उर्वरक परियोजनाओं की प्रगति

4335. **श्री अदिचन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की उर्वरक परियोजनाओं में प्रगति बहुत धीमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक परियोजना निर्धारित कार्यक्रम से कितनी पीछे है;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की कुछ उर्वरक परियोजनाओं की स्थिति अनिश्चित है; और

(घ) यदि हां, तो उसके नाम क्या हैं तथा क्या सरकार का विचार उन्हें अपने अधिकार में लेकर सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें बनाने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) गैर-सरकारी क्षेत्रों में स्थापना के लिये अनुमोदित कुछ उर्वरक परियोजनाओं में प्रगति धीमी हुई है। पांच परियोजनाएं, अर्थात गोआ, मंगलौर, शेवा नहोवा, मिर्जापुर और विशाखापतनम विस्तार, कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहे हैं। गोआ, मंगलौर और शेवा नहोवा की परियोजनाओं के 1970-71 तक पूरा हो जाने की आशा थी। वे निर्धारित कार्यक्रम के 12 से 18 महीने पीछे हैं। मिर्जापुर और विशाखापत्तनम विस्तार के मुकम्मल हो जाने की संभावनाएं अभी अनिश्चित हैं।

(ग) और (घ) दो पार्टियों ने हल्दिया और गाजियाबाद में उर्वरक कारखाने स्थापित करने के अपने प्रस्ताव वापिस ले लिये हैं, और सरकार ने भारतीय उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए एक संभाव्य रिपोर्ट बनाने के लिये कहा है।

लाटरियों तथा घुड़दौड़ों पर कर

4336. **श्री अदिचन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाटरियों तथा घुड़दौड़ आदि से आय पर कोई आय-कर, उपहार-कर अथवा अन्य कर नहीं लगाये जाते;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी आय-कर पर समुचित कर लगाने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) लाटरी तथा घुड़दौड़ों से प्राप्त होने वाली आय के सम्बन्ध में, आयकर अधिनियम में किसी विशिष्ट छूट की व्यवस्था नहीं है। इसलिये किसी विशिष्ट मामले में लाटरियों तथा घुड़दौड़ों से होने वाली प्राप्तियां आयकर लगने योग्य है अथवा नहीं, यह प्रश्न उक्त मामले से सम्बन्धित तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर होगा। यदि प्राप्तियों का स्वरूप आय, लाभ अथवा लब्धियों जैसा है तो उन पर आय कर लगेगा। यदि प्राप्तियां आकस्मिक अथवा अनावर्ती प्रकार की हुई, तथा–

(i) पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगने योग्य नहीं है।

(ii) व्यापार से अथवा व्यवसाय और धंधे की प्रक्रियाओं से उद्भूत नहीं है, अथवा

(iii) कर्मचारी को दिये जाने वाले अतिरिक्त परिश्रमिक के रूप में नहीं है;

तो वे आयकर अधिनियम 1922/1961 की धारा 4(3)(vii)/10(3) के अधीन आयकर से मुक्त हैं।

दान-कर दानकर्त्ता पर लगाया जाता है न कि दान पाने वाले पर। लाटरियों में इनाम जीतने वालों को दी जाने वाली रकमों को तथा घुड़दौड़ों में बाजी जीतने वाले लोगों में बांटी जाने वाली रकमों को दान नहीं माना जा सकता और इसीलिये लाटरियों तथा घुड़दौड़ों के आयोजकों पर दान-कर नहीं लगाया जा सकता।

(ख) तथा (ग) ये सवाल नहीं उठते।

जयपुर और भुवनेश्वर स्थित महालेखापाल के कार्यालयों के कर्मचारियों के लिये सरकारी क्वार्टर

4337. **श्री घुलेश्वर मीना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर और भुवनेश्वर में महालेखापालों के कार्यालयों के कितने कर्मचारियों को अलग-अलग अब तक सरकारी क्वार्टर दिये गये हैं;

(ख) उन कार्यालयों के कितने कर्मचारियों को अभी तक क्वार्टर नहीं दिये गये हैं; और

(ग) उन्हें निकट भविष्य में समुचित रिहायशी क्वार्टर देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है, और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये राजस्थान और उड़ीसा को अनुदान देना

4338. **श्री धुलेश्वर मीना :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और उड़ीसा सरकार को "चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण" के अन्तर्गत केन्द्र आयोजित योजनाओं के लिये 1967–68 में पृथक्-पृथक् कुल कितना धन दिया गया; और

(ख) उन राज्यों ने उपयुक्त अवधि में उस धन का कैसे प्रयोग किया ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) "चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण" शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्र पुरस्कृत योजनाओं के लिए राजस्थान और उड़ीसा की सरकारों को 1967–68 में सहाय्यानुदान के रूप में निम्नलिखित धन राशि मंजूर की गई :

राजस्थान	—	5.75 लाख रुपये
उड़ीसा	—	3.00 लाख रुपये

(ख) राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सहायता एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर में स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना के लिए तथा राज्य के दूसरे मेडिकल कालेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाने के लिए दी गई थी। उड़ीसा सरकार को सहायता एस० सी० वी० मेडिकल कालेज, कटक में स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना करने के लिए दी गई थी।

बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

4339. **श्री धुलेश्वर मीना :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 में बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिये उड़ीसा सरकार को कितनी तथा किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ख) किन-किन योजनाओं के लिए सहायता दी गई ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उड़ीसा सरकार को बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी उसके कार्यक्रम के लिए 1967–68 में 45.00 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में मंजूर किये गये थे।

(ख) केन्द्रीय सहायता वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किये गये बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास के कामों के लिए मिलाकर दी जाती है जिसमें अनेक योजनाएं शामिल रहती हैं जैसे कि बंध बनाना, जलमग्न गांवों के धरातल को ऊंचा करना, कस्बों की सुरक्षा, नदी को काबू में लाने के लिए निर्माण कार्य आदि और यह सहायता किसी विशिष्ट योजना के लिए नहीं दी जाती है।

अट्टापड़ी घाटी का सर्वेक्षण

4340. श्री नायनार : क्या समाज कल्याण मंत्री 14 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4211 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जातीय लोगों के कल्याण के लिए एक योजना बनाने के लिए केरल राज्य के पालघाट जिले में अट्टापड़ी घाटी के सर्वेक्षण के बारे में सरकार को जानकारी प्राप्त हो गई है; और

(ख) क्या सर्वेक्षण का खर्च अट्टापडी घाटी विकास निधि से किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुख्याल राव) : (क) और (ख) राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार अट्टापडी घाटी में अनुसूचित आदिम जातियों की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में अधिकारों का अभिलेख तैयार करने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है । इस सर्वेक्षण का उद्देश्य अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना नहीं है । इस सर्वेक्षण का खर्च अट्टापडी घाटी विकास निधियों में से नहीं किया जा रहा है ।

श्री कान्ति देसाई और श्रीमती पद्मा देसाई द्वारा दिया गया आयकर और धन-कर सम्बन्धी विवरण

4341. श्री रवि राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री कान्ति देसाई और श्रीमती पद्मा देसाई द्वारा पिछले पांच वर्षों में अपने बच्चों के संरक्षकों के रूप में, व्यक्तिगत रूप से, तथा संयुक्त रूप से दिये गये आयकर तथा धन कर के विवरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के लिए हिन्दू अविवक्त परिवार के कर्त्ता के रूप में श्री कान्ति देसाई द्वारा दिये गये आय कर तथा धन-कर के विवरणों का ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन

4342. श्री इसहाक साम्भली : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन स्थित इण्डिया सप्लाई मिशन के महानिदेशक तथा उप महानिदेशक की कोई कार्यावधि निश्चित की गई है;

(ख) यदि हां, तो कार्यावधि कितनी है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से एक अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाया गया है अथवा बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां तो उसके क्या कारण है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन के इन पदों की सामान्य कार्यावधि तीन वर्ष है ।

(ग) और (घ) एक अधिकारी अर्थात उप-महानिदेशक की सामान्य कार्यावधि, जो 15 अक्तूबर, 1967 को समाप्त होने को थी, सरकारी सेवा की अनिवार्यता और करुणामूलक आधार पर, 31 दिसम्बर, 1968 तक बढ़ा दी गई ।

गुजरात तेल शोधन कारखाने में अशोधित पैट्रोलियम कोक का उत्पादन

4343. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान तथा धातु विभाग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि देश में एल्यूमीनियम, कैलसियम, कारवाइड, इस्पात तथा फ्रैरो-मैंगनीज उद्योगों के विकास के साथ भस्मीकृत (कैलसाइन्ड) पैट्रोलियम कोक की कीमत में वृद्धि को देखते हुए गुजरात तेल शोधन कारखाने में अशोधित पैट्रोलियम कोक का उत्पादन किया जाये;

(ख) क्या इस दल ने यह सिफारिश भी की है कि गोहाटी स्थित कारखाने के अतिरिक्त अशोधित पैट्रोलियम कोक को जलाने के लिए और कारखानों को भी लाइसेंस दिये जायें; और

(ग) यदि हां, तो क्या गुजरात तेल शोधन कारखाने के निकट गुजरात में इस प्रकार के भस्मीकरण कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है तथा उसमें कितनी भस्मीकरण क्षमता रखने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं, इस समय नहीं ।

पैट्रो-रसायनिक उद्योगों का विकास

4344. श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न तेल शोधक कारखानों की स्थापना के समय पैट्रो-रसायनिक उद्योगों के विकास में सरकार द्वारा समेकित आयोजन न करने के कारण, देश में, स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से बड़ी मात्रा में पैट्रो-रसायनिक उत्पादों का आयात किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार भविष्य में तेल शोधक कारखानों को लगाते समय पैट्रो-रसायनिक उद्योगों का विकास करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) यद्यपि उक्त अवधि में कुछ पैट्रो-रसायन उत्पादों का आयात किया गया था ; तथापि विकास की स्थिति और देश में सम्बद्ध कच्चे माल की प्राप्ति को विचार में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आयात परिहार्य अत्यधिक थे। नेफ्था बहुत महत्वपूर्ण कच्चा माल है और किसी शोधन शाला के पास पैट्रो-रसायन उद्योगों के विकास के बारे में केवल तभी विचार किया जा सकता है जब लम्बे अर्से के लिए नेफ्था की अपेक्षित मात्रा में प्राप्ति का निश्चय हो। पहले पी० ओ० एल० (पैट्रोलियम, तेल और लुब्रीकैण्टस) की मांग को मुख्यतया पूरा करने के लिए शोधनशालाओं का आयोजन किया जाता था और पी० ओ० एल० पदार्थों के लिए मांग स्थिर होने पर ही प्रभावकारी फालतू नेफ्था का पता लगाया जा सकता था और पैट्रो-रसायन उद्योगों के लिए फालतू नेफ्था इस्तेमाल के बारे में योजनाएं बनाई जा सकती थी। अब नई शोधनशालाओं के साथ साथ पैट्रो-रसायन उद्योगों के विकास की सम्भाव्यता को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी विनियोजन

4345. श्री गार्डलिगन गौड : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति जानसन द्वारा पूंजी निकासी और विदेश यात्रा पर लगाये गये प्रति बन्धों से हमारे देश में होने वाले अमरीकी विनियोजन पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का किस प्रकार सामना करने का सरकार का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इन प्रतिबन्धों से भारत सहित विकासशील देशों में गैर-सरकारी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश की गति धीमी होने की सम्भावना नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

4346. श्री यशपाल सिंह : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में निम्न आय वाले सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में सार्वजनिक टेलीफोन लगवाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब निर्णय किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न आवास योजनाओं के लिये धन का आवंटन

4347. **श्री डी० डी० जेना :**
श्री महेन्द्रमाझी :
श्री गु० च० नायक :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए धन का नियतन करने से सम्बन्धित मूल सिद्धान्त क्या है ;

(ख) मध्य तथा निम्न आय वर्गों के लोगों के लिए गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की अवधियों में प्रत्येक राज्य को ऋण तथा सहायता के रूप में कितनी कितनी राशि दी गई है ;

(ग) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के लिये अलग-अलग कितनी कितनी राशि नियत की गई है ; और

(घ) क्या सम्बन्धित राज्यों को दी गई राशियों को उन राज्यों ने विशिष्ट अवधियों में खर्च किया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति उप मन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) आवास के लिये नियतीकरण का निर्णय करने के लिए जिन तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है वे हैं जन-संख्या, पहले ही से हो चुके विकास की सीमा पिछला कार्य, कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की क्षमता, तथा निधियों की राशि भी जो कि योजना सीमा के अन्तर्गत अपनी वार्षिक योजना में राज्य आवास के लिए दे सकते हैं ।

(ख), (ग) तथा (घ) दोनों निम्न तथा मध्य आय वर्ग आवास योजनायें मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र के लिए हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत ऋण सहायता उपलब्ध है । मध्य आय वर्ग आवास योजना को पूर्ण रूप से भारत के जीवन बीमा निगम के द्वारा ऋण मिलता है । निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत, जीवन बीमा निगम तथा योजना निधियों, दोनों का उपयोग किया जाता है । नियत की गयी सहायता तथा निम्न एवं मध्य आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को नियत की गयी सहायता तथा उनके द्वारा किये गये उपयोग का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1766/68]**

विदेशी सहायता

4348. **श्री गु० नायक :** **श्री डी० डी० जेना :**
श्री महेन्द्रमाझी : **डा० रानेन सेन :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1950-51 से अब तक किन किन देशों से (1) ऋण (2) अनुदान (3) सहायता (नकद या अन्य रुप में) प्राप्त की :

(ख) प्रत्येक देश से ऋण की राशि कितनी है और उस पर ब्याज कितने प्रतिशत है, उस पर यदि कोई शर्त है तो वह क्या है और इन ऋणों, सहायता अथवा अनुदानों का ब्यौरा क्या है और क्या वे विशेष उद्देश्यों के लिये थे तथा अब तक मूल का और ब्याज के रूप में अलग अलग कितनी राशि का भुगतान किया गया है ; और

(ग) भविष्य में इनका वापस भुगतान करने के लिये क्या समय-सूची बनाई गई है ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) दो विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत हैं, [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1767/68**] जिनमें से एक में 1950-51 से 1967-68 तक भारत सरकार द्वारा लिये गये ऋणों की रकमें और मूल धन तथा ब्याज के रूप में चुकायी गयी रकमें तथा दूसरे में 1950-51 से लेकर 1967-68 तक भारत सरकार को मिले अनुदानों की रकमें देशवार दिखायी गयी हैं ।

सम्बद्ध देशों/प्राधिकरणों को देय ब्याज की दरें अलग अलग स्रोतों और कुछ मामलों में अलग अलग ऋणों के सम्बन्ध में अलग अलग होती हैं । ये दरें शुन्य प्रतिशत से लेकर $6\frac{3}{4}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष तक होती हैं ।

प्रत्येक ऋण और स्रोत के सम्बन्ध में ऋणों और अनुदानों की शर्तें और उनके प्रयोजन अलग अलग होते हैं और उनका ब्यौरा सम्बद्ध करारों में, जिनकी प्रतियां लोक सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, दिया गया है । मोट तौर पर ये ऋण आयोजनाओं और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए कृषि, सिंचाई, बिजली, परिवहन, संचार और उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास में सहायता करने के उद्देश्य से लिये गये हैं ।

(ग) ऋणों की वापसियां अलग अलग ऋणों के करारनामों में दिये गये ऋण परिशोधन कार्यक्रमों के अनुसार की जाती हैं । आखिरी वापसियां सन 2018 में देय होगी ।

Import of Lead and Type for Government of India Presses

4349. Shri T. P. Shah :
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the quantity of lead and type imported by the Government of India Presses at Faridabad and Delhi from each country, separately, during the last 5 years and the total value of the articles purchased ;

(b) the existing stock of lead with the two presses ;

(c) whether any cases of theft of large quantities of lead from these Presses have come to the notice of Government ; and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (d) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Oil Exploration in Canning Port

4350. **Shri Onkar Singh :**
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the date on which the work of oil exploration near Canning Port in West Bengal was started with the assistance of Russian experts ;

(b) the depth upto which digging work has been done so far ; and

(c) the expenditure incurred on the exploration work so far ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Department of Social Welfare (Shri K. RaghuRamaiah) : (a) The well at Port Canning was spudded on the 18th August, 1966.

(b) The depth of the well as on 5th August, 1968 was 4197 metres.

(c) Approximately Rs. 1.56 crores.

Assessment of Income-Tax Payable By Mewar Metal Industries, Ujjain

4351. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Income-tax assessed on M/s Zalamchand Mangi Lal Mewarwala of Mewar Metal Industries in District Ujjain, Madhya Pradesh since 1963 till date, year-wise ;

(b) the amount of Income-tax realised by Government from this firm during the said period ; and

(c) the arrears of Income-tax still outstanding and the steps proposed to be taken by Government to recover these arrears ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

M/s. Jay Engineering Works

4352. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6624 on the 8th April, 1968 and state :

(a) whether the information in regard to Income-tax arrears pertaining to last ten years and its realisation from M/s. Jay Engineering Works, Calcutta has since been collected ;

(b) if so, the details in this regard ; and

(c) if not, when the information is likely to be laid on the Table ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a)to(c) The information asked for in Unstarred Question No. 6624 in respect of nine years is given in the Statement. The information for the year ending 31st March, 1968, is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is received from the Commissioner of Income-tax.

Arrears as on 31st March	Statement Arrears outstanding.	Steps taken to recover the arrears.
1959	Nil	–
1960	-do-	–
1961	-do-	–
1962	-do-	–
1963	-do-	–
1964	-do-	–
1965	-do-	–
1966	Rs. 485674	Stayed by High Court.
1967	–	–

Messrs Kirloskar Oil Engines Ltd. Poona

4353. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9583 on the 6th May, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the amount of foreign exchange granted to Messrs Kirloskar Oil Engines Limited, Poona during the last five years, has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the further time likely to be taken in collecting the aforesaid information ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) It is not possible to estimate the exact lime that would be taken as the information covers a period of five years and has to be collected from several departments of the Governments. All steps are being taken to collect it as soon as possible.

Indian Tubes Company, Ltd., Calcutta

4354. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Income-tax assessed on M/s Indian Tubes Company Limited, Calcutta during the year 1967-68 ; and

(b) the amount of Income-tax paid by the said Company during the above period and the amount yet to be recovered ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No assessment was made during the financial year 1967-68.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Vitamin 'C' Factory in Poona

4355. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Government have received any proposal from a Private Company for permitting it to set up a Vitamin 'C' factory in Poona ; and

(b) if so, the action being taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Department of Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah) : (a) No.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति

4356. श्री म० ला० सोंधी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इन्जीनियर्स संस्था तदर्थ पदोन्नतियों के विरुद्ध आन्दोलन कर रही है और सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भविष्य में पदोन्नतियां केवल एक नियमित विभागीय पदोन्नति समिति गठित करके की जायेंगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन आश्वासनों के बावजूद सहायक इंजीनियरों के पद से कार्यकारी इंजीनियरों के पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति गठित किये बिना पुनः पदोन्नति की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो नियमित विभागीय पदोन्नति समिति का गठन न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इन्जीनियरों की एसोसियेशन यह अभ्यावेदन करती रही है कि तदर्थ आधार पर पदोन्नति नहीं की जानी चाहिए बल्कि केवल विभागीय पदोन्नति समितियों के द्वारा तैयार की गयी चयन सूचियों में से की जानी चाहिये । एसोसियेशन को यह सूचित कर दिया गया है कि जब कभी अधिकारियों की पदोन्नति के लिये सूची तैयार करने की आवश्यकता होगी तब विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें की जायेगी । तथापि, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि पदोन्नति केवल विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा तैयार की गयी चयन सूची में से ही की जायेगी ।

(ख) सहायक इन्जीनियर (सिविल) से एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर (सिविल) के ग्रेड में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने का प्रश्न फरवरी, 1968 से संघ लोक सेवा आयोग के साथ पहले ही से पत्राचाराधीन है । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र बुलाने में कतिपय कठिनाईयां पैदा हो गयी हैं । यदि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने में बहुत अधिक देर हुई तो सरकार को सहायक इन्जीनियर (सिविल) के पद में से एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर (सिविल) के पद में पूर्णतः तदर्थ पदोन्नति करनी होगी, ताकि सरकारी कार्य को हानि न हो । तथापि, इस प्रकार पदोन्नति हुए व्यक्तियों को यदि उनका नाम विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा तैयार की गयी चयन सूची में नहीं आया तो उनका परावर्तन संभव होगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Servant Quarters attached To M. Ps. Flats

4357. **Shri Sheopujan Shastri :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the servants quarters in the residences of Members of Parliament are not being maintained properly ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that the areas around these servants quarters are very dirty and heaps of debris are being accumulated there ;

(d) whether it is also a fact that the electric bulbs and fans are not provided by the C. P. W. D. in these quarters and, if so, the reasons therefor ;

(e) whether Government have taken any decision regarding provision of electric fans in these quarters, and if not the reasons therefor ; and

(f) the number of complaints received by Governments during the last three years in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Honsing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The areas around the servants quarters are not always very clean. This is because of accumulation of garbage from time to time.

(d) Bulbs and fans according to the scale laid down are being provided only in the main M. Ps. house.

(e) As the Joint Committee of Chairmen, House Committees of both the Houses of Parliament have not accepted the proposal, it is not possible for Government to proiv-ide fans in these quarters.

(f) A few complaints had been received but as no separate registers for the servants quarters are being maintained in the Enquiry Offices, it is not possible to indicate the number of complaints received during the last three years.

दिल्ली की वित्त कम्पनियां

4358. **श्री यशपाल सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में दिल्ली की कुछ वित्त कम्पनियों ने 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर जनता से फिर धन लेने का व्यवसाय आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या इन कम्पनियों का विधिवत् पन्जीकरण कराया गया है और क्या जमा धन वापस न किये जाने के बिरुद्ध इनका बीमा कराया हुआ है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) गैर-बैंकिंग कंपनियों को जमा कराने के लिए जनता से रकमें स्वीकार करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने

की तब तक आवश्यकता नहीं होती जब तक वे इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किये गये निदेशों का पालन करती हैं। वर्तमान निदेशों के अनुसार, थोड़ी अवधि के लिए रकमें जमा कराना मना है और साथ ही उन में कुछ अधिकतम सीमाएं और नकदी तथा नकदी जैसी परिसम्पत्ति सम्बन्धी आवश्यकताएं निर्धारित की गयी हैं। गैर-बैंकिंग कम्पनियों की, ब्याज की दर पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वे कोई भी दर निर्धारित कर सकती है।

(ख) कम्पनियों को जमा करने के लिए रकमें स्वीकार करने के प्रयोजन के लिए अलग में रजिस्टर्ड नहीं कराना पड़ता। उनके पास जमा करायी गयी रकमों का, उनके वापस न किये जाने के विरुद्ध, बीमा नहीं किया जाता।

(ग) जो व्यक्ति ऐसी कम्पनियों में धन जमा कराते हैं वे अपनी जोखिम पर ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐसे लेन-देन कम्पनियों और जमा कर्ताओं के बीच करार के स्वरूप के होते है; और जमा रकमों की वापसि न किये जाने की स्थिति वे जमाकर्ताओं को अपनी रकमें वसूल करने के लिए दीवानी कार्यवाही करनी पड़ेगी। रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों का मुख्य उद्देश्य जनता से जमा करने के लिए रकमें स्वीकार करने के मामले में कम्पनियों पर यथा समय कुछ अनुशासन लागू करना है।

नई दिल्ली में एक राजनयिक से चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का पकड़ा जाना

4359. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चक्रपाणि :
श्री प० गोपालन :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 जुलाई, 1968 के पैट्रियट में छिपे समाचार के अनुसार दिल्ली के सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में तीन पेटियां पकड़ी हैं जो नई दिल्ली में एक विदेशी राजनयिक को भेजी गई थी और उसमें से कलाई की घड़ियां, टेलीविजन और ट्रान्जिस्टर सैट बरामद किये हैं ;

(ख) सीमा शुल्क अधिकारियों ने पिछले दो वर्षों में तस्करी के ऐसे कितने मामले पकड़े हैं, जिनमें राजनयिकों का सम्बन्ध था ; और

(ग) सम्बन्धित राजनयिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दिल्ली में रहने वाले एक विदेशी रानयिक के नाम भेजी गयी दो पेटियां 30 जुलाई, 1968 को सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा खोली गयी थी। उन पेटियों में राजनयिक द्वारा मंगाए गये माल के अतिरिक्त कुल 80,000 रु० मूल्य का विदेशों में बना अन्य माल भी था, जैसे कलाई-घडियां, घड़ियों की चैनें तथा फीते, ट्रान्जिस्टर रेडियो, नायलोन की साड़ियां, ट्रान्जिस्टर युक्त टेलीविजन सैट, टेलीविजन सैट के लिए इलैक्ट्रिक एडप्टर, मेज पर रखने की घड़ियां तथा यान्त्रिक लाइटर।

(ख) 31 जुलाई, 1968 को समाप्त हुई दो वर्षों में विदेशी माल के अनधिकृत आयात करने में विदेशी राजनयिकों के ग्रस्त होने के आरोप वाले कुल 12 मामले पकड़े गये है ।

(ग) केवल एक मामले में राजनियक का हाथ होना साबित हुआ था और वह भारत से चला गया ।

Supply of Electricity to Machhlishahr, Constituency in U. P.

4360. Shri Nageshwar Dwivedi : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any scheme regarding the supply of electricity to Machhlishahr Lok Sabha constituency in U. P. for irrigation purposes is under consideration of Government and if so, the scheme regarding laying main lines there ;

(b) whether any survey had been conducted last year in regard to the laying of lines in the aforesaid area and if so, the time by which it is likely to be implemented ;

(c) whether it is a fact that this area would be connected with the Rihand Power House and if so, the rates at which the electricity would be supplied ; and

(d) whether it is also a fact that there was a big difference between the elcctricity rates prevalent in the eastern area and those in the western areas and some adjustment had been made in this regard during the President's Rule there and if so. the rates of electricity prevalent there at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswar Prasad) : (a) Yes ; Sir. The scheme envisaged construction of 33 KV lines from Jaunpur to Machhlishahr and Jaunpur to Badlapur.

(b) The 33 KV line faom Jaunpur to Machhilishahr is under construction and is expected to be completed by the end of Mach, 1969. The 33 KV line from Janupur to Badlpur has been completed.

(c) and (d) Power supply in the area will be given from the Rihand Grid. In the Board's area of supply, uniform tariff rates are in force in respect of H. T. consumers. With regard to L. T. consumers, the Board has got two sets of tariff, one for Allahabad, Lucknow and Kanpur areas and the other for the rest of the State. These unifrom tariffs have removed the differences between electricity rates prevalent in the Eastern and Western areas of U. P. prior to 1. 7. 68. A statement giving the average rates prevalent before and afters 1-7-68. pleced on the Table. **[Placed in Library. See No. LT. 1768/68]**

Rise in Price of Kerosene Oil in U. P.

4361. Shri Nageshwar Dwivedi : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of kerosene oil has considerably gone up in the open market as a result of shortage thereof in the Eastern Districts of Uttar Pradesh;

(b) Whether it is also a fact that due to inadequate number of wholesale agencies the wholesale agents are sellieg kerosene oil at enhanced rates on the pretext of scarcity; and

(c) whether Government propose to increase the number of wholesale agencies in the area to wish the tendency of profiteering on the part of the wholesale agents and provide one wholesale agency of kerosene oil in each Development Block.

The Minister of State in the Ministry of Petroleum Chemicals and Department of Social Welfare (Shri K. Raghrmaiah) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Scheduled Castes in Life Insurance

4362. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Government have issued suitable directives to the public sector undertakings to give due weightage to the Scheduled Castes candidates in the matter of selection to posts under them ;

(b) if so, whether the Life Insurance Corporation has given due attention to the directives while recruiting Apprentices for the cadre of Assistant Administive Officers ;

(c) how many Scheduled Castes candidates were called before the Interview Board in 1968 ; and

(d) whether it is proposed to apply the recent instructions of the Home Ministry regarding reservations in promotions for Scheduled Castes and Tribes to Classes I, II, III, and IV posts ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finanee (Shri Morarji Desai) : (a) Suitable instructions have been issued to the public sector undertakings in the matter.

(b) Yes, Sir.

(c) 50 Scheduled Castes Tribes candidates were called for interview.

(d) Yes, Sir.

थेन बांध का निर्माण

4363. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल विद्युत आयोग ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में वसोहिले के निकट रावी नदी पर थेन बांध बनाने की तकनीकी मन्जूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सिंचाई और बिजली मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस परियोजना की अभी केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में जांच हो रही हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली नगर पालिका के बिजली विभाग के कर्मचारी

4364. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के बिजली विभाग के कर्मचारियों को श्रम कानूनों के विरुद्ध लगातार 12 घंटे से अधिक समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है ; और

(ख) क्या पिछले चार वर्षों से अधिक समय से उनके समयोपरि भत्ता बिलों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

नई दिल्ली नगर पालिका में चौकीदारी

4365. श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका के कांजी हाउसों में तैनात चौकीदारों को दिन रात वहीं पर रहना पड़ता है ;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने इन चौकीदारों के लिए उन स्थानों पर कोई रिहायशी क्वार्टर बनाये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगरपालिका के अधीन तीन कांजी हाउस तथा तीन अस्थायी चल कठघरें हैं। कांजी हाउस पक्के और अध-पक्के मकानों में बसाये गये हैं, जबकि पशुओं को पकड़ने के अस्थायी चल कठघरें विभिन्न बस्तियों में खड़े किये जाते हैं और वे लकड़ी की बल्लियों से बनाये जाते हैं। कांजी हाउसों पर कोई चौकीदार नियुक्त नहीं किये गये हैं। किन्तु अस्थायी चल कठघरों में सात चौकीदार रखे गये हैं। इस प्रकार के अस्थायी कठघरों में और दिन की ड्यूटी पर दो चौकीदारों को रखा जाता है जो बारह-बारह घंटे काम करते हैं। इन चौकीदारों को ड्यूटी के समय वहां ठहरने के लिए दो पलाई की छोलदारियां दी गई हैं। प्रत्येक चौकीदार को सप्ताह में अदला-बदली से एक दिन की छुट्टी दी जाती है। चौकीदारों को रिहायसी मकान जैसा होता ही है, प्रवरता के आधार पर दिये जाते हैं। इस समय अस्थायी तीन मूर्ति, लोदी कालोनी तथा किदवई नगर के क्षेत्रों में खड़े किये गये हैं।

मेरठ के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध मेरठ के स्वर्णकार संघ की शिकायत

4366. श्री हरदयाल देवगुण : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर के उत्पादन शुल्क कलेक्टर को जनवरी, 1968 में मेरठ स्वर्णकार संघ से शिकायत प्राप्त हुई थी कि मेरठ के तीन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने 10 अक्तूबर, 1967 को वहां के एक चांदी के आभूषण बनाने वाले घर पर अनाधिकृत रुप से छापा मारा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि मेरठ के उत्पादन शुल्क असिस्टेन्ट कलेक्टर ने इस शिकायत के बारे में जांच की और कलक्टर से सिफारिश की है कि एक अधिकारी तुरन्त निलम्बित कर दिया जाये और शेष को स्थानान्तरित कर दिया जाए;

(ग) यदि हां, तो सात महीने के बाद अभी तक भी मेरठ के असिस्टेन्ट कलेक्टर की सिफारिश पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई; और

(घ) इस मामले में सरकार का विचार अब क्या कार्यवाही करने का है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) स्वर्णकार संघ, मेरठ की ओर से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्ता, कानपुर को जनवरी, 1968 में एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया था कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के तीन अधिकारियों ने मेरठ में चांदी का काम करने वाले एक सुनार के घर की तलाशी ली तथा उससे रुपये ऐंठे ;

(ख) (ग) तथा (घ) यद्यपि आरम्भिक पूछताछ के बाद, सहायक समाहर्त्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मेरठ ने एक समय एक अधिकारी के निलंबन तथा दूसरे के स्थानान्तरण का प्रस्ताव किया था, परन्तु बाद में उसने निलंबन करने सम्बन्धी अपनी राय बदल दी। इसी बीच, आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए तथा चूंकि प्रत्यारोप भी लगाये गये थे, इसलिये समाहर्त्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कानपुर ने मामले को जांच पड़ताल के लिये विशेष पुलिस विभाग को सौंप दिया। यह जांच पड़ताल अभी चल रही है। जांच की रिपोर्ट जब प्राप्त होगी तब उसको दृष्टि में रखते हुए सम्बद्ध केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध यदि कार्यवाही, आवश्यक हुई तो वह की जायेगी। जांच पड़ताल चलती होने से दो अधिकारियों को मेरठ से बाहर बदल दिया गया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इरान के समुद्र तट पर तेल के भन्डार का पता लगाया जाना

4367. श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिलिपीन पैट्रोलियम कम्पनी के सहयोग से तेल की खोज करते समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को ईरानी समुद्र तट पर तेल के भण्डार का पता लगा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि तेल की और आगे खोज की अनुमति देने के लिये ईरान बहुत अधिक राशि मांग रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक वहां पर कितनी राशि खर्च की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, अमरीका की फिलिपस पैट्रोलियम कं० तथा इटली के ए०जी०आई०पी० द्वारा सम्मिलित रुप से अन्वेषी कार्य करते समय ईरान के अतटीय क्षेत्र में तेल का पता लगा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) 30 जून, 1968 तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने लगभग 15.60 करोड़ रुपये खर्च किये । इसमें विदेश में व्यय के लिये रखी नकद बकाया रकम भी शामिल है ।

बारबिल उड़ीसा में जल प्रदाय योजना

4368. **श्री गु० चं० नायक :**
श्री महेन्द्र माझी :
श्री दे० ग्रमात :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5361 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारबिल, उड़ीसा में जल प्रदाय योजना के बारे में विस्तृत प्राक्कलन आदि तैयार करके उन्हें अन्तिम रुप दिये जाने के बाद सरकार को भेज दिये गये हैं ताकि वह तुरन्त काम आरम्भ कर सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें अन्तिम रुप दिये जाने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) बारजमदा और बारबिल के बीच रेल मार्ग को क्रास करते हुए प्रस्तावित 14" व्यास की पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में 2 ह्यूम पाइप ब्रिज के निर्माण के लिये 27,551 रुपये के विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये गये थे और दक्षिण पूर्वी रेलवे प्रशासन ने उन्हें 3-6-1968 को स्वीकृत कर लिया था । राउरकेला, जन-स्वास्थ्य प्रभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अभी 11-7-68 को ही 26,639.00 रुपये जमा कराए हैं । द० पू० रेलवे ने प्रभागीय अधीक्षक, चन्द्रधरपुर को बरसात के बाद इस काम को हाथ में लेने की सलाह दी है ।

Income-Tax Realised from Hindustan Sugar Factory

4369 **Shri Ranjit Singh :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of Income-tex realised from the Hindustan Sugar Factory, Gola Gokaran Nath, Lakhimpur Kheri during the last five years and the amount still outstanding against this factory; and

(b) the number and names of share-holders of the factory as also the names of its directors and the number of shares of other companies held by them and the names of these companies ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance. (Shri Morarji Deasi) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

"Excise Duty Paid by Sugar Factory in Lakhimpur Kheri"

4370. Shri Ranjit Singh :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the amount of excise duty paid by the Hindustan Sugar Factory, Gola Gokran Nath, Lakhimpur Kheri in each of the last five years year wise;

(b) whether it is a fact that owners of the said factories have paid less amount of excise duty in collusion with the Excise Officers; and

(c) if so, whether Government would conduct a proper enquiry into the matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Moraji Desai): (a) The amount of excise duty (basic and additional) paid by Hindustan Sugar Factory. Gola Gokran Nath, Lakhimpur Kheri during each of the last five years is furnished below :

Year	Amount of Dtuy (Rs.)
1963-64	1,92,29,109
1964-65	1,58,19,902
1965-66	1,58.36,039
1966-67	1,87,61,591
1967-68	1,86,30,279

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Investments in Foreign Countries by Erstwhile Rulers of Princely States

4371. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the details of the investment made by the erstwhile rulers of the Princely States n foreign countries and the property amassed by them there;

(b) the names of those 50 prominent establishments and persons who have invested money in foreign industries and banks and the amount invested by each of them and the manner in which invested; and

(c) the manner in which the Government control investment of the Indian Capital in foreign countries and the deposits made by the Indians in foreign banks and the benefit accruing to the country therefrom ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) For exchange control purposes only foreign securites have to be declared and held under licence. Last declaration made by them disclosed that the value of securities was of the order of Rs. 4.80 Crores. Details of property are not available.

(b) Details of companies which have been granted approvals for investment abroad have been supplied in reply to Unstarred Question No. 5329 dated the 21st December. 1967. Details of account holders have been supplied in reply to Unstarred Question No. 5948 dated the 1st April, 1968. Efforts involved in the collection of further data will not be commensurate with the results achieved.

(c) Investments in industrial ventures abroad have to be generated through export of Indian machinery and services. Earnings such as dividend, etc. are to be repatriated to India. These investments are expected to create a market for Indian goods, spares and

raw materials, components, etc. abroad. Bank accounts abroad are subject to periodical reporting to the Reserve Bank who exercise necessary scrutiny and control.

Mahi Project

4372. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred on Mahi Project of Rajasthan during the last year, the amount being incurred during the current year and the total amount of expenditure involved in this project and the time by which this project would be completed; and

(b) the acreage of the area in the vicinity of this project which would be benefitted by this project and the details of the agreement arrived at between the Rajasthan Government and other Governments in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Rs. 33.50 lakhs was the anticipated expenditure in 1967-68. Rs. 25.00 lakhs is the Budget outlay for 1968-69. The Mahi Irrigation Project, as accepted by the Planning Commission in 1958, was estimated to cost Rs. 308.76 lakhs. The revised Mahi Project, known as Mahi Bajaj Sagar Project (Rajasthan), as envisaged now, is estimated to cost Rs. 2956.2 lakhs. This enlarged project has not yet been approved by the Planning Commission.

(b) The sanctioned Mahi Irrigation Project (Rajasthan) envisaged irrigation of 67,675 acres in Banswara District. The revised Mahi Project envisages an annual irrigation of 72,320 acres. A copy of the January, 1966 agreement between Rajasthan and Gujarat States regarding exploitation of the Mahi River is Placed on the Table. **(Placed in Library. See No. L.T. 1769 68).**

Irrigation and Power Schemes in Rajasthan

4373. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of Irrigation and Power schemes of Rajasthan which are under the consideration of Government;

(b) the number of those which are being carried on there at present and the progress made in each of them; and

(c) whether any new scheme is also under consideration ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The following new schemes are under consideration:-

(1) Ghaggar Flood Control Project--Stage II

(2) Sahibi Irrigation and Flood Control Project.

(3) Meja Feeder Scheme.

(4) Lift Irrigation under Chambal Valley Development.

(b) A statement is Placed on the Table. **(Placed in Library. See No. L.T. 1770/68)**

(c) The information has been given in reply to part (a) above. The State Government are formulating their proposals for the Fourth Five Year Plan and no final decision has been taken as to the new schemes to be included in the Fourth Plan of Rajasthan.

मैसूर राज्य को केन्द्रीय सहायता

4374. श्री जे० एच० पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 20 वर्षों में मैसूर राज्य को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ख) इसी अवधि में अन्य दक्षिणी राज्यों को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें बताया गया है कि पहली तीन पंचवर्षीय आयोजनाओं की अवधि में और 1966-67 से 1968-69 तक के तीन वर्षों में मैसूर और अन्य तीन दक्षिणी राज्यों को उनकी आयोजनाओं के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी ।

विवरण **(करोड़ रुपयों में)**

राज्य	पहली आयोजना*	दूसरी आयोजना	तीसरी आयोजना	1966-67	1967-68	1968-69
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मैसूर	47.00	67.00	149.56	36.3	36.00	36.90
आंध्र प्रदेश	61.00	96.00	222.25	61.3	57.50	42.80
केरल	24.00	38.00	123.11	28.3	31.00	30.40
मद्रास	42.00	95.00	186.27	40.1	38.00	42.90

*केन्द्रीय सहायता के आंकड़ों का समायोजन कर दिया गया है, ताकि उनकी तुलना की जा सके ।

पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के निकट ड्रेजरों तथा नौकाओं की मरम्मत

4375. श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जुलाई, 1968 के 'अमृत बाजार पत्रिका' में छपे इस आशय के समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि बहुत सी नहरों, नालों तथा लांक-गेटों की तुरन्त खुदाई की जानी चाहिये और कलकत्ता के निकट ड्रेजर तथा अनेक नौकायें कई वर्षों से मरम्मत न होने के कारण बेकार पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई व जल मार्ग विभाग का एक प्रीस्टमैन ग्रैब तलकर्षक पश्चिम बंगाल विकास निगम को सितम्बर, 1964

में दिया गया था ताकि इससे कृश्तोपुर नहर से मिट्टी निकाली जाए और उस मिट्टी को डमडम सुपर हाईवे के लिए तटबन्ध बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सके। जब निगम इस तलकर्षक को अपने काम में ला रही थी, तब इसके इंजन और कुछ अन्य भागों को क्षति पहुंची जिसके कारण इसकी काफी मरम्मत करानी पड़ी। निगम ने इस तलकर्षक को अगस्त, 1965 में वापिस कर दिया था। इन मरम्मतों का अनुमान 1965 के अन्त में तैयार किया गया, परन्तु उसको दुहरा कर अन्तिम रुप देने में कुछ देर लग गई। आखिरकार, इस अनुमान को मार्च, 1968 में स्वीकार कर लिया गया। काम के लिए कोटेशन मंगाई गई है और मरम्मत मानसून के पश्चात आरम्भ की जाएगी। यद्यपि तलकर्षक को कृश्तोपुर नहर में खड़ा रखा गया तथापि नहर में होने वाले परिवहन में कोई बाधा नहीं आई।

कृषि पुनर्वित निगम

4376. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) कृषि पुनर्वित निगम ने अपने आरम्भ से 1967 के अन्त तक राज्य वार कितनी सहायता दी है;

(ख) उक्त सहायता किस आधार पर दी गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में यदि मध्य प्रदेश में किसी परियोजना के लिए कोई राशि स्वीकार की गई है अथवा कोई राशि दी गई है, तो वह कितनी है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है जिसमें कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा पहली जुलाई, 1963 से, अर्थात जब से उसकी स्थापना हुई है, 25 जून, 1968 तक स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1771/68]।**

(ख) निगम मछलीपालन, डेरी उद्योग, मुर्गी पालन आदि सहित कृषि विकास की आर्थिक रुप से उपयोगी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये दरमियानी और लम्बी अवधि के ऋणों के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करता है।

(ग) और (घ) कृषि-पुनर्वित्त निगम ने अभी तक मध्य प्रदेश की छः योजनाओं के लिए स्वीकृति दी हैं। इनमें से एक योजना चम्बल प्रायोजना के अन्तर्गत 12,000 एकड़ जमीन को कृषि योग्य बनाने और उसका विकास करने के लिए है जिस पर कुल 38.52 लाख रुपया खर्च होगा जिसमें से निगम ने 28.89 लाख रुपया देने का वचन दिया है। अन्य पांच स्वीकृत योजनाओं का सम्बन्ध सागर, शिवपुरी, रीवां, रायसेन और खारगांव जिला में सिंचाई के छोटे कार्यों से है। इन योजनाओं पर कुल 374.328 लाख रुपया खर्च होगा जिसमें निगम ने 336.895 लाख रुपया देने का वचन दिया है। चूंकि इन योजनाओं के लिए हाल में ही स्वीकृति दी गयी थी और चूंकि इन योजनाओं की क्रियान्विति के प्रारम्भिक चरण में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, इसलिए इन मामलों में अभी तक पुनर्वित्त की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के प्रयोग के कारण हृदय की गति बन्द होना

4377. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री चं० चु० देसाई :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा के अनुसन्धान से यह सिद्ध हुआ है कि स्टेनलेस स्टील के बने हुए बर्तनों के प्रयोग के कारण हृदय की गति बन्द होने के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) ऐसे किसी अनुसन्धान की जानकारी सरकार को नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी बैंक

4378. **श्री एम० एस० औबराय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) देश में काम कर रहे विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या देश में बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण की प्रक्रिया इन बैंकों पर भी लागू होगी ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत में काम करने वाले विदेशी बैंकों ने पिछले 14 वर्षों में अपने पर्यवेक्षण कर्मचारियों के पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में काफी प्रगति की है । उप प्रधान मन्त्री ने भी अभी हाल में विदेशी बैंकरों से अनुरोध किया है कि वे अपने बैंकों में भारतीयों की नियुक्ति करने का काम अब तक जिस गति से करते आये हैं उससे और तेज गति से यह काम करें । उन्होंने विदेशी बैंकरों को सुझाव दिया है कि उच्च कार्यकारी पदों को छोड़कर अन्य पदों पर क्रमशः भारतीयों की नियुक्ति की जानी चाहिये ।

(ख) जी, हां । रिजर्व बैंक को, बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 1968 के जरिये जो अतिरिक्त अधिकार देने का विचार किया गया है, उनका प्रयोग रिजर्व बैंक विदेशी बैंकों के सम्बन्ध में भी कर सकता है । निदेशक बोर्डों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में, विधेयक में दिये गये उपबन्ध विदेशी बैंकों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि भारत में इन बैंकों के ऐसे बोर्ड नहीं हैं । फिर भी, इन बैंकों ने, सामाजिक नियन्त्रण की योजना के अनुसार, ऐसे सलाहकार बोर्डों की स्थापना की है जो उन्हें भारत में अपना कारबार करने के सम्बन्ध में सलाह मशविरा दे । जो सलाहकार बोर्ड गठित किये गये हैं उनमें विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हैं और अनुमान है कि

विदेशी बैंकों द्वारा भारत में कारबार किये जाने पर उनका कारगर असर पड़ेगा। जैसा कि सामाजिक नियन्त्रण की योजना में निर्धारित किया गया है, विदेशी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पहले से ही प्रशेवर बैंकर हैं।

रांची के कुछ व्यक्तियों को आदिम जातीय छात्रवृत्तियां दिया जाना

4379. श्री कार्तिक उराव : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची के निम्नलिखित व्यक्तियों को, जो अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य नहीं हैं, आदिम जातिय छात्रवृत्तियां दी गई थी;

(1) श्रीमती सरोजिनी सिंह धी० एड पत्नी श्री जान आई० पी० सिंह, लेखा अधिकारी महालेखापाल का कार्यालय, बिहार।

(2) मिस माजु सिंह पुत्री श्री जान सिंह, लेखा अधिकारी।

(3) मिस ल्यूसी पिल्ले, पुत्री श्री बी० एन० ई० पिल्ले, रांची।

(4) मिस बानो पिल्ले, पुत्री श्री वी० एन० ई० पिल्ले, रांची।

(ख) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों ने उनको आदिमजातीय प्रमाणपत्र दिया है तथा जिन व्यक्तियों ने उनके नामों की सिफारिश की, उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) इन लोगों को दी गई राशि को वसूल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री मुथ्थाल राव) : (क) से (ग) राज्य सरकार से ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और प्राप्त होने पर उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन सरकारी उपक्रम

4380. श्री कार्तिक उराव : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन सब सरकारी उपक्रमों के सभी तकनीकी विभागों के सर्वोच्च अधिकारी तकनीकी अर्हता रहित सचिव हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन किन-किन सरकारी उपक्रमों के सर्वोच्च अधिकारी तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है अथवा उन विभागों में मुख्य इन्जीनियर हैं, जो उनके विभागों में सचिव भी हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) सिंचाई व बिजली मन्त्रालय के अधीन ये सार्वजनिक उपक्रम हैं; (1) दामोदर घाटी निगम, और (2) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम। दामोदर घाटी निगम में ये तकनीकी विभाग है:-

(क) बिजली विभाग, (ख) सिविल इन्जीनियरी विभाग और (ग) भू-संरक्षण विभाग। इन सभी विभागों के मुख्य, तकनीकी अधिकारी हैं। दामोदर घाटी निगम का अध्यक्ष और सचिव तकनीकी अधिकारी नहीं है क्योंकि उन्हें अधिकतर निगम के सभी विभागों के काम का समन्वय करने के अतिरिक्त प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से सम्बन्धित कार्य करना पड़ता है। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में सभी तकनीकी विभाग अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के अधीन हैं जो कि एक तकनीकी अधिकारी है। संगठन में तकनीकी यूनिटों के मुख्य सभी तकनीकी अधिकारी हैं।

रेलवे कर्मचारियों का केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में उपचार

4382. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मन्त्रालय से इस बारे में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है कि रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को उनके विकास के निकट स्थित केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में उपचार कराने की अनुमति दी जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह सुविधा अर्ध सरकारी कर्मचारियों को मिली हुई है, रेलवे मंत्रालय की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेलवे कर्मचारी केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत नहीं आते। अपने कर्मचारियों की चिकित्सा के लिये रेलवे की अलग व्यवस्था है। फिर भी रेलवे प्रशासन को यह सुझाव दिया गया था कि वे कर्मचारी जो उन 14 स्वास्थ्य योजना डिस्पेन्सरियों के क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं, जिनमें आम जनता को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं दी गई हैं, साधारण जनता के सदस्यों की भाँति इन डिस्पेन्सरियों से लाभ उठा सकते हैं।

कलकत्ता इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई कारपोरेशन

4383. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार कलकत्ता इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कारपोरेशन के पट्टे की अवधि बढ़ा दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने उद्योग तथा बिजली अधिनियम 1910 के खण्ड 6 (4) के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल सरकार से लिखित रूप में सूचित किया है कि वह कलकत्ता इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड की आस्तियों को खरीदने के अपने विकल्प को 18 महीने पहले ही प्रयोग कर ले ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जैसा कि 22 जुलाई, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गए विवरण में बताया गया है, धन की कमी के कारण पश्चिम बंगाल सरकार 1-1-1970 तक कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को खरीदने के अपने अधिकार को फिलहाल पूरा नहीं कर सकती। लाईसेन्स धारी उपक्रम ने अपने लाइसेन्स की शर्तों में तब्दीली करना मान लिया है ताकि सरकार उपक्रम को खरीदने के अपने अधिकार को 1-1-1990 की बजाए 1-1-80 को प्रयोग में ला सके। लाईसेन्स की वर्तमान शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा उपक्रम को 1970 के बाद खरीदने की अगली तिथि 1-1-1990 है। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 6 (4) के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने राज्य सरकार को यह लिख कर भेजा है कि वह इस उपक्रम को खरीदने के अधिकार को उपयोग में लाने का विचार रखता है, यदि राज्य सरकार उन्हें काम चलाने के लिये तथा मुआवजे आदि की अदायगी के लिये 46.5 करोड़ रुपये दे दे। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को सूचित किया है कि वे अपेक्षित निधि नहीं दे सकती और कि यदि वे इस प्रकार के अधिकार को उपयोग में लाने से पहले धन का उपलब्ध होना जरूरी समझते हैं तो इस उपक्रम को खरीदने के लिये अधिकार को उपयोग में लाने के प्रश्न पर आगे कोई कार्यवाही न करें।

Shanties Near Sarojini Nagar, New Delhi

4384. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri R. Barua :
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that some shanties still exist by the side of 'K' Block on the main road of Sarojini Nagar, New Delhi inspite of the fact that their owners have already been allotted shops at alternative sites;

(b) whether Government are aware that the owners of these shanties have shifted to the alternative shops allotted to them but they have let out these shanties on high rents;

(c) whether the existence of these shanties are having an adverse effect on the health of the residents of these Government quarters due to lack of adequate civic arrangements; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

नेफ्था और अमोनिया का उत्पादन और आयात

4385. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में देश में नेफ्था का कुल कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 1971-72, 1975-76 तथा 1985-86 में कितना उत्पादन होने की संभावना है;

(ख) वर्ष 1967-68 में कुल कितना तथा कितने मूल्य के नेफ्था का आयात किया गया और वर्ष 1971-72, 1975-76 तथा 1985-86 में कितना आयात किये जाने की संभावना है; और

(ग) देश में उर्वरक उत्पादन के लिये वर्ष 1971-72, 1975-76 तथा 1985-86 में कितना तथा कितने मूल्य के एमोनिया का आयात किये जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) कलेण्डर वर्षों के अनुसार सूचना तुरन्त उपलब्ध है और तदनुसार दी गई है। वर्ष 1967 में नेफ्था को शामिल करते हुए हल्के आसुतों का कुल उत्पादन 25,30,700 मीटरी टन था। 1971 और 1975 के दौरान पूर्वानुमानित उत्पादन क्रमशः 38,56,000और 55,25,000 मीटरी टन है। 1975 के बाद उत्पादन का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) 1967 में नेफ्था का कोई आयात नहीं किया गया था क्योंकि इस समय देश में नेफ्था फालतू है। नेफ्था के आयात का पूर्वानुमान सम्भव नहीं है क्योंकि यह समय-समय पर पाई जाने वाली वास्तविक मांग और इस समय अध्ययनाधीन तकनीकी परिवर्तनों द्वारा नेफ्था के देशीय उत्पादन बढ़ाने की सम्माव्यता पर निर्भर करेगा।

(ग) अब तक केवल एक प्रस्ताव अनुमोदित हुआ है, जिसमें उर्वरकों के उत्पादन के लिए अमोनिया को आयात होना है। उपर्युक्त आयात निम्न प्रकार है :-

वर्ष	मात्रा (मीटरी टनों में)
1971-72	115,000 मीटरी टन (मूल्य 4.6 मिलियन डालर)
1975-76	115,000 मीटरी टन (मूल्य 4.6 मिलियन डालर)
1985-86	शून्य (क्योंकि अमोनिया का उत्पादन देशीय नेफ्था पर निर्भर होगा)

अमरीकी तेल फर्म द्वारा भारतीय तकनीशनों को प्रशिक्षण देने की पेशकश

4386. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को एक अमरीकी तेल से भारतीय तकनीशनों को तटवर्ती तेल खोज में प्रशिक्षण देने की पेशकश प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) अमरीकी कम्पनी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के 6 तकनीशनों को दो दलों में 6 महीनों की अवधि के लिये प्रशिक्षण देगी। अमरीका तक और वहां से वापसी के सफर का खर्च आयल और प्राकृतिक गैस आयोग करेगा जबकि कम्पनी स्थानीय परिवहन, प्रशिक्षण और निर्वाह खर्च करेगी।

राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकार के फ्लेटों की किराया खरीद आधार पर बिक्री

4387. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकार के कुछ फ्लैटों को मध्य तथा निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को किराया खरीद आधार पर बेचा जायेगा; और

(ख) इन विभिन्न प्रकार के फ्लैटों की आर्थिक (इकनामिक) लागत क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) प्रति फ्लैट की लागत जिसमें भूमि का अधिमूल्य भी सम्मिलित है इस प्रकार हैं:—

(i)	80 वर्ग गज के प्लाट पर बने फ्लैट की लागत	15,000 रु०
(ii)	125 वर्ग गज के प्लाट पर बने फ्लैट की लागत	22,500 रु०
(iii)	150 वर्ग गज के प्लाट पर बने फ्लैट की लागत	26,500 रु०

दिल्ली के सिनेमा मालिकों से बकाया कर

4388. **श्री अर्जुन सिंह मदौरिया** : क्या वित्त मन्त्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3615 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडियन, लक्ष्मी और पैलेस सिनेमाओं के मामलों में जांच में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) जांच के कब तक पूरी होने की आशा है ;

(ग) क्या जांच पूरी करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) ; (क) **ओडियन सिनेमा** : आयकर आयुक्त से रिपोर्ट मिली है कि इस मामले में कर-निर्धारण वर्ष 1961-62 से 1967-68 तक की अवधि की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। जांच पड़ताल का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

लक्ष्मी, पैलेस सिनेमा : इस मामले से सम्बन्धित जांच पड़ताल का कार्य अन्तिम स्थिति में है।

(ख) ओडियन सिनेमा के मामले में चल रही जांच पड़ताल के पूरा होने में कम से कम छः महीने लग जाने की संभावना है। लक्ष्मी पैलेस सिनेमा से सम्बन्धित जांच के दो तीन महीने में पूरी हो जाने की संभावना है।

(ग) तथा (घ): विस्तृत जांच पड़ताल के पूरा हो जाने के बाद में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है क्योंकि जांच पड़ताल का काम बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। फिर भी इसे यथासम्भव शीघ्र ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

चलचित्र व्यवसाय में लगे लोगों द्वारा कर अपवंचन

4389. **श्री जुगल मण्डल** : क्या वित्त मन्त्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2746 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म व्यवसाय में लगे व्यक्तियों द्वारा कर अपवंचन के बारे में जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): 16 नवम्बर, 1967 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 862 में मांगी गयी सूचना (अर्थात् फिल्म क्षेत्र के उन लोगों के नाम जिनकी पिछले पांच वर्षों में एक लाख रुपये से अधिक की आमदनी रही है और उनसे आय-कर की वसूली करने के लिये की गयी कार्यवाही) का एक विवरणी-पत्र मार्च, 1968 में सदन की मेज पर रख दिया गया था। फिल्म क्षेत्र के लोगों द्वारा कर-अपवंचन से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

फिल्म व्यवसाय में लगे व्यक्तियों पर आय कर की बकाया राशि

4390. **श्री जुगल मण्डल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) फिल्म कलाकारों (दो) फिल्म निर्माताओं, निदेशकों तथा वितरकों (तीन) फिल्मी संगीत निदेशकों तथा फिल्म वित्त-पोषकों से आज तक आय कर की कुल कितनी बकाया राशि वसूल की जानी है; और

(ख) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) सूचना सरकार के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है। सूचना इकट्ठी करने में काफी समय तथा श्रम लगेगा जो प्राप्त परिणामों के अनुरुप नहीं हो।

यदि विशिष्ट कर-निर्धारितियों के सम्बन्ध में सूचना चाहिये तो उनके नाम दिये जाने पर सूचना दी जा सकेगी। सभी कर-निर्धारितियों से करों की बकाया वसूली के लिये आयकर अधिनियम में बताये गये सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

नर्मदा नदी के बेसिन का विकास

4391. **श्री अमर सिंह सहगल :**
श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई और विद्युत के लिये नर्मदा नदी के बेसिन के विकास के लिये कितना व्यय होने का अनुमान लगाया गया है;

(ख) उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का कितना-कितना योगदान होगा;

(ग) उपरोक्त योजना का वित्तपोषण कैसे किया जायेगा; और

(घ) नर्मदा नदी के जल के सम्बन्ध में उपरोक्त तीनों राज्यों के दावे क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लगभग 1,000 करोड़ रुपये।

(ख) अभी तक निर्धारित नहीं किया गया।

(ग) अभी तक सरकार ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है।

(घ) तीनों राज्यों ने नर्मदा जल के निम्नलिखित भागों के लिये अपना-अपना अधिकार जिताया है।

	लाख एकड़ फुट
मध्य प्रदेश	360
गुजरात	235
महाराष्ट्र	1

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आयातित बर्मे तथा अन्य मशीनरी

4392. **श्री अ० सिं० सहगल :**
श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक कुल कितने मूल्य के बर्मो तथा मशीनों का आयात किया गया है और किन-किन देशों से;

(ख) उनमें से कितने बर्मे तथा मशीनें अब तक अप्रयुक्त पड़ी है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या खराब मशीनें देने में संभरण-कर्ताओं का दोष है और यदि हां, तो क्या उन से इन मशीनों को बदलने के लिए अथवा उनके दोषों को दूर करने के लिये कहा गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री रघु० रामैया) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

देश में बड़ी और मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं द्वारा सिंचित क्षेत्र

4393. श्री ग्र० सिं० सहगल।
श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में स्वतन्त्रता-पूर्व और 1950-51 तथा 1966-67 में बड़ी और मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं द्वारा सिंचित क्षेत्र कितना-कितना था;

(ख) किस-किस वर्ष किस-किस राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र की सिंचाई की गई थी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): अपेक्षित जानकारी के दो विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस० टी० 1772/68]।

प्रत्येक तेल शोधक कारखाने द्वारा साफ किया जाने वाला कच्चा तेल

4394. श्री बाल्मीकी चौधरी :
श्री मोतिराज सिंह चौधरी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक तेल शोधक कारखाना कुल कितना कच्चा तेल, अलग-अलग, साफ करता है;

(ख) कच्चे तेल की परिष्कृत करने के पश्चात प्रत्येक तेल शोधक कारखाने को प्रतिवर्ष कितना पैट्रोलियम उच्छिष्ट अथवा पैट्रोलियम स्लैक मिलता है;

(ग) प्रत्येक तेल शोधक कारखाना इस पैट्रोलियम स्लैक का प्रयोग किस प्रकार कर रहा है; और

(घ) पैट्रोलियम स्लैक में नामों सहित कितने प्रतिशत रसायन तथा नेफथा होता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) 1967 के दौरान निम्नलिखित शोधनशालाओं ने कच्चे तेल की निम्न मात्राएं साफ की :

	(मीटरी टन)
आसाम आयल कम्पनी	527,706
बर्मा-शैल रिफाइनरीज़	3782,584

एस्सो स्टैन्डर्ड रिफाइनिंग क०	2522,334
कालटैक्स आयल रिफाइनिंग इंडिया लि.	1238,343
गोहाटी रिफाइनरी	810,944
बरौनी रिफाइनरी	1561,797
गुजरात रिफाइनरी	1747,141
कोचीन रिफाइनरी	2261,139
कुल–	14451,988

(ख) परिष्करण के पश्चात् कोई स्लैक या उच्छिष्ट शेष नहीं रहता ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन

4395. श्री कंवरलाल गुप्त : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली नगर/पालिका के अधिकारी दिल्ली विकास प्राधिकार के निर्णयों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली नगरपालिका पर दिल्ली विकास प्राधिकार के निर्णय लागू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली में सरकारी बस्तियों में खोखे वाले अलाटियों के कब्जे में भूमि

4396. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में लक्ष्मी बाई नगर, किदवाई नगर, नेताजी नगर, नौरोजी नगर और मोती बाग की सरकारी बस्तियों में अस्थायी खोखों के अलाटियों ने जिस अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया हुआ है वह सरकार की है अथवा इन अस्थायी खोखों के साथ नई दिल्ली नगरपालिका को हस्तांतरित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने लक्ष्मीबाई नगर के इन खोखे वालों द्वारा कब्जा की गई अतिरिक्त भूमि के लिये दिल्ली के कलेक्टर के माध्यम से उनसे प्रतिकर/तेहबाजारी वसूल की है;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका लक्ष्मीबाई नगर के खोखे वालों से उस भूमि का प्रतिकर/तेहबाजारी जिसे सरकार ने दिल्ली के कलेक्टर के माध्यम से वसूल किया है प्रतिकर/तेहबाजारी का दावा कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो लक्ष्मीबाई नगर के इन खोखे वालों के जिन्हें नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा दिल्ली के कलेक्टर के माध्यम से प्रतिकार/तेहबाजारी की वसूली के लिये तंग किया जा रहा है, हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) वर्तमान स्थिति का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1773/68**]।

(ख) लक्ष्मीबाई नगर में केवल छः खोखे वाले हैं। कलक्टर को यह परामर्श दिया गया था कि खोखे वालों से उनके द्वारा अतिरिक्त अधिकृत भूमि के लिए हर्जाना वसूल करें। तथापि उन्होंने सीधे सरकार को हर्जाने का भुगतान कर दिया है।

(ग) यह रिपोर्ट मिली है कि छः खोखे वालों से उनके द्वारा अतिरिक्त अधिकृत भूमि के लिये नई दिल्ली नगरपालिका ने भी तहबाजारी की मांग की हैं। खोखे वालों ने मुकद्दमा दायर किया था किन्तु वे मुकद्दमा हार गये। यह पता नहीं कि नई दिल्ली नगरपालिका ने यह राशि वसूल की है अथवा नहीं।

(घ) मामला विचाराधीन है।

नवकेतन सहकारी गृह-निर्माण समिति जंतर-मंतर नई दिल्ली

4397. श्री हरदयाल देवगुण : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवकेतन सहकारी गृहनिर्माण समिति नामक सहकारी गृहनिर्माण समिति बनाई गई है तथा वह 8 जंतर-मंतर रोड, नई दिल्ली में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के इस समय कौन-कौन सदस्य हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस समिति के कुछ सदस्य वही व्यक्ति हैं जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी मण्डल लिमिटेड के सदस्य भी थे;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस समिति ने प्रति वर्ग गज 5 रुपये की दर से लगभग दो लाख वर्ग गज भूमि खरीदी थी परन्तु खाते में उस 6.25 रुपये प्रति वर्ग गज दिखाया गया;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इस समिति के कुछ सम्बन्धित कागज, फाइलें और रिकार्ड ला पता हैं; और

(च) यदि उपर्युक्त भाग (ग) से (ङ) तक के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो समिति के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (च): अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

फिल्म अभिनेत्री आशा-पारिख द्वारा आयकर अपवंचन

4398 श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मन्त्री 6 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9812–घ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अपवंचन करने के सिलसिले में फिल्म अभिनेत्री आशा पारिख के विरुद्ध मुकदमा चलाने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) कर-निर्धारण वर्ष 1963-64 तथा 1964-65 के सम्बन्ध में अपनी सही आय घोषित नहीं करने के कारण कुमारी आशा पारिख के विरुद्ध, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन इस्तगासे की कार्यवाही शुरु की गई है।

चलचित्र अभिनेता दिलीपकुमार द्वारा कर अपवंचन

4399. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय छुपाने के सम्बन्ध में श्री दिलीपकुमार के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख): श्री दिलीप कुमार द्वारा कर अपवंचन किये जाने के सम्बन्ध में सरसरी तौर की दो शिकायतें मिली थी। कर-निर्धारण वर्ष 1963-64 में छिपाई गई आय उस वर्ष के कर-निर्धारण में शामिल कर ली गई है। दण्ड लगाने सम्बन्धी कार्यवाही चालू कर दी गयी है और उस वर्ष के लिये इस्तगासा भी दायर किया गया है। परवर्ती वर्षों के लिये जांच पड़ताल चल रही है।

फिल्मी कलाकारों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन तथा आय छिपाना

4400. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) श्री राज कपूर (दो) श्री देवानन्द (तीन) श्री शम्मी कपूर (चार) श्री राजेन्द्र कुमार (पांच) श्रीमती माला सिन्हा (छः) श्रीमती सायरा बानू (सात) श्री दिलीप कुमार (आठ) श्रीमती वैजन्ती माला (नौ) कुमारी वहीदा रहमान तथा (दस) धर्मेन्द्र पर विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने तथा आय छिपाने का सन्देह होने के कारण कितनी बार तथा किन किन तारिखों को छापा मारा गया; और

(ख) यदि हां, तो उनसे कौन-कौन सी वस्तुएं पकड़ी गई तथा क्या साक्ष्य पाया गया तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख): सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4401. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री सीताराम केसरी :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या इस हड़ताल में एक संसद् सदस्य भी शामिल हुए थे ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 30 जुलाई, 1968 से 15 अगस्त, 1968 तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहे ।

(ख) और (ग) : इस विषय में अपेक्षित सूचना का एक विवरण तारांकित प्रश्न संख्या 134 के उत्तर में 19 फरवरी, 1968 को सभा पटल पर रख दिया गया था ।

इसके अतिरिक्त संघ ने विलिंगडन अस्पताल के प्रबन्धकों के विरुद्ध दुर्व्यवहार और कदाचार के आरोप लगाये हैं जो निराधार पाये गये हैं ।

(घ) जी हां, समाचार पत्र की एक रिपोर्ट के अनुसार ।

Increase in Electricity Rates In U. P.

4402. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the U. P. Electricity Board has increased the electricity rates by 20 per cent with effect from 10th December, 1967 vide its order No. 212/B/68-23 P. B.-13 E, F./58, dated the 3rd April, 1968, and

(b) if so, the extent of increase made by the Western U. P. Electric Power and Supply Co. Ltd, in the electricity rates and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shir Siddheshwar Prasad): (a) and (b) : U P. State Electricity Board has levied a surcharge of 20 per cent on charges of energy supplied by them to various licensees with effect from December 1,1967. As a result thereof, the Western U. P. Electric Light and Power Company submitted proposals for allowing them to increase their rates to enable earning a reasonable return as provided in the SixthSchedule of the Electricity (Supply) Act, 1948. The Government of U. P. examined their proposals and allowed increase in their rates with effect from December 10,1967. The revised rates and the rates prevalent before the revision are give in the statement. placed on the table (Placed in Library, See No. LT-1774/68)

श्री कान्ति देसाई के वाणिज्यिक सम्बन्ध

4403. श्री मधु लिमये : क्या वित्त मंत्री अपने पुत्र/निजी सचिव के वाणिज्य सम्बन्धों के बारे में 30 अप्रैल तथा 24 जुलाई, 1968 के अपने वक्तव्यों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री कान्ति देसाई ने 1964 में डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड की नौकरी ठीक-ठीक कब छोड़ी थी;

(ख) क्या जून, 1964, जब उन्होंने "कम्पनी का कार्य करना छोड़ा" तथा 1 अप्रैल, 1968, जब "सेवा छोड़ने के लाभ" सम्बन्धी नया करार लागू हुआ, के बीच श्री कान्ति देसाई को उक्त कम्पनी से कोई राशि प्राप्त हुई; और

(ग) यदि हां, तो कितनी, क्यों तथा किस हैसियत से ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नौकरी की शर्तों के अनुसार, दोनों में से किसी पक्ष के द्वारा नौकरी खत्म करने के लिये 6 महीने का नोटिस आवश्यक था। डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड के लिये किसी प्रकार का व्यापार नहीं करने के अपने इरादे की श्री कान्तिलाल देसाई ने जून, 1964 में सूचना दी। ऐसा लगता है कि बात-चीत करने के बाद पारस्परिक स्वीकृति से नोटिस की अवधि अक्तूबर, 1964 से शुरु हुई।

(ख) उत्तर हां में है;

(ग) वेतन के रूप में ली गई रकम 2,050 रुपये प्रति मास थी और बिक्री निदेशक के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1964-65 के लिये प्राप्त कमीशन की रकम 26,259 रुपये थी। यह नियुक्ति नोटिस की अवधि की समाप्ति पर 1-4-1965 से कानूनन खत्म हो गई है।

बम्बई जनरल ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड

4404. श्री मधु लिमये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई जनरल ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड तथा उसके निदेशकों के पिछले पांच वर्षों के आय कर तथा सम्पत्ति कर सम्बन्धी विवरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कम्पनी द्वारा दाखिल की गई अथवा सरकार द्वारा प्राप्त की गई उक्त कारपोरेशन की वित्तीय स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख): सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी।

मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड

4405. श्री मधु लिमये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड ने वर्ष 1963–67 (दोनों वर्ष सम्मिलित) की अवधि में धारा 206 के अन्तर्गत फार्म नं० 24 या कोई अन्य फार्म भरा है जिसमें प्रबन्धक वर्ग के वेतन/पद आदि के बारे में ब्यौरा दिया गया है और जिसके अनुसार आयकर अधिनियम के अन्तर्गत तथा आयकर विभाग के नियमों के अन्तर्गत सरकार की ओर से कम्पनियों द्वारा आयकर की कटौती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो डोडसाल प्राइवेट लिमिटेड के बिक्री निदेशक, श्री कांति मोरारजी देसाई के सम्बन्ध में इन फार्मों में दी गई जानकारी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। कम्पनी ने, 1962–63 से 1966–67 (दोनों वर्षों सहित) की अवधि के लिए, धारा 206 के अनुसार आवश्यक फार्म संख्या 24 दाखिल किये हैं।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1775/68**]

अमरीका की मैसर्स बैकटेल कारपोरेशन द्वारा उर्वरक कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव

4406. श्री ग० चं० दीक्षित :
श्री अ० सि० सहगल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका की मैसर्स बैंकटेल कारपोरेशन ने भारत में उर्वरक कारखाने स्थापित करने का अपना इरादा सरकार को 1964 में सूचित किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि बैंकटेल कारपोरेशन का प्रस्ताव मिलने पर भारत सरकार को मैसर्स मोन्टकाटीनी से तकनीकी जानकारी खरीदने के बारे में नये सन्देह हो गये थे; और

(ग) क्या यह भी सच है कि मैसर्स बैंकटेल कारपोरेशन की घोषणा के बाद भारत सरकार ने कोरबा में उर्वरक परियोजना स्थापित करने का विचार त्याग दिया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं। भारत सरकार ने सितम्बर, 1964 में बैंकटेल कारपोरेशन को लगभग 1 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन के उत्पादन के लिये संभाव्य अध्ययन करने के लिये कहा था। बैंकटेल कारेपोरेशन की रिपोर्ट, जो जनवरी, 1965 में प्राप्त हुई थी, में अन्य बातों के साथ-साथ उन शर्तों का जिकर था जिन पर वे अपेक्षित क्षमता की स्थापना के कार्य क्रम में भाग लेंगे।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। बोकटेल प्रस्ताव मई, 1965 में अस्वीकार कर दिया था और आर्थिक आधारों पर कोरबा परियोजना के त्याग देने का निर्णय जुलाई, 1965 में किया गया था।

चलचित्र उद्योग में सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा दिया गया धन-कर

4407. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 लाख से 5 लाख के बीच के धन पर धन-कर देने वाले चल-चित्र उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या है; और

(ख) 5 लाख रुपये तथा उससे अधिक धन पर धन-कर देने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। वह इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

फिल्म कम्पनियों पर बकाया आय-कर

4408. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1968 को (1) बम्बई फिल्म लेबोरेटरीज (प्राइवेट) लिमिटेड बम्बई, (2) पैरामाउन्ट फिल्मस आफ इंडिया लिमिटेड, (3) यूनीवर्सल साइन ट्रेडर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, (4) मेसर्स स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट, (5) टवेन्टियथ सैंचरी फाक्स कारपोरेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (6) सिप्पी फिल्मस प्राइवेट लि० और (7) आर० के० फिल्मस (प्राइवेट) लिमिटेड बम्बई के नाम कितना-कितना आयकर बकाया था; और

(ख) उपरोक्त फिल्म कम्पनियों में से किन-किन से बकाया की वसूली के लिये सरकार ने कार्यवाही की है और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख): सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

अस्पृश्यता

4409. श्री रवि राय : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री एलया पेरुमाल की अध्यक्षता में अस्पृश्यता और अनुसूचित जातियों का आर्थिक तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी समिति ने सुझाव दिया है कि छुआ छूत मानने वाले लोगों को न्यूनतम दण्ड देने की व्यवस्था करने के लिये अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम में संशोधन किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुथ्थाल राव) : (क) और (ख) : समिति की अन्तिम रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है। अन्तरिम रिपोर्ट में समिति ने निम्न सुझाव दिये हैं:—

"समिति का विचार है कि जब तक अधिनियम का उचित संशोधन करके न्यूनतम दण्ड की व्यवस्था नहीं होती, न्याय-लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तथा सामाजिक कानून के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।"

सहकारी अस्पतालों की नरसों के लिये भत्ते तथा सुविधायें

4410. श्री मेघ चन्द्र : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों की नर्सों को मिलने वाले भत्तों और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अस्पतालों में दिन तथा रात की पारियों में नर्सों के लिये काम के घंटे कितने हैं;

(ग) अस्पताल में एक नर्स की देख रेख में औसतन कितने बिस्तर होते हैं; और

(घ) क्या उपरोक्त भत्ते तथा अन्य सुविधाओं सहित सेवा की शर्तें संघ-राज्य क्षेत्र मनीपुर के सहकारी अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों को भी उपलब्ध है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में नियुक्त विभिन्न नर्सिंग कर्मचारी जिन जिन भत्तों को पाने के पात्र हैं, उसका एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1776/68]

(ख) इन अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ को दिन में और रात में दोनों समय आठ-आठ घंटों की शिफ्ट पर लगाया जाता है।

(ग) यह संख्या 10 से 15 के बीच में होती है।

(घ) जी नहीं।

एस० एस० ब्लाक, हरि नगर, दिल्ली में भवन

4411. श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम योजना में एम० एस० ब्लाक हरि नगर दिल्ली को धार्मिक भवन बनाने के लिये निश्चित किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर हिन्दू मन्दिर (पक्का) तथा गुरुद्वारा (पक्का) अभी भी बना हुआ है तथा उसको नियमित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एम० एस० ब्लाक के शेष प्लाटों में बने हुए भवनों को विनियमित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति): (क) से (घ): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

सामान्य बीमे के छोटे एकक

4412. श्री म० ला० सींधी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उन बीमा करने वालों, जिनकी किश्तों (प्रीमियम) से कुल आय 20 लाख रुपये से कम है, आग, समुद्री और विविध विभागों पर लागत का अनुपात क्या है;

(ख) ऐसे एककों द्वारा जिनका कुल प्रीमियम आय 20 लाख रुपये से कम हो उनका अपने दायित्व को पूरा करने के बारे में सरकार का क्या अनुमान है; और

(ग) सामान्य बीमे के कार्य में लगे छोटे एककों को उचित प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अन्तिम वर्ष जिसके सम्बन्ध में आकड़े उपलब्ध हैं वह 1966 है, तथा इस वर्ष के दौरान लागत अनुपातों का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखियें संख्या एल० टी० 1777/68]** लागत अनुपात का अर्थ है, प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय में कमीशन शामिल करके उसका, आग, जहाजरानी तथा विविध विभागों से किश्तों के रूप में हुई शुद्ध आय के प्रति प्रतिशत-अनुपात।

(ख) जहां तक "छोटी इकाइयों" द्वारा अपने दायित्वों को पूरा किये जाने का सवाल है, यह बीमा कम्पनी की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति तथा व्यापार की समृद्धि पर निर्भर करता है।

(ग) बीमा नियम, 1939 के नियम 17–ई के अनुसार जिन अपेक्षाकृत छोटे तथा थोड़े (10 वर्ष से कम का) समय से स्थापित बीमा कम्पनियों के मामले में अधिकृत प्रबन्ध व्यय की एक अपेक्षाकृत ऊंची सीमा तक मन्जूरी दी जाती है उनको छोड़कर, बीमा अधिनियम के अधीन पंजीकृत सभी बीमा करने वाली कम्पनियों से इस सम्बन्ध में एक-समान व्यवहार किया जाता है।

दिल्ली में भूमि तथा गृह-निर्माण सम्बन्धी समस्या

4413. श्री म० ला० सोंधी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली की भूमि तथा गृह-निर्माण सम्बन्धी समस्याओं को वैज्ञानिक आधार पर हल करने के लिये डा० अशीश बोस द्वारा दिये गये सुझावों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार इस निष्कर्ष को स्वीकार करती है कि दिल्ली के शहरी इलाके में भूमि की बढ़ती हुई कीमतों के कुप्रभाव को दूर करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार की योजना में अविलम्ब परिवर्तन की आवश्यकता है; और

(ग) डा० आशीश बोस का प्रतिवेदन सरकार द्वारा विचार करने के लिये किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग): डा० आशीश बोस द्वारा किये गए अध्ययन की रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

तेल की खोज करने के लिये आयल इन्डिया लिमिटेड को नियत किया गया क्षेत्र

4414. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इंडिया लिमिटेड के लिये खोज तथा खुदाई कार्य हेतु कितना और कौनसा क्षेत्र नियत किया गया है; और

(ख) आयल इंडिया लिमिटेड को दिये गये खनन लाईसेन्स की शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) आयल इंडिया लिमिटेड को 4884.54 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्र नियत किया गया है जिसमें से उन्होंने 3664.72 वर्ग मीटर का एक क्षेत्र छोड़ दिया है और बकाया 1219.82 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खोज के लिये रह गया है ।

(ख) खनन पट्टे की शर्तें राज्य सरकार द्वारा औपचारिक रूप से अमल में लाई जाने वाली हैं । तब तक खनन पट्टे के अन्तर्गत लाये जाने वाले क्षेत्र खनन पट्टों के स्वीकृतिपत्रों के अन्तर्गत काम के लिए रखे गये हैं ।

चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध जांच

4415. श्री बे० कु० दासचौधरी : क्या **वित्त** मन्त्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2782 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्र उद्योग के श्री एम० आर० राधा तथा सुश्री हेमा मालिनी के विरुद्ध जांच के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग); सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों पर कर की बकाया राशि

4416. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित निम्नलिखित व्यक्तियों पर 31 मार्च, 1968 को आयकर की कितनी राशि बकाया थी;

(1) श्री वी० के० आदर्श (2) श्री पूरन चन्द शाह (चलचित्र वित्तपोषक) (3) श्री राज कुमार (फिल्मी कलाकार) (4) श्री फीरोज खां (फिल्मी कलाकार) (5) श्री आर० डी० बंसल (चलचित्र निर्माता) (6) श्री रघुनाथ झलानी (चलचित्र वितरक) (7) श्री वी० वी० पुरी (चलचित्र वित्तपोषक) (8) साहनी एंटर्प्राइसेस (प्राइवेट) लिमिटेड (9) श्री एन० एन० सिप्पी (10) श्री शक्ति सामन्त (फिल्म प्रोड्यूसर) (11) सुश्री शर्मिला टेगोर (12) श्री एस० डी० बर्मन (चलचित्र संगीत निदेशक);

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन से बकाया राशि वसूल करने के लिये कार्यवाही की गई है और प्रत्येक मामले में किस प्रकार की कार्यवाही की गई है; और

(ग) किन व्यक्तियों के विरूद्ध फौजदारी मुकदमें दायर किये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग): सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा आयकर का भुगतान

4417. श्री जुगल मण्डल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963 से 1967 की अवधि में प्रति वर्ष चलचित्र उद्योग के निम्नलिखित कर दाताओं ने कितनी-कितनी आय घोषित की थी और आयकर विभाग ने वास्तव में कितनी आय पर कर लगाया;

(1) सत्यजीत राय निर्माता (2) श्री एस० डी० नारंग (3) श्री आर० चन्द्रा (4) श्री ओम प्रकाश कनिष्ठ (5) श्री मोहन सहगल (6) श्री वी० शांताराम (7) श्री जे० बी० रूंगटा (8) श्री रोशन लाल मल्होत्रा (9) श्री पन्नालाल महेश्वरी (10) श्री सुबोध मुकर्जी (11) श्री नारी सिप्पी (12) श्री बी० आर० चोपड़ा (13) श्री यश चोपड़ा (14) श्री शक्ति सामन्त (15) श्री कनी तलवार (16) श्री रामानन्द सागर और (17) श्री जी० पी० सिप्पी;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके विरूद्ध आय की गलत घोषणा करने के लिए कार्यवाही की गई थी और प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई थी और यदि कोई आर्थिक दण्ड दिया गया था तो उसकी राशि कितनी-कितनी थी; और

(ग) उनके विरूद्ध विधि में उपबन्धित कार्यवाही न करने के प्रत्येक मामले में क्या कारण है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग): सम्बन्धित आय-कर आयुक्तों से सूचना मंगवाई गयी है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

जापान को ऋण लौटाना

4418. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत जापान को वर्ष 1968-69 में इसको मिलने वाली वास्तविक सहायता की तुलना में ऋण लौटाने के रूप में अधिक राशि का भुगतान करेगा;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 में भारत द्वारा ऋण लौटाने के रूप में कितनी राशि का भुगतान करने की सम्भावना है और इसको जापान से कितनी सहायता मिलेगी;

(ग) क्या सरकार ने ऋण लौटाने के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत द्वारा ऋण लौटाने के कार्यक्रम में परिवर्तन करने के बारे में जापान सरकार के साथ कोई समझौता हो गया है ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): जापान ने अब तक 1968-69 में कुल 450 लाख डालर (33.75 करोड़ रुपये) तक की सहायता देने का वचन दिया है। इसमें, ऋण लौटाने के कार्यक्रम में परिवर्तन करने की सुविधा भी शामिल है।

इसी वर्ष में, लौटाये जाने वाले येन ऋणों की देनदारी अर्थात् वापस की जाने वाली मूल रकम और चुकायी जाने वाली ब्याज की रकम 358.1 लाख डालर (25.52 करोड़ रुपया) आंकी गयी है।

(ग) और (घ): जापान ने, 1968-69 के लिए केवल 168.3 लाख डालर (12.62 करोड़ रुपये) तक के ऋण लौटाने के कार्यक्रम में परिवर्तन करने की सुविधा प्रदान की है। इस सम्बन्ध में, जापान सरकार के साथ 25 जुलाई, 1968 को पत्रों का विनिमय किया गया है।

दिल्ली में आने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को रियायतें

4419. श्री प्र० र० ठाकुर : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिश पर दिल्ली प्रशासन ने बहुत पहले यह निर्णय किया था कि दिल्ली में अन्य राज्यों से आने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी वही सुविधाएं/रियायतें दी जायेंगी जो दिल्ली के अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मिलती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन इस अवधि में इस नीति का समान रूप से अनुसरण कर रहीं है;

(ग) क्या अन्य राज्यों के ऐसे विद्यार्थियों को अभी भी सलाह दी जाती है कि वे अपनी राज्य सरकारों से सुविधाएं पाने के लिये प्रार्थना करें; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुथ्थालराव) : (क) से (घ) : पूर्व-मैट्रिक स्तर पर दिल्ली प्रशासन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को, चाहे उनका निवास स्थान कोई भी है, छात्र-वृत्तियां तथा वजीफे मंजूर करता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के केवल उन्हीं विद्यार्थियों को, जो किसी संघ राज्य क्षेत्र के वास्तविक निवासी हैं, परीक्षा देने से भी छूट दी जाती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियोंके अन्य सभी विद्यार्थियों को भी यह रियायत दिए जाने पर विचार किया जा रहा है।

मैट्रिकोत्तर स्तर पर परीक्षा फीसों की अदायगी से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के केवल उन्हीं विद्यार्थियों को छूट दी जाती है जो किसी संघ-राज्य क्षेत्र के वास्तविक निवासी हों। अन्य सभी रियायतों/छात्रवृत्तियों के लिए एक विद्यार्थी को उस राज्य की सरकार को आवेदन-पत्र देने पड़ते हैं, जिस का वह निवासी हो। यह अपेक्षा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के राज्य-वार संविधानिक अनुसूचीकरण के अनुसार है।

समाज सेवा पदाली

4420. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के समाज कल्याण विभाग की समाज सेवा पदालि के ढांचे पर समूचे देश में एक समाज सेवा पदालि बनाने का कोई प्रस्ताव या सुझाव है;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम है; और

(ग) क्या इस सेवा के लिये विशेष पदालि स्थापित करने के लिये कोई नया प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुथ्थालराव) : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नहीं, श्रीमान।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्र शेखर) : मैं श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 25 फरवरी, 1968 की उद्घोषणा, दिनांक 15 अप्रैल 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खंड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नगर महापालिका इलाहाबाद, द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर के निर्धारण तथा कर एकत्रित करने सम्बन्धी नियमों की एक प्रति जो दिनांक 9 फरवरी, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 180-बी/XI-सी-27-एम टी-61 में प्रकाशित हुए थे। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सीमा शुल्क अधिनियम, तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति,—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 94वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1463 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 95वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1464 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 96वां संशोधन नियम 1968 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1465 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 97वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1466 में प्रकाशित हुए थे।

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) जी० एस० आर० 1455 जो दिनांक 1 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 1467 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० एस० आर० 1468 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) जी० एस० आर० 1469 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) जी० एस० आर० 1470 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 29 जून, 1968 की जी० एस० आर० 1212 का शुद्धिपत्र दिया गया है ।

(छः) जी० एस० आर० 1471 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 29 जून, 1968 की जी० एस० आर० 1217 का शुद्धिपत्र दिया गया है ।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 25 फरवरी, 1968 की उदघोषणा दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विक्रय कर अधिनियम, 1948 की उपधारा 3 के की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित की अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अधिसूचना संख्या एस टी-78-ए/X-902 (9)-61 जो दिनांक 1 फरवरी, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) अधिसूचना संख्या एस टी-747/X-950 (22)-67 जो दिनांक 1 मार्च, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) अधिसूचना संख्या एस टी-247/X-900 (12)-68 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) अधिसूचना संख्या एस टी-1022/X-902 (8)-65 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) अधिसूचना संख्या एस टी०-1377/X-902 (8)-65 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) अधिसूचना संख्या एस टी-1920/X-950 (1)-64 जो दिनांक 1 मई, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) अधिसूचना संख्या एस टी-1921/x-950 (1)-64 जो दिनांक 1 मई, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(4) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 25 फरवरी, 1968 की उद्घोषणा दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (च) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विक्रय कर अधिनियम, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 24 फरवरी, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस टी-615/X-948 (3)-1967 में प्रकाशित हुए थे ।

(5) ऊपर की मद (3) और (4) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

लोक-पाल तथा लोकायुक्त विधेयक
LOK-PAL AND LOK-AYUKT BILL

संयुक्त समिति में राज्य सभा के एक सदस्य की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव

श्री तेन्नेटि विश्वनायम (विशाखापत्तनम) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँः—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सरकार या कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या की ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्रवाई के अन्वेषण के लिए कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वालों विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्तता में, राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: --

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सरकार या कतिपय लोकप्राधिकारियों द्वारा या की ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्रवाई के अन्वेषण के लिए कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों की और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति

के लिए, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्तता में, राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

न्यायाधीश (जांच) विधेयक
JUDGES (INQUIRY) BILL

खण्ड 6, 7 और 1

अध्यक्ष महोदय : अब हम न्यायाधीश (जांच) विधेयक पर आगे खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे। पहले हम खण्ड 6 तथा उसके संशोधनों पर विचार आरम्भ करते हैं।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, I have written a letter to you that I want to move an adjournment motion under Rule 340. As you know five thousand State Government employees have come and are standing outside the Parliament House.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने कागज की केवल एक पर्ची भेजी है और चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही रोक दी जाये। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। अब वह जो कुछ भी बोलेंगे उसका अभिलेख नहीं किया जायेगा।

श्री जार्ज फरनेंडीज : *** .....

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं एक मूलभूत प्रश्न उठाता हूं। पांच हजार आदमी बाहर आये हुए हैं और वे संसद् सदस्यों से मिलना चाहते हैं न कि गृह कार्य मंत्री से। वे केवल संसद् भवन के पास तक पहुंचना चाहते हैं और जनता के प्रतिनिधियों से मिलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यह सभा स्थगित की जाये और उनके मामले पर विचार किया जाना चाहिए। गृह कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

खण्डों पर विचार
Consideration of Clauses

अध्यक्ष महोदय : अगर इस तरह भाषण दिये जाते रहे तो वे समाप्त नहीं हो सकते। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। अगर सदस्य उनसे मिलना चाहते हैं तो बाहर जाकर मिल सकते हैं। गृह-कार्य मंत्री खण्ड 6 में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहते हैं:—

पृष्ठ 4, पंक्ति 32, 'अस्वीकृत हो' के स्थान पर 'के बारे में कार्यवाही न की जाय'।

*** अभिलेख नहीं किया गया

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : खण्ड 6 के बारे में मेरे दो संशोधन हैं जिन्हें मैं पेश करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वे पहले ही पेश किये जा चुके हैं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : ये संशोधन केवल औपचारिक रूप से ही पेश किये गये थे। अब मैं इन संशोधनों पर बोलना चाहता हूं।

संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के अधीन संसद् को प्रस्ताव पेश करने की शक्ति प्राप्त है। जो समिति नियुक्त की जायेगी वह सभा की समिति नहीं होगी। उस समिति में बाहर के लोग होंगे। इसका अर्थ यह है कि संसद् को मतदान देने और संकल्प का प्रस्ताव पास करने की शक्ति को प्रत्यायोजित करने या छोड़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है क्योंकि इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन यदि समिति कहती है कि न्यायाधीश अयोग्य नहीं हैं या उसे हटाया जाना चाहिए तो वह मामला सभा में नहीं उठाया जायेगा और वह रद्द हो जायेगा। इस तरह प्रस्ताव पर विचार करने या उस पर मतदान करने के सम्बन्ध में इस सभा की शक्ति को छीना जा रहा है, जबकि संविधान में सभा की अपनी शक्ति त्यागने तथा इसे किसी व्यक्ति को प्रत्यायोजित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। संसद् का यह अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए और यद्यपि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश अपराधी नहीं है फिर भी सभा को उसके आचरण पर चर्चा करने का अधिकार होना चाहिए।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (गृह कार्य मंत्री) : संविधान की पूरी योजना यह है कि यदि सभा में किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करनी है तो वह उसके कदाचार सिद्ध होने पर ही होनी चाहिए, यदि ऐसा साबित नहीं होता तो किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करना इस सभा के लिए बहुत ही अनुचित होगा। समिति का प्रयोजन यह देखना है कि क्या दुर्व्यवहार किया गया है या नहीं। यदि यह साबित हो जाता है तभी सभा उस पर चर्चा कर सकती है यदि हम संविधान का अनुच्छेद 121 देखें तो हमें पता चलेगा कि उसके द्वारा किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने पर रोक लगाई गई है। इस विधेयक के द्वारा हम रोक नहीं लगा रहे हैं। इस समूचे विधेयक का उद्देश्य उस चर्चा को सरल बनाना है और चर्चा की सुविधा का प्रश्न तभी उठेगा जब उस समिति के, जो इसकी जांच करेगी; निष्कर्ष प्राप्त हो जाएंगे। जब दो से अधिक व्यक्तियों की समिति होगी और इसका निष्कर्ष स्वीकार करना होगा तो स्वाभाविक ही हमें इस सामान्य नियम पर अमल करना होगा कि बहुसंख्यक निर्णय को पूरी समिति के निर्णय के रूप में स्वीकार करना होगा। यदि हम सर्व सम्मति की आशा करते है तो हम सारी बात को असम्भव बना देगें। ऐसी स्थिति में एक ही व्यक्ति को जांच के लिए नियुक्त करना अधिक अच्छा होगा लेकिन इससे भी अनेक कठिनाइयां पैदा होंगी।

श्री श्रीनिवास मिश्र : विधेयक के खण्ड 6 (1) में कहा गया है कि यदि समिति का निष्कर्ष विपरीत हो तो संसद की किसी में निलम्बित सम्बन्धित प्रस्ताव अस्वीकृत समझा जाय। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद् से बाहर की प्राधिकारी शक्ति के निष्कर्ष के आधार पर संसद् की किसी सभा का प्रस्ताव अस्वीकृत समझा जायेगा, पर यह असंवैधानिक बात है।

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली) : श्री मिश्र ने अपनी यह आपत्ति इस पूर्व कल्पना के आधार पर उठाई है कि इस विधेयक के अन्तर्गत ये जो समिति नियुक्त की जायेगी वह सभा के समक्ष रखे प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देगी।

श्री नाथ पाई : यदि संसद् द्वारा सीधी समिति नियुक्त की जाती है तो उसे संसद् का छोटा प्रतीक समझा जा सकता है। पर यह समिति संसद् द्वारा नियुक्त नहीं की जायेगी बल्कि आप नियुक्त करेंगे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने का संसद का अधिकार निरंकुश नहीं है। सभा में इस बारे में चर्चा तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति को एक अभ्यावेदन पेश करने का प्रस्ताव सभा में पेश कर दिया जाये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : पर यह प्रस्ताव तो राष्ट्रपति को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का हुआ। यदि मैं किसी न्यायाधीश को उसके कदाचरण का अभियोग लगाना चाहता हूं तो उस न्यायाधीश को हटाने का केवल एक ही प्रस्ताव राष्ट्रपति के सामने अभ्यावेदन के रूप में पेश किया जायेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : If the Committee arrive at the conclusion that no action should be taken against the judge and on the other hand the Parliament is empowered to reconsider if, no judge would like to be appointed in the Committee. Once this House appoints an Inquiry Committee, there is no other alternative before the House but to accept its decision although it seems to be objectionable that the Parliament will not have the power to consider the decision of such Committee. It is, therefore, not proper to put the words 'stand rejected'.

श्री नाथ पाई : इन शब्दों को बदलने के बाद भी हमारी आपत्ति समाप्त नहीं होती। क्योंकि यह समिति अध्यक्ष महोदय द्वारा नियुक्त की जायेगी और संसद से इस मामले पर आगे कार्यवाही करने का अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए यह ठीक बात नहीं है।

श्री हीरेन मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : गृह-कार्य इस पर विचार करने के लिए कुछ और समय ले सकते हैं और कोई मध्यम मार्ग निकाल सकते हैं, क्योंकि इस विधेयक का सम्बन्ध संसद के अधिकार से है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्य महोदय की बात से सहमत हूं पर जब तक गृह-कार्य मंत्री इसे न मानें तब तक मैं क्या कर सकता हूं। मैं खंड 6 के सभी संशोधन मतदान के लिये रख रहा हूं।

संशोधन पेश किये गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"कि संशोधित रूप में खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

संशोधित रूप में खण्ड 6 विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 6, as amended was added to the Bill.

तब खंड 7 विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 7, was then added to the Bill.

तब खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were then added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पास किया जाये"

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं इस विधेयक पर इसलिये बोलना चाहता हूं क्योंकि गृह कार्य मंत्री ने कहा है कि यह विधेयक क्योंकि प्रवर समिति के पास जा चुका है इसलिए यह सभा इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती । मंत्री महोदय का यह दृष्टिकोण अपनाना खतरनाक है कि सभा को, जिसके पास विधेयक पर चर्चा करने तथा उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया मौजूद है, ऐसा करने से इसलिए रोका जाये कि विधेयक प्रवर समिति के पास जा चुका है ।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the chair* }

श्री हीरेन मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : विधि मंत्रालय के सचिव ने संसदीय अध्ययन संस्था द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका के हाल ही के अंक में लिखा था कि हर विधेयक के लिए प्रवर समिति होना बहुत जरूरी है क्योंकि सभा में सुझाये गये संशोधनों को स्वीकार करने के बारे में मंत्रियों को शीघ्र निर्णय लेने में असुविधा रहती है ।

मुझे आशा है कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों का आचरण और व्यवहार ठीक ही होता है कि इस तरह का विधेयक लाना एक असाधारण बात है । यदि मैं न्यायाधीश होता तो मैंने इस बात को काफी बुरा अनुभव किया होता कि न्यायाधीश को हमेशा अपने आचरण के बारे में जांच होने की आशंका बनी रहे । पर देश में स्थिति ही कुछ ऐसी है कि न्यायाधीशों के आचरण के बारे में समय समय पर जांच होना आवश्यक हो गया है ।

न्यायपालिका और उच्चतर न्यायिक अधिकारियों तथा अन्य विधिवेत्ताओं के मन में कार्यपालिका के खर्चे के बारे में बहुत उचित आशंका है और जब तक यह धारणा बनी रहेगी तब तक हम जो भी संरक्षण रखें, उनसे कोई लाभ नहीं होगा ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : This Bill has been necessitated because of two incidents which came to the notice of Government. First incident was that of Justice Imam and the second one was that of controversy between U. P. Assembly and U. P. High Court. In the case of Justice Imam the greatest authority on medicine Dr. Vig had declared him to be fit but Pandit Nehru did not want more burden to be put on him. Shri Chavan should be clear in his mind as to what he would do in case some authority on medicine declares a judge to be fit to bear the burden of responsibility of office. Secondly, we have to keep in mind one possibility: there may be difference of opinion between Assembaly and High Court or between Parliament and Supreme Court over some issue and in such a situation that Assembly or Parliament may take revenge from a particular judge. Such a thing would not set a healthy example. I feel that this law should not be resorted to frequently. Our country has different kinds of traditions. In our culture we have the example of Rama who abandoned Sita simply because a Washerman had taunted his wife by giving the example of Rama's acceptance of Sita after she had spent a number of years in Ravana's captivity. So I think judges should not be made to feel that they are under pressure of Members. They should have the conviction that they can get justice here.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : यह विधेयक अनुच्छेद 124 (5) के अनुसार पेश किया गया है जिसमें समावेदन उपस्थापित करने की प्रक्रिया का विनियमन करने का अधिकार सभा को दिया गया है। परन्तु गृह-मंत्री प्रक्रिया का विनियमन न करते हुए एक समिति द्वारा निष्कर्ष पर ही पहुंच रहे हैं। अतः यह विधेयक निर्धारित सीमा से आगे बढ गया है। फिर मंत्री महोदय ने यह कह कर अनुच्छेद 121 का सहारा लिया कि इसके अन्तर्गत न्यायाधीशों के आचरण या कदाचार पर इस सभा में चर्चा पर रोक लगाई गई है। परन्तु इसी अनुच्छेद में उपबन्ध है कि किसी न्यायाधीश के आचरण या कदाचार के कारण उसे हटाये जाने का प्रस्ताव पेश होते ही वह रोक समाप्त हो जाएगी।

एक प्रश्न यह है कि ऐसा मामला सभा के समक्ष आ जाने पर व्यवहारिक दृष्टि से क्या होगा। इस विधेयक के अनुसार काफी संख्या में सदस्य इस आशय का प्रस्ताव रखेंगे जो अध्यक्ष द्वारा हमारे नियमों के अनुसार गृहीत किया जायेगा। अब मान लीजिये कि जांच करने वाले तीन सदस्यों में से दो सदस्य कहते हैं कि कदाचार सिद्ध नहीं हुआ, परन्तु एक सदस्य विमति-टिप्पण देता है। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव अस्वीकार हो जायगा। परन्तु अस्वीकार कौन करेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कहा गया है "आगे कार्यवाही नहीं हो।" यह अस्वीकार नहीं होगा।

श्री श्रीनिवास मिश्र : अनुच्छेद 124 (4) में उपबन्ध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल संसद के दोनों सदनों के बहुमत द्वारा किये गये समावेदन के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, तो क्या यहां मतों की गणना की जायेगी। यह तर्क दिया गया है कि इस सभा को न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं है। परन्तु संविधान में यह अधिकार दिया गया है। बहुमत सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसा भी हो सकता है कि सभा गलत कार्रवाई करे। अध्यक्ष इस सभा में चर्चा पर रोक भी लगा सकता है और मुखबंध का प्रयोग कर सकता है। इसलिये यद्यपि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु मैं मह-

सूस करता हूं कि इसे इस सीमा तक नहीं जाना चाहिए जिस सीमा तक यह अब चल गया है। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि अनुच्छेद 118 का उल्लंघन किया जा रहा है।

श्री नारायण राव (बोबिल्ली) : यह धारणा बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि संवैधानिक दृष्टि से यह गलत है। संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की जायगी ? इस सभा के सौ और राज्य सभा के पचास सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाये जाने पर इस विषय में कार्यवाही आरम्भ होगी। फिर संविधान के उपबन्धों के अनुसार इसका विनियमन होगा। हमें कैसे मालूम होगा कि कदाचार सिद्ध हुआ है या नहीं ? यदि समिति कहती है कि कदाचार सिद्ध नहीं हुआ तो सभा में इस बारे में चर्चा नहीं होगी। इसलिए मेरे माननीय मित्र का तर्क गलत है।

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : श्री लोबो प्रभु ने कहा कि मैं संयुक्त समिति की सिफारिशों को सिद्धान्त बना रहा हूं। यह बात सही नहीं है। मेरे लिए संयुक्त समिति का प्रतिवेदन महत्वपूर्ण है चूंकि मैं उससे सहमत हूं। श्री मुकर्जी ने कहा कि सभा में जो बातें कही गई मैंने उन पर विचार नहीं किया। मैं सभा में व्यक्त किये गये विचारों की उपेक्षा नहीं करता, मैं उनकी कदर करता हूं परन्तु मेरे इस विषय में निश्चित विचार हैं, अतः मैं उन पर जोर देता हूं। श्री अब्दुल गनी दार ने कहा कि मुझे अपना दिमाग साफ कर लेना चाहिए। उन्होंने एक न्यायाधीश की पदोन्नति के मामले का उल्लेख किया। परन्तु हम न्यायाधीश को हटाने के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस वास्ते किसी को दिमाग साफ करने की जरूरत है तो वह उनको है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 म० प० तक के लिये स्थगित हुई।
The Lok-Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।
The Lok-Sabha reassewbled after Lunch at fourteen of the Clock.

[**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुई**
Shrimati Tarkeshwari Sinha *in the Chair*]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे, 1968-69

DEMENDS FOR SUPPLEMENTRY GRANTS (RALIWAYS 1968-69

सभापति महोदया : अब अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1968-69 ली जायेगी ।

सभापति महोदया द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) प्रस्तुत की गई:—

मांग संख्या	मांग का नाम	राशि
		रु०
2	विविध व्यय	3,000
15	चालू लाइन निर्माण-पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	1,01,000

सभापति महोदया द्वारा वर्ष 1968-69 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	सदस्य का नाम	आधार	राशि
15	4	श्री रामावतार शास्त्री	रेल दुर्घटनाओं को रोकने में रेलवे बोर्ड की असफलता ।	3,000
	5	तदेव	रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिये स्टेशन मास्टर एसोसियेशन का सहयोग स्वीकार करने की आवश्यकता ।	3,000
	6	तदेव	दुर्घटनाओं को रोकने के लिये श्रमिकों का काम कम करने में असफलता ।	3,000
	7	,,	रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न रेलवे यूनियनों का सम्मेलन आयोजित करने की आवश्यकता ।	3,000

15	8	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय जांच आयोग की असफलता ।	3,000
	9	,,	रेलवे सम्पर्क विभाग का असंतोषजनक कार्य ।	
	10	,,	रेलवे निरीक्षणालयों में संसद् सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	3,000
	11	,,	फतूहा-इस्लामपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता	1,04,000
	12	,,	आराह–सासराम लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता	1,01,000
	13	,,	समस्तीपुर से दरभंगा तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता ।	1,01,000
	14	,,	बरौनी–कटिहार छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता	1,01,000
	15	,,	जमालपुर रेलवे वर्कशाप से स्टाक की चोरी का रोकने में असफलता ।	1,01,000
	16	,,	रेल के इंजनों के निर्माण में देश को आत्मनिर्भर बनाने में असफलता ।	1,01,000
	17	,,	देश में और इंजन बनाने के कारखाने बनाने में असफलता ।	

15	18	श्री रामावतार शास्त्री	पत्रातु डीज़ल लोको वर्क्स का विस्तार करने की आवश्यकता ।	
	19	,,	रेलवे वर्कशापों के कर्मचारियों के लिये पर्याप्त संख्या में बनाने में असफलता ।	1,01,000
	20	,,	पूर्वी रेलवे की पटना गया लाइन में दोहरी पटरी की व्यवस्था करने में असफलता ।	1,01,000

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : It is very alarming that the number of railway accidents are gradually on the increase. Regarding 143 accidents the hon. Minister said that other than railway staff are responsible for them. I am unable to understand it.

श्री शे० मु० पुनाचा : मैं इसे समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं । यदि किसी लेवल क्रासिंग पर कोई ट्रक वाला गाड़ी से टक्कर मारता है तो उसके लिए रेलवे कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है ।

Shri Ramavtar Shastri : Why should the Railway Board not own responsibility for them directly ? It is not proper to shift responsibility on others. The hon. Minister propose to call a meeting of Members and representatives of recognised unions to consider this problem. I welcome this step. But I suggest that non-recognised unions should also be invited to take part in the proposed deliberations. Cooperation of all should be sought- A mechanics union of Patna had communicated that they have a devise to stop two trains coming on one and the same line from two opposite directions. The hon. Minister should call them and discuss about the mechanism that they have developed.

In order to check accidents it is essential to reduce the number of working hours of labourers. Railway employees are mostly discontented today. Their grievances ought to be removed and a sense of contentment restored in order to improve the working of railway machinery.

Shri Sheo Narayan (Basti) : I support the Demands but I would appeal to the hon. Minister to arrange to construct railway crossings wherever they are necessary. Regarding the demands of workers I want to tell my communist friends that it is they who are responsible for all what is happening today. Such people should be dealt with strictly. There is widespread dissatisfaction among the people in so far as the functioning of railways is concerned. Railways are a hell for third class passengers. Railway trains never reach in time. I want the Government to look into all these matters and remedy the situation. The Leftist and Communists should be set right.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालौर) : रेल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं । हर साल लगभग 4,000 लोग गाड़ियों के नीचे आते हैं, हर साल लगभग 6,000 रेल दुर्घटनाएं होती

हैं और मुझे बताया गया है कि इनमें से 50 प्रतिशत दुर्घटनाएं यांत्रिक त्रुटियों के कारण होती हैं। रेलवे में प्रशासनिक अकुशलता बढ़ गई है और कार्य-निष्पादन का स्तर गिर गया है। 1966–67 से इस मंत्रालय द्वारा घाटा दिखाया जा रहा है। इस साल भी यही सम्भावना है कि घाटा ही होगा। इसके कई कारण हैं।

सबसे बड़ा कारण यह है कि कार्य-संचालन में कुशलता नहीं रही और खर्च को कम नहीं किया जा सका है। 1946–47 की तुलना में राजपत्रित अधिकारियों की संख्या 300 प्रतिशत बढ़ गई है जबकि यातायात से आय दुगुनी से अधिक नहीं हुई। प्रति वैगन का प्रतिदिन प्रति किलोमीटर प्रयोग 1966–67 में 59 था और अब 56 रह गया है। इसी तरह इंजनों का प्रयोग भी कम हुआ है। परन्तु इसके बावजूद वैगन प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। सौराष्ट्र में वैगनों की बहुत कमी है। राजस्थान में भी यही स्थिति है।

रेलवे में चोरियों के कारण बहुत हानि होती है। मुगलसराय बहुत बड़ा रेलवे यार्ड है जहां से हर रोज 6,000 वैगन गुजरते हैं और 24 घंटे काम होता है। वहां गार्ड और रेलवे संरक्षण बल के कर्मचारी आंखें मूंद लेते हैं क्योंकि चोरी के माल का हिस्सा उन्हें भी मिलता है। आपको आश्चर्य होगा कि मुगलसराय नगर को कोयले की जरुरत यार्ड से चोरी किये गये कोयले से पूरी होती है।

जिला अधिकारियों का अनुमान है कि सिर्फ मुगलसराय में हर रोज एक लाख रुपये की वस्तुओं की चोरी होती है। कलकत्ता के रेलवे यार्ड में भी यही स्थिति है। जो माल वैगनों से निकल जाता है उसके दावों का निबटारा सालों तक नहीं होता। रेलवे संरक्षण बल पर हम लगभग दस करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च कर रहे हैं। यदि इस बल का लाभ ही नहीं है तो इस विषय में किफायत की जा सकती है।

उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध नहीं होती। दावों का शीघ्र निबटारा नहीं होता, वैगन नहीं मिलते। इन सब कुरीतियों का कारण यह है कि रेलें शतप्रतिशत एकाधिकार में काम कर रही हैं। सड़क परिवहन के समान इनमें स्पर्धा नहीं है। अन्त में अपना तीव्र रोष प्रकट करने के लिए हम इन मांगों को अस्वीकार करते हैं।

Shri Deorao Patiel (Yeotmal) : I want to support the Demands. The railway services should be expanded mainly in view of the transport of coal, iron ore and other mineral products. Such raw material has been found in our District Yeotmal by which a cement factory can be set up there. The State Government has submitted proposal in this regard and survey has also been conducted but Government have not paid attention to it. A demands is being made for the last so many days that Yeotmal-Alipur, via Murtijapur line may be converted into broad gauge line. Steps should be taken in this regard. Another suggestion that I would like to give is that Yeotmal-Achalpur, via Murtijapur line should be taken over by Government.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : अतिरिक्त अनुदानों की मांगे पेश करना एक नियमित बात हो गई है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन फरवरी, 1967 में प्रकाशित हुआ था जिसमें बताया गया कि ये खर्च अनुदान के अतिरिक्त है। विनियोग लेखे 24 फरवरी, 1967 को प्रकाशित किये गये थे। फिर मंत्रालय ने इस अतिरिक्त खर्च के विनियमन में इतना समय क्यों लिया ?

अब तक इसका विनियमन क्यों नहीं कराया गया ? लोक लेखा समिति ने भी कहा है कि खर्च का अनुमान वास्तविक होना चाहिए और अतिरिक्त अनुदान इतना समय बाद नहीं लाये जाने चाहिए ।

रेल दुर्घटनाओं की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है । इन्हें रोकने का कोई उपाय होना चाहिए ।

जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है अभी तक उड़ीसा राज्य की राजधानी और दिल्ली के बीच कोई सीधी गाड़ी नहीं है । जब पूछा जाता है तो उत्तर यह मिलता है कि भुवनेश्वर या कटक से चलने वाली बोगी का प्रयोग नहीं हो रहा है । परन्तु वास्तविकता यह है कि जनता उस बोगी में यात्रा करना पसन्द नहीं करती । उन्हें आसनसोल में दो से तीन घण्टे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री आश्वासन देंगे कि सभी राज्यों की राजधानियों से दिल्ली तक सिधी गाड़ियां चलाई जायेंगी ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : I will speak on Supplementary Demands for Grants No. 1, 2, 7, and 15. We are unable to understand why so many accidents occur on railways. There is a widespread discontentment among all categories of railways employees, where they are S. M, S., A. S. M. S. or guards or commercial clerks. There grievances are not headed to. There is no parity. No attention has been paid to our demand that separate wage boards be appointed for different categories of employees.

Then, I am sorry to say that no provision has been made for converting metre gauge lines into broad guage lines in Rajasthan. All the metre guage lines in Rajasthan should be converted in to broad gauge lines.

There is a very wrong practice that high officials of Railways try to victimise subordinate staff on the basis of petty and trivial grounds. It should be remedied. The hon. Minister has said that Kota-Bundi line would prove uneconomical. At least 40 buses ply from Bundi to Kota. How than road transport is uneconomical on that route. It is simply because of lack of railway line that the proposed cement factory has not started functioning at Bundi. I want to record my strong protest to the manner in which Rajasthan is being neglected by Railway Ministry. Guna Maksi line has not been completed so far. I want it to be completed expeditiously. In fast running trains III class compartments should be increased.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : The people of sambhal in District Moradabad submitted a memorandum to hon. Railway Minister in which they put forth a demand that Moradabad be linked with Sambhal via Hasanpur Gajraula by Railway line. This matter is under consideration for the last four years but no action has so far been taken. I want to know by what time this proposal would be put into practice.

All India Railway Guards Union has demanded that they should be given the same travelling allowance as is given to Railway engine drivers. I want to know the reaction of the hon. Mtnister to this demand.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.* }

Shri OnkarLal Bohra (Chittorgarh) While supporting the Demands I would appeal to the hon. Minister to give attention to the difficulties being experienced in Rajasthan. Rajasthan is a border State but its big cities are linked by metre gauge lines. This should not be so. Moreover, while running fast trains in big cities small cities ought nor to be neglected. About Kota-Chittorgarh railway line it has been pointed out that it is uneconomical. This line should be surveyed once again. Metre gauge lines should be converted into broad guage lines in Rajasthan, Particularly in big cities. Lastly, there should be one compartment from Udaipur direct to Delhi.

Sari Maharaj Singh Bharati (Meerut) : Firstly, I want to know by what time the hon. Minister propose to convert Shahdra-Saharanpur Light Railway into Broad gauge line ? Secondly, Delhi being the capital, has any master plan for railways' been prepared for this city ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : एक तो ये मांगे न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप कतिपय अप्रत्याशित खर्चों की मदों से सम्बन्धित है, दूसरे नयी सेवाओं, कुछ नये निर्माण कार्यों आदि की इस वर्ष की योजनाए है जिनके लिए सांकेतिक उपबन्ध करना आवश्यक होगा ।

इस चर्चा में मैं तीन मुख्य बातों का उल्लेख करूंगा । उनमें से एक दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या के बारे में है । यह कहना गलत है कि रेल दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है । आग लगने से, लेवल क्रांसिग पर और पटरी से उतर जाने से जो दुर्घटनाएं होती है उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है । गाड़ियों के टकराने से दुर्घटनाओं की संख्या अवश्य बढ़ी है । हम इस बारे में विस्तृत जांच करने वाले हैं । दुर्घटनाओं की चर्चा करते समय यह तथ्य भुला दिया जाता है कि देश बाढ़ की स्थिति, सूखे की स्थिति, दुर्लभता की स्थिति इत्यादि के कारण रेलवे को कितना अतिरिक्त बोझ सहना पड़ रहा है । इसके अलावा इस वर्ष हमें पंजाब से और हरियाणा से 13 लाख मीट्रिक टन अनाज अन्य राज्यों को ले जाना पड़ा ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया ने वैगनों के प्रयोग की बात कही । परन्तु परिवहन का ढांचा कुछ ऐसा रहा कि वैगन दूर-दूर से खाली वापस आये । इस कारण उनके प्रयोग का अनुपात कम रहा ।

एक बात यह कही गई कि रेलवे की अपेक्षा सड़क यातायात बढ़ गया है । मैं यह बात मानता हूं । परन्तु इससे यह बात सिद्ध होती है कि बहुमुखी विकास हो रहा है । एक बात यह भी स्मरण रखने की है कि रेलवे में भाड़े की दरें वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित की गई हैं । ये दरें वस्तुओं के आधार पर भिन्न-भिन्न हैं । कुछ वस्तुओं पर भाड़ा अधिक है और कुछ पर कम । परन्तु सड़क द्वारा माल ढोने वालों में ऐसा कोई अन्तर नहीं है । वे मीलों के आधार पर भाड़ा लेते हैं । इसके अलावा रेलवे को जनहित में कुछ आवश्यक वस्तुओं पर भाड़ा रियायती दरों पर लेना पड़ता है । रेलवे का एक उद्देश्य है । यह राष्ट्र की सेवा करती है । जनसमुदाय के हित में कार्य करती हैं । इनमें व्यापार की दृष्टि से भाड़ा नहीं लिया जाता । परन्तु सड़क परिवहन की बात और है । वे मुनाफे की दृष्टि से काम करते हैं । इन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है । फिर भी मैं भाड़े के समूचे ढांचे का पुनरीक्षण करा रहा हूं ।

इसके अतिरिक्त मीटर गेज को बाढ़ क्षेत्र में परिवर्तित करने का सवाल है। इस पर भी हमें माल लाने ले जाने के सम्पूर्ण पहलू की दृष्टि से विचार करना होगा। इसलिए, मीटर गेज लाईनों को ब्राड गेज लाईनों में बदलने की एक योजना एक विशेष आधार पर तैयार की गई है, ताकि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक और एक बन्दरगाह से दूसरी बन्दरगाह तक और बड़े बड़े उद्योगों से अन्य उद्योगों तक माल निर्बाध रूप से लाया-लेजाया सके। इस योजना पर 170 करोड़ रुपया खर्च बैठेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि श्रमिकों में सन्तोष नहीं है। हमने रेलवे के दो संघों को मान्यता प्रदान की है जिनके द्वारा बातचीत की सुविधाए हैं, एक बातचीत की स्थाई व्यवस्था भी है, संयुक्त सलाहकार व्यवस्था भी है और कई अन्य सुविधाएं हैं। कुछ सेक्शनों के संघ भी हैं। परन्तु रेलवे में कितने ऐसे संघ होना उचित है। सेक्शनों के अलग-अलग संघों से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ड्राईवर महसूस करते है कि फायरमेन उनसे आदेश नहीं लेते। अतः उनके बीच सहयोग नहीं है। कुछ अन्य लोग उन्हें प्रोत्साहन देते हैं और जब रेलवे के संचालन पर उसका असर पड़ता है तो रेलवे को दोषी ठहराया जाता है। एक ऐसा समय आयेगा कि हमें यह सोचना पड़ेगा कि केवल एक ही संघ हो जो रेलवे कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर सके और रेलवे का काम भी ठीक ढंग से चल सके, कुशल ढंग से चल सके।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

The cut motions were put to the vote of the House and were negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

मांग संख्या	मांग का नाम	राशि रु०
2	विविध व्यय . . .	3,000
15	चालू लाइन निर्माण--पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि . .	1,01,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उप प्रधान मंत्री के पुत्र के व्यापार सम्बन्धों के बारे में उनके वक्तव्यों के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. STATEMENTS OF DEPUTY PRIME MINISTER RE. HIS SON'S BUSINESS CONNECTIONS

Shri Madhu Limaye : Sir, with your permission I want to move the following motion:

"That this House, having regard to the fact that the Deputy Prime Minister and Finance Minister has made false statements to the House not once but twice on the 30th April and the 24th July, 1968- concerning his son's/Private Secretary's business connection and also the fact that he has not been asked by the Prime Minister to resign, hereby disapproves the conduct of the Deputy Prime Minister and the Prime Minister."

In to-day's discussion there is no question of personal prejudices, jealousy or a spirit of retaliation.....(Interruptions). It is a question of safeguarding principles..

श्री राणे (बुलडाना) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 75 (2) और (3) के अनुसार यह प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता। दूसरे, जब तक इस विषय में कोई विशेष नियम न हो तब तक भी इसे नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा इसका स्वरूप भी आपत्तिजनक है। यदि आप इसकी अनुमती देते हैं तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे।

यह प्रस्ताव संविधान के अनुकूल इस कारण नहीं है कि संविधान के अनुसार मंत्री परिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरादायी है। कोई मंत्री व्यक्तिगततौर पर सभा के प्रति उत्तरादायी नहीं हो सकता। यदि आप ने इस प्रस्ताव का वर्गीकरण निन्दा प्रस्ताव के रूप में किया है तो मैं आपका ध्यान मेज़ पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस, 1964 संस्करण, की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें कहा गया है सरकार में विश्वास के अभाव का प्रस्ताव निन्दा प्रस्ताव नही है। निन्दा प्रस्ताव के रूप में यह आवश्यक है कि यह नियम 198 की आवश्यकताओं और ओपचारिकताओं को पूरा करे। इस नियम के अनुसार यह आवश्यक हैं कि इसके गृहित होने से पूर्व 50 सदस्य इसके पक्ष में मत दें। चूंकि ऐसा नहीं किया गया है, अतः यह ग्राह्य नहीं है।

इसके अलावा मेरी आपत्ति एक यह है कि आपने इसे नियम 189 के अन्तर्गत ग्रहित किया है। मूल अधिनियम 186 है। इस नियम के उप नियम (4) के अनुसार इसका विषय हाल ही का होना चाहिए, जो यह नहीं है। फिर उप नियम 6 के अनुसार जिस विषय पर चर्चा हो चुकी है उस पर दुबारा चर्चा नहीं की जा सकती। इस प्रस्ताव के विषय पर 24 जुलाई को चर्चा हो चुकी है। अब इसमें कोई नई बात नहीं है। जहां तक इसके स्वरुप का प्रश्न है यह प्रस्ताव हमारे किसी भी नियम की ओपचारिकताओं को पूरा नहीं करता। इन कारणों से इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय: इन सभी पहलुओं पर विचार कर लिया गया है। यह अविश्वास का प्रस्ताव नहीं हैं निन्दा प्रस्ताव है जो अध्यक्ष द्वारा गृहीत किया जा सकता है। आप इसे अनियत दिन वाला प्रस्ताव कहें या कुछ और। नियम 184 और 185 के अन्तर्गत अध्यक्ष ऐसा प्रस्ताव गृहीत कर सकता है। चूंकि यह निन्दा प्रस्ताव है अतः इसके लिए समय सभा के नेता तथा सरकार द्वारा निश्चित करना होता है। मैंने सभा की नेता की सम्मति ली और वह चर्चा के लिए समय और तारीख के लिए सहमत हो गई। इसमें कोई अनियमितता नहीं है। सरकार कह सकती है कि वह इस मामले पर सभा में चर्चा करना चाहती है। सभा के लिए भी यही बेहतर है कि बजाय इसके कि ऐसे विषय पर प्रेस में या बाहर चर्चा हो और तरह तरह की बातें सुनने में आयें इस पर सभा में ही चर्चा हो जाय। इससे मोरारजी भाई तथा अन्य सदस्यों को उत्तर देने का अवसर भी मिल जाता है।

Shri Madhu Limaye: I was saying that there is no question of personal prejudice jealousy or retaliation in today's discussion. It is a question of safeguarding principles, of setting ideals and of creating healthy democratic conventions. Final decision would ofcourse rest with the masses. If Deputy Prime Minister resigns that would not be my success, success would be of morality, of this House and of Shri Morarji himself. Therefore we, have not to indulge in castigation or allegations and counter-allegations today. I have alway respected Shri Morarji. So far as his person is concerned I have nothing to say about his honesty and integrity. But he is guilty of making wrong statement and to cover that original wrong statement he has been making incorrect statements subsequently.

There are three questions before us at present. Firstly, the Deputy Prime Minister continously and deliberately misled the House; secondly, the justification of his keeping his son as private secretary even after he was appointed as Deputy Prime Minister; thirdly, the question of his close relations having amassed wealth by making use of his name. The House would recall that the Deputy Prime Minister had stated thrice or four times on the 30th April that his son had servered all business connections since 1964 and he also stated that at that time his son was working with him as his private secretary. I had objected to this wrong statement on the 24th July. I had also presented certain documents in support of that, particularly the agreement reached between Dodsal Private Ltd. and Shri Kanti Desai. Shri Morarji had in reply claimed that the payments referred to in that agreement were merely terminal benefits and that they were not indicative of any kind of service or business connections.

I had demanded that the matter might be referred to Privileges Committee for inquiry. It was not at all proper for the Deputy Prime Minister to take upon himself the task of explaining these documents.

To establish the fact that business connections were there it is not significant that he had stopped working for the company. The important thing is whether during the period in question he recived payment from the company or not. Now I will give proof in support of that.

At document 'A' referred to by me, on 1st January, 1965, in the list of employees appointed by Dodsal Private Ltd. on managerial posts the name of Shri Kanti Desai is fifth. This shows that Shri Morarji misled the House when he said that his son had severed connection with the company after June, 1964. The fact is that even after becoming his Private Secretary Shri Kanti Desai maintained his business connections with the company and despite discontinuing working for it received salary and commission. This shows that Shri Kanti Desai had received illegal gratification or payment for getting contract and licence because of the position and influence of his father. He continued to be our employee of the company legally.

What Shri Kanti Desai was getting was neither pension nor terminal benefits. That was a salary as Sales Director. This document proves that relation between Desai and Shri Kanti Desai was that of employer and employee from 1965 to 1968. Firstly Shri Kanti Desai was holding a high post with the company, secondly, he was Director of sales,thirdly in this form the amounts paid monthly tallies with the monthly payments made in accordance with July, 1965 agreement. Then for 2050 rupees the words 'basic salary' have been used and not terminal benefits as claimed by the Deputy Prime Minister. The words terminal benefits are either invested by him or by his legal advisers. There is no mention of these words in either the agreement or 'B' and 'C' forms. Fourthly, Shri Kanti Desai was entitled to bonus which is paid to employees only. So Shri Kanti Desai was in service from June, 1964 to April, 1965 and he was getting salary as well as commission. After April

1965 he was working as Director of Sales at a salary 2050 rupees. The Deputy Prime Minister said that he was not taking commission but this fact of commission does not prove that he had no business connections.

These three documents contain many names of such persons as were holding managerial posts and one of them is the name of Shri Kanti Lal Desai who continued to be in employment and received the same salary and commision as was spelled out in the agreement of 1960. Even according to the statement of the Deputy Prime Minister Shri Kanti Lal continued to have business relations with DODSAL during the period from June. 1964 to March, 1965.

I informed the Deputy Prime Minister on 29th July about other business relations of Shri Kanti Lal Desai. But the Deputy Prime minister did not disclose the fact about the business relations with DODSAL and others and he was compelled to admit the truth only when these new documents were produced before the speaker. He could have ascertained these facts from the return filed by each company about their income tax paying employees but he did not try to place all these facts before the House. Shri Kanti Desai became his secretary in 1964 but he continued to receive salary as well as commission and bonus even after 1964.Thus the Deputy Prime Minister gave false information and told a lie to the House.

There are several other business connections of Shri Kanti Desai. For instance he was Chairman of Thackers till January, 1967. He was also Managing Director of the Bombay General Trading Company till September, 1966. Even now he is running the company although his minor sons are its share holders and his wife its nominal Managing Director. He had also connected with Vibgyor company for some time after he became the Private Secretary of the Deputy Prime Minister. He was proprietor of P. M. Traders. Even now he is Director of Travel Company named as Trade wings and also control Bombay Industrial and Trading Company.

It is singnificant that the first agreement between the Bombay General Trading Company of Shri Kanti Desai and DODSAL was singed in 1956 and that time Shri Morarji Desai was not out of office but was the Chief Minister of Bombay State and later in the year Commerce and Industry Minister in the Central Government. When the Second agreement was singed in 1960 he was Union Finance Minister. In this manner capitalists and companies continued to please his son because of his Ministership. Even in 1964 and threafter, when he was not in the ruling clique, he was having great influence in official and business circles in Gujarat and Uttar Pradesh. I do not say that Shri Morarji Desai got the agencies granted to his son from capitalists but he has vast power to show favour and extend patronage to those companies which do good to his son, It is, therefore clear thet the various business houses have been giving Shri Kanti Desai agencies, commissions and employment in high offices not because of his sons' capability but they think that their doing favour to Shri Kanti Desai being Shri Morarjis' son would help advance their business interests. I therefore, charge the ruling parys' Ministers that during the last 21 years either they themselves actively helped their relatives and friends amass wealth or at least connived at their doing so.

As regards leakage change in the bank rate, it is to be admitted that Shri Morarji Desai himself might not have disclosed the information to his son or to any other person but it is likely that that some officer with whom Shri Morarji had disclosed these things might have passed on the information to Shri Kanti Desai. If an impartial Committee is appointed to go into the relations of Shri Kanti Desai with the speculators of Bombap Share Market, facts would come to light.

The House would recall the celebrated Profumo case which brought out the best in Britains Parliamentary tradition and this cash is considered to be a glorious moment in the History of the House of Commons. Mr. Profumo resigned at once not only from the Cabinet but also from the House of Commons. Let the Deputy Prime Minister follow suit because it is proved beyond doubt that he has deliberately misled the parliament. He should be held guilty of not only impropriety but mis-conduct and as such should be asked to resign from the Government forthwith.

The Prime Minister should rise above the party interests as she is not only the Prime Minister but also the Leader of the House, and she should do her duty by following the example set by the Tory Leader Mr. Macleod who himself initiated a contempt motion against his own party's war Minister, Mr. Profumo.

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास एक सुझाव आया है कि पहले श्री मोरारजी देसाई इन बातों का उत्तर दें ताकि दो पक्षों की ओर से सदस्य वाद-विवाद में उपयुक्त ढंग से भाग लें सकें ।

श्री मोरारजी देसाई का भाषण आरम्भ होने से पहले मैं उन सदस्यों से इस प्रस्ताव से सम्बन्धित अपने संशोधन पेश करने के लिए कहूँगा जिन्होंने इनकी सूचना दी है ।

श्री स०मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या 1 पेश करता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं संशोधन संख्या 2 पेश करता हूँ ।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं संशोधन संख्या 3 पेश करता हूँ ।

श्री जार्ज फरनेंनडीज (दक्षिण बम्बई) : मैं संशोधन संख्या 4 पेश करता हूँ ।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सभा को याद होगा कि मैं पिछले महीनों में अपने पुत्र की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में दो वक्तव्य दे चुका हूँ । यह खेद की बात है कि इस मामले का लगातार इतना बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार किया जा रहा है जब कि ऐसी कोई परम्परा या नियम नहीं है कि किसी मंत्री के पुत्र या पुत्री को अपनी सामान्य व्यावसायिक या व्यापारिक गतिविधियाँ समाप्त कर देनी चाहिए । यह भी कोई असाधारण बात नहीं है कि खास कर वृद्धावस्था में कोई पुत्र या पुत्री अपनी पिता की सहायता करे । यह और भी अधिक खेद की बात है कि जिस अवधि के बारे में विवाद उठाया जा रहा है उसमें से अधिकतर अवधि के दौरान मैं मंत्री भी नहीं था । जहाँ तक मेरे सार्वजनिक जीवन का सम्बन्ध है वह एक खुली पुस्तक है । मुझ पर कभी भी ऐसा आरोप नहीं लगाया गया कि मैंने अपने पुत्र की व्यापारिक गतविधियों के हितों को बढ़ावा दिया । वास्तव में मैंने अपने पुत्र की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में कभी भी विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं की । मैंने जान-बूझ कर अपने को अपने पुत्र की व्यापारिक गतविधियों से अलग रखा, लेकिन मैंने उसे यह बता दिया था कि उसे कानून या नैतिकता के विरुद्ध अथवा ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण मेरे सार्वजनिक जीवन पर कोई बुरा असर पड़े ।

सभा को याद होगा कि मैंने 31अगस्त, 1963 को वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था । उसके बाद मैंने सार्वजनिक और संगठन के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया और

इसका मेरे ऊपर बहुत बोझ पड़ा। मेरे पुत्र ने यह महसूस किया कि मुझे उसकी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए उसने अपनी व्यापारिक गतविधियां समाप्त करने और अपना पूरा समय मेरी जिम्मेदारियों को निभाने में मेरी सहायता करने में लगाने का निश्चय किया। मुझे अब पता चला है कि अपने उक्त निश्चय के अनुसार मेरे पुत्र ने 1964 में 6 कम्पनियों से इस्तीफा दे दिया था। बम्बई जनरल ट्रेडिंग कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड तथा थैकर एण्ड कम्पनी से उसका सम्बन्ध बना रहा और इन दोनों कम्पनियों से भी उसने क्रमशः 23 सितम्बर, 1966 और 31जनवरी, 1967 को इस्तीफा दे दिया था। वह ट्रेड विंग्स (प्राइवेट) लिमिटेड का जो एक यात्रा अभिकरण है, निदेशक बना रहा। इन सभी कम्पनियों से वह निदेशक की फीस लेता रहा और कुल मिलाकर इस फीस को पर्याप्त परिश्रमिक या लाभ का साधन नहीं कहा जा सकता। इनमें से किसी में भी वह कर्मचारी के पद पर नहीं रहा और उसने इन कम्पनियों के व्यापार को भी किसी तरह बढ़ावा नहीं दिया। पी० एम० ट्रेडर्स नामक एक फर्म से उसका सम्बन्ध बना हुआ है क्योंकि इस पर उसी का स्वामित्व है। इस फर्म ने 1964 के बाद किसी तरह का व्यापार नहीं किया और पिछले व्यापार पर केवल कमीशन जमा किया गया। इस प्रकार उसकी उक्त फर्म की आय निरन्तर घटती रही और 31-3-1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में इस फर्म को घाटा हुआ।

मेरे पुत्र ने मुझसे यह कहने के बाद कि वह अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ समाप्त कर देगा, व्यापारिक संगठनों से अपना सम्बन्ध समाप्त करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाये। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल सकता कि मेरे पुत्र ने उल्लिखित तारीखों के बाद कभी भी इन फर्मों के कार्यों में, जिनसे उनका पहले सम्बन्ध रहा था, सक्रिय भाग लिया है। मैंने बाद में जो कुछ भी जानकारी प्राप्त की उससे पहले बतायी गई मेरी इन बातों में कोई अन्तर नहीं आता कि उसने व्यापारिक गतिविधियाँ 1964 में ही समाप्त कर दी थीं और कुछ समय के बाद उसने उक्त फर्मों से अपना सम्पर्क भी समाप्त कर दिया था। मैंने 30 अप्रैल, 1968 को जो वक्तव्य दिया था उसमें तथ्यों की वह जानकारी दी थी जो मुझे याद थे, पर 24 जुलाई को मैंने अपने वक्तव्य उस समय तक प्राप्त तथ्यों की जानकारी दे दी थी। मेरा सदा यही प्रयत्न रहा है कि सभा के सामने अपनी जानकारी में सभी तथ्य बता दूँ। मैंने बाद में जो वक्तव्य दिया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मैंने सभा में गलत बयान दिया है।

मेरे पुत्र को 1-1-1966 तथा 1-1-1967 को कुछ फर्मों में कर्मचारियों की सूची में एक कर्मचारी के रूप में दिखाये जाने के बारे में जो विवाद उठाया गय है उसके बारे में मैं यह कहूँगा कि मेरे पुत्र के सम्बन्ध 8 जुलाई, 1965 के उस विशेष समझौते के आधार पर ही समाप्त किये जा सकते थे जिसका श्री मधुलिमये पहले उल्लेख कर चुके हैं और जिसके अधीन मेरे पुत्र को उसकी सेवाओं के लिए 1965 से 1968 तक कुछ धन प्राप्त करने का अधिकार था। समझौते में की गई व्यवस्था से यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरे पुत्र की सेवाएं 1-4-1965 से समाप्त कर दी गई थी और उसका फर्म से केवल इतना ही सम्बन्ध रह गया था कि उक्त समझौते के अधीन फर्म से उसे कुछ धन प्राप्त करना था। इन परिस्थितियों में यदि कम्पनी द्वारा पेश किये गये कुछ प्रपत्रों में उसे कर्मचारी के रूप में दिखाया गया हो तो यह मुझे और मेरे पुत्र को नहीं अपितु सम्बन्धित कम्पनी को ही बताना चाहिए कि यह सब कैसे हुआ। मैं

समझता हूं कम्पनी द्वारा भेजे गये फार्म में भुगतान के लिए जो रसीदी टिकट लगाया गया है उसमें बिक्री निदेशक का उल्लेख नहीं है। मैं तो यही अनुमान लगा सकता हूं कि कम्पनी ने आयकर तथा कम्पनी कानून के अधीन कुछ स्टैंडर्ड फार्म इस्तेमाल किये और उन विवरणियों में सीमान्त लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को दी गई रकमों को वेतन की मद में ही दिखाया। जहां तक बोनस के बारे में लगाये गये आरोप का सम्बन्ध है यहां भी उक्त कथन लागू होगा लेकिन वास्तव में मेरे पुत्र को बोनस नहीं मिला।

मेरे पुत्र को जुलाई 1965 के समझौते के आधीन कम्पनी से जो धन मिला उसे मैंने सीमान्त लाभ कहा और इस प्रस्तावक ने आपत्ति की। उक्त समझौते से, जो इस मामले में निर्णायक दस्तावेज हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि हालांकि मेरे पुत्र और फर्म के बीच व्यापारिक सम्बन्ध समाप्त हो गये थे फिर भी मेरे पुत्र को अपनी पिछली सेवाओं के लिये धन मिलता रहा। सेवा की समाप्ति पर कुछ कार्यपालिकाओं और फर्मों के बीच 'सीमान्त लाभ' सम्बंधी समझौते कोई नई या असाधारण बात नहीं है।

जहां तक दूसरे प्रमाण का अर्थात उस प्रयत्न का सम्बन्ध है जिसे मेरे पुत्र को 1-1-1965 को कर्मचारी के रूप में वेतन और कमीशन लेने का हकदार दिखाया गया है, ऐसा मालूम होता है कि प्रस्तावक ने प्रपत्र की अपने ही ढंग से व्याख्या करके निष्कर्ष निकाला। घटना इस प्रकार है कि मेरे पुत्र ने जून, 1964 में, जब मेरा आपरेशन होने वाला था, कम्पनी को सूचित किया कि वह कम्पनी की सेवा से अलग होना चाहता है। सम्भवतः कम्पनी ने उसकी मूल्यवान सेवाओं के कारण कम्पनी की सेवायें बने रहने के लिये उस पर दबाव डाला। कुछ समय तक बातचीत चलती रही आखिर में कम्पनी मार्च, 1965 के अंत तक उसे सेवा मुक्त करने के लिये सहमत हो गई। इस बिल में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार 6 माह के नोटिस की अवधि भी 2 शामिल है। फिर भी स्थिति नहीं बदली, वास्तव में मेरे पुत्र ने कम्पनी के व्यापार में भाग नहीं लिया और जून, 1964 से कम्पनी को काम-काज बंद कर दिया था।

मामले की पृष्ठभूमि और तथ्यों को देखते हुये मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रस्तावक ने बात का बतंगड़ बनाने का हर सम्भव प्रयत्न किया है। लेकिन सचाई तो सचाई ही रहती है। मैंने सच को गुमराह नहीं किया बल्कि श्री लिमये ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और इस प्रकार सभा के सामने एक अस्पष्ट तस्वीर पेश की।

मेरा यह विश्वास रहा है कि अपनी जिम्मेवारियों को शुद्ध अन्तःकरण से निभाना चाहिये। ऐसा करने में मैंने अपने परिवार, मित्रों और सहयोगियों का कभी भी पक्ष नहीं लिया है। आज भी मुझे यदि यह मालूम हो जाय कि मेरा पुत्र गलती कर रहा है तो मैं सबसे पहले उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये तैयार हो जाऊंगा। आरोप लगाने के सिवाय किसी ने भी यह साबित नहीं किया कि मेरे पुत्र ने व्यापारिक गतिविधियों में मेरी स्थिति से लाभ उठाया है। लोकतंत्र के लिये यह बात खेदजनक होगी कि सत्य की परवाह किये बिना झूंठे प्रपत्रों के आधार पर विशेषाधिकार प्रस्ताव व अन्य मामले उठाये जायें।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : सभा के समक्ष जो मामला पेश किया गया है वह बड़ा खेदजनक है। खेद केवल इसलिये ही नहीं है कि इस मामले का सम्बन्ध देश के उप प्रधान-

मंत्री से है, बल्कि इसका सम्बन्ध हमारे सार्वजनिक जीवन के एक ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति से है जिसने हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान देश की बहुत बड़ी सेवा की है ।

दुर्भाग्यवश इस मामले में बहुत कुछ राजनीति आ गई है । इस बात के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है कि उपप्रधान मंत्री के विरुद्ध यह आरोप कुछ हद तक उन्हीं के दल के लोगों ने और कुछ ऐसे लोगों ने लगाया है जो प्रशासन में उनके विरोधी हैं । ऐसा ही कुछ मालूम हो रहा है और भारत तथा विदेशों में भी यही धारणा है । कुछ विदेशी और भारतीय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में इसी आशय के विचार व्यक्त किये गये हैं ।

उप प्रधान मंत्री ने दुर्भाग्यवश अपने को ऐसी स्थति में डाल दिया है जो देश के सार्वजनिक जीवन के ऊंचे मूल्यों की दृष्टि से असुरक्षित और अनुचित है । उन्हें अभी भी अपने पुत्र और उसकी गतविधियों से अपना सम्बन्ध समाप्त कर देना चाहिये । हम यह नहीं कहते कि वे अपने पुत्र से अपना नाता ही तोड़ दें । लेकिन ऊंचे पदों पर काम करने वालों को अपने रिस्तेदारों से कुछ हद तक दूर भी रहना चाहिये ।

इस देश के लोगों में अब यह भावना पैदा हो गई है कि इस सरकार के दिन अब पूरे हो चले हैं । कांग्रेस दल में स्वार्थ, सता लोलुपता और दाव-पेच का बोला बाला है । शायद 20 वर्षों तक सत्तारूढ़ रहने के बाद हर दल पथ भ्रष्ट हो सकता है । चूंकि कांग्रेस 20 वर्षों से सत्ताकी बागडोर संभाले हुये है इसलिये अब देश में सरकार को बदलने का समय आ गया है । सम्पूर्ण सरकार को बदले बिना देश को राहत नहीं मिल सकती ।

श्री शान्ति लाल शाह (बम्बई–दक्षिण--पश्चिम) : इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता में अपने प्रस्ताव को समुचित शब्दों में व्यक्त करने की ईमानदारी और साहस नहीं है । उन्होंने 'निरनुमोदन' शब्द का प्रयोग किया है । यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो सरकार त्यागपत्र देने के लिए बाध्य है जो अविश्वास प्रस्ताव का एक सामान्य परिणाम होता है, लेकिन श्री मधुलिमये 'निरनुमोदन' शब्द का प्रयोग करके उस शब्द को टालना चाहते हैं । इस से मालूम होता है कि उन्होंने अपने प्रयोजन के लिए गलत तरीकों का प्रयोग किया है ।

कुछ दिन पहले श्री मधुलिमये ने समाचार पत्रों में एक वक्तव्य जारी किया था कि श्री मोरारजी देसाई और प्रधान मंत्री श्री इन्दिरा गांधी ने मिलकर एक षड़यंत्र किया है जिसके परिणाम-स्वरूप तीन मूर्ति भवन प्रधान मत्री को दिया जाना है और इसलिए प्रधान मंत्री श्री मोरारजी का समर्थन करेंगी । क्या उनके उपदेशों और आचरण का यही स्तर है ? सरकारी कार्यों को चलाने का यह तरीका नहीं हैं ।

श्री मधुलिमये ने जिस साक्ष्य को पेश किया है वह न्यायालय को भी स्वीकार्य नहीं होगा । एक कम्पनी ने जो विवरण एक सरकारी अधिकारी के पास भेजा है वह साक्ष्य के रूप में श्री मोरारजी देसाई या उनके पुत्र के विरुद्ध मान्य नहीं होगा ।

श्री मधुलिमये को लोकतंत्र में रुचि नहीं है । उन्हें जीवन की ऊंची मान्यताओं में भी रुचि नहीं है । वह केवल घटनाओं को नाटकीय रूप देने में रुचि रखते हैं ताकि उनका प्रचार

हो। प्रोफ्यूमो के मामले का इस मामले से कोई मेल नहीं हैं, क्योंकि इस मामले में तथ्यों के बारे में न केवल विवाद है वरन उन्हें अस्वीकार भी किया जा रहा है।

इसमें निर्दिष्ट सभी आरोप और दस्तावेज वर्ष 1965 के हैं। उस समय श्री मोरारजी देसाई इस पद पर नहीं थे। इसलिए यदि डोडसाल 1965 में उन्हें खुश करना चाहते थे क्योंकि उस समय श्री मोरारजी देसाई उन्हें उपकृत कर सकने की स्थिति में ही नहीं थे।

कम्पनी के विवरण में 'सैलरी' शब्द के प्रयोग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। 1960 के दस्तावेज में श्री कान्ति देसाई को कमीशन एजेन्ट के रूप में दिखाया गया है और उन्हें कमीशन मिलता था। 1960 के दूसरे दस्तावेज के अनुसार उन्हें 2500 रुपये वेतन और कुछ कमीशन पाने का अधिकार था। 1965 के तीसरे दस्तावेज के अनुसार श्री कान्तिलाल देसाई को केवल 2500 रुपये वेतन और कुछ कमीशन मिला। चूंकि पेश किये गये विवरण में यह धन 'सैलरी' शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया गया है इसलिए यह तर्क दिया गया है कि वह एक कर्मचारी थे। यह एक साधारण गलत फहमी है और 'सैलरी' शब्द ढिलाई से प्रयुक्त किया गया है और वह अवश्य ही कर्मचारी सम्बन्धी अर्थ में नहीं है।

1960 के दस्तावेज में कहा गया है कि 'कर्मचारी का पारिश्रमिक पहले वर्ष में 1650 रुपये प्रतिमास और उसके बाद 2050 रुपये प्रतिमास होगा'। पहले दस्तावेज में 'सैलरी' शब्द का प्रयोग किया गया है और उन्हें कर्मचारी बताया गया है। दूसरे दस्तावेज में 'सैलरी' शब्द किसी रूप में नहीं आया है। इस शब्द को लेकर खिलवाड़ करना उचित नहीं है और बात को निरर्थक रूप में बढ़ाया जा रहा है।

सामान्यतः किसी लिमिटेड कम्पनी का निदेशक दिन-प्रतिदिन के मामलों का केवल उस कार्यसूची को छोड़कर जो उसके सामने आती है निपटारा नहीं करता। निदेशक को जो रकम मिलती है वह उसकी फीस होती है और यह शेयरों पर लाभांश हो सकता है। इसके अलावा एक व्यक्ति 20 कम्पनियों का निदेशक हो सकता है।

जहां तक बिक्री निदेशक के पद का सम्बन्ध है तो कान्ति देसाई निदेशक बोर्ड के सदस्य कभी नहीं हैं। बिक्री निदेशक शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया गया।

ऐसे उदाहरण हैं जहां कि ऊंचे पदाधिकारियों के पुत्र और पुत्री उनकी सेवा करते हैं। कुमारी मणीबेन पटेल ने सरदार बल्लभ भाई पटेल की जीवन पर्यन्त सेवा की। ऐसे ही वर्तमान प्रधान मंत्री ने अपने पिता की सेवा की। यदि श्री मोरारजी देसाई के पुत्र ने अपने पिता की सेवा की तो कोई गलत बात नहीं है।

यदि कोई नागरिक किसी मंत्री का पुत्र है तो वह एक साधारण नागरिक के अपने अधिकारों को नहीं खो देता है। क्या श्री कान्तिलाल देसाई को एक साधारण नागरिक की हैसियत से व्यापार नहीं करना चाहिए ? यदि कोई व्यक्ति किसी मंत्री का पुत्र है तो जब मंत्री के यहां मुलाकाती आते हैं तो उन्हें दर्शकों से मिलने के लिए बाध्य होना पड़ता है, परन्तु यह कभी नहीं कहा गया है कि मोरारजी देसाई ने एक बार भी अपने पुत्र की सिफारिश की हो या किसी जगह किसी व्यापारी से अपने पुत्र का परिचय कराया हो।

श्री लिमये ने यह प्रचार किया है कि किसी को अपने पुत्र में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। क्या वह कहेंगे कि किसी व्यक्ति को अपने भाई में दिलचस्पी होनी चाहिए ? उन्होंने मुझे अपने भाई को अवैतनिक डाक्टर के रूप में नियुक्त करने के लिए लिखा है।

विरोधी पक्ष यह समझते हैं कि श्री मोरारजी देसाई तो शक्ति के स्तम्भ हैं और यदि वे उन पर अभियोग लगा सकें तो वे एक दिन सत्ता हथियाने में सफल हो जायेंगे। परन्तु ये मिथ्या आशाएं हैं। यह अधिक अच्छा होगा कि लोकतंत्र के सम्मान के लिए वे तुच्छ चाल-बाजियों और अनुचित तरीकों को जिनसे वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, त्याग दें।

श्री श्री पद अमृत डांगे (बम्बई--मध्य-दक्षिण) : वर्तमान वाद-विवाद डोडसाल तक ही सीमित रखा गया है लेकिन केवल इतनी ही बात पर चर्चा नहीं हो रही है। श्री कान्तिलाल देसाई ने उसी समय से पैसा कमाना शुरू कर दिया था जब श्री मोरारजी देसाई बम्बई राज्य के वित्त मंत्री थे। उस समय उसने लाखों रुपये जमा किये। उप-प्रधान मंत्री को उसे इन्कार करने दीजिए। अब भी उसके पास इतनी परिसम्पत्तियां हैं कि उनसे उसे प्रतिवर्ष लाखों रुपये की आमदनी हो जाती है। श्री कान्तिलाल का धन कमाने का एक तरीका है और उसकी छान-बीन करने की आवश्यकता है। यह कैसे हुआ कि श्री कान्तिलाल देसाई ने अपने शेयरों को रुइया बन्धुओं को तिगुने मूल्य पर बेचकर धन कमाया। रुइया बन्धुओं का 40 लाख रुपये का आयकर माफ कर दिया गया और जब श्री कान्तिलाल देसाई को 'न्यू इंडिया इन्श्योरेन्स' से लगभग 30 लाख रुपये मिले तब रुइया की तलाशी ली गयी और उनके आयकर सम्बन्धी कागजात जब्त कर लिये गये। डोडसाल्स के मामले में कुछ बाते दोहराई गयी हैं। श्री कान्ति-लाल देसाई को प्रति माह 2050 रुपये भुगतान करने के समझौते की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर ही प्रवर्तन निदेशालय ने उनके सभी 30 कार्यालयों पर छापा मारा।

यह एक महत्व की बात है कि जहां नियमित प्रतिनिधि मंडलों को 'पी' फार्म प्राप्त करने में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वहां श्री कान्तिलाल देसाई को वह सरलता से मिल जाता है। इसलिये यह कहना बेकार है कि उप प्रधान मंत्री के पुत्र होने के नाते श्री कान्तिलाल देसाई के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया गया है।

उप-प्रधान मंत्री द्वारा इस वृद्ध अवस्था में अपने पुत्र की सेवायें लेने पर कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु यह बात विश्वास योग्य नहीं है कि एक ही घर में रहते हुये और निजी सचिव के तौर पर श्री देसाई की सेवा करते हुये श्री कान्तिलाल के पास, उप प्रधान मंत्री के नाते श्री मोरारजी देसाई के सरकारी दस्तावेज न पहुंचते हों।

उप प्रधान मंत्री का यह कहना उचित नहीं है कि प्रधान मंत्री के कहने पर वह त्याग पत्र दे देंगे। वह इस समझौते पर उप-प्रधान मंत्री बने हैं कि वह प्रधान मंत्री होने में उनकी मदद करेगें और वह इस आधार पर प्रधान मंत्री बनी कि वह उन्हें उप-प्रधान मंत्री बनायेंगी और एक महत्वपूर्ण विभाग सोपेंगी। इसलिये प्रधान मंत्री तब तक उप-प्रधान मंत्री को त्यागपत्र देने के लिये कैसे कह सकती हैं जब तक कि वह स्वयं त्यागपत्र न देना चाहें या अपने दल के व्यक्तियों द्वारा उन्हें चुनौती न दी जाये। इसलिये यदि वह एक सच्चे सदाचारी व्यक्ति हैं और

उनमें साहस है तो उन्हें अपना त्यागपत्र देने के लिये प्रधान मंत्री के अनुरोध की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये और शीघ्र ही त्यागपत्र देना चाहिये ।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : जब भी इस प्रकार के मामले उठें हमें उन पर न्यायाधीश की तरह विचार करना चाहिए ।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

हमारे सामने जो साक्ष्य है उसके आधार पर यह कहना असम्भव होगा कि उप–प्रधान मंत्री जान-बूझ कर झूंठ बोलते हैं । यह सच है कि उनके पुत्र ने उन्हें जो कुछ बताया वही उन्होंने कहा है । उन्होंने स्वयं अपनी जानकारी से कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वह कहते हैं कि उन्हें अपने पुत्र के काम-काज की अधूरी जानकारी है, जो कि बिलकुल संभव है । हमें उनको संदेह लाभ देना चाहिये ।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या उप-प्रधान मंत्री का पुत्र वास्तव में उस समय व्यापार कर रहा था जब कि वह उप–प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री थे । मैं कुछ भी कहने के लिये सक्षम नहीं हूं क्योंकि मुझे व्यापार जगत का कुछ भी ज्ञान नहीं है । परन्तु एक साधारण व्यक्ति के रूप में यह मालूम होता है कि श्री कान्तिलाल देसाई के व्यापारिक सम्बन्ध थे । यहां तक कि श्री मोरारजी देसाई भी यह नहीं कह सकते हैं कि उनके पुत्र ने व्यापार से अपने सभी सम्बन्ध सर्वथा विच्छेद कर दिये हैं ।

सरकारी कार्यों में हमें केवल ठीक ही नहीं होना पड़ता परन्तु हमें जनता के सामने अपने को ठीक दिखाना भी होगा । इसलिये श्री मोरारजी देसाई के लिये यह ठीक नहीं है कि वे अपने पुत्र को अपने निजी सचिव के रूप में नियुक्त करें । श्री मोरारजी देसाई को देश में अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुये अधिक जागरूक रहना चाहिये था ।

यह कहा गया है कि मंत्रियों और प्रधान–मंत्रियों के पुत्रों को व्यापार से नहीं रोका जा सकता । दुर्भाग्यवश, भारत में कोई भी व्यापार सरल नहीं है । मंत्रियों और प्रधान मंत्रियों के लड़के और लड़कियों को इस बात से संतोष कर लेना चाहिये कि वे भाग्यवान हैं कि वे उनके यहां पैदा हुये । यदि वे अपने को भाग्यवान नहीं समझते हैं और यदि वे धन इक्ट्ठा करना चाहते हैं तो वे अपने माता-पिता के प्रति अच्छी बात नहीं कर रहे हैं ।

यह समझना कठिन है कि प्रधान मंत्री को इस बारे में क्या करना है । जहां तक मैं जानता हूं पहले न्यायपूर्ण जांच कर लेने और कतिपय आरोपों को सिद्ध कर देने के बाद ही केवल पद से त्यागपत्र दिये गये हैं । श्री टी०टी० कृष्णामाचारी और श्री मालवीय के मामले में ऐसा ही हुआ है । परन्तु यहां श्री मोरारजी देसाई के विरुद्ध ऐसे कोई आरोप नहीं है । इसलिये यह प्रश्न है जिसे प्रधान मंत्री को स्वयं तय करना है ।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barha) : Shri Limaye has not been able to make out any case against the Deputy Prime Minister. All that he seems to object is that the Deputy Prime Minister did not give complete information in regard to the business connections

of his son, but this can not attract any privilege issue. On such question Shri Mavalankar specifically had given a ruling that Governments' failure to make full disclosure might be regrettable but did not constitute a breach of privilege even if it be assumed that the failure to give full or correct information was international. It is, therefore, not proper to ask the Deputy Prime Minister to resign.

As regards the propriety of a Ministers' son or daughter carrying on business there should be no objection if that business is honest. So far as Shri Kanti lal Desais' business is concerned, there is nothing which can be held as illegal. There is nothing wrong. If a Ministers' son carries on honest business and continues to live with his Minister father.

As regards the question of Shri Kanti Lal Desai working as Private Secretary to his father, the whole misunderstanding has been created by the use of the word 'Private Secretary'. There is nothing wrong if a son or a daughter helps his/her father at home. This is a common practice all over the world. As a matter of fact, it is a domestic issue of a Minister and it is better not to raise such issues in the House.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : समूची घटना का मूल यह है कि उप प्रधान मंत्री ने स्वेच्छा से प्रत्येक बात स्पष्ट नहीं की है । हर समय वह सभा में आते हैं और किसी के द्वारा खोले गये भेदों की व्याख्या करते हैं । अभी भी वह यह स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने गलती की है और उनके लड़के के व्यापारिक सम्बन्ध रहे हैं ।

यह सच है कि उप-प्रधान मंत्री ने इस मामले में अपने पुत्र पर विश्वास किया है । उनके पुत्र की व्यापारिक गतविधियों के विरुद्ध आरोप लगाये जाने के बाद एक उत्तरदायी व्यक्ति के नाते उप प्रधान मंत्री को असली स्थिति का पता लगाने के लिये स्वयं अपने पुत्र के अलावा दूसरे स्त्रोतों से छानबीन करनी चाहिये थी । परन्तु उन्होंने ऐसी जांच कभी नहीं की । जब कभी कोई नई बात की ओर उनका ध्यान दिलाया जाता है तो वह वक्तव्य देते हैं कि मैंने अपने पुत्र से पूछताछ की और उसने यह बात बतायी, और इस तरह उन बातों की व्याख्या करने लगते हैं ।

उदाहरणार्थ सेवान्त-लाभ का प्रश्न आता है । उस ठेके के बारे में कहा जा रहा है कि यह डोडसाल एण्ड कम्पनी ही बतायेगी कि उसने सेवान्त-लाभ को कर्मचारी के वेतन के रूप में क्यों नहीं दिखाया । यह कहना हास्यापद मालूम होता है । हालांकि सम्पूर्ण देश में इस प्रश्न पर चर्चा हो रही है फिर भी श्री देसाई ने यह आवश्यक नहीं समझा कि वह डोडसाल एण्ड कम्पनी से यह मालूम करते कि उसने ऐसा क्यों किया ? प्रधान मंत्री ने भी मामलों की पूर्णतया जांच करने के बारे में अपने दायित्व को नहीं निभाया, जबकि इस मामले के बारे में इतना कुछ कहा जा रहा है ।

उप-प्रधान मंत्री निर्दोष नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को धन जमा करने में अपनी स्थिति का लाभ उठाने से नहीं रोका । अन्यथा डोडसाल एण्ड कम्पनी ने श्री कान्तिलाल देसाई को इसीलिये नियुक्त किया कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से व्यापार के बारे में श्री मोरारजी देसाई के प्रभाव का उपयोग किया जा सके । इसीलिये उन्हें (श्री देसाई को) मामले की छानबीन करनी चाहिये थी । लेकिन वह आज भी ऐसा करने को तैयार नहीं हैं ।

वित्त मंत्री ने बताया है कि श्री कान्तिलाल देसाई को लगभग एक महीने तक चलने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिये केवल 90 पौंड की नाम मात्र विदेशी मुद्रा दी गई थी और वह सम्मेलन में शामिल होने के लिये अपने ही खर्च पर गये। वित्त मंत्री यह बतायें कि क्या कोई एक पूरे महीने तक यूरोप, अमेरिका या ब्राजील में 90 पौंड में रह सकता है। यदि नहीं, तो उनका खर्च किसने उठाया ?

इसी प्रकार उप-प्रधान मंत्री ने कहा कि बाद में श्री कान्तिलाल देसाई सीओल और अन्य स्थानों पर गये और मनीला में उनके साथ मिल गये थे। जब एक प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह वहां एक निमंत्रण पर गये थे। वह निमंत्रण किसने भेजा था ? जब श्री कान्तिलाल देसाई ने सारे व्यापारिक सम्बन्ध समाप्त कर दिये थे तो उन्हें किस व्यापारिक संगठन का निमंत्रण मिला ? यदि उन्हें व्यापारिक संगठन द्वारा नहीं आमंत्रित किया गया तो उन्हें उन देशों की सरकारों द्वारा आमंत्रित किया गया होगा। उन देशों की सरकारों ने गैर-सरकारी व्यक्ति को क्यों बुलाया ? क्या उन देशों की सरकारों ने उन्हें श्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव होने के कारण बुलाया था ? इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री कान्तिलाल देसाई और कोरिया के विदेश मंत्री के बीच हुई इस बातचीत का समाचार कि इन देशों के बीच दूसरा व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में हो, भारत के समाचारपत्रों में ही नहीं वरन दक्षिण कोरिया के समाचार पत्रों में भी छपा था। ऐसी दशा में श्री मोरारजी देसाई ने उप प्रधान मत्री होने के बाद क्या कदम उठाये हैं ताकि उनकी स्थिति का फायदा श्री कान्ति देसाई न उठा सकें ?

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

शायद श्री मसानी को मालूम होगा कि पी० एम० ट्रेडर्स ने जो श्री कान्ति देसाई की कम्पनी है, 'करेन्ट' समाचार पत्र को आर्थिक सहायता दी थी जबकि श्री मसानी का कहना है कि 'करेन्ट' जनसाधारण की राय व्यक्त करता है। चाहे आप इस समूचे प्रश्न को टाल दें पर इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि इस प्रकार की बातों से सरकार और उप प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा तथा लोकप्रियता पर बुरा असर पड़ा है। अतः श्री मोरारजी को स्वयं ही सरकार से हट जाना चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : It is most unfair that personal attacks are made on the Deputy Prime Minister. In case Parliamentary discussion goes down to such a low level, it is doubtful whether democracy will have any future in the country. It is necessary that we try to raise the standard of discussion in Parliament.

The present difficulty has arisen only because the Deputy Prime Minister described his son as a Private Secretary while he was in fact no more than a personal assistant with no Government position. If Sri Kanti Lal Desai had been appointed as a Government employee and Government had made any payment to him, then certainly it would have been objectionable. But there is nothing of that kind.

If we want to keep the political life in the country to be clean, we must see that persons who have set up some traditions and ideals in their lives and have also followed them in practice, are respected,

श्री तिरूमल राव (ककिनाड़ा) कांग्रेस दल के उपनेता के रूप में मैं समाचार पत्रों में छपी इस खबर का खंडन करता हूं कि 'रविवार को संसदीय कांग्रेस दल के कार्यकर्त्ता प्रधानमन्त्री से मिले और उनसे अनुरोध किया कि 1964 के बाद के श्री कांतिलाल देसाई के व्यापारिक सम्बन्धों के बारे में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में न्यायिक सलाह ली जाये।' यह बिलकुल गलत और झूंठी खबर है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें सदैव सदन के सम्मान और गरिमा की रक्षा करनी चाहिये। लेकिन साम्यवादी और संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य ऊंचे नैतिक आदर्शों और सदाचार की बात करते हैं तो बड़ी विचित्र सी बात लगती है। उनके अब तक के आचरण से यह कहा जा सकता है कि उन्हें औचित्य और नैतिकता के बारे में उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में जब से संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य इस सभा में आये हैं तब से सभा की गरिमा ही समाप्त हो गई है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I want to congratulate Shri Madhu Limaye that he has tried to keep alive iconoclastic tradition of Dr. Lohia. Howsoever, insignificant the matter may be, listners are bound to be impressed by the force of his presentation. The purpose of Shri Limaye is to topple the Government, to depose the present regime and for that he is prepared to make use of any tool. But in this motion he has involved both the Deputy Prime Minister as well as the Prime Minister. Most of the facts put forth by Shri Limaye have already been published by a weekly of Bombay. The weekly has started a regular campaign against the Deputy Prime Minister which can be characterised as a character assassination campaign. It seems that a number of Ministers are supporting that weekly in its campaign against the Deputy Prime Minister. A new weekly "Indian Monitor' has started in Bombay which has published this news;" So the Prime Minister's priorities shifted to undermining Mr. Desai and Mr. Nijalingappa... Mr. Dinesh Singh and the over-ambitions communist Minister of State Mr. Raghunath Reddy worked overtime passing on later about these controversies."

This fact ought to be inquired into as to how a particular newspaper was able to obtain such information. It seems that our present Government is divided. The principle of collective responsibility has been thrown to winds. Our Cabinet is divided in groups and the integrity of our country is in danger.

The Deputy Prime Minister did not say that his son had no connections whatsoever with business. He was talking of budget leakage and he had clearly said that his son was far from such irregularities. Such wrong propaganda in public ought to be repudiated, I do not concede that Shri Morarji wanted to mislead the House. In fact his son misled him by not apprising him of factsIn this context. I appreciate Shri Kairon who had severed all connections with his son. If a father seeks the help of his son in old age it is not objectionable, but after becoming Deputy Prime Minister some line should have been drawn. Ministers should not only be beyond suspicion they should also look to be so. In public life one has to be very strict and all relations of love have to be kept apart. We have to keep up the high traditions of our culture. Standard of public life is to-day deteriorating influence of capitalists on politic is increasing, power is being misused.

Our leaders have therefore to be very cautions. In case Shri Morarji admits that in so far as public life is concerned he would set a limit vis a vis his son, this matter can close here.

श्री मोरारजी देसाई : सीमा की बात तो मैंने कह दी है वह कोई सरकारी काम नहीं करता । यदि कोई साबित करदे कि उसने सरकारी काम किया है तो मैं कोई भी सजा पाने के लिए तैयार हूँ ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा): मैं श्री मसानी से सहमत हूं कि यह चर्चा बहुत दुखद है । क्या हम सम्पूर्ण भारत के प्रतिनिधि नैतिकता का स्तर ऊंचा उठाने के लिए यह चर्चा कर रहे हैं या कि जिस व्यक्ति को सार्वजनिक सम्मान प्राप्त है उसे बदनाम करने के लिए और जनता की नजरों में उसे गिराने के लिए ? कुछ समाचार पत्रों ने श्री मोरारजी को बदनाम करने का अभियान चला रखा है । श्री मोरारजी ने क्या गुनाह किया ? अचानक उनसे एक प्रश्न किया गया और जो जानकारी उस समय उनके पास थी उसी के आधार पर उन्होंने उत्तर दिया कि "मेरे पुत्र ने व्यापार से सम्बन्ध विच्छेद कर लिये है ।" यदि वह इतना और कह देते कि "मैं जो कह रहा हूं वह अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ" तो यह चर्चा न होती ।

मैं यह पूछना चाहती हूं कि हम में से कितने लोग यह जानते है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं ? सब जानकारी होना ही सम्भव नहीं है । यह सर्वविदित है कि मन्त्री के सचिव के नाते श्री कान्तीलाल किसी सरकारी पद पर आसीन नहीं थे । सरकार ने उन्हें नियुक्त नहीं किया । उन्होंने कोई वेतन नहीं पाया । उन्होंने अपने बाप की सहायता अवश्य की । ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है । शब्द 'सेक्रेटरी' का प्रयोग करना ही गलत है । परन्तु मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि उन्हें यह नाता भी तोड़ लेना चाहिये था । इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वह एक सलाहकार के नाते गये । ऐसा नहीं होना चाहिये था । एक मन्त्री को बहुत सावधान रहना पड़ता है चूंकि उस की कोई भी आलोचना कर सकता है । परन्तु यह खेद का विषय है कि यह आक्षेप श्री मोरारजी पर किया गया है जो अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध है । ऐसा लगता है कि यह सब उन के व्यक्तित्व को नीचे गिराने और उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है । ब्लिटज के सम्पादक श्री कारंजिया ने भी बदनाम करने का अभियान चला रखा है जिन का कोई सिद्धांत नहीं है और जो कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं ।

हमें यह देखना है कि क्या मन्त्री ने अपने बेटे की व्यापारिक उन्नति के लिए कुछ किया है, और क्या उन्होंने जानबूझ कर ऐसा किया है और क्या उन्होंने सरकारी गुप्त बातें प्रकट कर दी हैं, क्या उन्होंने राष्ट्रीय हित को हानि पहुंचाई है ? मैं समझती हूं कि सभा का कोई भी सदस्य श्री मोरारजी पर ऐसा आरोप नहीं लगा सकता । अगर ऐसी बात है तो क्या हम यहां श्री कान्तीलाल देसाई के बारे में चर्चा कर रहे है ? क्या औद्योगिक या व्यापारिक दृष्टि से उनका व्यक्तित्व इतना महत्वपूर्ण है कि उनके कारण भारत के अर्थव्यवस्था में क्रान्ति आ सकती हैं ? क्या श्री कान्ती लाल के कारण हमारे गिरने या ऊपर उठने का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है ? हम एक तुच्छ मामले पर व्यर्थ समय बर्बाद कर रहे हैं । हम सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं ।

मैं विपक्षी सदस्यों से अपील करना चाहती हूं कि यदि आज कांग्रेस सत्तारूढ़ है तो कल विपक्षी दल सत्तारूढ़ हो सकते है, तब स्थिति क्या होगी ? आज भी बहुत से राज्यों में विपक्षी दल सत्तारूढ़ है। क्या उनका आचरण इतना अच्छा रहा है कि वे हमारी आलोचना करें ? इसीलिए उन्हें कुछ संयम से काम लेना चाहिये। कल श्री मधु लिमये इस ओर आ सकते हैं तब उन्हें अपने आचरण का स्पष्टीकरण करना कठिन हो जायेगा। ऐसी बातें देश के हित में नहीं है।

एक यह बात खुले तौर से कही गई है कि यह प्रचार किसी अन्य माध्यम द्वारा किया जा रहा है। इस बात का देश पर और देश से बाहर क्या असर पड़ेगा। हम एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर चोट कर रहे हैं जिसे देश में और अन्य देशों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। विदेशों में समाचारपत्रों, रेडियों आदि का प्रयोग प्रचार के लिए किया जाता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे अब हमारे प्रशासनिक मामलों में दखल देना चाहते हैं और मंत्री परिषद के सदस्यों के चयन में भी दखल अन्दाजी करना चाहते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिये कि वे इस तरह की दखल-अन्दाजी न कर सके। अतः हमें इस प्रकार कीचड़ नहीं उछालना चाहिये। श्री मसानी ने कहा कि मन्त्रिपरिषद में गुट हैं। प्रधान मंत्री यहां उपस्थित है जिन्हें इस बात का खंडन करना चाहिये और बताना चाहिये कि ऐसी बात नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : प्रस्तावक या किसी भी अन्य सदस्य ने श्री मोरारजी की देशभक्ति या उनकी सत्यनिष्ठा पर सन्देह व्यक्त नहीं किया। मैं सभा को स्मरण कराऊंगा कि यह विषय पहले 24 अप्रैल को श्री मधुलिमये ने नहीं उठाया था। पहले यह प्रश्न श्री उमानाथ ने उठाया था। उस समय श्री मोरारजी को कहना चाहिये था कि "मैं इसकी पूरी तफसील से अनभिज्ञ हूं। मैं इस बारे में वक्तव्य दूंगा।" परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। श्री मोरारजी ने श्री उमानाथ के प्रश्न के उत्तर में बार-बार कहा कि उनका पुत्र कारोबार नहीं कर रहा है और कि उसने व्यापार से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। इसलिए किसी को यह नहीं कहना चाहिये कि श्री मोरारजी ने ऐसा नहीं कहा।

श्री मोरारजी देसाई : मैं तो कहता हूँ कि मैंने ऐसा कहा है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यही तो वास्तविक कठिनाई है। एक गलती करने के पश्चात् उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। यदि उन्होंने कहा होता कि तफसील का उन्हें पता नहीं है तो बात और होती। परन्तु वह अब भी यह कह रहे है। उनको ऐसा रुख अपनाना उचित नहीं था। दूसरे प्रश्न को लीजिये। एक तरफ वह कहते हैं कि उनके पुत्र उनके पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। साथ ही वह कहते है उनके पुत्र ने सरकार से कोई पैसा नहीं लिया।

इस विषय पर अन्तिम प्रश्न से एक भिन्न बात प्रकट होती है। यह कहा गया है कि तकनीकी दृष्टि से वह उप प्रधान मन्त्री के प्राईवेट सेक्रेटरी नहीं है। वह गैर-शासकीय तौर पर वित्त मन्त्री का हाथ बटां रहे थे। श्री मोरारजी को इस तरह से नहीं कहना चाहिये था, बल्कि साफ-साफ बयान देना चाहिये था।

फिर उन्होंने कहा कि जब कभी ऐसा अवसर आया है उन्होंने अपने पुत्र के विरुद्ध पुलिस के द्वारा जांच की है। वास्तव में उनके पुत्र ने उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी। क्या पुलिस ने उन्हें डोडसाल के दस्तावेज–सर्कुलर संख्या 827 में दी गई जानकारी की सूचना दी ? इस दस्तावेज से पता चलता है कि श्री कान्तिलाल देसाई मुख्यतः सरकार के साथ किये जाने वाले कार्य-व्यवहार से सम्बद्ध थे ताकि वह डोडसाल के लिए काम करवाने में सरकारी मशीनरी पर प्रभाव डाल सकें। क्या पुलिस ने उन्हें यह जानकारी दी थी। जब यह बताया गया कि कम्पनी विधि प्रशासन को प्रस्तुत की गई सूची में उनके पुत्र का नाम है तो उन्होंने उत्तर दिया कि इसकी व्याख्या कम्पनी को करनी चाहिए कि ऐसा किन औपचारिकताओं के कारण है। उनका पुत्र कारोबार नहीं कर रहा है फिर भी कम्पनी वाले उसे वेतन दे रहे है। वह किसी प्रयोजन से रूपया देते हैं। वह कोई कारोबार नहीं करते फिर भी उनका नाम विक्रय निदेशक के रुप में दिया गया है। फिर भी श्री मोरारजी इस तरह का उत्तर देते हैं। इस विषय में उन्होंने क्या कदम उठाये हैं ? हम यह नहीं चाहते कि श्री मोरारजी जैसे महान व्यक्ति के नाम पर आंच आये। मैंने इस मामले की पूरी तरह छानबीन की है और मुझे आशा थी कि वह सभा में बयान देंगे कि जो कुछ उन्होंने कहा वह गलत था। हम यह सोचते थे कि वह खेद व्यक्त करेंगे और मामला साफ हो जाएगा। परन्तु पिता होने के नाते यह उनकी कमजोरी हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या सभी तथ्य सभा के समक्ष रखे गये हैं और क्या उन्होंने जो कुछ पहले कहा था वह गलत था। हम किसी मन्त्री विशेष के अपदस्थ होने में दिलचस्पी नहीं रखते। हम तो चाहते है कि यह सरकार ही अपस्थ हो जाये। मैं समझता हूं कि आप को एक समिति नियुक्त करनी चाहिये जो इन सब बातों की जांच करे, यदि श्री मोरारजी देसाई कह देते हैं कि उन्होंने तथ्यों की जानकारी के बिना भाषण दिया था और सार्वजनिक रुप से क्षमा याचना करे तो मामला समाप्त हो जायेगा।

The Minister of commerce (Shri Dinesh singh) : Just now Shri Vajpayee mentioned my name while referring to some irresponsible newspaper, and an hon. Member of Savatantra Party said that there are differences in the Cabinet. I want to tell them that howsoever they may try they can not create misunderstanding or difference in the cabinet members.

श्री राजाराम (सलोम) : श्री मोरारजी देसाई ने प्रश्नों के उत्तर में साफ साफ कहा कि उनके पुत्र का व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु यह बात सामने आ गई है कि श्री कान्तिलाल ने 2050 रुपये लिये, वह जनवरी 1967 तक डोडसाल एण्ड कम्पनी के कर्मचारी थे और वह अब भी कम्पनी के विक्रय निदेशक हैं और उन्हें 2050 रुपया वेतन मिलता है। अतः श्री मोरारजी का कथन गलत सिद्ध हुआ। जब ऐसा ही सन्देह हुआ तो श्री आर. के. शन्मुगम चेट्टी ने त्यागपत्र दिया, फिर अन्य वित्त मंत्रियों ने भी समय-समय पर त्यागपत्र दिये। मैं चाहता हूँ कि श्री मोरारजी देसाई एक संसदीय समिति के समक्ष इस मामले को स्पष्ट रुप से रखे।

औद्योगिक विकास तथा कम्पनी-कार्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : साप्ताहिक 'इण्डियन मानीटर' द्वारा मेरे विरुद्ध लगाये गये इस आरोप का मैं जोरदार शब्दों में खंडन करता हूँ कि मैं ने उप प्रधान मन्त्री या कांग्रेस के प्रधान के बारे में किसी समाचार पत्र को कोई जानकारी दी।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या आप जांच के लिए तैयार हैं ? प्रधान मन्त्री को इस बारे में हमें कुछ बताना चाहिये ।

Shri Abdul Ghani Dar : It would be better, if we are allowed to speak on our amendments before the Prime Minister speaks.

अध्यक्ष महोदय : जो संशोधन पेश किये गये हैं उन्हें यथा समय सभा के मतदान के लिए रखा जायेगा । अब प्रधानमन्त्री बोले ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे इस बात पर खेद है कि इस सभा के वरिष्ठ सदस्यों ने ऐसे समाचारपत्रों से उद्धरण दिये हैं जिनके समाचार सच्चे नहीं होते । कुछ असाधारण आरोप लगाये गये हैं । दोनों मन्त्रियों ने इन आरोपों का खण्डन किया है ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी अन्य लोगों ने कहा है आप उसकी जांच करवाये । श्री मधुलिमये को भी उत्तर देने का अवसर दिया जाएगा । विरोधी दल इस सरकार को हटाने के लिए सभी सम्भव उपाय कर चुके है । यह एक ऐसा मामला है जिसके लिये वह सभी एक मत है । परन्तु वह असफल रहे हैं ।

उपप्रधान मंत्री ने अपने पुत्र के व्यावसायिक सम्बन्धों के बारे में एक विस्तृत वक्तव्य दिया है । उप प्रधान मन्त्री के पुत्र 1957 से 1963 तक व्यापार करते रहे जब कि उप प्रधानमन्त्री केवल एक मंत्री थे । 1963 से 1967 तक श्री मोरारजी देसाई किसी भी पद पर नहीं थे । इस अवधि में श्री कान्तिलाल ने अधिकतर फर्मों के साथ सम्बन्ध विच्छेद कर दिया ।

जैसा कि मैंने पहले कहा मन्त्रियों के पुत्रों और रिश्तेदारों पर व्यापार करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । परन्तु उन पर एक दायित्व है कि ऐसा भाषित नहीं होना चाहिये कि उनके मन्त्री के साथ सम्बन्धों का दुरुपयोग किया जा रहा है ।

विरोधी सदस्यों ने अपने इस आरोप के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया कि श्री कान्ति लाल देसाई ने उनके पुत्र होने के नाते कोई अनुचित लाभ उठाया है । उपप्रधान मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि अपने सरकारी कर्त्तव्यों के पालन में उन्होंने अपने पुत्र को निकट भी नहीं आने दिया ।

श्री मधु लिमये का आरोप यह है कि अपने वक्तव्य में उन्होंने सभा को गुमराह करने का प्रयत्न किया है । आपने दो बार विनिर्णय दिया है कि विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि उप प्रधान मंत्री ने जान बूझ कर मिथ्या वक्तव्य नहीं दिया ।

ऐसे व्यक्ति के कार्य पर निर्णय करना बहुत कठिन है जो सहयोगी हो और जिसने अधिकतर जीवन सार्वजनिक कार्य में बिताया हो । किसी ने भी उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर सन्देह नहीं किया है । मुझे यह कहा जाता है कि उप प्रधान मंत्री को त्यागपत्र देने के लिये न कह कर मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया । परन्तु उप-प्रधान मंत्री के वक्तव्य से सारा मामला स्पष्ट है और यह प्रस्ताव बिल्कुल गलत है ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मधु लिमये उत्तर दें ।

Shri Madhu Limaye : The Deputy Prime Minister never made an attempt to reveal the information but the information has been elicited through him by our efforts. I had raised three points whether the Deputy Prime Minister deliberately gave false information (2) whether it was proper for him to make his son his private secretary after his association with business concerns and thirdly whether some restriction should be imposed on the misuse by near relatives of a Minister of his official position.

About giving false information I beg to state that the Deputy Prime Minister stated that he appointed his son a Private Secretary from 1964 and his son severed all business connections thereafter. But on 12th August in reply to a question of Shri Rabi Ray he stated that Shri Kanti Lal Desai has not been appointed as Private Secretary to the Deputy Prime Minister and Finance Minister. He has, however, been assisting him in his non-official work. On 4th March, 1968, Shri Kanti Lal Desai wrote a letter bearing number "842-Psf-68 H" and starting as "Private Secretary to the Finance Minister."

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया पत्र को उप प्रधान मंत्री को दे दें जिससे कि वह इसे देख सकें । हमें इस पत्र के बारे में कुछ पता नहीं ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं भी इस पत्र को देखना चाहता हूँ ।

Shiri K. N. Tewari : Let him read the contents of the letter.

Shri Madhu Limaye : The contents do not concern you.

अध्यक्ष महोदय : वह पत्र का विषय नहीं बताना चाहते चूंकि इसका मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है । उनका कहना यह है कि आज भी वह निजि सचिव हैं ।

श्री मधु लिमये : जी हां, यही मेरा कहना है ।

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र उन्हें दे दिया जाये जिससे वह मामले को स्पष्ट कर सकें ।

Shri Madhu Limaye : The question is that even on 4th March, 1968 he was claiming to be the Private Secretary to the Deputy Prime Minister I now pass on the letter to the Deputy Prime Minister. The second point is that Shri Kanti Lal Desai has received bonus from Dodsal Company upto 21st March, 1968. I want to know that if an employee has received the terminal benefits, is he still entitled to the bonus ?

Shri Morarji Desai also told that he was required to give six months notice under the agreement and that he gave the notice in October, but he stopped working for the company in June itself. I want to know whether he was receiving salary and the commission for the period June, 1964 to 21st March, 1965; if so, then he must have been telling a lie for the period.

I also want to clarify that I received this information partly through Blitz and partly through certain persons in Bombay but not through Congressmen. Shri Shanti Lal Shah has explained that I used unfair means to get my brother appointed. I am prepared to face an enquiry. Let a Committee of three persons be appointed including a congressmen and I an prepared to face the Inquiry. I have raised two points. whether he has deliberately told a lie. and secondly whether his son maintained business relation even after being appointed

as Private Secretary. On 24th July, we afforded him and an opportunitly to make a complete heart of evreything but he did not avail of it. I have great respect for Shri Morarji Desai for his age, which I do not have for other Ministers. When I received the Photastat Copies, I approached Shri Morarji Bhai through some of his friends that he should accept his mistake and sent Kanti Bhai to Bombay, I think no member of the opposition can adopt a better attitude. Let me also disclose that the Prime Minister and the Deputy Prime Minister are going together because the Prime Minister was the daughter of the then Prime Minister and indulged in similar activities which Shri Kanti Lal is indulging Shrimati Tarkeshwari Sinha is writing lengthy articles in searchlight against as and I would give an appropriate reply in Bihar itself. I read to you a letter written by the President of Indian Chambers of Commerce and Industry, Shri Babu Bhai Chaini in 1957. This letter rewals that whether it be the son of Deputy Prime Minister or the daughter of the Prime Minister the case is the same. The last paragraph is interesting.

कुछ समय पहले मुझे बताया गया था कि औद्योगिक प्रदर्शनी द्वारा लाभ दिखाये जाने के कारण जनहित निधि को जो कि एक सार्वजनिक न्यास है, 2 लाख रुपये का दान दिया जाना था। मैं इस न्यास का सभापति हूं। इसके अन्य न्यासी, जस्टिस पी. एन. सप्रू और कुमारी पद्मजा नायडू हैं। चूंकि अब आप इंडियन चेम्बर्ज आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के सभापति हैं, क्या आप बता सकते है कि दान दिया जा रहा है अथवा नहीं। फेडरेशन द्वारा जो दान ट्रस्ट को दिया जायेगा उसको मैं अपने पिताजी को बता दूंगी।

It is clear how the names of big people is used. This thing cannot be settled in law court but in the court of people. I do not have any ill will of feeling of jealousy against any body but I feel it to be my duty to point out any irregularity whether it has been Committed by the Prime Minister, the Deputy Prime Minister or Shri Fakhruddin Ali Ahmad.

Shri Abdul Gani Dar : As I have not been afforded a chance to speak, I may kindly be permitted to withdraw my amendment.

अध्यक्ष महोदय : श्री अब्दुल गनी दार अपना संशोधन वापस लेना चाहते है।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The Amendment was withdrawn by leave of the House

Shri George Fernandes : I want to withdraw my amendment.

अध्यक्ष महोदय : श्री फरनेन्डीज अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The Amendment was withdrawn by leave of the House

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मधु लिमये का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखना चाहता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री अपने पुत्र/निजि सचिव के व्यापारिक सम्बन्धों के बारे में न केवल एक बार बल्कि दो बार 30 अप्रैल और 24 जुलाई, 1968 को सभा में मिथ्या वक्तव्य दिये और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रधान मंत्री ने उन्हें त्यागपत्र देने को नहीं कहा, यह सभा एतद्द्वारा उप-प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री के आचरण का निरनुमोदन करती है ।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में	57	विपक्ष में	193
Fyes	57	Noes	193

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was Negatived

तत्पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 20 अगस्त, 1968/21श्रावण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 20, 1968 / Sravana 21, 1890 (Saka)